राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 1]   दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का ग्यारहवां दिवस   [संख्या : 7

शुक्रवार,
7 जनवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11·00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर नगर में कृषि भूमि पर बने भवनों का नियमन

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि भूमि को आवासीय भूमि में नियमन के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर नगर में कृषि भूमि पर बने मकानों का नियमन करने के लिये किस-किस योजना में कुल कितनी राशि जमा हुई थी? योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) किस-किस योजना में कितने आवासों का या कॉलोनीज का नियमन कर दिया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों? शेष योजनाओं का अब कब तक नियमन कर दिया जायेगा?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ आबंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 का राजस्थान राजपत्र (असाधारण अंक) में दिनांक 26-12-81 को प्रकाशन हो चुका है। एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का आवासीय भूमि में संपरिवर्तन के लिये राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम, 1992 बनाये गये हैं। जिनका राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में दिनांक 28-4-92 को प्रकाशन हो चुका है। एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जयपुर शहर में कृषि भूमि पर बने मकानों को नियमन करने के लिये 11, 14,

(2)

(श्री गंगाराम चौधरी)

26, 240 रुपये की राशि भूखण्डधारियों ने जमा करायी है। समिति एवं योजनावार राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) उपरोक्त प्रश्न संख्या 2 में प्रोविजनल नियमन की जिस सूची का वर्णन हैं, उसमें यह सूचना भी उपलब्ध है। अन्तिम आदेश पारित नहीं करने के मुख्य कारण भूमि का अल्सर एक्ट में होना, भूमि अर्जन अधिनियम से प्रभावित होना, मास्टर प्लान में भू उपयोग भिन्न होना, आवेदकों के पास खातेदारी अधिकार नहीं होना, आदि हैं। समस्या का शीघ्र समाधान किया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से खण्ड एक में यह पूछना चाहूंगी कि इन नियमों के अधीन कब से नियमन प्रारम्भ करेंगे या कर दिया गया है ? माननीय मत्री महोदय समयबद्ध कार्यक्रम मुझे बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : दूसरा नम्बर बाद में पूछेंगी ना।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं तीनों प्रश्न पूछ लेती हूं।

श्री अध्यक्ष : एक ही बार में ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : एक से ही सम्बन्धित हैं दोनों। मैं यह भी पूछना चाहूंगी कि जो राशि जमा हुई है जयपुर में, क्या उसका उपयोग कर लिया गया है ? यदि नियमन में राशि का उपयोग नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण रहे और उसका उपयोग कृषि भूमि पर आवासीय योजना के हित में कब तक कर लिया जायेगा ?

नम्बर तीन, मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहूंगी, सरलीकरण करने के लिये जैसा कि मुझे ज्ञात है कई कमेटियां बनीं उनकी सलाह के अनुसार नियमों में जो सरलीकरण किया उसके तहत आप क्या विचार रखते हैं ? मैं इसलिये चाहती हूं कि अल्सर के सम्बन्ध में मास्टर प्लान के विपरीत जो उल्लेख यहां किये गये हैं, योजना के विपरीत सीलिंग में जो भूमि आयी हुई है, कमेटियां बनी हैं, 1981 से लगातार कमेटियां बन रही है, आप इस सम्बन्ध में क्या करने वाले हैं ? मंत्री महोदय, यह तो बताइयें। आपने नियम सदन के पटल पर रख दिये परन्तु मेरे पास तो पहुंचे नहीं ताकि मैं जानकारी कर लेती कि आप उन नियमों के तहत क्या करने वाले हैं। मंत्री महोदय बतायें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो नियम सदन के पटल पर रखे गये हैं, यह तो गजट में आये हुए हैं इसलिए एक ही प्रति मैंने रखी है और रखने की आवश्यकता भी नहीं थी। माननीय सदस्या जो जानना चाहती हैं कि राशि का उपयोग कब तक होगा, राशि के उपयोग का मैं तात्पर्य समझा नहीं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं इतना निवेदन कर दूं....

श्री अध्यक्ष : वह भी नहीं समझीं कि

(श्री अध्यक्ष)

राजकीय कोष में जमा हो गया है। उपयोग तो हो ही रहा है।

श्री गंगाराम चौधरी : राशि जो सरकारी कोष में जमा हुई है....

श्री अध्यक्ष : इनका पूछने का मतलब है, कृषि को उन्नत करने लिये, विकास के लिये, भूमि के डवलपमेंट के लिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : वह तो अलग लेंगे, साहब, इसमें कहां आयेगा।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, डवलपमेंट चार्जेज अलग होते हैं। यह तो केवल....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा अर्थ यह नहीं था। मेरा अर्थ सिर्फ नियमन से है कि नियमन कर दिया गया क्या? नियमन के हित में आपने निर्णय लिया क्या?

श्री अध्यक्ष : वह बता रहे हैं। आपने राशि का पूछ लिया उसके अन्दर।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो रुकावटें आयी हैं, जैसा मैंने ऊपर कहा था, लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के तहत या तो एक्वायर कर ली गयी भूमि या अण्डर एक्वीजिशन, अलवर एक्ट से प्रभावित एस्टेट होल्डर्स की जमीनें, शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब्स से खरीदी हुई जमीनें और राजकीय भूमि, मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि, इन सब दिक्कतों को या अवरोधों को दूर करने के लिये राज्य सरकार ने जो कमेटियां बैठायी है एक निर्णय भी ले लिया था पिछली बार और निर्णय लेकर एक आदेश भी जारी कर दिया था 11 दिसम्बर, 1992 को। लेकिन उसकी तामील नहीं हुई क्योंकि सरकार भंग हो गयी। उसके बाद दिनांक 30–12–1992 को राष्ट्रपति शासन में राज्यपाल महोदय ने उस पर रोक लगा दी। इसलिये सरकार अब उस पर पुनर्विचार कर रही है और ऐसी आशा है कि एक माह के अन्दर इस पर निर्णय ले लिया जायेगा। जो पहले का सर्क्यूलर है उसमें मामूली संशोधन का सुझाव दिया है विभाग ने, उसके आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछना चाहूंगी। वैसे तो मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं कि राज्यपाल के भाषण में भी उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। लेकिन मैं यह पूछना चाहूंगी, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि क्या 11 दिसम्बर, 1992 के राजस्व के नियम संशोधित कर प्रसारित किये थे, उन्हीं लाइनों पर आप नियमन करेंगे या उसमें भी कोई विचार करेंगे। माननीय महोदय स्पष्ट करें। क्योंकि जयपुर में ही नहीं राजस्थान में यह समस्या बहुत भयंकर है।

श्री अध्यक्ष : अब आपका सवाल तो स्पष्ट हो गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उस दिशा में कब नियमन करने का कार्य प्रारम्भ करने वाले हैं। यह बताइये।

श्री गंगाराम चौधरी : उन्हीं लाइनों पर किया जायेगा। केवल साधारण संशो-

(श्री गंगाराम चौधरी)

धन रेट्स के रेगूलराइजेशन के सम्बन्ध में है वह संशोधन होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री कालीचरण जी।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोने कहा कि 11 दिसम्बर, 1992 को हमने आदेश प्रसारित कर दिये और वह फिर राज्यपाल के शासनकाल में रद्द हो गये, तो फिर एक महीने का टाइम किस चीज के लिये चाहिये ?

श्री अध्यक्ष : रद्द नहीं हुए, रोक लगा दी।

श्री कालीचरण सराफ : हां, रोक लगा दी। अब तो इस पर फटाफट करना चाहिये एक महीने का टाइम आप और लेंगे। सारे लोग बड़े चिन्तित हैं।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते हैं दस दिन में हो जाय।

श्री कालीचरण सराफ : और दूसरा जो आपने 11 करोड़ की राशि बतायी है, मेरी सूचना के हिसाब से 28 करोड़ रुपये की राशि जयपुर शहर के नागरिकों ने कन्वर्जन की जमा करवा रखी है। आपके पास 11 करोड़ है, इसको जरा ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : इनके अकाउण्ट में जमा है वही तो बतायेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : एक महीने का टाइम किस चीज के लिये चाहिये ? जब आदेश प्रसारित हो चुके थे तो उसको तो सरकार आते ही करना चाहिये। जयपुर में जनता इन्तजार कर रही है।

श्री अध्यक्ष : आप सरकार को धन्यवाद दीजिये कि वह एक महीने में कर देगी। एक महीने का टाइम बहुत नहीं हैं।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं नहीं, सरकार को धन्यवाद तो है ही पर एक महीने की जरूरत नहीं है। अब तो फटाफट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ठीक है आपके समझ में आ गया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय शीघ्र करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : एक वर्ष पहले लागू हो जाता तो ठीक था। अब थोड़ा प्राइस एस्कलेशन हुआ है इस पर भी हमें विचार करना पड़ेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इतना ही है, लोग तो आपको धन्यवाद देंगे ही, हमारा धन्यवाद भी स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द जी।

फलौदी (जोधपुर) के ग्रामों का छोटे राजस्व ग्रामों में विभाजन

2. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील फलौदी जिला जोधपुर

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

में 2,500 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले कितने गांव हैं ? सूची मय क्षेत्रफल के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि फलौदी तहसील के गांवों की आबादी ढाणियों में बसती है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम छोटे न हों तो जनता को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल व सड़क आदि का लाभ प्राप्त करने के लिये 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है ?

(4) यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए 2,500 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले गांवों को छोटे राजस्व गांवों में विभक्त करने का विचार रखती है ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) तहसील फलौदी में 2,500 हैक्टेयर से अधिक वाले 114 ग्राम हैं, जिसकी सूची मय क्षेत्रफल के सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) फलौदी तहसील के कुछ गांवों की आबादी ढाणियों में बसी हुई है।

(3) सामान्यतया तो ऐसा नहीं होता, परन्तु कुछ गांवों की जनता को शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल व सड़क आदि का लाभ प्राप्त करने हेतु इतनी दूरी तय करनी होती है।

(4) राज्य में जिन ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक होती है उन्हीं को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने की नीति निर्धारित की हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर किसी ग्राम को विभक्त या ढाणी को राजस्व ग्राम घोषित करने की कोई नीति राज्य सरकार की नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-I देखें।)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : माननीय मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। चाखू एक गांव है जिसका क्षेत्रफल आपने बताया है 22 हजार हैक्टेयर, 18 मील लम्बी उसकी सरहद है, 18 मील लम्बी है और 10 मील चौड़ी है। आपका इलाका भी ऐसा है, एक-एक ढाणी में लोग बसे हुए। पानी के लिए, स्कूल के लिए, शफाखाने के लिए, सड़के के लिए अगर आप गांवों को जोड़ते हैं तो 18 मील दूर वालों को क्या लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा ? इसलिए मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में पुनः सर्वेक्षण करके राजस्व गांव निर्मित किये जाने चाहिए। ढाणियां बनने का क्रम भी पिछले 20 साल में ज्यादा शुरु हुआ है। लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन कण्ट्रोल में है, डकैती नहीं होती इसलिए सब अपने खेतों में जाकर बस गये हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की ओर से कोई रूकावट नहीं है। सामान्यतया प्रक्रिया यह रहती है कि जनता की ओर से मांग आती है, प्रस्ताव आता है। कलक्टर के पास प्रस्ताव आता है और कलक्टर सम्बन्धित अधिकारियों को भेज देता है, फिर पंचायत की

(श्री गंगाराम चौधरी)

मीटिंग होती है, पटवारी बैठता है वह तय करके विभाजित कर देते हैं। ढाई सौ की जनसंख्या का तो मापदण्ड है लेकिन क्षेत्र-फल वह तय कर लेते हैं गांव के लोगों की मंशा के अनुसार। फिर वह प्रस्ताव आता है, राज्य सरकार उसको मंजूर कर लेती है। अभी तक कोई प्रस्ताव आया ही नहीं इस गांव के लिए तो हम कैसे मंजूर करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : ऐसा है कि आप स्वयं, सरकार नीति बना करके प्रस्ताव मंगवाइये। गांव वाले कोई सजग हैं, पढ़े-लिखे हैं वे तो भेज देते है बाकी के कब भेजें, कौनसा एरिया उसमें ले। तो यह तो राज्य सरकार का दायित्व है कि वह कोई नीति बना करके इस तरह से जो ढाणियों में बसने वाले हैं, चार-पांच तहसीलें हैं उनका आप उद्धार करें।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसमें कई दफा आपत्तियां हो जाती हैं। राज्य सरकार अपनी ओर से तय करे फिर गांवों की आपत्तियां हो जाती हैं, हमारी ढाणियां इसमें क्यों दीं। इसलिए यह प्रक्रिया अपनायी गयी है और यह सरल है और उस तरीके से हो तो मैं समझता हूं....

श्री अध्यक्ष : आपका कहना यह है कि आप अपनी ओर से भी यह नीति कलक्टर को भेजें कि यह नीति बनायी है उसके मुता-बिक प्रपोजल भेज दें।

श्री गंगाराम चौधरी : जी हाँ, भेज दिया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय, एक सवाल इसमें मेरा है....

श्री अध्यक्ष : घनश्यामजी पूछ रहे हैं। जो पहले खड़ा होता है वह ध्यान में रहता मैं भूलता नहीं हूं, आपका भी ध्यान है मुझे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय पूनमचन्द जी ने जो प्रश्न रखा, वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरे क्षेत्र में भी और अन्य जिलों में भी राज्य सर-कार को चाहिए कि वह क्षेत्रफल और जन-संख्या के आधार पर कलक्टर्स से स्वयं सुझाव मांग कर राजस्व ग्राम घोषित करे।

श्री अध्यक्ष : मान लिया मंत्रीजी ने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्व ग्रामों के साथ यह राजस्व की तहसील और उप तहसील हैं, इनका भी राज्य सरकार पुनर्गठन करे। तीस साल हो गये और लोगों को भारी समस्या है। इसलिए इस समस्या पर विचार किया जाना चाहिए और पुनर्गठन की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया जाना चाहिए, राजस्व ग्रामों से लेकर तहसील और सब-डिवीजन हैडक्वार्टर तक।

श्री अध्यक्ष : हां, आप पूछिये हरजी-रामजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें सवाल यह है, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि ढाई सौ की आबादी जहां ढाणियों की होगी

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उनको राजस्व ग्राम घोषित किया जायेगा, तो ढाई सौ की आबादी का मतलब है कि एक जगह आबादी हो और जैसा माननीय सदस्य ने पूछा है कि वह हरेक खेत में बसे हुए हैं, तो क्या खेतों में अलग-अलग बसे हुए हैं और अगर ढाई सौ की आबादी हो जाती है तो उस गांव को अलग घोषित करेंगे या जो एक जगह बसे हुए हैं उनको करेंगे ? इसको आप थोड़ा-सा स्पष्ट करें।

श्री गंगाराम चौधरी : कम्पैक्ट पापूलेशन की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रफल जो गांव का आयेगा उसमें ढाई सौ की आबादी चाहिए चाहे ढाणियों में हो, चाहे कहीं भी हों।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री कुबेर सिंह।

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : प्रश्न संख्या चार।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 4 नहीं, 41 नम्बर का प्रश्न जो स्थगित हो गया था पहले, वह बोलिये।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 5 जनवरी, 1994

जयपुर नगर निगम क्षेत्र के पार्कों की भूमि की नीलामी

41. **श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा):** (श्री कुबेर सिंह (फलासिया) के स्थान पर) क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निर्मित जयपुर की आवासीय कालोनीज के पार्कों को आवासन मण्डल द्वारा जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया है ? यदि हां तो किस-किस कालोनी के पार्कों को व क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर नगर निगम द्वारा मालवीय नगर कालोनी के सैक्टर 2, 3 व 4 के पार्कों की भूमि नीलामी द्वारा विक्रय की गयी है ? यदि हां तो यह भूमि किस प्रयोजन से किन नियमों के आधार पर विक्रय की गयी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अनाधिकृत निर्माण कार्य हो रहे हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि आवासन मण्डल द्वारा पार्कों की भूमि स्वच्छ पर्यावरण व सार्वजनिक कार्यों हेतु छोड़ी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार निगम द्वारा नीलाम की गयी भूमि की नीलामी निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जी हां। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जयपुर की निम्नलिखित आवासीय योजनाओं को पार्कों सहित जयपुर नगर निगम को हस्तान्तरित किया गया है :–

1. जवाहर नगर योजना सैक्टर 1 से 7 तक

2. मालवीय नगर योजना सैक्टर 1 से 14 तक

(श्री भंवरलाल शर्मा)

3. मानसरोवर योजना 1 से 6 तक एवं सैक्टर 9 से 13 (एस. एफ. एस.)

4. वन विहार

5. नाहरी का नाका

6. ज्योति नगर

(2) जी नहीं। सैक्टर नम्बर 2 एवं 4 मालवीय नगर में पार्क की कोई भी भूमि नीलाम नहीं की गयी है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा नगर निगम को हस्तान्तरित नक्शे में अंकित 89 पार्कों में से सैक्टर नम्बर 3 की प्रस्तावित पार्क की अविकसित भूमि के 2 जगहों पर केवल अल्प अंश का निष्पादन आवासन मण्डल के विभिन्न निर्णयों एवं राजस्थान नगरपालिका (भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के तहत नगर निगम द्वारा नीलाम किया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। अतिक्रमण रोकने एवं योजनाओं के रख-रखाव हेतु नीलाम की गयी थी क्योंकि इस अल्प अंश अविकसित भूमि का विकास सुचारू रूप से नहीं हो सकता था।

श्री रघुवीर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न के भाग 2 एवं 3 में मंत्रीजी के द्वारा दिया गया उत्तर असत्य है। क्या मालवीय नगर सैक्टर 2 में मकान नम्बर 685 से 712 के सामने शापिंग सेन्टर के पीछे की भूमि पार्क एवं सामुदायिक केन्द्र के लिए आरक्षित थी, जैसा कि मास्टर प्लान में था ? क्या उक्त भूमि में नगर निगम, जयपुर द्वारा 22 आवासीय भूखण्ड हेतु भूमि नीलाम की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि यहां के निवासी न्यायालय में गये ? न्यायालय ने स्थगन दे रखा है जिसका नोटिस नगर निगम, जयपुर को भी मिल चुका है ? इसके उपरान्त भी नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास सूचना है उसमें मुझे यह स्पष्ट बताया गया है कि 2 और 4 नम्बर में कोई नीलामी नहीं की गयी। यदि आपको यह जानकारी है कि वहां कोई नीलामी कर दी गयी है और सूचना मेरे पास ठीक नहीं है, तो निश्चित रूप से मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा और उसमें कोई अनियमितता होगी तो उसको ठीक भी करूंगा।

श्री अध्यक्ष : कालीचरणजी। (व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोर्ट में गये हैं उसके बाद तो सूचना आ ही गयी है, तो जिन्होंने नीलाम किया है और जो गये हैं.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कालीचरणजी पूछ रहे हैं, माननीय घनश्यामजी, इस तरह से खड़े होकर आप अव्यवस्था मत फैलाइये। वह पूछ रहे हैं, मैंने उनका नाम ले लिया है।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सैक्टर नम्बर 2 में यह 22 भूखण्ड की जो नीलामी हुई, मैं स्वयं एडमिनिस्ट्रेटर महोदय से मिला और उनको कहा कि कोर्ट से स्टे आ गया। उसके बाद भी उन्होंने नीलामी की और वहां निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो हाउसिंग बोर्ड ने नगर निगम को यह भूमि हस्तान्तरित की थी वह बेचने के लिए नहीं की थी। आवासन मण्डल ने जब यह नीलामी की घोषणा हुई उस समय एक नोटिस भी अखबार के माध्यम से निकाला, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, "सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मालवीय नगर योजना जयपुर के सैक्टर नम्बर एक से चौदह का समस्त भू-भाग राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं के प्रयोजनार्थ मण्डल की सम्पदा है तथा अधो-हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार में है। इन सैक्टर्स का हस्तान्तरण नगर निगम, जयपुर को पार्क स्थल, सड़कें, सफाई इत्यादि के लिए व्यवस्था तथा रख-रखाव मात्र के राजकीय प्रयोजनार्थ ही किया गया है। योजना के किसी भी भू-भाग पर आवासीय प्रयोजनार्थ बच रहे खाली अथवा विवादित भूखण्डों का किसी भी निगम, सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्था, सोसायटी इत्यादि द्वारा की गयी नीलामी, बेचान तथा अनधिकृत रूप से अन्यत्र हस्तान्तरण सर्वथा अवैध होगा। सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि राजस्थान आवासन मण्डल के अतिरिक्त अन्य किसी भी संस्था द्वारा आयोजित नीलामी के कार्यक्रमों में भाग न लें।" यह आवासन मण्डल ने अखबार में विज्ञापन के जरिये सूचना दी है। उसके बाद नगर निगम के प्रशासक से हम भी मिले और उनसे कहा कि कोर्ट से स्टे है और आवासन मण्डल ने आपको जो हस्तान्तरण किया है वह केवल इन बातों के लिए किया है। उसके बाद भी उन्होंने 22 भूखण्डों को नीलाम किया और वहां कोर्ट के स्टे के बावजूद आज निर्माण कार्य चल रहा है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या वह यह आवंटन निरस्त करेंगे, जो नीलामी हुई उसको निरस्त करेंगे और जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : निश्चित रूप से। जिन्होंने यह सूचना छिपायी है या मुझे सूचना नहीं दी है उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे और यह जो आप कह रहे हैं कि उसमें अनधिकृत निर्माण हो रहा है, उसको भी रोकेंगे और यह नीलामी केन्सिल की जा सकती है तो कानून देखकर के वह भी करेंगे।

प्रश्न संख्या-3

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामपाल उपाध्याय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री कुबेर सिंह।

विधान सभा क्षेत्र फलासिया के अप्रशिक्षित अध्यापक

4. श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) (श्री

(श्री रघुवीर सिंह)

कुबेर सिंह (फलासिया) के स्थान पर) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया, जिला उदयपुर में जनवरी एवं फरवरी, 1991 में कितने अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से पृथक किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक विगत कई वर्षों से निरन्तर राज्य सेवा में थे ? यदि हां, तो उन्हें सेवा से पृथक करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने रिट याचिका संख्या 2903/89 एवं 3531/91 में राज्य सरकार को उक्त अध्यापकों के सम्बन्ध में कोई निर्णय दिया था ? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश की पालना कर दी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त आदेश की पालना नहीं करने का कौन अधिकारी दोषी है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो, क्यों ?

राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (श्री नाथूसिंह) : (1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में जनवरी एवं फरवरी, 1991 में 132 अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा से पृथक किया गया।

(2) यह सही है कि उक्त अध्यापक कुछ वर्षों से सेवा में थे। प्रशिक्षित एवं जिला स्थापना समिति से चयनित प्रत्याशी उपलब्ध होने तक अथवा 6 माह की अवधि के लिए अप्रशिक्षित अध्यापकों को सेवा में लिया गया था। चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया गया।

(3) जी हां। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा रिट संख्या 2903/89 एवं 3531/91 में दिये निर्णय में उक्त अध्यापकों को तृतीय श्रेणी अध्यापकों की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम वेतन देने तथा दिनांक 16.12.89 को कार्यरत अध्यापकों को प्रशिक्षित कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिये थे। निर्णय की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। विभागीय आदेश क्रमांक 4345 दिनांक 7.8.93 द्वारा भुगतान के आदेश हो चुके हैं। तदनुसार भुगतान जारी है। ट्रेनिंग कराने की स्वीकृति दिनांक 4.1.93 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है व तदनुसार 1200 अध्यापकों के पहले बैच का प्रशिक्षण चल रहा है।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(निर्णय की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री रामनारायण बर्मा (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पुछूं की जहां कोर्ट का आदेश हो गया उसके बाद भी अभी तक इन अनट्रेण्ड टीचरों को एरियर नहीं मिला, तो आप कब तक दिला देंगे ? दूसरी बात इसी से सम्बन्धित है, पंचायत समिति सराड़ा और खेरवाड़ा में भी इसी तरह के अनट्रेण्ड टीचर हैं जिनको भी कोर्ट से आदेश मिल गया है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ हैं, कब तक हो जायेगा ?

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, ज्योंही कोर्ट का आदेश हुआ तो कोर्ट ने दो बातें कहीं थीं। एरियर के बारे में उस समय कोर्ट साइलेण्ट था। उसके बाद कुछ लोग कण्टेम्प्ट में गये। फिर यह स्पष्ट निर्देश आया उसके बाद हमने भुगतान जारी कर दिया और इस समय जारी है। जितना भी बजट था हमारे पास वह सारा दे चुके। अगले फाइनेंशल ईयर में और बजट आयेगा, हमने मांगा है, फाइनेन्स डिपार्टमेण्ट से, उसके बाद सारा भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि भुगतान के लिए आदेश किये गये लेकिन वित्त विभाग ने भुगतान के लिए स्वीकृति नहीं दी इसलिये किसी भी पंचायत समिति में अभी तक भुगतान नहीं हुए, क्या यह बात सही है ?

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही नहीं है।....

श्री दयाराम परमार : आप पंचायत समिति वाइज़ नाम बता दें....

श्री नाथू सिंह : मैं बता देता हूं, जितना-जितना हुआ है। मैं अभी आपको बता देता हूं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, खमनोर पंचायत समिति में हमने एक लाख 88 हजार तय कर दिया। यह दो जिलों से ज्यादा सम्बन्धित था, टीचर्स का मामला, एक तो उदयपुर जिला से और दूसरा भीलवाड़ा से। इसमें भी कुछ पर्टिकूलर पंचायत समितियों से सम्बन्धित था। हमने करीब-करीब अधिकतर का कुछ का तो पूरा पे कर दिया और कुछ में बाकी है, वह चल रहा है। यह कहना ठीक नहीं है कि....

श्री दयाराम परमार : आप पंचायत समिति के पूरे नाम बता दें....

श्री नाथू सिंह : मैं बता देता हूं। खमनोर में 1.88 व्यय किये हैं 6 टीचर्स को कर दिया है। माण्डलगढ़ में 53 टीचर्स को 14.42 लाख, इसी तरह कोटड़ा में 18.61 लाख, झाड़ोल में 24.50 इस तरह से हम ने 59.41 लाख के करीब-करीब कर दिया है।

श्री दयाराम परमार : 3 पंचायत समिति में हुए हैं अभी तक....

श्री नाथू सिंह : नहीं, नहीं 3 में कैसे।

श्री दयाराम परमार : और क्या ? हमने कहा, नाम पूरे पढ़ें....

श्री नाथू सिंह : मैंने आपको 4 का तो जिक्र किया और आप डिटेल चाह रहे हैं तो सबका मैं दे देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसका भुगतान हो रहा है रोका नहीं है, पैसा रोका नहीं है, आने जायेगा...

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं, आपको, खमनोर में हमने पूरा कर दिया है, माण्डलगढ़ में पूरा कर दिया है, कोटड़ा के अन्दर पार्टली किया, झाड़ोल में पार्टली किया । खमनोर में कर दिया है और बाकी के अन्दर भी पार्टली किया है । इसलिए चल रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हमने नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री दयाराम परमार: माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी खैरवाड़ा पंचायत समिति में दो महीने से अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठें हैं और उनके भुगतान के लिए दो बार पंचायत समिति से एक बाबू यहां पर भेजा और उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह से पैसा देने के लिए किसी तरह का उपलब्ध नहीं है । आपके पास अपनी इनकम हो तो उससे उनका भुगतान कर सकते हैं । कोटड़ा ये और फलासिया में जो भी पार्टली पेमेण्ट किया वह उन्होंने अपनी ओन इनकम से किया है । आपने यहां से किसी भी तरह धन उपलब्ध नहीं करवाया है इसलिये उनका भुगतान नहीं हो रहा है और खैरवाड़ा में अभी तक वे अध्यापक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं । तो मैं मंत्रीजी से यह चाहूंगा कि आप उनका कब तक भुगतान कर देंगे, एक निश्चित तिथि बताने की कृपा करें ।

श्री नाथू सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास जितना बजट था, कोर्ट का आदेश मिलते ही उसके बाद हमने इस बजट में से जितना-जितना सम्भव था, देना शुरू कर दिया । इसके बाद अब यह फाइनेंशल ईयर आ रहा है, हमने फाइनेंस डिपार्टमेण्ट को लिखा कि हमें और बजट की आवश्यकता है । ज्योंही बजट आ जायेगा हम पेमेण्ट कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री परसादी लाल ।

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : किस पर ?

श्री भंवर सिंह चौधरी : इसी प्रश्न पर प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह आपके उधर का तो है ही नहीं । यह तो उदयपुर, भीलवाड़ा का हैं ।

श्री भंवर सिंह चौधरी : हां, तो सारे राजस्थान की बात है ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान कहां है इसमें ? सारे राजस्थान का नहीं है । जहां पर अध्यापकों की सेवाएं निरस्त की थीं ।

श्री भंवर सिंह चौधरी : मैं वही बात कर रहा हूं, वह मेरे यहां पर भी हैं। मैंने इनको लिख कर भी दिया है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, आपके यहां भी है। पूछिये, पूछिये।

श्री भंवर सिंह चौधरी : जी, हां निवेदन कर रहा हूं। विडम्बना यह है कि जितने भी शहरी अध्यापक नियुक्त होते हैं वे तो गांवों में पढ़ाते नहीं। वे अप-डाउन करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लड़के बी. एड. की सीनियोरिटी लिस्ट में आते नहीं। इन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को 3-3 सत्र तक पढ़ाया है, 6 महीने की बात नहीं है और तीन-तीन सत्र पढ़ाने के बाद उनको बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया। यह सिर्फ इतना ही नहीं है, सैकड़ों नहीं हजारों आदमी ऐसे हैं जो आज अनएम्प्लायड गांवों में घूम रहे हैं। यह बाड़मेर की पीछे से आवाज आ रही है, बाड़मेर में भी यही है। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि ऐसा नियम बनाया जाये कि ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी सेवाएं हैं, उनकी नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति से ही की जाये ताकि वह ग्रामीण सेवाएं दे सकें। मैं एक शिक्षा विभाग की बात नहीं कर रहा हूं। मंत्री महोदय से यह पूछना है कि नागौर जिले की सारी पंचायत समितियों के कितने आदमी आपने बेरोजगार किये हैं? यही निवेदन है।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है लेकिन वह केवल कुछ अध्यापकों को जिनको हमने ट्रेण्ड····

श्री अध्यक्ष : नागौर जिले में कोई सेवाएं समाप्त की थीं क्या?

श्री नाथू सिंह : नहीं नहीं। प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है इसलिये हर जिले की सूचना····

श्री अध्यक्ष : आप इसके लिए आइन्दा प्रश्न पूछ लीजियेगा, अभी रहने दीजिए।

श्री भंवर सिंह चौधरी : समझ गया, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल।

कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट की आय-व्यय

5. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट की पिछले तीन वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सड़कें बनाने के प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्यों? विचाराधीन प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने के तहत माल मण्डी तक लाने के लिए सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो मण्डी समिति की

(श्री परसादी लाल मीणा)

कुल आय में से कितनी प्रतिशत राशि उक्त सड़कों पर खर्च करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञान सिंह चौधरी) : (1) कृषि उपज मण्डी समिति, लालसोट की पिछले तीन वर्षों की आय व व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। मण्डी समिति, लालसोट द्वारा मण्डी क्षेत्र की सम्पर्क सड़कों के दो प्रस्ताव, प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 23-6-93 एवं प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 28-8 93 द्वारा विभिन्न सड़कें (34 किलोमीटर लम्बी) बनाने हेतु पारित किये गये जिसकी अनुमानित लागत 1.20 करोड़ रुपये होती है। मण्डी समिति के मण्डी प्रांगण की परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य चल रहे हैं। समिति के पास इस वक्त मात्र 24 लाख रुपये शेष हैं तथा कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों के पेटे बोर्ड को 56 लाख रुपये का भुगतान करना शेष है। समिति की इस प्रकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चालू वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण के प्रस्ताव की स्वीकृति दिया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। सरकार किसानों को अधिक सुविधाएं देने के तहत माल मण्डी तक लाने के लिए सम्पर्क सड़कें बनाने का विचार रखती है, किन्तु कृषि उपज मण्डी समिति की बचत राशि एवं आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए ही स्वीकृति जारी की जाती है। इसमें आय का प्रतिशत सड़क निर्माण पर खर्च करने का निर्धारित मापदण्ड अभी तक तय नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जैसा बताया कि कोई प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचाराधीन नहीं है। उन्हीं के उत्तर से स्पष्ट होता है कि मण्डी समिति में सड़कें बनाने के प्रस्ताव कई बार बोर्ड के पास भिजवाये किसानों की मांग पर, उस इलाके के जन-प्रतिनिधियों की मांग पर बार-बार प्रस्ताव सरकार के पास भिजवाये, पर किसानों की सुविधाओं के लिए सड़कों के प्रस्तावों को मंजूरी 6 वर्षों से नहीं दे रहे हैं। 88–89 के बाद उस मण्डी समिति की इतनी इनकम...

श्री अध्यक्ष : वह तो कारण बताया है इन्होंने। कारण बताया इन्होंने ...

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, आप देखिये कि एक ही वर्ष में मण्डी शुल्क से 92–93 में करीब 85 लाख रुपये की इनकम हुई है फिर भी किसान के लिये एक किलोमीटर सड़क भी मजूर करने के लिये सरकार ने यह नहीं कहा कि किसानों को एक किलोमीटर सड़क हम एक साल में देंगे। सारी दुकानों के लिये या उन परियोजनाओं के लिये सरकार क्यों नहीं ऋण लेती ? सरकार को जब प्रावधान है, पहले भी तो इन्होंने परियोजना के लिये ऋण लिया था नाबार्ड या दूसरी संस्थाओं से। क्यों नहीं इन परियोजनाओं के लिये, मण्डी समिति की जो इनकम होती है उसको उस क्षेत्र में आवागमन के लिये कि किसान माल अच्छी तरह ला सकें, ले जा सकें इसके

(श्री परसादी लाल मीणा)

लिये खर्च करना चाहिये। एक किलोमीटर भी सड़क इन्होंने पिछले 5 वर्ष में नहीं बनायी है मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, इतनी बड़ी मण्डी की आय होते हुये, 94-95 लाख प्रतिवर्ष होते हुए भी आप कम से कम एक किलोमीटर सड़क बनाते उस इलाके में। किसान कैसे माल लायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप भाषण दे रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं ?

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को मंत्रीजी को करते हुए बड़ा दर्द हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्री परसादी लाल मीणा : मेरी मण्डी की सड़कें तो····

श्री अध्यक्ष : मैं खुद नहीं समझा कि आपका सवाल क्या है ?

श्री परसादी लाल मीणा : जो प्रस्ताव मण्डी समिति ने भिजवाये उनको स्वीकृत क्यों नहीं किया ?

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर जो आपके सामने आया है कि इस वक्त मण्डी समिति के पास केवल 24 लाख रुपये हैं मण्डी का निर्माण कार्य चल रहा है। उनकी आप 84 लाख की इनकम बता रहे हैं वह 94 लाख है। 94 लाख में मण्डी बन रही है उसमें पैसा खर्च हो रहा है।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा सवाल यह है मंत्रीजी से उसके लिये आप ऋण क्यों नहीं लेते ? आपको दुकानों से इनकम हो रही है, दूसरे संसाधनों से इनकम हो रही है। आप कम से कम 10–15 किलो-मीटर ··

श्री अध्यक्ष : आप तो यह सवाल पूछिए कि उसमें कुछ प्रतिशत सड़कों के लिए अलग सुरक्षित···

श्री परसादी लाल मीणा : मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यही पूछिए, आप तो भाषण दे रहे हैं। हां, मंत्रीजी बताइये। आप तो यह पूछिये न।

श्री परसादी लाल मीणा : मेरा सवाल यह है कि पहले जब प्रश्न उठा था। तो कहा था····

श्री अध्यक्ष : वह सड़कें किसानों के लिए बनेंगी क्या ?

श्री परसादी लाल मीणा : कि उसका 50 प्रतिशत किसानों के लिए खर्च करेंगे और आप कह रहे हैं कि हम कोई खर्च नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : सड़कें जो बनेंगी, वह सबके लिए बनेंगी। उसमें कितना रिजर्व करने की योजना है या नहीं ?

श्री परसादी लाल मीणा : यही तो पूछ रहा हूं। इन्होंने तो मना कर दिया न। ये नीचे सवाल का जवाब देखो न आप, इन्होंने बिलकुल मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। (व्यवधान) आप करोड़ों रुपयों की दुकान हर साल बनाते हैं,

(श्री परसादी लाल मीणा)

किसान के लिए एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बना पाते । क्यों नहीं प्रावधान है ? ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : विराजिये । माननीय हरजीराम जी, प्रश्नकर्ता जब पूछ रहे हैं, बीच में मत खड़े होइये । जब तक उनका प्रश्न समाप्त नहीं होगा किसी को अलाउ नहीं करूंगा । जब उनका समाप्त हो जायेगा तो चाहेंगे उनको अलाउ करूंगा । बीच में खड़े होने की आदत, प्लीज, इस विधान सभा में मत करिये । आप जब एक्जास्ट कर कर ले तब ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदस्य द्वारा अपनी मण्डी समिति की आय का विवरण भी चाहा गया लेकिन मैं सदस्य महोदय को कहना चाहता हूं कि आपकी मण्डी प्रांगण में नाबार्ड के द्वारा जो दो परियोजनाएं स्वीकृत की गयीं उन पर करीबन दो करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं उसके लिए प्रथम चरण में तो 72·20 लाख रुपये यू. को. बैंक द्वारा उनको ऋण दिया लेकिन जो दूसरी उसकी स्वीकृति मिलने वाली थी 73 लाख 83 हजार की, वह अभी ऋण की स्वीकृति मिली नहीं है और इस वजह से करीबन 56 लाख रुपये का अधिक काम विपणन बोर्ड द्वारा किया गया है ।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अधिक काम क्यों कराया फिर आपने जब आपको स्वीकृति नहीं मिली ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिए । इनको जवाब देने दीजिए पूरा । (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, इतना ही सवाल है कि जब आप और निर्माण कार्य कराते हैं तो सड़कों के लिए सरटेन पर्सेन्टेज आप सुरक्षित रखने की नीति अपनाना चाहते हैं क्या ? यह पूछ रहे हैं ।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है...

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : इस पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा कि कृषि उपज मण्डी की अलग से सड़कें भी बननी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल सही बात है । उसके बिना कृषि उपज मण्डी...

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया पूरा । मुख्य मंत्रीजी ने पहले भी एक सवाल के जवाब में यही कहा था, किया जावेगा । क्या इस पर विचार अभी तक नहीं किया गया है ?

श्री अध्यक्ष : सरकार ने आश्वासन दे दिया है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कहा तो मैंने सड़कें भी बनायी थीं ।

श्री परसादी लाल मीणा : आपने पहले भी कही थी यह बात । व्यापारियों के लिए तो आप करोड़ों रुपयों की दुकानें बनाते हैं और उनके लिए आप एक किलोमीटर सड़क भी नहीं बना पा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात मान ली

(श्री अध्यक्ष)

फिर भी आप इनसिस्ट कर रहे हैं। श्रीमान् खेत सिंह जी।

श्री परसादी लाल मीणा : जो प्रस्ताव आये हैं इनको स्वीकृत क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह किसी एक मण्डी का सवाल नहीं है। व्यापारियों के लिए दुकानें बन रही हैं, ऐसी भी स्थिति नहीं है। इस कृषि उपज मण्डी की सड़कें भी बनी है। आज मैं नहीं बता सकता, कितनी सड़कें बनी और कितनी सड़कें नहीं बनी हैं। बहुत सड़कें बनी हैं। इसलिए आप यह समझ के चलो कि सड़कें तो बनी ही नहीं हैं, यह बात तो सही नहीं है। यह हो सकता है कि लालसोट मण्डी में इस प्रकार की सड़क की आवश्यकता है और धनाभाव के कारण से वह नहीं बनी। आप कह रहे हैं कि नाबार्ड से कर्जा लें, और और से ले लेकिन मैं इसको स्वयं देखूंगा कि सड़कें बनाने का कार्यक्रम किस प्रकार से लिया जाये। पी. डब्ल्यू. डी. से भी हमारी बातचीत हुई है, खान विभाग से भी हमारी बातचीत हुई है, सबका डोवटेलिंग इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि सारे क्षेत्र में इस धनराशि से जितनी भी सड़कें बन सकती हैं, बनायी जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री खेत सिंह राठौड़।

जोधपुर-शेरगढ़-पोकरण मार्गों पर संचालित निगम की बसें

6. श्री खेत सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य परिवहन निगम की कितनी बसें जोधपुर-शेरगढ़ तथा जोधपुर-पोकरण मार्ग पर चल रही है ? क्या यह सही है कि इन दोनों सड़कों पर निगम की बसें घाटे में चल रही हैं ?

(2) क्या यह सही है कि निगम की प्रत्येक बस के आगे बिना परमिट की एक निजी बस चलती है जो सवारियां बिठाती रहती है तथा निगम की बसें खाली चलती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन दो मार्गों पर 17 निजी बसें पुलिस व निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से चल रही हैं जिससे निगम को इन मार्गों पर घाटा हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसका रोकथाम हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री यातायात (श्री रोहिताश्व):
(1) निगम द्वारा जोधपुर से शेरगढ़-चाबा मार्ग पर दैनिक 18 परिचक्र एवं जोधपुर से पोकरण मार्ग पर दैनिक 32 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। यह सही है कि अनधिकृत वाहन संचालन की अधिकता के कारण इन दोनों मार्गों पर निगम की बसें घाटे में चल रही हैं।

(2) जी, नहीं।

(3) इन दोनों मार्गों पर कुछ निजी वाहन अनधिकृत रूप से चल रहे हैं जिनसे निगम को इन मार्गों पर घाटा हो रहा है,

(श्री रोहिताश्व)

लेकिन इस अनधिकृत सचालन में निगम अधिकारियों की मिलीभगत होने बाबत कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। अनधिकृत संचालन की रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर वाहनों की चैकिंग की जाती है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी स्वयं इस बात को मान रहे हैं, मेरा क्वेश्चन यह था, क्या यह सही है कि निगम की प्रत्येक बस के आगे एक बिना परमिट की निजी बस चलती है जो सवारियां लेती रहती है और निगम की बसें उसके पीछे-पीछे चलती हैं और खाली चलती रहती हैं। आगे मैंने यह कहा था कि इसमें पुलिस और निगम के अधिकारी मिले हुए हैं और उनकी मिलीभगत से ही नुकसान हो रहा है। आपने स्वयं इस बात को माना है, "यह सही है कि अनधिकृत वाहन संचालन की अधिकता के कारण ही इन दोनों मार्गों पर निगम की बसें घाटे में चल रही है।" अब आप बताइऐ, जब यह घाटे में चल रही हैं इसका मतलब यह है कि थोड़े दिनों में आप निगम की बसें कम कर देंगे। हकीकत यह है कि वहां पर भी 17-18 व्हीकल्स रोजना इन बसों के आगे अनधिकृत चलते रहते हैं और यह मिलीभगत के बिना हो नहीं सकता, इसमें पुलिस भी मिली हुई हैं। इसलिए, माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं एक सुझाव दे रहा हूं, शायद आपके ध्यान में आये, मेरा सुझाव यह है, पहले यह प्रोसिजर था कि एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस का डिप्टी-सुपरिटेंडेंट आप आप डेपुटेशन पर लेते थे और उनके साथ में चार कांस्टेबल रहते थे, एक आपका निगम का अधिकारी रहता था, ये सरप्राइज चैकिंग किया करते थे और उस चैकिंग के अन्दर जो इस तरह के वाहन मिलते थे उनके चालान करते थे, उन पर जुर्माना करते थे, साथ ही मौके पर ही जुर्माना वसूल भी करते थे और साथ ही आपकी बसों का भी चैकिंग करते थे। निगम की बसें हैं वे कौनसी आनेस्ट हैं। वहां के कण्डक्टर और ड्राइवर मिल करके वे भी गड़बड़ किया करते थे। तो वह प्रोसिजर एक अच्छा था उसको आपने बन्द कर दिया। वह फेल हो गया या आपका खुद का कुछ मामला होगा, वह आप जानें, लेकिन इसको वापस शुरू कीजिए तब जाकर यह ठीक बैठेगा नहीं तो आप खुद मान रहे हैं और यह डिपार्टमेंट डूब जायेगा।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अवैध बस चालन की बात कही है, तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रोडवेज के आगे आगे बस चल रही है। लेकिन यह बात निश्चित तौर से ....(व्यवधान).... आप मेरी बात सुनिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपने जो सुझाव दिया है उसके बारे में आप पूछिये।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, अवैध वाहन जो चल रहे हैं, पहले जो कानून था, मोटर व्हीकल एक्ट, उसमें पिछली सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उसने कुछ संशोधन किये। जो कानून लिबरल था, मोटर व्हीकल एक्ट, उसको अमेण्ड

(श्री रोहिताश्व)

किया है। कहो तो मैं सुनाऊं। .. (व्यवधान) उस कानून में ज्यादा कारगर ढग से अवैध वाहनों पर जुर्माने की बात की है जिससे कि वे अवैध वाहन नहीं चल सकें। इनके शेरगढ़ में भी हमने 70 हजार रुपये के करीब प्राइवेट मोटर्स पर, अवैध वाहनों पर जुर्माना किया है। मेरे पास इस बात की सूची है। दूसरी बात, जहां तक राजस्थान रोडवेज के जोधपुर डिपो का सवाल है, हमारा जो डिपो हैं वहां पर, प्राफिट में है। माननीय न्यायालय की भी अवैध वाहनों के मामले में बात माननी पड़ती है। हम जुर्माना करते हैं तो न्यायालय से वह छूट जाते हैं फिर चलते रहते हैं। तो हमारे यहां की कुछ परम्पराएं हैं, जब तक हमारे यहां आइडियोलोजीकल चेंजेज नहीं आयेंगे। तब तक ये अवैध वाहन चोरी करते रहेंगे। सरकार उन पर पाबन्दी लगाने की भी कोशिश करती है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : यह कोई जवाब जमा नहीं।

श्री रोहिताश्व : मैं आपको बताऊं जो बात आप कह रहे हो, अभी हमने जुर्माने की राशि बहुत बढ़ा दी है मोटर व्हीकल एक्ट में। जो अवैध वाहन चल रहे हैं, पांच हजार रुपये पहले थी, सुनिये आप, अब उसको बढ़ाकर 10 हजार कर दी है। अभी जो लेटेस्ट आपको बताऊं ...

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, देखिऐ; आपने यह मान लिया है कि उन बसों की वजह से घाटा हो रहा है इसलिए उस घाटे को रोकने के लिए जो आपने सुझाव दिये हैं उस पर गम्भीरता से विचार करिये ताकि आपका घाटा कम हो।

श्री रोहिताश्व : उस पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस सुझाव को भी बिल्कुल करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री खेत सिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं जवाब चाहूंगा। मुख्य मंत्रीजी आप बताइऐ ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : वो मन्त्रीजी ही सक्षम हैं।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो अवैध वाहन चल रहे हैं जयपुर में, बड़े-बड़े विज्ञापन लगाकर जयपुर से उदयपुर वीडियो कोच जयपुर से अहमदाबाद वीडियोकोच, बाकायदा विज्ञापन आते हैं, बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं और यहां सिन्धी कैम्प के पास पोलोविक्ट्री के पास हजारों बसें खड़ी होती हैं और यह कह रहे हैं कि सबूत ही नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर रोक लगायी जावे।

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपसे निवेदन करूं कि ये जो रात्रि बसें और दिन में वीडियोकोच चलते हैं गुजरात न्यायालय ने स्टे किया हुआ है। पुलिस इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। ऐसी हालत में हम क्या

(श्री रोहिताश्व)

करें ....(व्यवधान)... राजस्थान को पाबन्द किया गया है, आप सुनिए। राजस्थान के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट....(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। देखिए, मंत्रीजी ने आपना सुझाव मान लिया है। जो आपने सुझाव दिया है... (व्यवधान).. अब अवैध वाहन को चलने से रोकने के लिए और सतर्कता बरती जाऐगी, यही तो होगा और क्या होगा आपने सुझाव दिया है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : मैंने यह सुझाव दिया हैं कि आप इसमें एक मजिस्ट्रेट और पुलिस का एक डिप्टी सुपरिंटेंडेंट लगाइऐ। ये जवाब मुख्य मंत्रीजी दे सकते हैं, यह इनके ..(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विचार करेंगे और क्या ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही की जाये, हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री खेत सिंह राठौड़ : जवाब ठीक तरह से नहीं आया, माननीय अध्यक्ष महोदय,।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा है, अन्य माननीय सदस्यों ने भी अवैध वाहन के चालन को रोकने के लिए इस सदन में मांग की है, जैसा माननीय मंत्रीजी ने कहा कि अवैध वाहनों को रोकने के लिए कानून को सख्त बनाया गया था, नियमों में संशोधन किये गये थे और उच्च अधिकारियों को अधिकार भी दिये गये थे, इस अधिकार के काम से अवैध वाहनों के चलने पर रोक लगी। पिछले एक वर्ष में इसमें ढिलाई आयी है, उस ढिलाई को मैं रोकने की कोशिश करुंगा और साथ ही आपने जो सुझाव दिया है मजिस्ट्रेट का उस पर भी हम विचार करके यदि इस व्यवस्था से लाभ हो सकता है तो निश्चित रूप से लागू करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

जोधपुर नगर निगम क्षेत्र की सफाई व्यवस्था

7. श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) जोधपुर नगर निगम में, कितने वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड में कितने-कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) जोधपुर शहर में 1970, 1980 एवं 1993 में कुल कितनी जनसंख्या थी और उक्त वर्षो में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत थे, क्या वर्तमान जनसंख्या व शहर के विस्तार को देखते हुए सफाई कर्मचारी पर्याप्त हैं ? यदि नहीं, तो इसके लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

(3) जोधपुर शहर के प्रमुख नालों की संख्या कितनी है ? उनमें से कितने नालें

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

कच्चे हैं और उनको कब तक पक्का बनवा दिया जायेगा ?

(4) क्या वर्तमान में जो नाले हैं, उनकी सफाई नियमित रूप से करवायी जाती है ? यदि हां, तो उन पर कुल कितना व्यय किया जा रहा है ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) जोधपुर नगर निगम में 50 वार्ड हैं, जो 26 सफाई सैक्टरों में विभाजित हैं। इनमें कार्यरत सफाई कर्मचारियों का विवरण परिशिष्ट "क" पर है।

(2) जोधपुर शहर की वर्ष 1970 में 2,50,000; वर्ष 1980 में 3,17,612 एवं वर्ष 1993 में 6,66,270 जनसंख्या थी। उक्त वर्षों में निम्न प्रकार सफाई कर्मचारी कार्यरत थे :—

वर्ष	संख्या
1970	1345
1980	1832
1993	1904

जनसंख्या व शहर के विस्तार को देखते हुए निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं हैं। नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त नियुक्तियां नहीं की जा सकी हैं।

(3) जोधपुर शहर में 8 प्रमुख नाले हैं, जिनमें से एक तिहाई से अधिक पक्के हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण शेष कच्चे नालों को पक्का बनाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) शहर के नालों की पानी के बहाव की सफाई नियमित रूप से करवायी जाती है, इस पर प्रतिमाह 79,000/–रुपये व्यय हो रहा है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें।)

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा, आपने कहा कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं है, 1970 के अन्दर नगर परिषद् की क्या आय थी और 1980 में क्या आय थी और 1993 में क्या आय है ? उसके आधार पर नगर निगम के कर्मचारियों को बढ़ाने के प्रस्ताव प्रतिवर्ष आपके पास आ रहे हैं, क्या कारण है कि कर्मचारियों की वृद्धि नहीं की जा रही है।

दूसरा, आपने जो आंकड़े दिये हैं, यह आंकड़े भी सही नहीं हैं क्योंकि 1980 के अन्दर 2300 कर्मचारी थे और 1990 के अन्दर भी 2300 कर्मचारी थे उनमें से 400 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके स्थान भी रिक्त पड़े हुए हैं। यह कहना कि नगर निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती; आज जोधपुर की स्थिति यह है कि किसी भी क्षेत्र में आप चले जायें, किसी

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

वार्ड में चले जायें, सफाई सैक्टर में चले जायें, वहां आपको कचरे और गन्दगी के ढेर नजर आयेंगे और सीवरेज लाइन ओवर फ्लो होती नजर आयेगी और जो गंदे नाले हैं उनकी सफाई के लिए आपने जो 79,000/-रुपये बताये, प्रतिमाह खर्च हो रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा पिछले आठ साल में इनकी सफाई नहीं हुई है, कई बार प्रशासक और नगर निगम का ध्याना-कर्षित किया गया है परन्तु इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है आप तो यह बतायें कि नगर निगम के कर्मचारियों को बढ़ाने की क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मापदण्ड हैं, उनके अनुसार यदि कर्मचारी लगाये जाते हैं तो करीब 2 करोड़ रुपया वार्षिक खर्चा होता है....(व्यव-धान)....मेरी बात सुनिऐ। मेरी बात तो सुनिये, मैं बता दूंगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि केवल यही उपाय नहीं है। सफाई करने के लिए जो आधुनिकतम यन्त्र हैं उनको नगर निगम ने खरीदा है और निकट भविष्य में एक लोडर और खरीदा जायेगा। उसके माध्यम से सफाई करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक नालों का सवाल है, इन नालों की सफाई के लिए अभी आपको 13 लाख 61 हजार रुपया दिया है। मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ ही महीनों में उस रुपये का उपयोग होगा तो यह नाले आपके साफ हो जायेंगे। 13 लाख 61 हजार रुपये आपको दिये गये हैं।

जहां तक बड़े नालों की मरम्मत एवं सफाई का सवाल है, एक योजना तैयार की गयी है और हुडको से ऋण लेकर उसको ठीक करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहां तक आप जनसंख्या की बात करते हैं इसमें 116 यू. आई. टी. के खण्ड हैं, वह अभी हस्तान्तरित नहीं हुए हैं, यद्यपि उसकी सफाई नगर-निगम कर रहा है लेकिन वह संख्या भी इसमें जुड़ी नहीं है। मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है जो राशी मिल रही है नालों के लिए, हुडको की स्कीम यदि जल्दी हो जायेगी, समस्या का समाधान होगा। बाकी मैं यह भी विशेष कहना चाहता हूं सि वह जोधपुर ही नहीं, सारे प्रदेश की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति है उससे हम सब सुपरिचित हैं उसको कैसे ठीक किया जाये इसके लिए एक प्रस्ताव, संशोधन आया है। उसमें एक वित्त आयोग बनाया जायेगा और इसमें यह तय किया जायेगा कि कौनसे ऐसे स्रोत हो सकते हैं इनकम के, नगर-निगमों की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, ताकि समस्याओं का समाधान किया जाय। जब ही कोई समाधान हो सकेगा। मैं समझता हूं कि यदि आपके नाले साफ हो जाते हैं तो यह दिक्कत मिट जायेगी और एक लोडर वगै-रह खरीदने का जो प्रस्ताव है, वह विचारा-धीन है। एक-दो दिन में स्वीकृति कर देंगे तो उससे कोई लाभ हो सकेगा।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज हैं, नगर सुधार न्यास ने जिन कालोनीज को विकसित किया है और अन्य जो भूमि रूपान्तरण से कालोनीज बनी हैं उनमें सफाई की व्यवस्था अभी तक नहीं हो रही

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

है, उनकी क्या व्यवस्था करेंगे ? साथ में, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न है, इसके बारे में आपने मौन साधा है, इसके बारे में भी आप बतायें। जो सेवा-निवृत हो गये हैं, जो रिक्त स्थान हैं, उनकी कैसे संख्या बढ़ायेंगे ?

दूसरा आप जिस प्रकार कह रहे हैं जनसंख्या का विस्तार हुआ है, नगर का भी विस्तार हुआ 1970 के अन्दर जोधपुर तीन किलोमीटर में था, 1980 के अन्दर आठ किलोमीटर में था और आज जोधपुर 19 किलोमीटर में हैं। उस सारी सफाई व्यवस्था के लिए जो सुधार चाहिए और नगर निगम की कैसे आय बढ़ेगी और किस प्रकार आप उसकी व्यवस्था करेंगे ?

दूसरा जो नगर सुधार न्यास और हाउसिंग बोर्ड की कालोनीज बस जाती हैं, उसके बाद में उनको नगर-निगम में देने के लिए जो कार्यवाही होनी चाहिए और उसके लिए नगर निगम को किस प्रकार की आर्थिक सहायता इन दोनों विभागों से मिलेगी जिससे सुचारू व्यवस्था कर सकें ?

श्री भवंरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है लेकिन फिर भी इस पर विचार करेंगे। आपने यह कहा कि जो लोग रिटायर हुए हैं और जगह खाली पड़ी हैं। उसको अविलम्ब भरने की मैं व्यवस्था करूंगा ताकि जो कमी आपको लग रही है- उनके बारे में, वह ठीक हो जायेगी।

श्री राजेन्द्र गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है, साहब,....

श्री अध्यक्ष : आपके दो सवाल हो गये।

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक प्रश्न है; साहब।

श्री अध्यक्ष : आपके दो सवाल हो गये ना।

श्री राजेन्द्र गहलोत : एक प्रश्न है। जो आपने कुछ कर्मचारियों को निकाला था उनका मामला राजस्थान हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसके बारे में आप....

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट मुझे....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, पहले वह पूछ रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : जोधपुर का सवाल है, बोलने दीजिये। जोधपुर की बात कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब यह सवाल इस हाउस की प्रोपर्टी हो गया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मुद्दे की बात कर रही हूं।

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, गन्दे नाले भी इन्होंने कवर नहीं कर रखे हैं और पूरे के पूरे....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। आप बाद में पूछ लेना।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 1991 का सेंसस कब तक एक्सेप्ट कर लिया जायेगा ? अगर वह कर लिया जाता है और चार व्यक्ति प्रति हजार व्यक्ति की जो पापूलेशन बढ़ जाती है, उस पर सफाई कर्मचारी के रूप में नगरपालिका को मिल जाते हैं तो उससे काफी राहत हो सकती है। जो 1991 का सेंसस है वह कब तक मन्जूर कर लिया जायेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सुझाव मैं आपका उपयुक्त मानता हूं और शीघ्र ही इस पर निर्णय करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर जो अनुदान मिलता है वह अब 1990-91 के हिसाब से मिले। इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर जितने भी नाले हैं वह किसके हैं ? यू. आई. टी. के हैं या नगर निगम के हैं ? यह तो सही जानकारी देवें। इसकी फिर व्यवस्था कौन करेगा ? इसकी कोई व्यवस्था करने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हां, हो गया। पूछ लिया सवाल आपने।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : दूसरा मेरा सवाल यह है, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि कर्मचारियों की भर्ती कर दी जायेगी। तो कब तक कर दी जायेगी ? जोधपुर शहर की आप स्थिति तो देखिये।

श्री अध्यक्ष : अब आप भाषण मत दीजिये। आपके सवाल दोनों हो गये हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : दोनों हो गये पर हाउस में जवाब तो दिलवायें कि भर्ती कब तक कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजेंगी तब वह खड़े होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सफाई का सवाल है चाहे नाले का हो, चाहे गली का हो वह जिम्मेदारी तो नगर निगम की रहेगी।

श्री अध्यक्ष : हां, जोगेश्वरजी आप क्या पूछ रहे हैं, पूछिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को जो अनुदान मिलता है वह दस रुपये प्रति व्यक्ति मिलता है और वह भी 1981 की जनगणना के आधार पर, एक तो उस अनुदान की राशि को बढ़ा कर कम से कम 25-30 रुपये किया जाये और दूसरा जनगणना का आधार 1991 लिया जाये, यह कब करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न

(दिनांक 30.12.93)

त्वरित ग्रामीण जलदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत जलदाय योजनाएं

1. (अ. का सू.) **श्री शीशराम ओला** (झुंझनू) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनू जिले के लिए 1987 से 1990 तक ए.आर.पी. के तहत कितनी जलदाय योजनाएं मंजूर हुईं ? उनमें किन-किन योजनाओं पर कार्य किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि 1989-90 तक बनाये गये उच्च जलाशयों को अभी तक पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन योजनाओं की स्वीकृति जलदाय विभाग से 1989-90 में जारी हो चुकी, उनका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त सभी योजनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) माननीय अध्यक्ष महोदय, झुंझुनू जिले में वर्ष 1987 से 1990 के मध्य त्वरित ग्रामीण जलदाय कार्यक्रम के अन्तर्गत 120 जलदाय योजनाएं स्वीकृत हुईं। इनमें से जिन 97 योजनाओं पर कार्य किये गये उनकी सूची प्रपत्र "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1989-90 तक निर्मित 8 उच्च जलदायों को अभी तक नहीं जोड़ा जा सका है। विवरण प्रपत्र "ख" से संलग्न है।

(3) जी, हां, वर्ष 1989-90 की अब तक स्वीकृत 8 संवर्द्धन योजनाओं का कार्य संसाधनों की उपलब्धता न होने के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

(4) इन योजनाओं का कार्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री शीशराम ओला : अध्यक्षजी, मुझे खेद है कि माननीय जलदाय मन्त्रीजी ने अपूर्ण ही नहीं, बहुत गलत उत्तर हाउस के समक्ष प्रस्तुत कर हाउस को गुमराह किया है। 120 जलदाय योजनाओं में से 90 में कार्य पूर्ण हुआ बताया गया है जबकि 8-10 पर भी कार्य पूर्ण नहीं हुए और जिन पर भी हुआ है उन टंकियों में आज तक पानी नहीं डाला गया और वे टंकियां जब पानी से भर जायेंगी तो इस कदर जर्जर हो गयी हैं कि फट कर गिर जायेंगी। एक टंकी कोई इस प्रकार की दस वर्ष पहले सीकर में भी

(श्री शीशराम ओला)

गिर गयी थी। यह स्थिति सब टंकियों की होने वाली है। जलदाय विभाग की जो टंकियां थीं वहां पर लोगों को पानी की गम्भीर समस्या को देखते हुए बनायी गयी थीं और उनमें आज तक पानी नहीं डाला गया है।

चौथा, आप कहते हैं कि धन उपलब्ध होने पर। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने 1988-89 में 1179·95 लाख रुपये राजस्थान सरकार को दे दिये। उन पैसों को झुंझुनू में नहीं लगा कर दूसरे जिलों में दिया गया। झुंझुनू में पानी की गम्भीर समस्या है। लोग पानी के लिए त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। उन पैसों का उपयोग विभाग ने दूसरे जिलों में किया है। मन्त्रीजी इस बात को भूल रहे हैं कि बांडी का बेसन नहीं है कि ट्यूब वैल खुदेंगे। मंत्रीजी किसानों को बहका देंगे। जो स्कीम्स मंजूर की हैं और.पी.सी.सी. में मंजूर हुई; कृपया सही उत्तर दीजिये। आपको विभाग गुमराह कर सकता है, मुझे कभी नहीं किया, मैं आपको ठीक उत्तर दे देता था। मैं इसका उत्तर चाहता हूं कि यह कार्य क्यों नहीं हुआ। इसके पैसे भारत सरकार से आये, आपने उन पर क्यों नहीं लगाये और यदि नहीं लगाये तो किस कारण से नहीं लगाये? क्या कारण था नहीं लगाने का?

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारा पैसा केन्द्र सरकार से आता है और जब आप स्वयं मन्त्री थे तब आपने अपने जिले की....

श्री शीशराम ओला : यही मैं कह रहा हूं श्रीमान्।

श्री भंवरलाल शर्मा : मुझे मालूम पड़ गया है। जब आपका मन्त्रीकाल था तो आपने अपने जिले की अधिक से अधिक योजनाएं वहां की भेजी जबकि यह पैसा पूरे राजस्थान के लिए आता है। जहां डेजर्ट का एरिया है....

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : तो क्या आप बदला लेना चाहते हो इनसे कि....

श्री भंवरलाल शर्मा : जो डेजर्ट एरिया है, जहां बड़ा तकलीफ होती है उसके लिए भारत सरकार पैसा देती है। इसमें राजस्थान सरकार का पैसा नहीं होता। आपने अपने प्रभाव से कहिये या किसी भी कारण से आपने अपने जिले में काफी काम करवाने के लिए योजना भेज दी····(व्यवधान)···· मुझे कहने दीजिये, पूरा उत्तर कैसे आयेगा····

श्री शीशराम ओला : आप नहीं कर पायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, मैं नहीं कर पाऊं तो मेरी बात तो सुनें। इसमें एक दिक्कत यह आयी कि आपने सोर्स तो पहले ढूंढे नहीं। व्यवस्था यह है कि पहले सोर्स मिल जाये तब टंकी बनानी चाहिए और योजना का काम बाद में होना चाहिये। अधिकांश स्थानों पर यही हुआ कि सोर्स ढूंढे नहीं गये और टंकिया बन गयीं और सोर्स मिला नहीं तो टंकिया आज····(व्यवधान)···· तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि

(श्री भंवरलाल शर्मा)

राजस्थान सरकार का कोई लेन देन नहीं है और आपकी योजना का पैसा दूसरी जगह लगाया नहीं गया। केन्द्र सरकार हमको कहती है कि यह तो राजस्थान में कहीं भी लगायें। तो जहां उपयोग समझा जाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, प्रपोर्शनेट के आधार पर यह सारा काम आपके कार्यकाल में हुआ है और सोर्स आपने ढूंढे नहीं तो टंकियों में पानी आना मुश्किल है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्दी से जल्दी सोर्स ढूंढ कर जोड़ दिया जाये।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि यह टंकियां कोई पक्षपात से मंजूर नहीं की गयी हैं। राजस्थान के जो डेजर्ट जिले हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था की गयी है। झुंझुनू डेजर्ट डिवीजन है। पहले 40 लीटर पर-केपिटा मिलता था उसको भारत सरकार ने 70 लीटर पर डे पर केपिटा के हिसाब से स्वीकृति दी। झुंझुनू में अथवा बाड़मेर, सीकर, चूरू जो भी डेजर्ट के जिले हैं उनमें जिले-वाइज, गांव वाइज प्रति गांव के नाम से मंजूरी भारत सरकार से हुई है। इसलिए मंत्री महोदय ने 80 टंकियों को छिपा लिया है। 180 झुंझुनू में हैं, 120 नहीं हैं। पर 120 इन्होंने बताया इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पैसे भारत सरकार ने भेज दिये और जिस नाम से भेज दिये उसमें राजस्थान कहां आ गया। राजस्थान की अड़चन कहां पैदा हो गयी। पैसे आये झेरली के नाम से, पैसे आये साडा के नाम से, पैसे आये कलाखरी के नाम से, पैसे आये अमोरा के नाम से, वह वहां से ईयरमार्क होकर आये हैं। मंत्रीजी किस आधार पर कहते हैं कि इनके पैसे हम हिसाब से देंगे, आपने ज्यादा ले लिया। मैंने कहां ले लिया। उसका आब्जेक्शन आपको उस वक्त करना चाहिए था। यह निर्णय मेरा नहीं है, भारत सरकार का है और पी. सी. सी. की मीटिंग में........

(12.00 बजे)

डिस्कशन होता है इसको आप चैलेन्ज नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष : माननीय शीशरामजी, आप मेरी बात सुन लीजिये। थोड़ा बीच में मेरी सुनिये।

श्री शीशराम ओला : इसमें आधा घण्टे भी अगर....(व्यवधान) मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, मैंने आपसे....

श्री अध्यक्ष : आप पहले मेरी सुन तो लीजिये।

श्री शीशराम ओला : अध्यक्षजी, मैंने आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : तो मेरी बात सुनिये पहले। इन्होंने जो जवाब दिया है उसमें कहा है कि टंकियां तो भारत सरकार के पैसे से बन गयीं मगर उनको भरने के लिए पानी का सोर्स नहीं ढूंढा गया।

श्री शीशराम ओला : यह भी कहना

(श्री शीशराम ओला)

चाहता हूं कि हमने ट्यूबवैल खुदा लिये है....

श्री अध्यक्ष : अच्छा सबने ?

श्री शीशराम ओला : उनके पास ट्यूबवैल करीब-करीब खुदे पड़े हैं। यह इनका कहना बिल्कुल गलत है। यह सही नहीं है कि पानी का सोर्स नहीं है। ट्यूबवैल खुदे पड़े और टंकियों को जोड़ा नहीं गया।'

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री शीशराम ओला : इसमें अध्यक्षजी, आप हमको टाइम दीजिये आधा घण्टा डिस्कशन करने का....

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : लोगों के पानी की बहुत बड़ी समस्या है इसलिए हमें...

श्री शीशराम ओला : यह गंभीर समस्या है। पीने के पानी की समस्या है। हमको आप आधा घण्टा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन है कि यह प्रश्न संख्या 11 बहुत ही इम्पार्टेण्ट है राजस्थान की सारी जनता से ताल्लुक रखता है। दो मिनट में ही समाप्त हो जायेगा... (व्यवधान) पंचायतों के सम्बन्ध में एक जानकारी हासिल हो जायेगी. .(व्यवधान) यह 11 नम्बर ले लीजिये। पांच मिनट और लग जायेंगे।

श्री रामनारायण डूडी : कृपया दो मिनट का समय और दे दें।

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : प्रश्न संख्या 11 पर दो मिनट का समय दें.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह से खड़े होकर प्रेशर करेंगे तो मैं नहीं लूंगा.. (व्यवधान) मैं नहीं लूंगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री) : बिल्कुल नहीं लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं लूंगा...(व्यवधान) नहीं लूंगा मैं। नहीं लूंगा। यह तरीका नहीं है...(व्यवधान) आपका कोई एक आदमी बात कर ले, समझ में आता है। आप इस तरह प्रेशर टेक्टिक्स करें और प्रश्नकाल को बढ़ाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

श्री शीशराम ओला : धमकाने से काम नहीं चलेगा... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह नियमों के प्रतिकूल है।

श्री शीशराम ओला : इसको स्थगित कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपको पता है 11 नम्बर बीच में से नहीं लिया जा सकता उससे पहले आठ, नौ, दस लेना पड़ेगा। तब 11 नम्बर आयेगा...(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : एक प्रश्न हो रहा है उसको पूरा कराने के लिए....(व्यवधान) जो प्रश्न चल रहा है उसको तो पूरा कीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं इजाजत नहीं दूंगा। प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 5-देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन

3. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यरत हैं ?

(2) प्रदेश में कितने जिला सहकारी संघ निर्वाचित हैं ? यदि किसी का निर्वाचन नहीं हो पाया तो क्यों ?

(3) राज्य सहकारी संघ के निर्वाचन कब सम्पादित हुए ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रदेश में कुल पंजीकृत 27 जिला सहकारी संघ हैं। इनमें से 20 में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत हैं। शेष 7 में रिकार्ड उपलब्ध न होने, अधिकांश सदस्यों का सदस्यता शुल्क जमा न होने एवं निष्क्रिय होने के कारण नियमानुसार निर्वाचन नहीं हो पाया है।

(3) राज्य सहकारी संघ के संचालक मण्डल का गत निर्वाचन दिनांक 15-5-74 को सम्पादित हुआ था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मजरों एवं ढाणियों में हैण्डपम्प

1. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या मजरों एवं ढाणियों में हैण्डपम्प लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम पीपल्या तहसील नैनवां, जिला बून्दी के मजरे ग्राम घूल्या खेड़ा के झोपड़ों में हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र नैनवां में 62 मजरों व ढाणियों में हैण्डपम्प स्थापित किये जा चुके हैं। शेष मजरों व ढाणियों में भी हैण्डपम्प निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप तथा धन उपलब्धतानुसार लगाये जाने सम्भव होंगे। उल्लेखित मजरे घूल्या खेड़ा के झोपड़ों में एक हैण्डपम्प पहले से ही कार्यरत है। वर्तमान में और हैण्डपम्प लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(30)

नगर निगम, जयपुर द्वारा भवन निर्माण हेतु जारी स्वीकृतियां

2. **श्री इन्द्रसिंह पूनिया** (सादुलपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर नगर निगम के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के चौकड़ी पुरानी बस्ती के वार्ड संख्या 3 में 01 जनवरी, 1987 से आज तक कितने व्यक्तियों को भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है ?

(2) क्या उक्त वार्ड में किसी सरकारी भूमि, रास्ता आमद रफ्त आदि पर निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी की गई है अथवा सरकारी भूमि रास्ता आमद रफ्त आदि पर अनधिकृत निर्माण का नियमितीकरण किया गया है ? यदि हां, तो निम्नलिखित प्रपत्र में उक्त सूचनाएं सदन की मेज पर रखें तथा सरकारी भूमि की कितनी-कितनी राशि जमा की गयी है :—

प्रपत्र

क्र सं.	स्वीकृत की गयी दिनांक	सिटी सर्वे खसरा नं	स्वीकृत भवन का पता
(1)	(2)	(3)	(4)

मकान मालिक का नाम	सरकारी भूमि एवं रास्ता आमद रफ्त का विवरण	सरकारी जमीन एवं रास्ते की जमा कराई गयी राशि
(5)	(6)	(7)

उत्तर

(1) नगर निगम जयपुर के हवामहल विधान सभा क्षेत्र के चौकड़ी पुरानी बस्ती के वार्ड सं. 3 में 1 जनवरी, 1987 से आज तक 50 व्यक्तियों को भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है ।

(2) रास्ता आमद रफ्त पर अनाधिकृत निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गई है केवल दो प्रकरणों में सरकारी भूमि पर हुए अनाधिकृत निर्माण की कीमत व पेनल्टी लेकर नियमितिकरण किया गया है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

नगरपालिका बूंदी की सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण

3. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगरपालिका, बूंदी की सीमा में कितनी राजकीय भूमि है ? उसमें से कितनी इस समय खाली पड़ी हुई है ?

(2) क्या सरकार खाली पड़ी सरकारी भूमि पर से अतिक्रमियों का कब्जा हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार के पास सरकारी खाली पड़ी तथा अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण की हुई भूमि का ब्यौरा उपलब्ध है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) बूंदी शहर के बेतरतीब फैलाव, अवैध निर्माण कार्यों, मास्टर प्लान में

(श्री रामनारायण)

दर्शाये निर्धारित स्थानों की अनधिकृत खरीद आदि के सम्बन्ध में सरकार क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) नगरपालिका, बूंदी की सीमा में कुल किता–1924 रकबा 4166 बीघा भूमि है। भूमि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न हैं। इस समय कोई भूमि भौतिक रूप से खाली नहीं हैं।

(2) जी हां। अतिक्रमित सरकारी भूमियों से बेदखली के प्रकरण सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(3) जी, हां। भूमि का ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है परिशिष्ट–'ब'।

(3) मास्टर प्लान के अनुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

सीसोला (बूंदी) में पटवार भवन का निर्माण

4. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीसोला (जिला बूंदी) में पटवार क्वार्टर का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, यदि हां, तो कब तथा उसे कब पूरा किया गया है ? उक्त निर्माण कार्य कितनी राशि का था तथा कितना भुगतान किया जाना शेष है ? मस्ट्रोल वार विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(2) उक्त अवधि में कितने मजदूरों से कार्य करवाया गया तथा उनमें से कितने मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जा चुका है ? शेष मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या उक्त पटवार क्वार्टर के निर्माण में अधिक मजदूरों की हाजरी अंकित करने तथा मौके पर कम कार्य होने की शिकायत हुई है ? यदि हां, तो उक्त मामले में दोषी कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। सिसोला (जिला बूंदी) में पटवार क्वार्टर का निर्माण कार्य दिनांक 1-6-90 से जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। यह कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तथा निर्माण कार्य 7-7-90 तक ही हुआ है क्योंकि उसके बाद यह योजना बंद हो गई।

इस कार्य हेतु 75,000/– रुपये की राशि स्वीकृत थी। सही मस्ट्रोलों में से मात्र 196/– रुपये का भुगतान शेष है।

मस्ट्रोलवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(राजस्व मंत्री)

एम. आर. संख्या	मजदूर संख्या	राशि
848587	1	42/–
848507	1	70/–
848592	1	84/–
		196/–

इस कार्य के निम्न विवरण के अनुसार फर्जी मस्ट्रोल पेश हुये जिनका भुगतान नहीं किया गया :—

एम. आर. संख्या	श्रमिक संख्या	अवधि	राशि
848593	20	1-7-90 से 15-7-90	4025/–
कच्ची एम आर 2	16	6-8-90 से 31-8-90	6008/–
कच्ची एम आर 1	13	1-9-90 से 12-9-90	3060/–

(2) 95 मजदूरों से कार्य करवाया गया। उनमें से 2 मजदूर जिनकी राशि 196/– रुपये है, जो वक्त भुगतान मौके पर उपस्थित नहीं हुये, को छोड़कर शेष सभी 93 मजदूरों का भुगतान किया जा चुका है। बाद में भी उपस्थित नहीं होने के कारण अनपेड राशि 196/– रुपये वापस जमा करवायी जाकर हिसाब मय एम. आर. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को भिजवा दिया गया है। जिन फर्जी मस्ट्रोलों में मजदूर के नाम दिखाये गये है, उनका भुगतान नहीं किया गया है तथा इन फर्जी मस्ट्रोलों को बनाने वाले कर्मचारी के विरूद्ध जांच कार्यवाही जारी है।

(3) जी हां। पटवार संघ, शाखा नैनवां से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थी। दोषी कर्मचारी श्री प्रेम शंकर चतुर्वेदी, भू-अभिलेख निरीक्षक जिन्होंने फर्जी मस्ट्रोल पेश किये हैं, के विरूद्ध सी.सी.ए. नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच चल रही है।

तहसील फलोदी के नये राजस्व ग्राम

5. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) :** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1980 के पश्चात् फलोदी तहसील में कितने राजस्व गांव सृजित हुए ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या फलोदी तहसील में नये राजस्व ग्राम बनाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1980 के पश्चात् तहसील फलौदी में 51 राजस्व ग्राम घोषित किये गये हैं, जिसकी सूची संलग्न है।

(2) तहसील फलौदी के छः राजस्व गांव घोषित किये जाने के प्रस्ताव जिला कलक्टर, जोधपुर के यहां विचाराधीन हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

राजस्व ग्रामों में अवैध खनन

6. श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्व गांवों में अवैध खनन को रोकने और अपराधियों को दण्डित करने का दायित्व स्थानीय राजस्व अधिकारियों का है ?

(2) फलौदी तहसील जिला जोधपुर के ग्राम देणोक (बरसींगों का बास व इन्दों का बास) में इमारतों की चुनाई का पत्थर बड़े पैमाने पर उपलब्ध है और यह पत्थर पूरी फलौदी तहसील और आस-पास की तहसीलों में जाता है ?

(3) क्या इस पत्थर का गैर कानूनी खनन स्थानीय राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से किया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस गैर कानूनी कार्यवाही को करने वाला एक गुट है जिसमें स्थानीय प्रभावशाली लोग और कुछ मजदूर भी शामिल है ? यदि हां, तो इनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि इस गैर कानूनी कार्यवाही से सरकार को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है ?

(6) क्या सरकार इस कांड की उच्च अधिकारी से जांच करवायेगी ?

उत्तर

(1) अवैध खनन रोकने हेतु मुख्यरूप से खान विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है, लेकिन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों द्वारा भी कार्यवाही की जा सकती है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं।

(4) अवैध खनन करने का कोई गुट नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में अवैध खनन के कुल 128 मामले तहसीलदार फलौदी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89 (7) के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर, जोधपुर की अदालत में दायर करवाये गये, जिनमें सम्बन्धित व्यक्तियों को बेदखल करने, जुर्माना वसूली एवं भविष्य में अवैध खनन नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया गया।

(34)

(राजस्व मन्त्री)

(5) राज्य सरकार को नुकसान नहीं हो रहा। अवैध खनन करने वालों पर जुर्माना किया जाकर बेदखल किया जाता है तथा भविष्य में अवैध खनन नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाता है।

(6) जी नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ही विशेष अधिकारी से जांच कराई जा सकती है।

बस्ती को राजस्व ग्राम घोषित करने के विचाराधीन प्रस्ताव

7. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार के किसी भी बस्ती को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए क्या मापदण्ड है ?

(2) किसी बस्ती को राजस्व ग्राम बनाने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है ?

(3) तहसील रामगढ़ (अलवर) एवं तहसील लक्ष्मणगढ़ (अलवर) की कितनी बस्तियों को राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 या इससे अधिक हो तथा मुख्य आबादी से दूर बसे हो उन मजरे/ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने की नीति निर्धारित की हुई है।

(2) जिन मजरे/ढाणियों की आबादी 250 व इससे अधिक है उन ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित कराने हेतु तहसीलदार पूर्ण विवरण जिसमें मूल गाँव का नाम, मूल गाँव से जुडे हुए मजरे का नाम प्रस्तावित गांव की जनसंख्या, क्षेत्रफल, आबादी, एक फसली, दो फसली कृषि क्षेत्रफल, खाता भू राजस्व आदि के प्रस्ताव तैयार कर मय भौगोलिक स्थिति के नक्शे के जिला कलक्टर को प्रेषित होने पर जिला कलक्टर की सिफारिशों सहित राजस्व मण्डल के मार्फत राज्य सरकार को प्राप्त होने पर ही नये ग्राम घोषित किये जाते है। समय की निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है।

(3) तहसील लक्ष्मणगढ के मूल गांव तसई में नगला घनसिंह एवं सूरजपुरा तथा तहसील रामगढ में मूल गाँव बेरेबास की ढाणी बेरे को राजस्व ग्राम घोषित करने का प्रस्ताव राजस्व मण्डल/जिला कलक्टर अलवर के स्तर पर विचाराधीन है।

राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत ग्रामों की सीमा

8. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत ग्रामों की सीमा वृद्धि कब से लागू की गई वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विष्णु मोदी)

(2) उक्त योजना के तहत जो ग्राम, पंचायत क्षेत्र से अलग हो गए एवं नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए गए उन ग्रामों के किसानों की विभिन्न प्रकार की उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निवारण हेतु सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के सिवायचक भूमि एवं चारागाह आदि भूमियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की व्यवस्था दी हुई है। उक्त धारा के तहत ग्रामों की सीमा वृद्धि के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(2) सामान्यतया जो गांव नगरपालिका में सम्मिलित होते है वे पंचायत क्षेत्र से हट जाते है और उसी प्रकार जो गांव पंचायत में सम्मिलित होते है वे नगरपालिका से हट जाते है—इस स्थिति में गांव या तो नगरपालिका के अन्तर्गत आते हैं या पंचायत के अन्तर्गत।

राजफैड, जयपुर द्वारा क्रय की गई चने की दाल पर व्यय

9. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजफैड जयपुर द्वारा गंगानगर से 11212.13 क्विंटल चने की दाल क्रय करके एन. सी. सी. एफ. को भेजी गई थी ? यदि हां, तो उक्त दाल क्रय करने में व्यापारिक एवं वित्तीय खर्चा दलाली एवं परिवहन आदि सहित कुल कितना व्यय करना पड़ा तथा उक्त दाल के विक्रय से राजफैड के कोष में कितनी राशि अब तक जमा हो चुकी है ?

(2) क्या उक्त दाल के विक्रय बाबत एन. सी. सी. एफ. द्वारा उच्च न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो इस बाबत क्या निर्णय हुआ ? विवरण सहित निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दाल के विवाद को लेकर राजफैड द्वारा सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत विवाद प्रस्तुत किया गया था ?

(4) उक्त प्रकरण राजफैड के जिन अधिकारियों की सुपरवाइजरी अदूरदर्शिता तथा अन्य कारणों से पैदा हुआ है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी हां। दाल क्रय करने में कुल 49 33 लाख रुपये व्यय हुये तथा विक्रय से 48.26 लाख रुपये राजफैड कोष में जमा हो चुके है।

(2) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय ने मामला सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के आदेश दिये। उच्च न्यायालय के आदेश (दि. 7.4.92) की प्रति परिशिष्ट

(36)

(सहकारिता मन्त्री)

"अ" पर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 75 में प्रस्तुत वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया गया। राजफैड द्वारा वाद सैन्ट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता को प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। क्योंकि प्रकरण सैन्ट्रल रजिस्ट्रार सहकारिता, नई दिल्ली के यहां विचाराधीन है।

(आदेश की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

तहसील शेरगढ़ की ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा राशन सामग्री का वितरण

10. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील में कुल कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियां है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राशन सामग्री का कोटा न देकर निजी व्यापारियों को दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व कितने स्थानों पर।

(3) क्या सरकार सरकारी राशन सामग्री का वितरण बालेसर मार्केटिंग सोसाइटी के माध्यम से करवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में कुल 31 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्यरत है।

(2) यह सही नहीं है। तहसील शेरगढ़ में जहां-जहां ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के लिए आवेदन किया गया उन्हें उचित मूल्य की दुकाने आवंटित की गई। शेष स्थानों पर ही अन्य व्यक्तियों को दुकाने निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर आवंटित की गई है। ऐसी दुकानों की संख्या 13 है। 8 स्थानों पर अभी उचित मूल्य की दुकानों का आवंटन अवशेष है।

(3) बालेसर मार्केटिंग सोसायटी सम्पूर्ण शेरगढ़ तहसील के लिए थोक विक्रेता के रूप में प्राधिकृत है और वर्तमान में गेहूं, चीनी, चावल का वितरण सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों को इसी सोसायटी द्वारा किया जा रहा है।

पंचायतों का पुनर्गठन

11. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :-क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है ?

(श्री कुबेर सिंह)

(2) क्या सरकार को सभी जिलों से पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो जिला उदयपुर से क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने पुनर्गठन के अन्तिम रुप में क्या-क्या मापदण्ड तय किये हैं ? तय किये गये मापदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार ने नव गठित ग्राम पंचायतों का मुख्यालय किस गांव में हो, इस सम्बन्ध में कोई मान-दण्ड तय किये हैं ? तय किये गये मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में कौन-कौन सी नई पंचायतें बनी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में जो निर्देश जारी किये गये थे उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां। प्रश्न के भाग–3 के निर्देशों के अनुसार।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(प्रति एवं सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के प्राथमिक विद्यालय

12. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 में निर्वाचन क्षेत्र फलासियां जिला उदयपुर में कहां-कहां प्राथमिक स्कूल खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 1994-95 में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में और प्राथमिक विद्यालय खोलने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

(3) निर्वाचन क्षेत्र फलासियां में ऐसे प्राथमिक स्कूल कहां-कहां पर हैं, जहां वर्तमान में अध्यापकों के पद रिक्त हैं, वे कब तक भर दिये जावेंगे ? क्या ऐसे भी स्कूल हैं जहां समय पर अध्यापक नहीं पहुंचते, यदि हां, तो कहां-कहां ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त विद्यालयों में वर्ष 1993-94 में कब-कब किन-किन अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये गये एवं उनमें क्या-क्या कमियां पायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1993-94 में निर्वाचन क्षेत्र फलासियां जिला उदयपुर में प्राथमिक

(पंचायती राज राज्य मंत्री)

विद्यालय जहां जहां खोले गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1994–95 में प्राथमिक शाला खोलने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अभी मापदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। निर्धारित मापदण्ड अनुसार उक्त निर्वाचन क्षेत्र में भी प्राथमिक विद्यालय खोले जाना संभावित है।

(3) निर्वाचन क्षेत्र फलासियां में वर्तमान में पंचायत समिति, झाडोल में 74 एवं पंचायत समिति, कोटड़ा में 5 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। प्राथमिक स्कूलों की सूची संलग्न है। चयनित अध्यापकों की सूची बन चुकी है, राज्य के बाहर की डिग्रियों का सत्यापन होते ही शीघ्रातिशीघ्र शेष पद भर दिये जावेंगे। सामान्यत: ऐसी प्राथमिक शाला नहीं है जहां समय पर कोई भी अध्यापक नहीं पहुंचते हैं।

(4) वर्ष 1993–94 में विकास अधिकारियों व शिक्षा प्रसार अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया गया। अध्यापकों की अनुपस्थिति, नामांकन में कमी, पोशाकों का अभाव एवं बालकों में सफाई की प्रवृति के प्रति रूझान न होना कमियां पाई गई। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।

तहसील रामगढ़ (अलवर) में कैरोसीन वितरण

13. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) तहसील रामगढ़ (अलवर) के लिए कितना कैरोसीन प्रत्येक महीने आवंटित किया जाता है ?

(2) तहसील रामगढ़ (अलवर) में कुल कितने राशन कार्ड वितरित किये हुए हैं ?

(3) प्रत्येक राशन कार्ड पर सरकार द्वारा कितना लीटर कैरोसीन दिया जाता है ?

(4) क्या रामगढ़ (अलवर) में मानदण्ड के अनुरूप कैरोसीन का आवण्टन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों व अब कब तक मापदण्ड के अनुरूप तेल का आवण्टन कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा कैरोसीन का आवंटन जिलेवार किया जाता है। तहसीलवार उप आवंटन जिला प्रशासन करता है। तहसील रामगढ़ (अलवर) को गत माहों में निम्न प्रकार कैरोसीन आवंटित किया गया है —

1. माह सितम्बर, 93	66,000 लीटर
2. माह अक्टूबर, 93	72,000 लीटर
3. माह नवम्बर, 93	79,000 लीटर
4. माह दिसम्बर, 93	94,000 लीटर

(2) तहसील रामगढ़ (अलवर) में कुल 29,700 राशन कार्ड वितरित किये हुए हैं।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मन्त्री)

(3) प्रत्येक राशन कार्ड पर 5 लीटर केरोसीन उपलब्ध कराने के सरकार के निर्देश हैं।

(4) केन्द्र सरकार से केरोसीन का कम आवंटन प्राप्त होने से मानदण्ड के अनुरूप आवंटन किया जाना सम्भव नहीं हो पाता। केरोसीन का आवंटन बढ़ाये जाने के लिए केन्द्र सरकार को निवेदन किया गया है। जैसे-जैसे अधिक केरोसीन प्राप्त होगा, जिलेवार आवंटन भी उसी के आधार पर बढ़ा दिया जावेगा।

ग्रामों में उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण

14. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट): क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण ग्रामों में किसके द्वारा किया जाता है?

(2) क्या यह सही है कि उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण ग्राम मुख्यालय पर ही किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम रामपुरा, ग्रा. पं. डूंगरी खुर्द तहसील सांभरलेक, जिला जयपुर के ग्रामवासियों को नजदीकी सुविधा के लिए चीनी आदि लेने हेतु उनके ग्राम में ही व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक, व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्रामों में उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण उचित मूल्य की दुकानों के द्वारा किया जाता है।

(2) जी नहीं। सामान्यतया ग्राम पंचायत क्षेत्र में उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही किया जाता है। ऐसी ग्राम पंचायतों में जहां जनसंख्या अधिक होती है, वहां पंचायत क्षेत्र में एक से अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोली जाने का प्रावधान है।

ग्राम पंचायत डूंगरीखुर्द में कुल 5 ग्राम है, जिनकी कुल यूनिट 5620 है। अतएव पंचायत क्षेत्र में उचित मूल्य की दो दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये हुए है—एक ग्राम पंचायत डूंगरीखुर्द में तथा दूसरी ग्राम रामपुरा में। ग्राम रामपुरा की उचित मूल्य की दुकान से पंचायत के वार्ड नं. 5 से 8, जिसमें मोहनपुरा, अभयपुरा व रामपुरा शामिल है, के लिए नियुक्त उचित मूल्य दुकानदार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का कार्य नहीं किये जाने से सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में उचित मूल्य की वस्तुओं का वितरण ग्राम सेवा सहकारी समिति, डूंगरीखुर्द से कराया जा रहा है।

निगम द्वारा जयपुर-उदयपुर अनुबन्धित बसों का संचालन

15. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा जयपुर से उदयपुर अनुबंधित डीलक्स सेमी डीलक्स बसों का ही संचालन किया जा रहा है, यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि अनुबंधित

(श्री कुबेर सिंह)

बसों में लगी सीटों के बीच में स्थान बहुत ही कम होता है जिससे यात्रियों को इतना लम्बा सफर तय करने में परशानी का सामना करना पड़ता है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त अनुबंधित बसों के परमिट निरस्त कर पथ परिवहन निगम की अपनी बसें ही लगाने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में जन प्रतिनिधियों/विधायकों के पत्र भी निगम/राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया पत्रों की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं, तथापि इस मार्ग पर 5 सुविधा वाहनें निगम की स्वयं की तथा 7 अनुबन्धित निजी वाहनें संचालित की जा रही हैं। निगम की स्वयं की सुविधा वाहनें कम होने के कारण निजी वाहन स्वामियों की वाहनें अनुबन्ध पर लेकर संचालित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस मार्ग पर द्रुतगामी वाहनें भी संचालित की जा रही है।

(2) जी नहीं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी द्वारा मोटर वाहन नियमों के प्रावधानानुसार फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी वाहनों को हीं अनुबन्ध पर लिया जाता है। यह अनुबन्धित वाहनें निगम के अनुज्ञापत्रों पर संचालित होती है।

(3) वर्तमान में जो अनुबन्धित सुविधा वाहनें चल रही है उनके सम्बन्ध में सीटों के बीच की दूरी कम होने के बारे में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है वर्ष 1990 में माननीय श्री कुबेरसिंह जी विधायक महोदय का इस बारे में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर कार्यवाही की जाकर 7 अनुबन्धित वाहनों को हटा दिया गया था।

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा भूमि का आवटन

44. **श्री रामनारायण (नैनवां)** : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा भूमि के बदले भूमि दी जाने के आदेश प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मामलों में आदेश दिये गये। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भूमि के बदले भूमि दी जाने हेतु क्या नियम बने हुये हैं ? क्या उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में इन नियमों की पालना की गई है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा भूमि के बदले दी गई भूमि के एवज में ली गई भूमि का टाइटल न्यास की भूमि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के नाम पर हैं ? यदि नहीं, तो क्या न्यास अपनी भूमि का कब्जा एवं स्वामित्व अपने पास रखे हुये हैं ?

(4) क्या इस प्रकार के मामले में न्यास के हितों के विपरीत दिये गये आदेश निरस्त किये जाने हेतु कार्यवाही कर दी

(श्री रामनारायण)

गई है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक कार्यवाही कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) भूमि के बदले भूमि दिये जाने हेतु राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1959 की धारा-51 के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास हेतु भूमि निस्तारण की प्रक्रिया अनुसार आपसी नेगोसियेशन के माध्यम से भूमि प्राप्त करने तथा भूमि के बदले भूखण्ड आवंटन करने का प्रावधान है तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृत आदेश के अनुसार कार्यवाही की गई है।

(3) जी हां, जिस भूमि के बदले न्यास द्वारा भूमि दी गई है उसके टाइटल की पुष्टि करने के पश्चात् ही सम्बन्धित व्यक्ति को भूमि के बदले भूमि दी गई है।

(4) भूमि के बदले जिन मामलों में भूमि दी गई है उनमें न्यास के हित के विरूद्ध कार्यवाही नहीं हुई है। अतः आदेशों को निरस्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री परसादीलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भारत सरकार द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति विकास निगम को सौंपी गयी योजनाओं पर पूर्व के निर्णय के बाद भी गजट नोटिफिकेशन नहीं करवाये जाने के परिणामस्वरूप राजस्थान के जनजाति के लोगों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा, जोधपुर, बीकानेर व चुरू जिले में भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि पूर्व में प्रेषित कतिपय स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से सूचना प्राप्त हुई है, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

(1) श्री भीमराज भाटी और श्री जुबेर खान, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली के स्थान नयागांव, सदर थाना कोतवाली में दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भवेरिया बावरी पुत्र श्री कुमाजी की कथित हत्या से वहां की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक की जांच से उम्मेदा राम बाबरी द्वारा थाने पर रिपोर्ट देना, थानाधिकारी द्वारा रिपोर्ट न लेना और उसे भगा देना सही नहीं पाया गया है बल्कि दिनांक 14-12-93 को मर्ग की जांच के दौरान मृतक के काका के लड़के भाई कानाराम ने एक परिवाद पेश कर उक्त मामले को आत्महत्या का प्रतीत नहीं होना व भंवरलाल की हत्या कर उसे घटनास्थल पर जलाना व इसका शक मृतक के ससुर सरदाराराम, उसकी पत्नी शांति एवं मृतक की सास, मृतक के लड़के रतना राम व मृतक की साली शंमूड़ी पर होना जाहिर किया है।

परिवाद में अंकित उक्त तथ्यों को जांच के मध्य ध्यान में रखकर जांच की गयी तो गवाहान से की गयी पूछताछ, बयानात एवं मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गयी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मृतक का केरोसीन तेल डालकर आत्महत्या करना पाया गया है। आत्महत्या करने का मूल कारण पति-पत्नी में आपसी मतभेद एवं घर में कलह रहना है। अभी मर्ग की जांच जारी है। मामला हत्या का न होकर आत्महत्या का प्रतीत होता है। अग्रिम जांच जारी है।

(2) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में अपर्याप्त व अनियमित वर्षा के कारण अकाल की उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि राज्य के सभी जिलों से गिरदावरी रिपोट प्राप्त हो गयी है। गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 30 जिलों में से 25 जिलों के 7669 ग्रामों में 50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत फसल खराबा हुआ है तथा 14848 ग्रामों में फसल खराबा 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल 22517 ग्रामों में फसल खराबा बताया गया है।

प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। प्रभावित क्षेत्र में शीघ्र ही राहत कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे। आवश्यकतानुसार चारे व पेयजल की व्यवस्था भी की जायेगी।

(3) श्री रामनारायण (139), सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समितियों द्वारा आम जनता के हितों की अनदेखी करने तथा बैठको में जन-प्रतिनिधियों को आमन्त्रित न करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि राज्य स्तर पर समय-समय पर मुख्य सचिव/ मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर विभागों से सम्बन्धित सचिवों के साथ प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

राज्य सरकार बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रति काफी सजग है एवं अब नयी सरकार के गठन हो जाने के फलस्वरूप निर्वाचित विधायकों, सांसदों एवं महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति/पिछड़ी जाति,

(श्री अध्यक्ष)

अल्पसंख्यक वर्ग, नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधि अन्य जन प्रतिनिधि स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, इत्यादि का मनोनयन किया जाकर जिला स्तर पर प्रथम स्तरीय समिति का पुनर्गठन शीघ्र किया जायेगा। पंचायतों के चुनाव उपरान्त जिला प्रमुख एवं पंचायत समिति के प्रधानों का मनोनयन प्रथम स्तरीय समिति में किया जायेगा।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर बोलने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनाएं

(1) श्री रामस्वरूप (146), सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई-माधोपुर के पांचना बांध से तहसील नादौती को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामनारायण (139), सदस्य विधान सभा की ओर से नैनवां तहसील के कतिपय गांवों के किसानों की खातेदारी भूमि अवाप्त कर सिंचाई विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से किसानों के मण्डी टैक्स का लाभ उनके अपने ही जिलों में दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में सड़कों की खराब स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुरेन्द्र गोयल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के कतिपय गांवों में पेयजल का संकट होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री हीरालाल (बामनवास), सदस्य विधान सभा की ओर से बामनवास विधान सभा क्षेत्र की अधूरी पड़ी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करवाने के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र की पंचायत बासना की आबादी भूमि को चारागाह भूमि में कथित रूप से परिवर्तित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री किशनाराम नाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले के मोमासर निवासी श्री रेवतराम मेघवाल की दिनांक 18.11.93 को कथित हत्या की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री हीरालाल इन्दौरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल हनुमानगढ़ वृत्त में नियुक्त आई. टी. आई. पास श्रमिकों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले की तहसील डीग स्थित मांडेरा नामक रूंध (सुरक्षित वन) की चार दीवारी न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र

(श्री अध्यक्ष)

बिलाड़ा में बिजली के वोल्टेज की अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री मोहन लाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से काश्तकारों को बिना पट्टे के विद्युत कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री रामस्वरूप मीणा (146), सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील नादौती के ग्राम कमालपुरा वाली नंगरे वाले बाबा की धूनी के महन्त की हत्या की जांच सी. आई. डी. से करवाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले की सहाड़ा-रामपुर तहसीलों में अकाल पड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री शंकरलाल अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जनजाति क्षेत्र डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकारों के अपूर्ण कुओं को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(17) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में वाहनों पर बिक्री कर अन्य राज्यों की तुलना में अधिक होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री गोपीराम (38), सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर हिरणमगरी निवासी संजय राजपुरोहित, छात्र जोधपुर पोलीटेक्निक कालेज की कथित हत्या की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(19) श्री शांतीकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हाड़ौती क्षेत्र के शाहबाद उप खण्ड मुख्यालय स्थित श्री राधाबल्लभ मंदिर की प्रतिमा के 26 दिसम्बर, 1993 को चोरी हो जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध मे।

(20) श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी स्थित ढूंढ नदी पर स्वीकृत कानोता बांध के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(21) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा एक साथ मकान आबंटित किये जाने तथा एक मुश्त राशि लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(22) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य सरकार की ओर से परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने हेतु लागू स्कीम "ग्रीन कार्ड" को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि आज की कार्यसूची विस्तृत होने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत 295 की सूचना पढ़ी हुई मानी जायेगी। इसकी प्रतिलिपि प्रेस को दे दी जायेगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें ।)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : पाइण्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ।

श्री शीशराम ओला (झुंझुनूं) : या तो आप इस प्रश्न को स्थगित रखें या आधे घण्टे की चर्चा का अवसर दीजिए । उत्तर बिल्कुल नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष : आप मूव करिये । जो प्रक्रिया है उसके अनुसार मूव कीजिए ।

श्री शीशराम ओला : मैं प्रक्रिया यह जानता हूं कि मैं बहुत अनुशासित हूं । अनुशासित ही रहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : जो प्रक्रिया है उसमें आप मूव कीजिए ।

श्री शीशराम ओला : बहुत छोटी-सी प्रार्थना है ।

श्री अध्यक्ष : आप उसके लिए मूव तो करिये । (व्यवधान)

बैठ जायें, पहले बैठ जायें । भाटीजी ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : मैंने कल भी नियम 119 के तहत नोटिस दिया था वह नोटिस सर्व भी करवा दिया, सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेण्ट है, आपने, अध्यक्ष महोदय, इसको सूची में नहीं लिया है । करोड़ों की जमीन का घोटाला है ।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं एक्जामिन करा रहा हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : मुख्य मंत्री महोदय को और आपको नोटिस दिया है पर्सनली ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी लीगेलिटी को एक्जामिन करा रहा हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें जबरदस्त फाइनेंशल कॉम्प्लीकेशन्स है । वर्ल्ड बैंक की राशि है उसके तहत घोटाले हुए हैं । आप मेहरबानी करके इसका महत्व समझें ।

श्री अध्यक्ष : चूंकि यह मामला पहले भी हाउस में आ चुका है इसके बारे में जो कानूनी जांच है वह कर रहा हूं ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : क्या कानूनी पेचीदगी है ?

श्री अध्यक्ष : पहले भी आ चुका है ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : नहीं आ चुका है । अगर आ चुका है तो मैं विथड्रा करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : वही देख रहा हूं । आप मेरे से मिल लीजिए । चेम्बर में मैं आराम से बता दूंगा ।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : पी. एन. भण्डारी का लैटर प्रेस में जाता है, सेक्रेटरी रेवेन्यू को...

श्री अध्यक्ष : प्लीज । धनखड़ साहब । (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

बुला रहा हूं। जिन्होंने मेरे पास यह भेजी है उनको सबको बुला रहा हूं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा मुद्दा उठा रहा हूँ...

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी : देखिए, अध्यक्ष महोदय, जो मैंने नोटिस दिया नियम 119 के तहत, मुख्य मंत्री...

श्री अध्यक्ष : जब तक कोई व्यवस्था इस सम्बन्ध में नहीं हो जाये रिकार्ड में नहीं आयेगा। जब तक व्यवस्था न हो जाये कोई चीज रिकार्ड पर नहीं आयेगी। व्यवस्था के लिए कह रहा हूं...

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : व्यवस्था भी तो आप ही करोगे।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए मैंने कह दिया है आप मेरे से मिल लें। उसमें क्या कानूनी पोजिशन है वह एक्जामिन हो रही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या हाउस बढ़ रहा है? अंतिम दिन है तो आज ही व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष : अभी शाम पांच बजे तक है। पांच बजे मालूम पड़ेगा कि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है।

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं जो मुद्दा उठा रहा हूं, पहली बार अध्यक्ष का भी हित उसमें जुड़ा हुआ है। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सभी प्रत्याशियों को नव वर्ष का एक तोहफा दिया है और चार जनवरी को एक आदेश जारी करवाया है कि दीवारों पर सफेदी कराओ वरना मुकदमा और राज्य सरकारों को जहां चुनाव हुए वहां हिदायत दी गयी है कि 7 फरवरी तक सूचना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भिजवायी जाये। इलेक्शन कमीशन ने निष्पक्ष चुनाव कराये, उन्होंने इन्स्टीट्यूशन को नयी रेस्पेक्ट दिलायी परन्तु वर्तमान आदेश जो पारित किया है वह अनुचित है। यह बिलकुल सही है कि जिन लोगों की प्रोपर्टी पर नारे लिखे गये या पब्लिक प्रोपर्टी पर इस प्रकार की कार्यवाही हुई उसकी रोकथाम के लिए सरकार कानून बना सकती है परन्तु इस प्रकार की धमकी देना कि जन प्रतिनिधि को सपने में भी शेषन दिखे, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सरकार के माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राज्य के पी. डब्ल्यू. डी. को हिदायत दें, उससे पूरी सफाई करवायें और यह जनकल्याणकारी कार्य इसलिए होगा कि आपके दल ने कुछ सद्भावनापूर्ण नारे लिख रखे हैं उनकी सफाई हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इस बात को गम्भीरता से लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि राज्य सरकार ने 7 फरवरी तक इलेक्शन कमीशन को सूचित किया कि ऐसा नहीं हुआ तो मुकदमा होगा। न्यायालय पर वैसे ही बहुत वजन है। पार्टी का हित होगा, न्यायालय का हित होगा।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : आपकी वकालत तो बढ़ जायेगी।

श्री जगदीप धनखड़ : चतुर्वेदीजी से निवेदन करूंगा पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर

(श्री जगदीप धनखड़)

हैं वह इस मामले के अन्दर कार्यवाही करें ताकि जन-प्रतिनिधि आराम से सो सकें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 4 जनवरी को मैंने इस सदन में सुमेरपुर ट्रक आपरेटर्स यूनियन द्वारा फैलाये जा रहे आतंक के वातावरण के लिए विशेष उल्लेख के जरिये ध्यानाकर्षण किया था। वहां पर औद्योगिक संघ के अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस ने 307 में मुकदमा दर्ज किया, अपराधी पकड़ लिये गये परन्तु, अध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है जिस दिन मैंने यह विशेष उल्लेख किया उसी दिन शाम को पुलिस ने सारे अपराधियों को छोड़ दिया। रात को मेरे पास तीन टेलीफोन आये। अध्यक्ष महोदय, मुझे बराबर धमकी दी जा रही है कि ट्रक यूनियन के रास्ते में नहीं आऊं, रास्ते से हट जाऊं वरना तुम्हारी दशा ज्ञानेश्वर जैसी कर दी जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रोटेक्शन चाहती हूं। क्या सदन इस प्रकार के आतंक को अलाउ करेगा?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं जो मामला आपके सामने ला रहा हूं वह काफी गम्भीर मामला है। राज्य के प्रशासन की जो स्थिति है...

श्री अध्यक्ष : यह जो आपका है उस पर सीधे बोलिए, भाषण नहीं।

श्री रामनारायण : दो-तीन तारीख की रात्रि के मध्य बूंदी जिले के अजेता गांव में अष्ट धातु की जैन मूर्ति की चोरी होती है। शाहबाग का मामला आपके सामने है, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : सारी बात बोलने लग गये।

श्री रामनारायण : मैं तो दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : सारे राजस्थान का उदाहरण मत दें वरना दो लाइन में कैसे होगा।

श्री रामनारायण : एक समाज विशेष की मूर्तियों की चोरियां हो रही हैं। पुलिस इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है। (व्यवधान) मैं इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में कुछ स्पेशल टास्क फोर्स आप कायम करें।

श्री अध्यक्ष : हो गया। भाषण मत दीजिए। ध्यानाकर्षण हो गया।

श्री रामनारायण : इस प्रकार से मूर्तियों की चोरी हो रही हैं...

श्री अध्यक्ष : दो मिनट करते-करते पूरी बात कह देते हैं।

श्री रामनारायण : मुख्य मंत्री महोदय के दिमाग में नहीं आयी हो यह बात इसलिए स्पेशल टास्क फोर्स के लिए आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कार्यवाही करें ताकि इस प्रकार से मूर्तियों की चोरी न हो सके।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए ।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : अलवर में पानी की समस्या बहुत बड़ी है । इस सम्बन्ध में मैंने पांच तारीख को प्रश्न दिया था उसके बारे में बताना चाह रही हूं कि अलवर में सर्दी के समय में भी पांच घरों में पानी आ रहा है तो 10 घरों में नहीं आ रहा है । 35 साल पुरानी पाइप लाइन डाली हुई है दो इंच की पाइप है । जंग लगने से डेढ़ इंच की हो गयी है । कनेक्शन ज्यादा हो गये हैं, आबादी ज्यादा बढ़ गयी है । इसलिए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि पाइप लाइन चेन्ज की जाये । मैंने सरकार को हैण्ड पम्प और ट्यूबवैल की मंजूरी के लिए भेजा था, मैं जानना चाहूंगी कि वह कब तक मंजूरी हो जायेगी ?

दूसरा ट्यूबवैल के लिए एक मशीन है उसके लिए हमने पैसे जमा करा दिये लेकिन मशीन अलवर में नहीं आयी है । इसलिए गर्मी में पानी की व्यवस्था के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि पानी पूरा मिलना चाहिए क्योंकि जनता के सामने जाते हैं तो वह कहती है, एम. एल. ए., हम को पानी दे । अधिकारी कर्मचारी कहते हैं कि हमारा तबादला कर दो । मंत्री महोदय इस बात का जवाब दें । मुझे जवाब चाहिए, अलवर जाऊंगी तो मुझे से जवाब मांगेंगे ।

श्री अध्यक्ष : जवाब के लिए आपका प्रश्न आया तो आप हाजिर नहीं थीं । मैंने आवाज दी थी, you were absent (व्यवधान) ...

मेरे सब नजर में आ रहा है, क्रम से आ रहे हैं, मगर आप उतावले हों, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है । नजर सब आया पर आप देखोगे, शान्ति से बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं बचेगा और आप उतावले होते रहेंगे, तो होते रहो, मैं तो अपने क्रम से बोल रहा हूं ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय 21 तारीख को मैंने मोशन दिया था... (व्यवधान)... 21 तारीख को मैंने नोटिस दिया था, मदनगंज में झगड़ा हुआ ।

श्री अध्यक्ष : उसमें आपके माननीय सदस्य हैं, किशनगढ़ के वह...

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि कोई विधायक एक अपने क्षेत्र का विधायक नहीं होता है, वह राज्य का विधायक होता है और उसको स्टेट की सारी प्राब्लम उठाने का हक होता है । मैं किसी के अधिकार पर एनक्रोचमेंट नहीं कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : ऐसा नहीं, उन्होंने उसको कम्प्लीट करवाकर, ऐसा कुछ बताया है...

श्री विष्णु मोदी : मैं कम्प्लीट की बात नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, आप उसकी महत्ता को नहीं समझ रहे हैं और न सरकार समझ रही है । इस सरकार की यह स्थिति हो गयी है कि थानों में जो रिपोर्ट लिखवाने जाये उसको पकड़ कर बंद कर दिया जाये । इस तरह की समस्याएं हो रही हैं । इस तरह की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन बनी हुई है और उसको यह सरकार इस तरह ले रही है । आज 8 दिन हो गये हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं आया है ।

(श्री विष्णु मोदी)

थानों में यह स्थिति हो गयी है कि जब रिपोर्ट लिखवाने जाये, उसको बन्द कर दिया जाये। मैंने उस वक्त फोन किया, माननीय मुख्य मंत्रीजी को फोन किया, उनकी जानकारी में भी यह बात थी ...

श्री घनश्याम तिवाडी (चोमूं) : उसका फैसला हो गया। सारा काम हो गया है और आप उठाये जा रहे हैं, आठ दिन हो गये, इसका फैसला ही हो गया।

श्री विष्णु मोदी : आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसके खिलाफ मुकदमें बने हैं, उसका फैसला कर दिया, क्या आपने यह मुकदमा वापस ले लिया ? मैंने उसी दिन आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय को फोन किया। उनकी जानकारी में वह बात थी। मैंने थाने में बात की, डी.वाई.एस. पी. ने खुद ने कहा हां, गलती हुई है। तो क्या वहां उस अधिकारी को सस्पैण्ड किया या उसमें कोई कार्यवाही की ? सरकार अपना जवाब तो देती।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भीमसेन, आप बोलिये। पहले यह बोलें, बहस नहीं करनी उन्हें, अपना भाषण देना है।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था एक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा था, आपने उसके बारे में इजाजत नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : आपका समय रहेगा तो हो जायेगा, जरुर। चौधरी साहब रामनारायणजी, आप बोलिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, आपने पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था दी है, उसी के सिलसिले में मेरा भी आज स्थगन प्रस्ताव था। उस स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था देते हुए जिक्र किया है कि राजस्थान में लगभग 22 हजार गांव अकाल से ग्रस्त हैं। मान्यवर, आज मैं अखबार पढ़ रहा था, इसी सदन के पूर्व माननीय नेता और पूर्व मुख्य मंत्रीजी श्री शिवचरण माथुर साहब का स्टेटमेंट था, भीलवाड़ा जिले के अन्दर इतना भयंकर अकाल है, लोग वहां से घर के घर छोड़कर जा रहे हैं आगरा, दिल्ली उधर पंजाब से निकल रहे हैं। यही स्थिति मारवाड़ की है ! मान्यवर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू की यही स्थिति है। यही स्थिति बीकानेर की है और कुछ हिस्सा झुन्झुनूं का है, अजमेर सारा अकाल में है। तो आपकी व्यवस्था से यह जाहिर हो रहा कि साढ़े बाइस हजार गांव, कुल 31-32 हजार गांव राजस्थान के अन्दर हैं, 75 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा आज अकालग्रस्त है। आज विधान सभा का आखिरी दिन है, अब इसके बाद महीने बीस दिन तक मिलना नहीं हो सकेगा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुख्य मंत्रीजी से, अकाल सहायता मंत्री से कुछ न कुछ इस मामले में कहलवाये, टैस्ट वर्क्स कब तक चालू कर रहे हैं। काम चालू नहीं कर सकें तो टैस्ट वर्क्स अभी, मान्यवर, शुरू हो जायें अध्यक्ष महोदय, आपका निर्वाचन क्षेत्र पूरा का पूरा अकाल में है।

श्री अध्यक्ष : अभी मुख्य मंत्रीजी बोलेंगे इस पर।

श्री रामनारायण चौधरी : तो उनको बुलाइये।

श्री अध्यक्ष : हां, बुलायेंगे, जरूर बुलायेंगे। बतायें, आप क्या बोल रहे थे?

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं, पुष्कर से आये सदस्य का, उन्होंने बड़ी चिन्ता व्यक्त की। मैं तो मेरे इलाके में जब घटना हुई, तुरन्त गया और दो दिन तक मैं लगातार रहा। मैं इस बात पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि पूरे राजस्थान के विधायक हों, बड़े विद्वान हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, कंधे से कंधा लगाकर मेरे इलाके की सेवा कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है, पर वस्तुस्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेते तो ज्यादा ठीक रहता। जब मैं दो दिन तक रहा वहां पर सब...

श्री विष्णु मोदी : अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो सुबह दिया है, वह लॉ एण्ड ऑर्डर की सिचुएशन से रिलेटेड है।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, I must have your protection. मान्यवर, मैंने आपसे चैम्बर में कहा, तीन दफा कहा, मैंने सदस्यों को प्राइवेटली कहा, बड़ी सेवा करते हैं किशनगढ़ की। सेवा की सक्षमता मेरे में भी है, आप मदद करेंगे, आपकी सहायता लूंगा, परन्तु स्थिति को मत बिगाड़िये। किशनगढ़ में मार्बल उद्योग बढ़ रहा है। व्यापारियों के अन्दर, मजदूरों में झगड़ा हो गया। मैं स्वयं गया। किसी अधिकारी पर अरोप लगा रहे हैं, बिना जांच पड़ताल के अधिकारियों पर जन-प्रतिनिधि आरोप लगायेंगे तो हमें क्या कहेंगे। न ही हमें व्यक्तिगत ज्ञान है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा, चाहें जन-प्रतिनिधि किसी भी दल का हो, मान्यवर, उधर से सवाल उठे, चाहे इधर से उठे, प्राइवेटली बात करने में जन-प्रतिनिधि की इज्जत बढ़ती है और इलाके के अन्दर शांति बनी रहती है। मैं सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरी बात पर वह गम्भीरता से चिन्तन करें और मेरे इलाके में कम से कम झगड़ा पैदा न करें।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, रामस्वरूप जी मीणा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया है...

श्री अध्यक्ष : मोदीजी, यह डिबेट नहीं है। मैं आपको कल भी कह चुका हूं।

श्री विष्णु मोदी : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बात कह...

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। रामस्वरूपजी मीणा, बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में भी कई बार निवेदन किया है और मैं चैम्बर के अन्दर आपसे वहां भी मिला। मेरे क्षेत्र के अन्दर तीन भयंकर कांड हुए हैं एक तरफ तो हमारी सरकार धर्म की बात करती है और दूसरी तरफ मेरे क्षेत्र के तीन महन्त हैं उन तीनों महन्तों की हत्या कर दी गयी है

(श्री रामस्वरूप मीणा)

और आज तक पता नहीं लगा है कि वे हत्यारे कौन हैं जिन्होंने महन्तों की हत्या की है। यह धर्म का ढोंग करने वाली सरकार महन्तों का पता लगा नहीं सकती तो फिर किसका पता लगायेगी ? 3–3 महन्त मार दिये गये और तीनों महन्तों के हत्यारों का आज तक पता नहीं लगाया जा सका (व्यवधान)... का महन्त मारा... (व्यवधान).. गोगरे का मार दिया (व्यवधान).. और तीनों महन्तों के हत्यारों का आज तक पता नहीं लगाया जा सका। छद्म घूटी का महन्त मारा, गोगरे का मारा और कमालपुरा (व्यवधान)... वाली का महन्त मारा। तीनों मार दिये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बिराजमान हैं, हत्यारों का पता लगाये। कोई पूजा करने वाला नहीं है मंदिर के अन्दर...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : अंकित मत करिये, आप बोलते रहिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए के अन्तर्गत–

(1) दी राजस्थान स्माल इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड का 31 वां एवं 32 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 1991–92 व, 1992–93,

(2) राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जयपुर का 20वां, 21वां, एवं 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1988-89, 1989–90 तथा वर्ष 1990-91 एवं

(3) राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 38 (3) के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम के वर्ष 1990–91 के लेखों पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिकाओं का उपस्थापन

ग्राम देवरिया एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय खानपुरा में सम्पर्क सड़क निर्माण

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन, श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं—

(1) ग्राम देवरिया (पंचायत समिति नैनवां जिला–बूंदी) में "माडा" योजना के अन्तर्गत 2 किलोमीटर तक सम्पर्क सड़क का निर्माण कराये जाने बावत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

(2) ग्राम पंचायत मुख्यालय खानपुरा जिला बूंदी को सम्पर्क सड़क से जोड़ने

(श्री रामनारायण)

बाबत 6 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। कल आप चैम्बर में बिराज रहे थे और यहां पर सभापति महोदय थे चेयर पर, उस वक्त में यहां शान्ति धारीवाल बोल रहे थे जो पांच मिनट बोले और उसके बाद में हाउस एडजोर्न हुआ, उस वक्त मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी…

श्री अध्यक्ष : वह पूरा करना चाहते हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : साथ ही मेरा यह भी निवेदन है; कई माननीय सदस्य हैं, जो बोलना चाहते हैं, मैं…

श्री अध्यक्ष : पूरा करें, करें-करें। पूरा करें, हां कर लें। अच्छा, आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से रिटर्न हुए माननीय सदस्य…(व्यवधान)…रिटर्न का मतलब क्या होता है ? उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, बहस मेरी कल अधूरी थी, मुझे ध्यान है कि जहां मैं बोल रहा था, साम्प्रदायिकता का कोई विषय था। साम्प्रदायिकता के विषय पर घनश्यामजी तिवाड़ी बोले, कालीचरणजी सराफ बोले, बड़े आरोप लगे। मैं उनसे आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं, खासकर जो हां पक्ष के लोग हैं, मुख्यमंत्रीजी, आप बिराजमान हैं, कम से कम यह तो मालूम करने की कोशिश करें हम कि वे कौन लोग हैं जो सुबह शाखाओं में स्वयंसेवकों को इस प्रचार के लिए प्रेरित करते हैं कि इस देश का मुसलमान स्वभावतया आक्रामक होता है, एक हजार से भी ऊपर वर्ष से उसने हमेशा हिन्दुओं को दबाया है।

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : शाखाओं में जाकर देखो तो पता लगे। आप शाखा में गये हैं क्या कभी जो अंधाधुंध आरोप लगाते चले जा रहे हैं ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वे कौन लोग हैं जो इस बात को प्रचारित करने के लिए प्रेरित करते हैं कि मुसलमान चार बीवी रख सकता है और एक दिन ऐसा आयेगा इस देश में जब कि आगे आने वाले 25 सालों में हिन्दू की आबादी कम हो जायेगी और मुसलमान की आबादी ज्यादा हो जायेगी ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : यह महात्मा गांधी ने ही लिखा है, साहब, कि मुसलमान आक्रामक हैं स्वभाव से। महात्मा गांधी ने लिखा है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैंने भी बड़े धैर्य से आपका भाषण सुना है।

श्री अध्यक्ष : उनको पूरा करने दीजिये, आप इण्टरफियर मत करिये। Let him say.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : यह तो बोल चुके हैं, वही शब्द बोल रहे हैं दुबारा।

श्री अध्यक्ष : वे बोलेंगे तब तो कर देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बताया जाये कि वे कौन लोग हैं जो इस बात को प्रचारित करते हैं कि मुसलमान अपने वोट बैंक की आड़ में इस पूरे राष्ट्र को ब्लैकमेल करना चाहते हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कांग्रेस।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इनकी भाषा खराब है, इनकी शिक्षण संस्थाएं खराब हैं, इनका तुष्टिकरण किया जाता है। हिन्दू धर्म का नया अर्थ बताने वाले कौन हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हिन्दू को प्रवोक करके उसमें नये संस्कार डालने वाले आदमी कौन हैं ? हिन्दू के, राष्ट्र के, राष्ट्रीयता के नये-नये अर्थ बताने वाले कौन हैं ? उनके साथ शर्तें जोड़ने वाले कौन हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हम हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया हम अपने हिन्दू मन पर हाथ धरकर सोचें तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। छह दिसम्बर को जिन वीर शिरोमणियों ने पराक्रम दिखाया था वह पराक्रम एक साल भी नहीं चला। 11 नवम्बर को चुनाव हुए, यह गवर्नमेण्ट बनी, पूरे एक साल भी उनका पराक्रम इस देश में बरकरार नहीं रह पाया। निर्दलीयों के बल पर, खासकर डा. रोहिताश्व के ट्रांसपोर्ट पर बैठकर, सुजान सिंह जी से कोआपरेशन लेकर और गंगाराम जी के रेवेन्यू को काम में लेकर अपने कौशल और अपनी कला से माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां राजस्थान में सरकार बनायी।

श्री रोहिताश्व (राज्य मंत्री, यातायात) : आपको तो खुश होना चाहिए, आपको भी छोड़ आऊंगा ट्रांसपोर्ट में बैठाकर।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन यह सोचें कि मेरे राजपूत सरदार, एक दिग्विजय सिंह ने बनायी, एक वीरभद्र सिंह ने बनायी, क्या आपने राजस्थान में उतनी शान से सरकार बनायी ? नहीं बनायी तो उसके क्या कारण थे, जरा इस पर गौर करके सोचिये। देखिये, हिन्दू तो सब हैं। हम भी हैं, लेकिन यह देखना होगा कि हम हिन्दू के आगे भी बहुत कुछ हैं। एक तरफ तो आप यह कहते हैं कि आस्था का प्रश्न है और आस्था का प्रश्न कानून से भी ऊंचा होता है, लेकिन आपने मुसलमानों की आस्था को किस तरीके से आहत करने की कोशिश की ? अगर कांग्रेस सत्ता की खातिर तुष्टिकरण भी करती है तो कोई गलती नहीं करती।

मेरा आपके जरिये यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि जिन लोगों ने धन्यवाद

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

प्रस्ताव के पक्ष में भाषण दिया है मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आखिर था क्या इस भाषण में जिसके लिए वे हमसे धन्यवाद दिलवाना चाहते हैं। कुछ भी तो नहीं है इस भाषण में। हालत यह है इस सरकार की, दुष्यन्त कुमार का एक शेर है :

"कैसे मंजर सामने आने लगे हैं गाते गाते लोग भी चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो ये कमल के फूल मुरझाने लगे हैं।"

अध्यक्ष महोदय, कई तरह की बातें कल यहां पर हुई। साम्प्रदायिकता के बारे में मैंने जवाब दिया, डंकल पर भी मैं कुछ अर्ज कर पाया। जहां तक बिजली का सवाल है, कल भी खूब हंगामा हुआ और एक-दो पब्लिक मीटिंग्स माननीय मुख्यमंत्री जी की मैंने सुनी हैं चुनाव के वक्त में। मैं सिर्फ इसीलिए गया अपना टाइम निकालकर उनकी मीटिंग में सुनने के लिए कि मुख्यमंत्री जी क्या-क्या वादे, क्या-क्या सपने राजस्थान को दिखाना चाहते हैं। उस बैठक में इन्होंने साफ-साफ कहा था कि राज हमारा आ गया तो एक-एक घर में हम बिजली जलाकर रहेंगे, एक-एक घर को रोशनी देंगे। क्या हुआ ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : हां, पांच साल में।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : "कहां तो तय था चिराग हरेक घर के लिए कहां चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।"

यह बात कहकर कि हम इतने मेगावाट खरीद लेंगे, महंगी खरीद लेंगे लेकिन देंगे, किसको धोखा देने जा रहे हैं ? इसी जनता को धोखा देने जा रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी तो शुरू ही किया है और आपने घण्टी बजा दी ?

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट हो चुके हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अभी 10 तो कहां हुए ?

श्री अध्यक्ष : टाइम नोट तो मैं कर रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : घड़ी आपकी बहुत तेज चल रही है।

श्री अध्यक्ष : मेरी नहीं, विधान सभा की। मैं अपनी घड़ी देखता ही नहीं हूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साम्प्रदायिकता की बात पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि बड़ा भीषण दंगा हुआ था कोटा में 14 सितम्बर, 1989 को। अनन्त चौदस का जुलूस सरे बाजार मकबरा होते हुए निकल रहा था। कृपया यह तो मालूम करवा लें, या तो आपको मालूम है लेकिन अगर मालूम नहीं है तो यह मालूम करवा लें कि आप ही के इस मंत्रिमण्डल के सदस्य क्या उस जुलूस में शामिल नहीं थे, जहां पर मस्जिद में 12 आदमियों का कत्ल किया गया, कम से कम 100 दुकानें और मकान जलाये गये ? चतुर्वेदी साहब बैठे हुए हैं, इन्हीं की

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

कांस्टीट्यूएंसी की बात है । गलत कह रहा होऊं तो टोक दीजिए बीच में । क्या आपके मन्त्रिमण्डल के सदस्य और लोक सभा के सदस्य उस जुलूस में शामिल नहीं थे, उस जुलूस को नेतृत्व देने वालों में से नहीं थे ? लेकिन एक भी आदमी जो उस जुलूस में शामिल था, टाडा में बन्द नहीं किया गया । ठीक इसके विपरीत जब लोक सभा के चुनाव होते हैं, आपका उम्मीदवार विजयी होता है और विजयी होकर जब वह जुलूस निकालता है, जुलूस उसी रास्ते से निकाला गया, एक हिन्दू मरा लेकिन 75 आदमी टाडा में बन्द किये गये । आपने उन निर्दोषों के लिए विधान सभा में जवाब दिया, हां, इनमें से कुछ लोग निर्दोष हैं लेकिन छोड़ा नहीं । राज्यपाल के शासन के टाइम पर उनकी रिहाई हुई है । ....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बम फेंकने वाला कौन था ? बम किसने फेंका था ? गोलियां किसने चलायी थीं, मस्जिद में बैठे हुए ? तलवारें कौन लाया था ? गण्डासे कौन लाया था ? क्या आप लोग नहीं थे ? गोलियां आपने ही चलायी थीं क्या ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप इण्टरप्ट कर चुके हों तो मैं बोल लूं ? अब आपसे उम्मीद तो यही है कि आप करेक्ट करते रहेंगे हमेशा ।

मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि जौहरी बाजार में मस्जिद बनवायी, अजमेर में दरगाह शरीफ पर साढ़े चार करोड़ रुपये खर्च किये । पैसा किसका था ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष : मेरे कहने के बाद चार मिनट और हो गये हैं, आपके पास एक मिनट का समय है । एक मिनट में जो बोलना है बोल दीजिए, फिर मौका नहीं दूंगा आपको ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा मत करो, साहब, बहुत कम मौके मिलते हैं ।

श्री अध्यक्ष : आगे और मिलते रहेंगे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका ही प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो फिर किसके पास जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अभी और बोलने वाले हैं । मैं समय से बंधा हुआ हूं वरना आपको अनलिमिटेड देता कि आप ही बोलते रहिये अकेले ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन अगर मेरा भाषण ही पसन्द नहीं आ रहा हो तो मैं बैठ जाऊं ।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें तो बहुत खुशी होगी मुझे ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ऐसा क्या करते हैं, श्रीमान्, ऐसा मत करिये ।

सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट ने साढ़े चार करोड़ रुपये दिये अजमेर के लिए, जिस पर दावा कर रहे हैं मुख्य मंत्रीजी कि मैंने खर्च किये । एजेंसी हो सकता है कि आप हों, लेकिन कम से कम जिसने दिये हैं उसके लिए प्रशंसा के एक-दो शब्द तो बोल दो । वह

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

पैसा भी अपना बता रहे हैं कि मैंने खर्च किया है। राज्य सरकार अपना कुछ कण्ट्रीब्यूशन देती, राज्य सरकार कुछ मेहनत करके साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने के लिए और एक विशेष धर्म को अच्छा दर्जा देने के लिए, उनकी सेवा के लिए कुछ न कुछ करती, लेकिन यह जो दोमुंही बातें ये लोग करते हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं इस पर मुझे एतराज है। अभिभाषण में जो चीजें होनी चाहिए थीं, एक चीज मौजूद नहीं है अलावा इसके कि ये कर देश्यां, यह हो जासी, विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : डाक्टर शकर लाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कम्पलीट कर रहा हूं। एक ही मिनट में कम्पलीट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप 15 मिनट बोल चुके हैं। और यह लिस्टें मेरे पास बढ़ती जा रही हैं। आज केवल विपक्ष के नेता और सदन के नेता का रखा था।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक ही मिनट में कम्पलीट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट में। एक मिनट से दूसरी मिनट नहीं लूंगा और अब तक तो कम्पलीट भी कर लेता।

श्री अध्यक्ष : आपकी एक मिनट का पैमाना क्या है? एक मिनट का पैमाना एक-एक घण्टे तक होता है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक ही मिनट।

सरकारी तन्त्र में सुधार करने की ओर जनता की कठिनाइयां किस प्रकार से दूर हों, इसका कोई जिक्र नहीं। वित्तीय अनुशासन आप किस प्रकार से स्थापित करेंगे, अपव्यय किस प्रकार से रोकेंगे और खास कर तस्करी के मामले हैं, तस्करी इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन अखबार में यह पढ़ने को नहीं मिलता है कि वहां पर इतनी अफीम पकड़ी गयी, चांदी पकड़ी गयी, सारा माल जयपुर के मारफत, राजस्थान के मारफत जा रहा है लेकिन इस अभिभाषण में एक शब्द तस्करी रोकने के लिए नही कहा। आर्थिक सुधारों के, तथा किसानों के बाबत कुछ नहीं था।

श्री अध्यक्ष : अब हो गयी आपकी एक मिनट, मिनट समाप्त हो गयी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आखरी निवेदन करता हूं कि नयी औद्योगिक इकाइयां कौन-कौनसी खुलेंगी, कोई जिक्र नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एन.आर.आई. को राजस्थान में बुलाया जायेगा, उनको इन्वाइट किया जायेगा, उनकी पूंजी का यहां पर निवेश होगा, कोई जिक्र नहीं। आप ऐसा व्यवहार नहीं करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, आप को-ऑपरेट करिये मेरे साथ, कृपया आप बिराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरे से को-ऑपरेशन मांग रहे हैं, मैं आपका आशीर्वाद मांग रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपका बढ़िया कोऑपरेशन यह होगा कि आप तुरन्त सीट पर बैठ जायेंगे, that will be the best co-operation, I think, श्री कैलाश जी। आप बोल रहे हैं, इनका अधूरा रह गया था। आप 5 मिनट में समाप्त कर दीजिये। 5 मिनट से ज्यादा नहीं।

डा. शंकरलाल (कपासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैंने निवेदन किया था कि इस अभिभाषण में तीन मूल सिद्धांत रखे गये हैं, तेजी से विकास, स्वच्छ प्रशासन और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। इसके साथ ही इस अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने अपने लिमिटेशन्स भी बताये थे। उन्होंने इसमें कहा है कि बजट प्रस्ताव अभी आने वाले हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी बनी है उसकी सही रीति-नीति उन्हीं प्रस्तावों में परिलक्षित होगी। इसके साथ उन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान जो इकानामी का हाल हुआ उसका भी वर्णन इसमें किया है और इसमें एक डायरेक्शन भी सैट किया है कि अभी जो सरकार बनी है वह एस. सी. और एस. टी. के जो समुदाय हैं उन पर विशेष तौर से ध्यान देगी। इस तरह का एजेण्डा सैट किया है इस अभिभाषण में। इन सब का मैं स्वागत करता हूं और इसके लिए राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूं।

बिजली के मामले में, जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि जो वन पोल, निल पोल का सिस्टम है, वन पोल, निल पोल का बीच-बीच में सर्क्यूलर आ जाता है और उसी के दौरान भ्रष्टाचार का जन्म होता है। फिजीबिलिटी में इंजीनियर महोदय कहते हैं कि यहां पर तो ट्रांसफार्मर पूरी कैपेसिटी का नहीं है इस वजह से आपको कनेक्शन नहीं दिये जाते और इस तरह से किसान को पीछे-पीछे घुमाया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो वन पोल, निल पोल के जितने कनेक्शंस हैं आज तक के वे सारे दे दिये जायें ताकि 7 हजार रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से राज्य सरकार को या बिजली बोर्ड को आय हो। ऐसा करना अगर सम्भव नहीं हो तो जिस तरह प्रायोरिटी है उसी हिसाब से कनेक्शन दिये जायें या फिर जो कनेक्शंस दिये जा रहे हैं उनमें फिजीबिलिटी का रोड़ा नहीं अटकाया जाये। फिजीबिलिटी का जो रोड़ा आ जाता है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और किसी की जिम्मेदारी इसमें हो भी नहीं सकती। इसलिए जो ट्रांसफर्मर है उसकी कैपेसिटी बढ़ायी जाये या कुछ भी करें, जो प्रायोरिटी है उससे स्ट्रिक्ट एडहेरेन्स रखते हुए कनेक्शंस दिये जायें।

(12.44)

(श्री रमाकान्त शर्मा सभापति, पदासीन)

इसी तरह से इस अभिभाषण में पेयजल सम्बन्धी जो चर्चा हुई थी, काफी क्षेत्रों के बारे में इसमें वर्णन है लेकिन मेरे क्षेत्र में जो समस्या है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे क्षेत्र की मुंगाड़ा पंचायत,

(डा. शंकर लाल)

कोलपुरा, रोलिया, तनाव का खेड़ा तथा मोपालसागर की ग्रनूपपुरा पंचायत व जासमा पंचायत के सभी गांव ग्राज भी पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वहां टैंकरों से पानी पहुंचाया जाये तथा सही समाधान के प्रयास करने के लिए कुछ उपाय किये जायें। उसमें मेरा निवेदन है कि मातृकुंडिया में एक डैम है जो बिल्कुल पास है, वहां से पानी लिफ्ट करके, पहले लिफ्ट सिंचाई का वहां के लिए कार्यक्रम बना था, सिंचाई के लिए नहीं तो कम से कम पानी पीने के लिए तो इस योजना के तहत पहुंचाया जा सकता है। यह एक सूखा हुग्रा क्षेत्र है उसमें पानी पहुंचा कर उस क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचायी जाये। इसी के साथ में एक संगेसरा डैम का हमारा प्रोजेक्ट है, जो वर्षों से लम्बित है ग्रौर उस एरिया में हमारे बांसवाड़ा से लेकर के ग्राकोला तक के सारे गांव इस डैम के बनने का इन्तजार कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रोजेक्ट को पुनः निरीक्षण करके या इसको वापस लेकर इसमें क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं उनको दूर करते हुए प्रोजेक्ट को पूरा करवाया जाये। साथ ही एक बड़गांव तालाब है हमारे उधर। बड़गांव तालाब की कैपेसिटी ज्यादा है ग्रौर यह कभी नहीं भरता है, खाली रहता है इस वजह से इसमें एक फीडर का पहले प्रोग्राम बना था, उस फीडर को पूरा करवाया जाये जल्दी से जल्दी ताकि तालाब भरेगा तो इस एरिया में जो जल स्तर है वह ऊंचा होगा, पानी की समस्या का भी समाधान होगा।

इसी तरह से मोपालसागर का जो कमांड एरिया है वह सारा टूटा-फूटा है। उसमें जो सिंचाई होती है सारी कच्ची नहरों से होती है, उनको पक्का करवाया जाये ताकि वहां की समस्या खत्म हो। इसी तरह से सांवरिया सरोवर वहां बना हुग्रा है। सांवरिया सरोवर में जो नाला है वह ग्रगर दक्षिण की तरफ खोल दिया जाये तो जब पानी ग्रायेगा....

श्री सभापति : इन सब के लिए ग्रापको बहुत मौका मिलेगा बाद में। ग्राप तो राज्यपाल के ग्रभिभाषण पर कुछ कहना हो तो कह दीजिये। समाप्त कीजिये।

डा शंकर लाल : ग्रभिभाषण के बारे में ही मैं निवेदन कर रहा था। इसमें जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको निवेदन कर रहा था। इसके ग्रलावा एक चीज मैं खास तौर से बोलना चाहता हूं कि इस ग्रभिभाषण के ग्रन्दर नस्ल सुधार के लिए कुछ बातें कही गयी हैं। इसी सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं कि 70 ग्रौर 80 में ग्रमरीका ग्रौर विश्व के दूसरे विकसित देशों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि किस तरह से टेक्नोलाजी के हिसाब से वे लोग हमसे ग्रागे हैं लेकिन वहां पर लेबर महंगा है इस वजह से उनका जो प्रोडक्शन है। महंगा है ग्रौर जो डवलपिंग कण्ट्रीज हैं उनके मुकाबले में वह टिक नहीं पाते हैं. इसलिए उन्होंने एक शिकंजा कसना शुरु किया था तो सबसे पहले समुद्री सीमाग्रों का प्रश्न उठाया था, समुद्री सीमाग्रों के मामले में उन्होंने कहा था कि समुद्री सीमाएं किसी देश की नहीं होती है ग्रौर सभी देशों का उस पर राइट है। इसका

(डा. शंकर लाल)

कारण यह बताया गया कि कुछ देशों की समुद्री सीमाएं हैं और कुछ देशों की नहीं हैं तो इस वजह से सब का राइट है समुद्री सीमाओं पर। तो उन्होंने ऐसा कह कर दूसरों की समुद्री सीमाओं में घुसने की कोशिश की, क्योंकि वे माइटी हैं और वे सब कुछ कर सकते हैं, उनकी फिशिंग और मिनरल्स एक्सप्लाइट करने की क्षमता है इसलिए कहीं भी जाकर के वे सारे समुद्र का संसाधन कर सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा प्रस्ताव किया कि समुद्री सीमाओं को हम नहीं मानते। लेकिन उस वक्त श्रीमती इन्दिरा गांधी ने थोड़ा टफ स्टैण्ड लिया था और मैं उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस समझौते में करीब 50 समुद्री माइल्स, नाटीकल माइल्स जो होते हैं उसका समझौता हुआ था, कि 50 नाटीकल माइल्स की समुद्री सीमाएं की मन्जूरी हुई थी और इस पर एक समझौता हुआ। इसी से क्लू लेकर के "गैट" यानि जनरल एग्रीमेंट ग्रान ट्रेड एण्ड टैरिफ शुरू हुआ और यहां से उन्होंने इसी समझौते को क्योंकि पहले बाईलेटरल एग्रीमेंट्स करने पड़ते थे। तो बाईलेटरल एग्रीमेंट्स के बजाय उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर के एक एग्रीमेंट करें जिससे कि हमारे व्यापार में सुविधा हो। तो ऐसा एक बहाना लेकर के उन्होंने दुनिया के सारे देश को अपने इकानामिक जाल में फंसाने की कोशिश की और उसके तहत उन्होंने विभिन्न तरह के प्रस्ताव रखे थे। उनसे हमें क्या-क्या हानियां हो सकती हैं, क्या हमारे सामने मुसीबतें आ सकती हैं, उसके बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। उसमें एक तो "डंकल" प्रस्ताव था जिस पर काफी चर्चा हो चुकी है और सदन में कुछ चीजें आयी भी है। उसी से सम्बन्धि एक पेटेण्ट लॉज के मामले में था। जैसा कि, सभापति महोदय, आपने खुद यहां पर सदन में निवेदन किया था कि अभी हमारे जो हिन्दुस्तान में लॉज हैं वे प्रोसेस पेटेंट के लॉज़ हैं जबकि वेस्टर्न कण्ट्रीज में जो लॉज हैं वे प्रोडक्ट पेटेंट के लॉज हैं। इससे वे हमारे ऊपर प्रोडक्ट पेटेंट का लॉज स्थापित करना चाहते हैं या हमारे पर थोपना चाहते हैं पेटेंट लॉज को आधार करवा करके। सुपर 301 की उन्होंने धमकी भी दी है। तो इससे हमें यह नुकसान होने वाला है कि अगर हम प्रोडक्ट पेटेंट को मान लें तो आज अमरीका में कोई दवाई बनती है वह दवा अगर हम यहां बनाना चाहते हैं तो 30 साल तक भी हम उस दवा को नहीं बना पायेंगे। इस तरह से 30 साल तक हमको उन पर निर्भर रहना पड़ेगा उस दवा के लिए और उसके लिए वे जितना पैसा मांगेंगे उतना पैसा हमें उस सरकार को, उस देश को, या उस कम्पनी, या मल्टीनेशनल्स को देना पड़ेगा। जबकि अगर प्रोसेस में पेटेंट उनको मिलता है तो हमारे भारतवर्ष में इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि जो भी प्रोडक्ट नया बना है उसको हम दूसरी विधि से या दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डवलपिंग कण्ट्रीज में है और भारतवर्ष में भी यह बहुत ही विकसित है। इस वजह से जो भी प्रोडक्ट वहां नया बना है उसको हम बहुत ही जल्दी यहां पर दूसरी विधि से बना लेते हैं और दूसरी विधि से बनाकर उस प्रोडक्ट को उन्हीं देशों में या यूरोप के दूसरे देशों में डवलप्ड कन्ट्रीज में बेचते हैं और इस तरह से हम उनको और सस्ते रूप

(60)

(डा. शंकर लाल)

में बना लेते हैं तो उनके काम्पीटिशन में, हम बहुत जल्दी ग्रा जाते हैं। इस तरह फायदा यह हो रहा है कि दवाइयां हमारे यहां सस्ती है फारच्युनेटली। जो दवाई 30 साल पहले 6 रुपये में ग्राती थी उस दवाई की कीमत ग्राज भी 6 रुपये है जो ग्रमरीका में बनी थी। जैसे जेन्टासीड का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि मेरी मदर के लिए जेन्टासीड मेडिसन ग्रांखों के लिए मुझे याद हैं कि 30 साल पहले 6 रुपये में खरीदी थी उसकी कीमत ग्राज भी 6 रुपये ही है। कितने गुणा मुनाफा वह लोग कमाते हैं इस तरह से, मोनोपाली की वजह से, उसका इससे एक ग्रन्दाजा लगाया जा सकता है। इस तरह के कई उदाहरण लिए जा सकते हैं। ग्रगर हम इस पेटेंट लॉज के जाल में फंस गये ग्रौर मान लिया प्रोडक्ट पेटेंट को तो हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी ग्रौर बहुत ज्यादा पैसे देकर हमें दवाइयां ग्रौर दूसरे क्षेत्रों की चीजें उनसे मजबूरन लेते रहना पड़ेगा।

दूसरा "गैट" के ग्रन्दर जो चल रहा है, पिछले कई वर्षों से उन्होंने एक ग्रौर सुझाव गैट के ग्रन्दर रखा है कि जितने भी जेनेटिक मैटीरियल है, जितनी भी विविध क़िस्में हैं संसार की पृथ्वी की, जितनी भी विविध नस्लें है जानवरों की वह सारी कामन हैं उस पर सबका ग्रधिकार है। जैसे यहां की गाय है उस पर ग्रमरीका का भी उतना ही ग्रधिकार होगा जितना कि भारत वर्ष का है। इस तरह का सिद्धांत वह प्रतिपादित कर रहे हैं। ग्रब इससे क्या होगा कि ग्रपने यहां की जो गाय है...

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिए। समय का ध्यान रखिऐ, समय बहुत कम रहा है।

डा. शंकरलाल : एक दो मिनट ग्रौर लेना चाहूंगा। इस तरह की जो यहां कि किस्में हैं, यहां की वैरायटीज हैं उनको वह स्टोर करेंगे ग्रौर जब उनके पास इतना मैटिरियल उपलब्ध हो जाऐगा तब वह उस मैटीरियल को लेकर उसमें कोई मामूली परिवर्तन करेंगे ग्रौर मामूली परिवर्तन करने के बाद में उसे पेटेंट करवायेंगे ग्रौर पेटेंट करवाने के बाद में उस गाय की किस्म का भारतवर्ष में या दुनिया में ग्रौर कहीं भी दूसरे देश उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसमें इतना सिम्पल नहीं है कि दांतुन नहीं कर सकेंगे, यह बातें बहुत सुपरफीशियल हैं। जो हमारा नीम है उसका दांतुन हम कर सकेंगे लेकिन जो नीम वह डवलप करेंगे या जो निबोली वह पैदा करेंगे उस पर हम किसी तरह का कोई ग्रधिकार नहीं रख पायेंगे। इसमें भी हमें क्या नुकसान होने वाला है। देखने में सुपरफीशियली तो ऐसा लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे पास हमारा नीम तो रहेगा लेकिन इससे जो समस्या ग्राने वाली है, हम यह चाहते हैं कि हमारा बेसिक रा-मैटीरियल जो हमने सप्लाई किया उस पर...

(12.53)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, ग्रध्यक्ष, पदासीन)

हमको रायल्टी मिलनी चाहिए, हमारा केस यह बनता है।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रब ग्राप विराजिए। श्री ग्रजय चौटाला बोलेंगे।

डा. शंकरलाल : एक मिनट और।

श्री अध्यक्ष : आप पांच मिनट अधिक बोल चुके हैं। अब नहीं, श्री चौटाला बोलेंगे। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पार्टीज का टाइम सब एग्जास्ट हो चुका है....(व्यवधान).... नहीं, टाइम एग्जास्ट हो चुका है, आपका भी, कांग्रेस का भी विपक्ष के नेता अभी बोलने वाले हैं इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, आपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को टाइम दिया ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप विराजिए। आप बोले नहीं क्या ?

श्री अमराराम : आपने बुलाया ही नहीं तो कैसे बोलता आपकी आज्ञा के बिना।

श्री अध्यक्ष : आपको बुलायेंगे, पांच मिनट आपको दे देंगे। आपका टाइम पांच मिनट का ही है। श्री अजय चौटला।... (व्यवधान)... मैंने पांच मिनट का समय आपको दे दिया है... (व्यवधान)... आप पर करेंगे तो फिर कैलाशजी पर भी करनी पड़ेगी। ये भी बोलने वाले हैं।

एक माननीय सदस्य : दोनों को ही रहने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छी बात है। श्री अजय चौटाला।

श्री अजय (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दशम् राजस्थान विधान में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए कहना चाहता हूं कि मैं राजस्थान प्रदेश के उस जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं जिस जिले को लोग और राजस्थान का सरकारी तंत्र राजस्थान का पेरिस मानते हैं। परन्तु स्थिति इसके एकदम विपरीत है। मैं उस जिले में उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां कि स्थिति एकदम भिन्न है। वह स्थान है नोहर घोरों की धरती चूरू और बीकानेर के समान है। वहां की 65 प्रतिशत आबादी गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन बसर करती है। वहां की सारी की सारी समस्याएं आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, जो देश की आजादी के पूर्व थी। आज भी मेरे क्षेत्र में 48 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की भारी किल्लत है और लोग आज भी 48 गांवों में खारा पानी पीते हैं। 154 में से 100 गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं। इसी तरह से लगभग 100 के करीब ऐसे गांव है जहां बिजली की सुविधा नहीं है और 2–4 गांवों को छोड़ दीजिए अन्यथा लगभग 150 के करीब गांव ऐसे हैं जहां आज भी चिकित्सा की सुविधा नहीं है। जिसे सबसे एडवांस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उसकी स्थिति आज यह बनी हुई है। मेरा आपके माध्यम से सदन के नेता महोदय से नम्र निवेदन है कि वह इस तरफ ध्यान दें और वहां पर उन सारी सुविधाओं को, जो लोगों को देना जरूरी हैं, वह दें ताकि लोग उन सारी सुविधाओं को लेकर बराबरी में आ सकें।

आज भी वहां पर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, भयंकर अकाल की समस्या आगे आने वाली है जिसके बारे में कल भी कई साथियों ने चर्चा की और बड़ी विस्तार से सारी बातें पहले भी सदन में हुई है। कल

(श्री अजय)

मुख्य मंत्रीजी ने बिजली के बारे में जो आश्वासन दिया कि 8 घण्टे बिजली दे करके यहां के किसानों को राहत दी जावेगी। मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बारे में सोचा और यह फैसला लिया। यह बहुत अच्छा फैसला है लेकिन इसे लागू करने में किसी तरह से नरमाई नहीं बरतें ताकि लोगों और किसानों को राहत मिल सके।

आज देश की आजादी के 46 वर्ष के बाद भी जिस तरह की वहां की स्थिति बनी हुई है, लोगों को जीवनोपयोगी चीजें भी नहीं मिल रही हैं। अगर सरकार की तरफ से ऐसे अकाल के समय में दूसरी सुविधाएं नहीं देंगे तो स्थिति बहुत बुरी हो जायेगी। जिस तरह से दूसरे साथियों ने जिक्र किया कि लोग पलायन कर रहे हैं, आज स्थिति गंगानगर जिले में भी इस तरह की बनी हुई है कि वहां पर नोहर और भादरा तहसीलों में करीब 100–150 गांव ऐसे हैं जहां से लोग पलायन कर रहे हैं, साथ लगते हुए प्रान्तों, पंजाब और हरियाणा में जा रहे हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी वहां अकाल राहत कार्य शुरू करे और लोगों को वह सुविधाएं दी जायें जिससे वह लोग वहां पर रह कर जीवन बसर कर सकें, घर में रह कर अपना गुजारा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर हमारे देश में किसी की है तो किसान की है। न तो समय पर बीज मिलता है, न खाद मिलता है। फसल की बुआई से लेकर फसल बाजार में ले जाने तक लगातार उसका शोषण सरकार और सरकारी तंत्र के माध्यम से किया जाता है। इस तरह की स्थिति चारों तरफ से बनी हुई है। किसान पर मार हो रही है, बीज महंगा खरीदना पड़ता है, खाद मंहगी खरीदनी पड़ती है। ऐसे समय में कम से कम 8 घण्टे बिजली का देने जो अनाउंसमेण्ट किया है यह तो पूरी तरह से लागू करें ताकि लोगों को ऐसी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा पानी मिले, ट्यूब वैल्स के माध्यम से। मेरे क्षेत्र में भाखड़ा नहर भी आती है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पानी की कमी तो पीछे भी है, जैसा उन्होंने जिक्र किया है, फिर भी राजस्थान के पूरे हिस्से का पूरा पानी दूसरे प्रदेशों से जोर देकर लें। क्योंकि सारी की सारी भाखड़ा नहर कोटेल आकर के नोहर में समाप्त होती हैं, आगे टीबी में खतम होती हैं। हरियाणा सरकार से और पंजाब सरकार से दबाव डालकर वह पूरा पानी लें।

(13 00)

श्री अध्यक्ष : कुछ मदद आप भी करें।

श्री अजय : मेरी मदद की जब जरुरत होगी, मैं हर तरह की मदद करूंगा पर अब मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि मुख्य मंत्रीजी की मदद कर सकूं। अब तो वे ही दबाव डालकर के इस तरह की कोशिश करेंगे ताकि वहां पर किसानों को राहत मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उस

(श्री अजय)]

हिस्से की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसमें उन्होंने सिद्धमुख और नोहर फीडर का जिक्र किया है और उसमें 135 करोड़ रुपये के आबंटन का जिक्र किया है परन्तु यह जो सिद्धमुख और नोहर फीडर है, मेरे हिसाब से यह मृगतृष्णा ही है क्योंकि जब तक हरियाणा प्रदेश में एस. वाई. एल. नहर का पानी नहीं आ जायेगा तब तक नोहर और सिद्धमुख फीडर में पानी आने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो मुख्य मंत्री महोदय इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें और जो लोगों में भ्रम बना हुआ है कि नोहर और सिद्धमुख फीडर के माध्यम से दो साल में या एक साल में पानी आ जायेगा, इस भ्रम की स्थिति को दूर करें। आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसमें न तो किसानों को भाखड़ा के जरिये और दूसरे किसी सोर्सेज के जरिये पानी मिल रहा है और वह सारी आस सिद्धमुख और नोहर फीडर पर लगाये बैठे हैं। तो मेरा सदन के नेता से निवेदन यह है कि वे इस बारे में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पंचायत के चुनावों की तरफ ले जाना चाहता हूं। पिछले साढ़े तीन साल से राजस्थान प्रदेश में लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं मिला हुआ है। मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने सदन में जिक्र किया है। तो मैं सदन के नेता से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में भी अपने भाषण में स्थिति स्पष्ट करें कि पंचायत चुनाव किस समयावधि में करवायेंगे ताकि लोगों में तरह-तरह की शंकाएं सरकार के प्रति बनी हुई हैं और जो भ्रम की स्थिति लोगों में बनी हुई है, वह दूर हो सके। इसके बारे में भी वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उस दोहे की तरफ ले जाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि सभी लोग निरोग और स्वस्थ रहें, परन्तु यह सिर्फ दोहा लिखने से नहीं हो सकता। आज जिस तरह की स्थिति राजस्थान में है, गरीब की झोंपड़ी तक चिकित्सा पहुंचाने की बात बहुत जरूरी है और यह कैसे पहुंचे, जबकि मेरे क्षेत्र में 154 में से 150 गांव ऐसे हैं जहां पर चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है और अनेकों केस ऐसे हो जाते हैं जहां उनको दूसरे नजदीक के शहरों और कस्बों तक ले जाते हुए लोग रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं तो इस दोहे को चरितार्थ करने के लिए, सरकार ज्यादा से ज्यादा ध्यान देकर इस स्थिति को स्पष्ट करें कि

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बारे कौनसी ऐसी योजनाएं उन्होंने बनायी हैं, कौनसे ऐसे सोर्सेस बनाये हैं जिनके जरिये लोगों को वे चिकित्सा सुविधा पहुंचायेंगे और लोगों को निरोग रख सकेंगे। यह मैं सदन के नेता से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा।

यही कहकर मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा, आपका धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे उचित समय दिया।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने आखिर में पहली बार अवसर दिया है इसके लिए तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महामहिम राज्यपाल द्वारा सरकार की तरफ से अभिभाषण सदन के सामने रखा गया है और उस पर धन्यवाद प्रस्ताव बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखा है। जो अभिभाषण सरकार की ओर से राज्यपाल द्वारा पढ़ा गया है वह वैसा ही है जैसा हमारी सरकार कथनी और करनी में अन्तर रखती है। इस तरह से आज तक जो सरकार बनाने में, हमारे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जहां तक निर्देश की बात की गयी है, सरकार बनाने में हरियाणा के मापदण्डों को हमारी सरकार ने तोड़ दिया है। उनके कीर्तिमान जो हिन्दुस्तान में स्थापित थे, राजस्थान की सरकार बनाने में उन कीर्तिमानों को तोड़ा है। इसके बाद जहां जनादेश और मिनी इलेक्शन की बात की जा रही है, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिन प्रान्तों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 6 दिसम्बर की घटना के बाद जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया और जो ये चुनाव हुए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुमत था वहां स्पष्ट रूप से जनता ने नकार दिया और उनको हरा दिया। चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तीसरा अल्टरनेट चुना जिस तरह उत्तर प्रदेश में है, दोनों शक्तियों को नकार करके जनता ने तीसरे विकल्प को अपना सहयोग दिया है और नेतृत्व दिया है।

जहां तक कहकर बदलने की बात है, अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन के नेता और मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान उस घटना को ओर दिलाना चाहता हूं, 22 अप्रेल, 1987 को सीकर के किसान छात्रावास में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उन मासूम बच्चों पर गोलियां चलायी थीं। कुछ ही दिनों के बाद वहां आज के सदन के नेता पधारे थे, जिन्होंने कहे थे, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं। वहां गये इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन उन्होंने कहा था अगर ऐसी राजस्थान की सरकार मेरे पास होती तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को मैं फांसी पर लटका देता। उन्हीं पुलिस अधिकारियों को इनका राज आने के बाद प्रमोशन दे दिया गया। जिस किसान छात्रावास में गोलीकांड किया गया था, जिसकी न्यायिक जांच की मांग इस सदन में सदन के नेता ने भी उठायी थी, जिस किसान छात्रावास में विद्यार्थी रहने चाहिये, सरकार आने के बाद 6 साल से लगातार इनके पिछले शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में भी और अभी भी, सीकर जिले का किसान विद्यार्थी दर-दर की ठोकरें खाता है और वहां पुलिस बैठा रखी है। लेकिन यहां आप सरकार में आने के बाद जो कह रहे थे उससे बदल जाते है, जिसकी बहुत चिन्ता होती है।

चाहे यह अभिभाषण हो या इससे पहले के अभिभाषण हों, मजदूरों की बात के लिए इसमें एक भी शब्द नहीं लिखा गया है। मिनिमम मजदूरी 1991 में बढ़ायी गयी थी, जब से लेकर आज तक कितनी महंगाई बढ़ गयी है। महंगाई के आंकड़े 800 तक बढ़ चुके हैं। जहां मजदूर और गरीब रोटी के साथ गुड़ खाता था वह 10 से 12 रुपये किलो है। जहां

(श्री अमराराम)

प्याज साथ खाता था, वह 1991 में मैं समझता हूं एक रुपया और 50 पैसे प्रति किलो से ज्यादा नहीं था, आज 12 रुपये किलो बिकता है लेकिन राजस्थान में उन मजदूरों की 22 रुपये मिनिमम मजदूरी रखी हुई है। आज पूरा राजस्थान अकाल में है और वहां मजदूरों को लगाने की बात आयेगी तो अधिकारियों की तरफ से यह निश्चित रूप से आयेगा कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि राजस्थान में मजदूरी आज अमूमन 40 और 50 रुपये है। लेकिन सरकार 22 रुपये तय करना चाहती है जिससे कहीं पर भी मजदूर मिलते नहीं और इसी का कारण है कि राजस्थान के वो मजदूर, जिनको राजस्थान में काम करना चाहिये, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में यहां से माइग्रेशन करके चले जाते हैं और वहां अपनी मजदूरी करते हैं। वहां उनके साथ में, उनकी जिन्दगी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि लाखों-करोड़ों की संख्या में मजदूर राजस्थान के उत्पादन में, चाहे वह इण्डस्ट्रीज हो, चाहे वह किसान की खेती हो उसमें अपना पसीना बहाते हैं, उनकी मजदूरी का तुरन्त निर्धारण करें।

जहां स्वच्छ प्रशासन की बात और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, मैं सीकर जिले के घोद विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं, जहां के लोगों ने मुझे यहां अपनी बात रखने के लिए भेजा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, सीकर के एम. डी. और चेयरमैन ने मिलकर एक करोड़ रुपये का घपला कर लिया जो इस विधान सभा में रखा गया था, उसकी आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन लोगों ने मिलकर करोड़ों रुपये का घपला केन्द्रीय सहकारी बैंक से किया जो जनता का पैसा था उसको चूना लगाया है उसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, मैं समझता हूं, अगर आप सही, स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं तो उसकी कार्यवाही को आगे करके जिन्होंने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है उनको आप सजा दिलाने का काम करेंगे।

जहां तक बेरोजगारों और नौजवानों का सवाल है, अभिभाषण में कहीं एक शब्द नहीं लिखा हुआ है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 1982-83 में राजस्थान में नौकरियों पर पाबन्दी लगायी थी वह बदस्तूर आज भी आपने बरकरार रखी हुई है। आज एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं देने की बात करके, जैसा हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जो कह रहे थे कि हम ऐसी मशीनें ला रहे हैं जिससे आदमी को कम रोजगार मिले और मशीनों को ज्यादा रोजगार मिले राजस्थान में इतनी भयंकर बेरोजगारी है कि उसके लिए मैं समझता हूं सबसे पहला हमारा लक्ष्य यह होना चाहिए कि जो हाथ बेरोजगार हैं उनको काम मिले।

आप शिक्षा की बात कहते हो। मैं कहता हूं पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का संयुक्त शासन था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने शासन चलाया है, उन्होंने निश्चित रूप से फीस बढ़ायी है, उनकी पुस्तकों की कीमतें बढ़ायी हैं, कापियों की कीमत बढ़ायी है और

(66)

(श्री अमराराम)

विद्यार्थियों के प्रवेश लेने के मापदण्ड बदले हैं। मैं मेरे कल्याण कॉलेज की बात करता हूं जहां से मैं पढ़ा हूं, जब मैं पढ़ता था उस समय 4800 विद्यार्थी थे औरइनके शासन में सख्त नियमों की वजह से यह संख्या घटते-घटते आज 2200 रही गयी है। फिर आप कहते हैं कि पढ़े-लिखे लोग हमारे साथ हैं।

अंत में जो प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है उसमें जहां आप राम की बात करते हो और हरिजन की बात की गयी है, हरिजनों का जो विश्वास कांग्रेस ने ठगा है, अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी हमदर्द है तो मैं सदन के नेता से अनुरोध करूंगा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार की तरह राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं इनमें क्यों नहीं हरिजनों को पुजारी नियुक्त करें? अन्यथा यह लगेगा कि कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी भी हरिजनों को छल रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए, श्री रामपाल उपाध्याय।

श्री अमराराम : आखिर में मैं जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करते हुए कहूंगा कि यह राजस्थान की जनता, किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के खिलाफ है।

आपने समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं मैं राष्ट्रीय कवि मैथिलीशरण गुप्त की दो पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा—

"हो रहा है जो जहां जो हो रहा,
यदि वही हमने कहा तो क्या कहा।
किन्तु होना चाहिए क्या, कब, कहां,
व्यक्त करती है कला ही अब यहां।।"

मैं डिंगल के कवि की दो लाइनें और कहूंगा—

"लीक-लीक गाड़ी चले, कह चलहुं कपूत।
बे-लीकन जो चल्यो गयो, सायर, सिंह, सपूत।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण राजस्थान की जनता और राजस्थान के प्रशासन की संवेदशीलता, कल्पनाशीलता, दूरदृष्टि, सुदृढ़ संकल्प का प्रतीक होता है और महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण में अपनी बात कही है, मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी इतने लम्बे अरसे से हैं, इतने अनुभवी हैं, विद्वान हैं, मैं सोचता हूं, वर्तमान परिस्थितियों में हिन्दुस्तान में राजस्थान प्रदेश काफी पिछड़ा हुआ है, उसके कई कारण हो सकते हैं, उसकी भौगोलिक परिस्थिति ही ऐसी है लेकिन ऐसे समय में आपको दो दोहे इसीलिए निवेदन किये माननीय मुख्य मंत्री महोदय, कि कम से कम कोई असाधारण कदम उठाने पड़ेंगे तब जाकर इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास का सुदृढ़ संकल्प पूरा हो सकेगा।

(श्री रामपाल उपाध्याय)

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने पूर्व के राजनीतिक परिदृश्य को पुनः बहाल किया है, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन यह बहाली किस सम्मिश्रण से हुई? अध्यक्ष महोदय, दो तरह के विचार होते हैं। एक तो परिस्थितिजन्य सम्बन्ध और एक भावनात्मक सम्बन्ध। परन्तु इस सदन में राजस्थान की जनता को यह पता है कि वर्तमान सरकार के तमाम जन-प्रतिनिधियों का इसमें सम्बन्ध परिस्थितिजन्य हुआ है या भावनात्मक। यह मैं राजस्थान की जनता और सदन पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने भाषण में यह फरमाया था कि हमने 324 करोड़ रुपया जो 10 हजार तक का ऋण माफ किया था उस योजना में खर्च किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहीं सहकारिता का नाम नहीं है, कहीं शिक्षा का नाम नहीं है और जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कार्यक्रम हैं उनका कहीं नाम नहीं है। 10 हजार का ऋण माफ किया, इसके लिए धन्यवाद। इसका लाभ गरीब लोगों को मिला, बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं को आपरेटिव बैंकों की कमर तोड़ दी और आज के दिन भी 58 करोड़ रुपया राजस्थान के सहकारी बैंकों का राज्य सरकार को देना है, वह अभी भी बकाया है। मेरा अनुरोध है कि आप कृपा करके इस पर विचार करें। मैं मानता हूं 1.4.91 तक तो राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को मिलकर आधा-आधा देना था लेकिन उसके बाद आपने अपनी संवेदनशीलता से इसको आगे बढ़ाया, उसका भी 21 करोड़ रुपया और बढ़ गया। तो मेरा निवेदन है कि 58 करोड़ व 21 करोड़ रुपया आप दें ताकि सहकारिता क्षेत्र, जो जनता जनार्दन व आम आदमी का क्षेत्र है वह ठीक तरह से चल सके।

मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं 1990-91 में 67.50 लाख, 1991-92 में 218.10 लाख, 1992-93 में 86.40 लाख, कुल 372 लाख रुपया गुलाबपुरा को-आपरेटिव मिल को हिस्सा राशि के लिए राज्य विधान सभा में पारित हुआ और बी. एफ. सी. ने पारित किया लेकिन जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसके विपरीत वित्त विभाग ने वह 372 लाख रुपया पी. डी. अकाउण्ट में डाल दिया और जो पैसा उसको आधुनिकीकरण के लिए दिया जाना था वह पी. डी. अकाउण्ट में आज भी पड़ा हुआ है। उसमें 12 लाख रुपया ब्याज का लगाया गया। जब वह सम्पत्ति वह पैसा सम्बन्धित मिल के काम में नहीं आया, उसके आधुनिकीकरण के काम में नहीं आया, न उसका नवीनीकरण हुआ, तो मेरा निवेदन है कि आप कम से कम प्रशासनिक दृष्टि सुदृढ़ करिये और उसमें से एक पैसा वसूल नहीं होना चाहिए।

संवेदनशीलता की बात है। संवेदनशीलता का एक उदाहरण देना पर्याप्त

(श्री रामपाल उपाध्याय)

होगा। 1 नवम्बर, 1993 को हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अकाल राहत कार्य शुरू करने की सहमति दी थी लेकिन उस समय चूंकि चुनाव था और अगर मैं नहीं भूलता हूं, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, माननीय मुख्य मंत्रीजी आपने इस पर एक विरोध प्रकट किया था और चुनाव का समय था, ठीक था लेकिन वह काम नहीं हो सका। मुख्य मन्त्रीजी मेरा आपसे अनुरोध है और जैसा अध्यक्ष महोदय ने बताया 30 जिलों में से 25 जिले भयंकर अकालग्रस्त हैं और भीलवाड़ा सर्वाधिक अभावग्रस्त है पश्चिमी जिलों को छोड़ कर। उसमें सहाड़ा, रायपुर क्षेत्र सर्वाधिक अकालग्रस्त हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि कि करीब साढ़े तीन सौ, पौने चार सौ तलाब....

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : आसीन्द को भी नहीं भूलें।

श्री रामपाल उपाध्याय : मैं तो पूरा जिला बोल रहा हूं, माननीय सदस्य। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि भीलवाड़ा जिले का जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें भीलवाड़ा तहसील, सहाड़ा, रायपुर, माण्डल, आसीन्द, हुडुड़ा और बनेड़ा, यह जो तहसीलें हैं इन तहसीलों में भयावह स्थिति है और बरसात के आधार पर आंकड़े अगर आप देख लें कि सबसे कम बरसात, मैंने एक प्रश्न पूछा था और माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय ने अपने प्रत्युत्तर में जवाब दिया था कि तहसील सहाड़ा सर्वाधिक अभावग्रस्त है, उसमें सबसे कम बरसात हुई है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी संवेदनशीलता को बताते हुए जो एक नवम्बर से शुरू होने वाले काम थे, आपने अब तक शुरू नहीं किये कृपा करके आज ही काम शुरू करवाने के लिए घोषणा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत कुछ कहना था, फिर भी इस तंगी के समय में भी आपने मुझे समय देकर उपकृत किया है, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कैलाशजी मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (शाहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बनीपार्क से आने वाले माननीय विधायक द्वारा प्रस्तुत और उदयपुर से आने वाले माननीय विधायक द्वारा समर्थित धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही है। अध्यक्ष महोदय, उम्मीद तो यह की जाती थी कि चालीस साल तक शासन करने वाले अनुभवी लोग क्षुद्र राजनीति से ऊपर उठ कर कुछ तथ्य स्वीकार करते और यह इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कल चौमूं से आने वाले माननीय विधायक जब यहां अपना भाषण दे रहे थे, उन्होंने राजस्थान के बारे में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे और राजस्थान उन आंकड़ों में आज देश के अन्य राज्यों से विकास की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, चिकित्सा की दृष्टि से बहुत नीचे खड़ा है। मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि राजस्थान का यह गौरवशाली इतिहास, प्राकृतिक सम्पदाओं से भरपूर उस राजस्थान को आज हमें सबसे नीचे देखना पड़ता है तो उसका उत्तरदायित्व आज हम किसको दें? यह मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। विपक्ष के जो चालीस

(श्री कैलाश मेघवाल)

साल के सदस्य हैं, सत्ता करने वाले अनुभवी सदस्य हैं। मैं एक आंकड़ा रखना चाहता हूं 1991–92 में आंकड़े प्रकाशित हुए हैं महिला शिक्षा में कितने प्रवेश कहां हुए, देश के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं। हमारे पच्चीस राज्य और सात केन्द्र शासित प्रदेश हैं, कुल मिलाकर बत्तीस होते हैं, अध्यक्षजी, और उन बत्तीस में राजस्थान बत्तीसवें स्थान पर है महिला शिक्षा के मामले में। आज महिला शिक्षा की बहुत बातें करते हैं लेकिन महिला शिक्षा के मामले में राजस्थान बत्तीसवें स्थान पर है। प्राइमरी स्कूल में जो महिलाओं का हुआ था राजस्थान में, वह 32.73 प्रतिशत हुआ था टोटल एनरोलमेंट के खिलाफ। मीडिल लेवल पर 24.38 प्रतिशत हुआ था टोटल एनरोलमेंट के विरुद्ध और हायर एवं टेक्नीकल एजूकेशन में 25.18 प्रतिशत। अब यह प्रतिशत राजस्थान में सबसे नीचे है, बत्तीसवें स्थान पर। सबसे ऊपर केरल है, उसके बाद मेघालय है। केरल का 48.66 प्रतिशत है। और मेघालय का 48.46 प्रतिशत है यह आंकड़ें मैंने आपके सामने इसलिए रखें हैं कि अगर इस तरह आंकड़ें हम देखें तो राजस्थान आज पीछे है और इसके लिए मैं आरोपित करना चाहता हूं कि जो सत्ताधारी कांग्रेस थी, राजस्थान में जिसने चालीस साल तक शासन चलाया, वह राजस्थान की विशेष परिस्थितियों के अनुसार केन्द्र से विकास के लिए मदद लेने में असमर्थ रही और केन्द्र से केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को यहां लाने में असमर्थ रही। स्वर्गीय मोहनलालजी सुखाड़िया के मुख्यमंत्रित्वकाल को छोड़कर उसके बाद राजस्थान के जितने मुख्य मंत्री बने हैं, वह + + + मुख्य मंत्री थे।

आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह सौभाग्य है कि भैरोंसिंहजी राजस्थान के मुख्य मंत्री बने हैं तो हमारे कुछ मित्रों ने समर्थन दिया। अगर हरियाणा के कुख्यात लोग, जो यहां पर विधायकों की खरीद-फरोख्त में सक्षम थे, वे यह सरकार बना देते तो आज रावी-व्यास का पानी शायद हमको नहीं मिलता क्योंकि रावी-व्यास का जो विवाद चल रहा है, राज्यपाल महामहिम चेन्नारेड्डीजी ने भी केन्द्र सरकार से कहा था कि मैं जो राजस्थान के हितों के प्रतिकूल शर्तें हैं उन पर दस्तखत नहीं करता और मैं वर्तमान राज्यपाल को भी इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं सब आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने भी केन्द्र सरकार से कहा कि मैं इस समझौते पर दस्तखत नहीं करूंगा, जो हरियाणा करवाना चाहता था। और हरियाणा के समर्थन से यहां अगर कोई बैठ जाता तो 1984 की मुझे याद आती है जब शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री थे और वह राजस्थान में रावी-व्यास का जो पानी हमारा है, वह हिस्सा तत्कालीन प्रधान मंत्री के दबाव में पंजाब के खाते में डाल आये थे। अगर आज ऐसा मुख्य मंत्री यहां बिराजमान हो जाता तो कोई शंका नहीं थी कि अपनी कुर्सी दिलाने वाले को उपकृत करने के लिए जमुना वाटर के प्रतिकूल, राजस्थान के हितों के प्रतिकूल जो शर्तें हैं

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(७०)

(श्री कैलाश मेघवाल)

उस समझौते पर वह अवश्य दस्तखत कर देता और इसलिए मैं यह आज सौभाग्य की बात है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत बने हैं जो दिल्ली से नहीं दबते।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (सरदारशहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बोले रहे हैं, यह सीधा आक्षेप लगा रहे हैं। हम लोग जो इधर बैठे हैं वह जनता के प्रतिनिधि हैं, उस जनता का वोट लेकर आये हैं जिसके हितों की रक्षा हमें यहां बैठकर करनी है। हम किसी के माध्यम से यहां नहीं आये, जनता के माध्यम से आये हैं, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ता, हम करते, गलत बात को नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : नहीं, यह सरकार की बात कह रहे हैं, आपकी नहीं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, सीमित समय में....

श्री नरेन्द्र बुडानिया : हरियाणा के लोगों का जो जिक्र कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह कहते हैं–सरकार में यदि आप उनकी मदद से बैठते, यह कह रहे हैं। आप यहां आये, इसके लिए नहीं....

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : कुख्यात वगैरह शब्द काम में लेते हैं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अब सुनिये आप। देखिये....

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय विधायक, आज तो विपक्ष के नेता बोलने वाले हैं....

श्री अध्यक्ष: यहां मुण्डे-मुण्डे मतर्मिन्ना। भिन्न-भिन्न लोग हैं, अपने-अपने हिसाब से बोलेंगे, सब को शांति से सुनने का धैर्य हम में होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष): यह बात ठीक है, अध्यक्ष महोदय। यह बात शेक्सपियर ने भी कही थी कि दुनियां का सबसे गरीब आदमी वह है जिसमें थोड़ा-बहुत भी धैर्य नहीं है। मारवाड़ी में एक कहावत है कि बात पुरानी वो करें जिनने घर घाटो। यह पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं, आप आगे राजस्थान में क्या करना चाहते हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय का हृदय से सम्मान करता हूं लेकिन अगर पुरानी बात नहीं कहूंगा तो तथ्य कैसे सामने आयेंगे। अब एक तथ्य रखना चाहता हूं आपके सामने, अध्यक्ष महोदय। पांचवीं पंचवर्षीय योजना कांग्रेस सरकार ने स्वीकरायी और वह योजनाकाल था 1974 से 1979 तक। वह पांचवीं पंचवर्षीय योजना 847.16 करोड़ की थी। अब उसके बाद राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत बने। उन्होंने राज्य की आर्थिक व्यवस्था ठीक की और छठीं पंचवर्षीय योजना उस समय उन्होंने बढ़वा कर 2025

(श्री कैलाश मेघवाल)

करोड़ की स्वीकार करायी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में, केन्द्र में जो राज है उस राज से लड़ने वाला, उस राज को दबाकर के, आंख दिखा करके, उसके सामने तर्क रख कर, इधर से जिस तरह के +++ मुख्य मंत्री बने थे वह पैसा नहीं ला सकते। यह छठी पंचवर्षीय योजना का मैंने आपके सामने आंकड़ा दिया है और लेटेस्ट सातवीं पंचवर्षीय योजना तीन हजार करोड़ की थी, फिर माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने जो आठवीं पंचवर्षीय योजना स्वीकार करायी वह साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की करायी। अब यह आंकड़े आपको याद नहीं दिलाऊं तो क्या करूं? क्योंकि आज हम दुखी हैं इस बात से कि राजस्थान हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

यहां पर शिड्यूल्ड कास्ट की बहुत बातें की गयी। अब मैं शिड्यूल्ड कास्ट के बारे में कहना चाहता हूं। पैंतालीस साल के बाद आज शिड्यूल्ड कास्ट किस स्थिति में है? शिड्यूल्ड कास्ट में लिटरेसी पर्सेन्टेज, मेरे पास 81 के आंकड़े हैं। 1981 की जनगणना, क्योंकि विपक्ष के नेता बहुत अध्ययनशील हैं और शायद मेरे आंकड़ों को चुनौती दे दें लेकिन जनरल पर्सेन्टेज 24 था 81 में, आज हमारा 38 बना है। उसी तरह शिड्यूल्ड कास्ट का 81 के आंकड़ों में पर्सेन्टेज 14 प्रतिशत था और महिलाओं का प्रतिशत पौने तीन था। उसमें उसी अनुपात से आप बढ़ोतरी कर दीजिये तो 14 का आप 20 प्रतिशत ले जाइये। पैंतालीस साल के बाद शिड्यूल्ड कास्ट के तीस प्रतिशत आदमी साक्षर हैं। अब यह हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के लिए दोनों तरफ से जो सहानुभूति व्यक्त की जाती है, कई तरह की बातें की जाती हैं, उनको मैं रखना चाहता हूं। आखिर शिड्यूल्ड कास्ट स्वाभिमान से इस देश में कब जीयेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल जब यहां पर आया था, माननीय मुख्यमन्त्रीजी ने भी एक बात कही कि यह तो योग्यता का सवाल है। मैं उस विषय में योग्यता की तरफ नहीं जाना चाहता लेकिन देश में 512 हाईकोर्ट जजेज हैं और 512 हाईकोर्ट जजेज में कुल 19 जज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं। योग्यता नहीं है, मैं इस तर्क को भी मान लेता हूं और उधर के सदस्य भी यही कहेंगे, यहां के सदस्य भी यही कह बैठे हैं, मैं आपके तर्क को मान लेता हूं कि पैंतालीस साल के बाद हाई कोर्ट की सीट पर जाने वाला हम शिड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति नहीं पैदा कर पाये, यह किसकी गलती है? यह कहां पूछें?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप चले जाओ ना।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं तो यहां पर बैठा रहूंगा और आपका मुकाबला करता रहूंगा। आप लोगों ने शिड्यूल्ड कास्ट के 45 साल तक वोट लिये हैं। उसके वोट बैंक को बनाये रखा है। यह भी एक तर्क आज यहां दिया जाता है कि हम 24 जीतकर आ गये हैं इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट इधर आ गया। शिड्यूल्ड कास्ट को आपने

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(72)

(श्री कैलाश मेघवाल)

+++कर रखा है, पिछड़ा हुआ रखा है, अशिक्षित रखा है, गरीब रखा है और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी उसको आप कब्जे में लेकर बैठे हो। मैं कहता हूं भगवान के लिए शिड्यूल्ड कास्ट को आप छोड़ दो। मुसलमान तो अपने आप निकलते जा रहे हैं। उनको छोड़ दो आप।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने कितने शिड्यूल्ड कास्ट के भेजे हैं, नम्बर बताइये ?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय मुख्य-मन्त्रीजी को आरोपित करना चाहते हो····

डा. हरिसिंह : आप बताइये 1977 से 1980 में कितने भेजे हैं और पिछले विधान सभा सत्र में कितने भेजे हैं ?

श्री कैलाश मेघवाल : राजस्थान में सबसे पहले शिड्यूल्ड कास्ट का लगा है। माननीय भैंरोसिंह जी शेखावत की सिफारिश पर लगा है। आज 512 में तो 19 शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह बात हम बरदाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत आंकड़े दिये जा रहे हैं। माननीय भैंरोसिंहजी ने आपका उद्धार किया है। कांग्रेस ने चालीस साल में कुछ नहीं किया। आज उन बैंचों पर देख लो, आज हाउस में देख लो, यह कांग्रेस और महात्मा गांधी का प्रताप है कि आप आज बोलने की और हमको डांटी देने की स्थिति में आये हो।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कैलाश जी मेघवाल से पूछना चाहता हूं कि····

श्री अध्यक्ष : आप सारे ही पूछने लगेंगे तो वह भाषण समाप्त ही नहीं होगा।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, यह जिस पार्टी में बैठे हैं और उस पार्टी की हैसियत से हमारे यहां आये थे तो इनको खाना खाने के लिए वहां सवर्ण जाति में नहीं ले गये थे, यह बता दो।

श्री अध्यक्ष : दे देंगे इनका जवाब।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने कहा ना कि जो राजनीतिक स्वार्थ और राजनीतिक सोच हमारा बन गया है और जो जातिगत दुराग्रह और जातिगत पूर्वाग्रह हमारे बन गये हैं उनसे ऊपर हम उठ नहीं पा रहे हैं। मैं यह सोचता था शिड्यूल्ड कास्ट की भलाई के लिए क्या कार्य किए गये····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

बहुत कम समय दिया।

श्री अध्यक्ष : टाइम शोर्ट है और वह सबके लिए समान है।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(73)

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आंकड़े रखना चाहता था। यहां कई बार, पिछली बार भी विधान सभा में बैकलाग भरा जाये, हमारे सारे शिड्यूल्ड कास्ट के इस पक्ष में बैठने वाले विधायक इस बात पर एकमत होते थे कि बैकलाग भरा जाये। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि वह बैकलाग किस शासन का था ? यह कांग्रेस शासन का था जिसने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो भी खाली सीटें थीं उनके विरूद्ध दूसरों को अपने भाई भतीजों को किसी कारण से नौकरियां देकर के शिड्यूल्ड कास्ट को नौकरियों पर जाने से वंचित रखा। वह बैकलाग भरने की जिम्मेदारी इस सरकार की है।

मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमन्त्री, भैरोंसिंह शेखावत साहब को जिन्होंने उस बैकलाग को भरने की प्राथमिकता का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। यह शिड्यूल्ड कास्ट के ऊपर राजस्थान में सबसे बड़ा उपकार होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को बहुत छोटा करता हूं और एक ही आंकड़ा देना चाहता हूं। क्योंकि चुनावी वर्ष था, लम्बे चौड़े मेरे पास आंकड़े थे, क्या सोच है केन्द्र सरकार का ? राष्ट्रपति शासन की बात राजस्थान में कही है, यह उत्तेजना में आ जाते हैं। उस एक साल में, मैं एक बात कहना चाहता हूं स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम राजस्थान में आया और अध्यक्ष महोदय, चुनावी वर्ष की दृष्टि से वह प्रोग्राम लाया गया। एक था मेन्टीनेंस असिस्टेंस इन रूरल एरियाज, दूसरा था कन्स्ट्रक्शन आफ स्कूल बिल्डिंग्स, तीसरा था एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम और चौथा था वेलफेयर आफ शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब। कार्यक्रम कल्याणकारी राज्य के कल्याण की दिशा में अच्छे है, यह लागू भी इस एक साल में हो जाते, मैं यह कहता हूं कि यह कार्यक्रम पूरी तरह लागू हो जाते तो हम यहां बोलने की स्थिति में नहीं रहते और यह जो उत्तेजना में आते हैं, क्योंकि मांगा कितना रुपया था, 158.64 करोड़ रुपया मांगा गया था, माननीय विपक्ष के नेता महोदय, आप इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए, मेन्टीनेंस असिस्टेंस इन रूरल एरियाज के लिए स्वीकृत हुआ था, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का स्पेशल असिस्टेंस मंजूर हुआ था 7 करोड़ 36 लाख रुपया और मुझे अफसोस है कि इन रूरल एरियाज के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दगा किया राष्ट्रपति शासन में। खर्च कितना हुआ ? 67 लाख। यह शर्म की बात है कि नहीं ? दूसरा आइटम था कन्स्ट्रक्शन आफ स्कूल बिल्डिंग्स। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि राजस्थान में शिक्षा का आधारभूत ढांचा ही तैयार नहीं हुआ लेकिन आधारभूत ढांचा तैयार नहीं होने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने बीस करोड़ रुपया मंजूर किया था कि स्कूल बिल्डिंग्स बनाओ। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, इसमें 4 करोड़, 85 लाख रुपये ही मात्र खर्च हो पाये हैं।

डा. हरि सिंह : ज्यादा गुणगान काहे को करवा रहे हो। मान लो ना इनकी बात।

(74)

श्री कैलाश मेघवाल : वह आप अलग से ही सिफारिश कर देना। मैं आपकी बात समझ गया। वह संकेत आप देते रहेंगे और मैं इसका स्वागत करता रहूंगा। मुख्य-मन्त्री जी कभी तो प्रभावित होंगे ही।

अध्यक्ष महोदय, दो आंकड़े और दे रहा हूं। एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम में 27 करोड़ 3 लाख रुपया मंजूर हुआ था। आज पानी की सारे राजस्थान में मांग है, उस पक्ष की भी और इस पक्ष की भी कि पानी चाहिए, पानी चाहिए। राष्ट्रपति शासन में 27 करोड़ में से मात्र 9 करोड़ 24 लाख रुपया खर्च हुआ और बाकी का 18 करोड़ और खर्च हो जाता तो उस चुभन में कमी आती जो आज राजस्थान में है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अमाउण्ट सैंक्शन 10 करोड़ 49 लाख रुपया और माननीय विपक्ष के नेता और कांग्रेसी मित्र हमारे माननीय विधायक सुन लें, खर्च हुआ जीरो। आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की भलाई की बात करने वाले, मैं पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके लिए छोड़ रखा है, अब आप खर्च करो।

श्री कैलाश मेघवाल : अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जो योजना का खर्चा है उस योजना का राष्ट्रपति शासन में राजस्थान में 51 प्रतिशत खर्च हुआ है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शेरगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने एक ही सही बात कही है कि वह बचा हुआ पैसा हमको अपने प्रगति के कार्यक्रम पर, अपनी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त करके, वह जो 49 पर्सेन्ट पैसा योजना का पड़ा हुआ है, मुख्य-मन्त्रीजी 31 मार्च तक इसका उपयोग करके राजस्थान की जनता के लिए नये ढंग से भलाई के कार्यक्रम कीजिए।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। अन्तिम वक्ता श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : धीमी गति से मत बोलना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : धीमी गति से ही चलेगी यह सरकार। घनश्याम जी, कहना मानोगे तो आप सुख पाओगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मान लिया और सुख पा रहा हूं मैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मान लिया ना, ठीक है।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण हमने सुना और उनसे जो भी चीजें आपने पढ़वायी हैं और जो-जो भी बिन्दु यहां उठे हैं, जनता का वर्डिक्ट, प्लान का कम्पोजीशन, बिजली और अनेकों बिन्दु हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 साल में मुझे मुख्यमन्त्रीजी को इधर से सुनने का 'सौभाग्य मिला' और यह पहली बार उधर से सुनने का मौका मिला है। कुछ कृपा इनकी मेरे पर आज से ढ़ाई-तीन वर्ष पहले हुई थी

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

जब 79 वोटों से मैं पीछे रहा। उसमें भी काफी षड्यंत्र इत्यादि थे। लेकिन जनता ने वापस जिताकर भेजा। भ्रष्टाचार के लिए, मैंने माननीय कैलाश जी को अर्ज किया था कि भाई, अफसरों को तो बचा लेना आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आज से ही मुहिम शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार कम करने के लिए मुख्य मन्त्रीजी जो भी सहयोग चाहेंगे, मैं दूंगा। लेकिन मुख्य मंत्रीजी भी सचेत रहें कि उनको भी भ्रष्टाचार खतम करने के लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे, केवल भाषणों से ही काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज राजस्थान को किस तरफ ले जा रहे हैं, किस दिशा में ले जा रहे हैं। सन् 1947 में अपने को आजादी मिली। जापान लड़ाई में सरेण्डर होकर बिल्कुल जीरो से शुरू हुआ और आज 1994 में जापान कहां है और राजस्थान कहां है, यह मुझे यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, आप जानते हैं और मैं जानता हूं। यह नहीं है कि हमने गलती नहीं की, बहुत गलतियां की, और उसी का भोग है कि हम इस तरह बैठे हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1947 के बाद सबसे बड़ा लाभ जो गांधीजी ने, नेहरूजी ने और पटेल साहब ने हमको दिया था वह था सामंतवाद का अन्त, राजा महाराजाओं और बड़े-बड़े जागीरदारों का अन्त। उसी के कारण माननीय मुख्य मंत्री जी, गुलाब सिंहजी या अनेकों सदस्य आज यहां आ पाये। बड़ा आतंक था उनका, यही कारण है कि आज 1994 में मुझ जैसे नाचीज को मौका मिल रहा है। (व्यवधान) .... कोई शक हो तो पूछ लीजिये मुख्य मंत्रीजी को। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ साथ प्रगति हुई है लेकिन, जिस मात्रा में होनी चाहिये, नहीं हुई है। इसके साथ-साथ एक नया सामंतवाद खड़ा हुआ और वह सामंतवाद, मैं मेरे मित्रों से, जो यहां बिराजमान हैं, माफी चाहूंगा लेकिन सत्य है, आप उसको अदरवाइज ना लें, सुखाड़िया-शेखावत का सामंतवाद शुरू हुआ। जो उद्धार होना चाहिये था इस स्टेट का, अध्यक्ष महोदय, इन दोनों ने मिल कर, उधर बैठ कर और इधर बैठकर क्या पतन किया है राजस्थान का, मैं आपको बता नहीं सकता। यह तो जो ट्राइबल्स पधारे हैं ना, मेघवाल साहब ट्राइबल्स की वकालत कर रहे थे, उनको पूछिये कि उनका क्या हुआ है? जो अनुसूचित जाति और जन जाति के लोग हैं, खास करके पहाड़ों में बिराजमान हैं उदयपुर डिवीजन में उनसे पूछिये कि उनके कल्चर को क्या हुआ, उनकी संस्कृति को क्या हुआ। उनका कल्चर वनों पर बेस था। वन नष्ट कर दिये हैं इन्होंने, ब्यूरोक्रेसी भी इसमें लिप्त है आज हजारों-करोडों रुपये के बजट की बातें हो रही है, प्लान की बातें हो रही है। अध्यक्ष महोदय, कभी तीन हजार के आंकड़े आते हैं, कभी ग्यारह हजार के आंकड़े आते हैं। मुझे याद है जब माथुर साहब मुख्य मंत्री थे, तथा शेखावत साहब विपक्ष के नेता। वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने यहां से माथुर साहब को कहा कि, माथुर साहब, आपको जो मैं सुझाव देता हूं उनको आप लागू कर दो तो आपको सेन्टर से भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्टेट से इतना

(श्री नरेन्द्र सिंह भाटी)

प्रोवाइड कर लोगे। 10–15 करोड़ रुपया आपको उपलब्ध हो जायेगा। दो बार मुख्य मंत्री बन गये। मुख्य मंत्री जी यहां बात करते हैं, मुख्य मंत्रीजी के जितने भी सहयोगी हैं जो तोते जैसे भाषण देकर मुख्य मंत्रीजी की वाह-वाही करते आये हैं पिछले चार दिन से, अध्यक्ष महोदय, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप बाहर पधारते हैं तब तो कहते हैं कि राजस्थान एक पूअर प्रदेश है बड़ा गरीब प्रदेश है, आप हमें सहायता दीजिये और यहां पधारकर कहते हो कि हमने यह कर लिया, वह कर लिया इस भाषण में जितनी उपलब्धियां हैं, मैं सोचता हूं गौण हैं, मुख्य मन्त्रीजी, आपको नये रूप से सोचना पड़ेगा।

इन्दिरा गांधी कैनाल पर मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, खास कर देवीसिंहजी भाटी यहां विराजमान नहीं हैं। मैं मुख्य मंत्रीजी आपको कहना चाहता हूं कि आपने और मेरी तरफ से कुछ लोगों ने जो इन्दिरा गांधी कैनाल का 1985 में परिवर्तित, संशोधित कैबिनेट निर्णय लिया था जिसकी आपने इतनी खिलाफत की उससे ज्यादा आप पश्चिमी राजस्थान का विरोध नहीं कर सकते। आपने बहुत ही अन्याय किया है वहां की जनता के साथ। आपको सुचारु रूप से विकास के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप अरबों रुपया खर्च कर चुके हैं वहां पर जहां-जहां पानी ले जा रहे हैं। आप दो चीजें एक साथ कर रहे हो। एक तो वहां जो आपके पास घास उपलब्ध है, जो आपका ट्रैजर है उसको तो आप नष्ट कर रहे हैं और इन्टेन्सिव इरिगेशन पहुंचा रहे हैं। हार्ड पैन है नीचे। गंगानगर में आप फर्स्ट स्टेज पर पधार जाइये सेलीनेशन और साल्ट्स ऊपर आ रहा है। यह हालत हमारे उधर भी होने वाली है। मुख्य मंत्री जी आप नाचना पधार जाइये, वहां जितना पानी है उसमें से करीब 33 प्रतिशत एरिया में सेलीनेशन की प्राब्लम शुरू हो गयी। सैकण्ड स्टेज पर पैसा आप उधार ले रहे हो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत या सेन्टर से आप बराबर मांगते हो। अध्यक्ष महोदय, भले ही पश्चिमी राजस्थान की जनता मेरे से नाराज हो जाये, मैं तो चाहूंगा कि जितनी कम गति से इन्दिरा गांधी कैनाल पर काम हो अभी के रूप में उतना ही इस स्टेट को फायदा है। लेकिन आई. जी. एन. पी. पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय आयेगा बजट के टाइम....(व्यवधान) वह तो आगे आने वाला समय बतायेगा कि तैयारी है या नहीं है। मुख्य मंत्रीजी ने एक तो मेरे लिये बहुत फायदा कर दिया। अध्यक्ष महोदय, एक तो इन्होंने मेरा निमन्त्रण स्वीकार कर लिया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ यह ओसियां से कैम्पेन शुरु करेंगे उसके बाद एक हमारे नेता महोदय ने कहा था कि उदाहरण है, सुखाड़िया साहब ने उनको निमन्त्रण दिया था उसका कोई आब्जेक्शन था। वह बात तो बाद में करेंगे।

अध्यक्ष महोदय चूंकि समय कम है। गैट और डकल पर जबरदस्त बात हुई है, इसके लिये मुझे दो मिनट और चाहिये। सबसे बड़ी आश्चर्य....

श्री अध्यक्ष : दो मिनट का दो मिनट ही है ना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, भारतीय दो मिनट है।

श्री अध्यक्ष : वरना दो मिनट से लेकर युगों तक चलता है दो मिनट।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : राजस्थानी होने के नाते मैं कभी-कभी वैदिक समय का इतिहास पढ़ता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं कहां आ गया हूं, मैं हूं कहां। लोग उस समय आज से ज्यादा सुखी थे। गैट पर, अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है करीब-करीब 70 प्रतिशत वक्ता उस तरफ से बोले, "डंकल" पर बोले, मैं तो अध्यक्ष महोदय, चैलेन्ज करता हूं उनको कि शायद इनको "डंकल" की स्पेलिंग भी पता नहीं है। अब इतना जबरदस्त कन्फ्यूजन है। गैट पर कहते जा रहे हैं, मुख्य मंत्री बहुत अच्छा कर रहे हैं। गैट के बारे में जो विचारधारा है, आपकी खुद की नीति में कन्क्लूजन है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पढ़े लिखे तो आप ही हैं इस सदन में।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जसवंतसिंहजी हैं या मैं हूं। उनसे पूछ लो। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी फरमाते हैं— The World Bank and I. M. F. are responsible for India signing the Dunkel draft.

एक आपके अनअनाउन्स सदस्य बड़े नेता कहते हैं कि हमारी पार्टी में भी जबर-दस्त कन्फ्यूजन है। वाजपेयी कहते हैं, अध्यक्ष महोदय, कि गैट का जो निर्णय हुआ है वह अपने हित में नहीं है। उस तरह आपके प्रमोद महाजनजी, वीरेन्द्र शाह साहब फरमाते हैं कि गैट...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष : वाजपेयीजी का नहीं कह रहे हैं, वाजपेयी जी ने तो आलोचना की, कह रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : उसका अर्थ यह है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : माननीय सदस्य, आप भले ही आई. ए. एस. में रह चुके होंगे अंग्रेजी मुझे भी पढ़नी आती है।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं तो निवेदन कर रहा हूं, उसका अर्थ यह भी है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं जो अर्ज कर रहा हूं वह कुछ तथ्यों पर कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह जितने भी गैट और डंकल के लिए प्रस्ताव हैं, मैं सोचता हूं कि यह बिलकुल अपने हित में हैं। इसमें कहते हैं कि कृषि सब्सिडीज पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, सब्सिडीज पर अगर आप पधारें तो एक्ट यह कहता है कि 20 पर्सेण्ट से ऊपर टोटल वेल्यू एग्रीकल्चर आउट पुट का हो, अपना पांच पर्सेण्ट से ज्यादा नहीं होता है और ऐसे काफी उदाहरण हैं। यह जो कन्फ्यूजन हुआ है इसके लिए गवर्नर साहब का अभिभाषण, जो आपने पढ़कर सुनवाया, मुख्य मंत्रीजी, मैं उसका भी विरोध करता हूं और एक बार और आपको सचेत करता हूं कि मेहरबानी करके भ्रष्टा-चार इस प्रदेश में खतम करें, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय परसरामजी।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा और जिसका समर्थन उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, तीन दिन से इस सदन में इस पर चर्चा और बहस हो रही है।

राज्यपाल ने अभिभाषण में इस बात का संकेत दिया है, अब यह इनोगरल एड्रेस था दसवीं विधान सभा का और राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत यहां अभिभाषण देना था इसलिए दिया लेकिन राज्य सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में इसमें उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय पृष्ठ 15 पर इस बात का उल्लेख भी करते हैं कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में नीतियों एवं कार्यक्रमों की व्यापक घोषणाएं मर्यादाओं एवं परम्पराओं के अनुरूप बजट

(13.52 बजे)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

अधिवेशन में की जायेंगी। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो बजट त्र में होने वाला है, वह भी एक संविधान में अपरिहार्यता है और साथ ही पेज दो पर इस बात का भी उल्लेख है कि विभिन्न समस्याओं के समाधान के मार्ग निकालें जायेंगे तथा नयी नीतियां और कार्यक्रम बनाकर जनता के हित में उनको लागू किया जायेगा। वर्तमान सरकार को विश्वास प्राप्त करना था इसलिए नीतियों के सम्बन्ध में विचार-विमर्श चल रहा होगा और नये कार्यक्रम की रूपरेखा भी बजट भाषण में आयेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसा मानता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण वर्तमान सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में कोई भी संकेत नहीं देता और इसलिए यहां पर कई प्रकार की चर्चायें उठीं। यहां पर इस बात की भी चर्चा उठी सरकारिया आयोग को लेकर कि राज्यों और केन्द्र सरकार के बीच में क्या सम्बन्ध रहने चाहिए, रिसोर्सेज का डिवोल्यूशन किस प्रकार से होना चाहिए। राज्य की आमदनी के जो स्रोत हैं, जिस प्रकार से राज्य की आटोनोमी पर शनैः शनैः केन्द्र सरकार अतिक्रमण कर रही है; उसका परिणाम यह हो रहा है कि राज्य सरकारें तमाम विकास की योजनाओं को और जन आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज एडीशनल एक्साइज ड्यूटी पर सरचार्ज, कारपोरेट टैक्स और अन्य कई बातों को माननीय सदस्य, जो प्रस्तावक हैं, उठाया और इस बात का भी उल्लेख किया कि नेशनल डवलपमेण्ट कौंसिल में और अन्य मंचों पर मुख्य मंत्रीजी भी इनको उठाते रहे हैं। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि जिस वक्त 4 राज्यों में आपकी सरकार थी, चारों ही मुख्य मंत्रियों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया था और उसमें शायद इन सभी बिंदुओं का उल्लेख होगा लेकिन, सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में चर्चा करना ऐसा मानता हूं कि सदन का समय व्यर्थ जाया करना होगा इसलिए मैं उन सब मुद्दों पर आता हूं जो माननीय सदस्य, प्रस्तावक और समर्थक महोदय ने और अन्य माननीय सदस्यों ने इस सदन में उठाये हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

यहां पर बहुत जोर-शोर से यह बात कही गयी, पहले तो मैं मुख्य मंत्रीजी से यह माफी मांगता हूं, मैंने कोई ऐसी बात कही हो उस दिन जो प्रजातंत्र की उच्च मर्यादाओं के प्रतिकूल थीं जिसमें मैंने सरकार बनाने के मामले में कोई बात कह दी थी। मेरा उसका मतलब यह नहीं था क्योंकि अभी जनादेश के सम्बन्ध में जब मैं बोल रहा था उस वक्त यह बात कही थी। और जनादेश आपको कैसा मिला? सभापति महोदय, मोटे तौर पर यह अभी जो 6 राज्यों में चुनाव हुए और जो नतीजे चुनाव के राष्ट्र के सामने आये हैं उन नतीजों के ऊपर अभी तक कई प्रकार की बहस जारी है और तक उन पर विश्लेषण और निष्कर्ष अलग-अलग पत्र और पत्रिका अलग-अलग तरह से दे रहे हैं और क्योंकि चुनाव के नतीजों पर बहस जारी है लेकिन, यह बात निश्चित है कि मोटे तौर पर यह कहा गया कि हिन्दुस्तान की 30 फीसदी आबादी ने वोट डाले, यह मिनी चुनाव थे और 10 करोड़ लोगों ने अपने मत के अधिकार का प्रयोग किया और जो फैसला दिया है वह देश की जनता के सामने हैं। मोटे तौर पर अगर आप राजनीतिक परिदृश्य का एक निष्कर्ष निकालते हैं तो एक स्पष्ट निष्कर्ष है और वह यह है एक बिन्दु पर कि जब भारतीय जनता पार्टी की चार राज्यों में सरकार थी उन चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी है। मुख्य मंत्रीजी, यहां पर बी. जे. पी. मेजोरिटी पार्टी है, राजस्थान में सरकार बनाने में सफल रही है, मोटा निष्कर्ष यह है। यहां एक करोड़ वोट, दो करोड़ वोट की बात की, मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता कि जहां एक करोड़ वोट की आप यहां बात कर रहे हैं, 36.2 पर्सेण्ट और 35.2 पर्सेण्ट की बात पर जो चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमको एक करोड़ वोट जनता से ज्यादा मिले हैं लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि इन 6 राज्यों में जो टोटल वोट पड़े उसमें आपको 36.2 पर्सेण्ट वोट मिले। अब आप यह तर्क दे रहे हैं और यह तर्क जिस वक्त पहले आपने दिया था वह यह दिया था कि उत्तर प्रदेश में हम को 31 पर्सेण्ट वोट मिले हैं तो हमको जनादेश मिला है और इससे हमारे वोट बढ़े हैं, अगर यह तर्क भी ठीक है....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको कम हुए हैं, 15 पर्सेण्ट हो गये।

श्री परसराम मदेरणा : तो बहुमत, 51 पर्सेण्ट वाली बात को छोड़ दीजिए। हमारे कितने कम हुए, नहीं हुए लेकिन सैक्यूलर फोर्सेज को, आपको पूरे इन 6 राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी को 64 पर्सेण्ट एप्रोक्सिमेटली मतदाताओं ने नकारा है, अस्वीकार किया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : आपको कितने प्रतिशत वोट मिले हैं?

श्री परसराम मदेरणा : नकारा नहीं है? आप यहां से रेजिग्नेशन देकर अयोध्या पधारे थे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको कितने प्रतिशत ने स्वीकार किया है?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी आप

(श्री परसराम मदेरणा)

सुनिये, बीच में नहीं बोलें। हमको जो पर्सेण्टेज मिला था, आपको बाद में बता दूंगा क्योंकि आप कल मेरी पर्सेण्टेज का जिक्र कर रहे थे, मैंने गिनती नहीं की है, अभी गिनती हो रही है मेरी।

(14.00 बजे)

आपको बता दिया था फिर आप मुझे क्या पूछ रहे हैं? यहां कोई स्कूल टीचर हैं आप? नहीं, आपके पास आंकड़े हैं मैं उनको सही मानता हूं। आपने एक पर्सेन्ट कम बताया कल। मेरे पास में लिखित में नहीं हैं लेकिन यह बात सही भी है....

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : आपको क्या पूछूंगी। आपके कहने से क्यों, अध्यक्ष महोदय के कहने से बैठ जाऊंगी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सभापति महोदय, चुनाव परिणाम आये हैं वह बहुत ऐतिहासिक हैं, चौंकाने वाले हैं। कई जो हैडिंग्स अखबारों में दिये गये हैं निष्कर्ष निकालते वक्त कि यह परिणाम जो आये हैं वह ऐतिहासिक महत्व के हैं और इसका असर राष्ट्र की राजनीति पर और कई राजनैतिक पार्टियों के समीकरण पर आगे जाकर पड़ने वाला है, कई समीकरण बिगड़ेंगे और कई नये बनेंगे। यह चुनाव के परिणाम कोई राजस्थान के ही यहां नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम, जब मैं यह बात कह रहा था कि ट्रेजरी बैंच पर बैठे हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के माननीय मंत्रीजी वहां पधारे थे क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनावों में आपका जो नारा था, "पहले पांच प्रदेश और फिर पूरा देश" आपके सपने को उन्होंने धूल-धूसरित कर दिया है और आपने जो छद्म हिन्दुत्व और छद्म राष्ट्रवाद की बात उठायी थी इसको वहां के मतदाताओं ने जो अनपढ़ हैं, मैं सफेदपोश की बात नहीं कर रहा हूं, जो मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे कि जहां बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वहां हमारी विजय ज्यादा हुई है शहरों में और दूसरी जगह पर, भारत के लोकतन्त्र और प्रजातन्त्र में जो निर्णय देने वाले हैं, हो सकता है कि बुद्धि का विकास यहां पर ज्यादा हुआ हो लेकिन वे लोग कॉमनसेन्स और गुणी लोग हैं गांवों में और प्रजातंन्त्र आज इस देश के अन्दर है और संसार में सबसे बड़ा प्रजातन्त्र है तो अनपढ़ लोगों की वजह से है....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री परसराम मदेरणा : भैरोंसिंह जी और हम दोनों क्या हैं यह भी प्रजातन्त्र का ही प्रताप है और हमारा अहोभाग्य है और लोकतन्त्र की महिमा है कि हम यहां पर बैठे हुए हैं नहीं तो आप ब्राह्मण लोग हमको आने देते क्या? मैं तो किसी पताशे की खोह में खूंथल ठोकता और वे इनके जो है 307 और 302, मुकदमें की धारा में किस तरह से आई. पी. सी. और प्रोसिजर कोड, पूरे ताजिराते हिन्द टिप्स पर रहतीं। यह प्रजातन्त्र की महिमा है और इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि आपके छद्म राष्ट्रवाद की उत्तर प्रदेश में पोल खुली है। संकीर्ण हिन्दुत्व के नाम पर मनु-

(श्री परसराम मदेरणा)

स्मृति के जमाने में लौटाने का लोगों के सामने जनादेश प्राप्त करने का जो नारा दिया था, मुद्दा उठाया था, वहां के मतदाताओं ने उसको अस्वीकार किया है। आपका साम्प्रदायिक चेहरा वहां उत्तर प्रदेश में नंगा हुआ है और वह अनपढ़ लोग अच्छी तरह से समझ गये, आपको पहचानने लग गये हैं कि आपको धर्म और हिन्दुत्व से कोई लेना देना नहीं है। आपको यह कुर्सी दिख रही है और वह कुर्सी जो है पूरे देश की आप लेना चाहते थे, पांच राज्यों पर मोटा-मोटा आधार यह है।

मुख्य मंत्रीजी, आप जो हैं, कुछ मर्यादाओं और मेरे खुद के बारे में कुछ बात कह रहे थे। तो मैं ऐसा सोच रहा था उस दिन कि मैंने कुछ बात कह दी है, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने इसलिए कही थी कि इण्डिया टुडे के अन्दर हैडिंग पर आया है कि "राजस्थान में विधायकों की घोड़ाबन्दी।" वह 'घोड़ाबन्दी' मुझे शब्द याद नहीं रहा इसलिए मैंने कोई और बात कह दी, मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन बहुत आश्चर्य हुआ, सभापति महोदय, जिस दिन मुख्य मंत्रीजी मुझे प्रजातन्त्र की उच्च-मर्यादाओं का अनुपालन करने की बात कह रहे थे और उसको मैंने जा करके डिस्टार्शन कर दिया है, मुझे कुछ अभिव्यक्ति देते हुए उस पर कुछ रेस्ट्रेन्ट रखना चाहिए था, मैं मानता हूं आपकी सदन के प्रति लोकतान्त्रिक परम्पराओं और सदन की परम्पराएँ रखने की, निभाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और मैं जब बैठता हूं तो प्रतिपक्ष की द्वितीय स्थान पर जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम दोनों को करना चाहिए इसमें कोई दो राय नहीं हैं लेकिन, अध्यक्ष महोदय, उस वक्त मुझे थोड़ा-सा अफसोस हुआ जब विश्वास के प्रस्ताव पर बोलने के ठीक आधा घण्टे बाद में हां पक्ष की लॉबी से दो माननीय सदस्य चले गये तो मैं एक तरफ तो यह सोच रहा था कि मैंने क्या कह दिया था और दूसरी तरफ मुख्य मंत्रीजी क्या सांठ-गांठ कर रहे थे। मैं यह नहीं कहता कि यहां पर कोई खरीद फरोख्त हुई थी लेकिन एल्योरमेंट आप दे रहे हैं। एल्योरमेंट चाहे आप उसको विकास के नाम पर दे रहे हैं, एल्योरमेंट चाहे जिला बनाने के नाम पर दे रहे हैं, एल्योरमेंट उनको कोई पैसा दे करके दे रहे हैं और एल्योरमेंट और किन्हीं कारणों से दे रहे हैं लेकिन आप उनको प्रलोभन जरूर दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है और इसलिए मैं इतना ही निवेदन करूंगा इस मौके पर कि राजस्थान के जनादेश के साथ में यहां चर्चा अन्य राज्यों की हुई और प्रसंगवश इस मुद्दे को यहां पर भी लाया हूं, नहीं मैं नहीं लाता। आपको जनादेश मिला। मैं पूर्व में भी उस दिन कह चुका हूं कि आपको जनादेश नहीं मिला है। 61.4 पर्सेण्ट मतदाताओं, जिन्होंने वोट कास्ट किये हैं, ने सेक्यूलर फोर्सेस, आपको इस राजस्थान ने राज के लिए अस्वीकार किया है। आप माइनोरिटी सरकार हो इसलिए मैं कह रहा था यह बात।

जनादेश के सम्बन्ध में बहुत अच्छी बातें यहां पर कही गयीं, अब उस जनादेश के बाद में इस सरकार की तारीफ के पुल ज्यादा बांधे गये और जनता की समस्याओं

(82)

(श्री परसराम मदेरणा)

के सम्बन्ध में राज्य सरकार के पास निराकरण के लिए क्या मामला है, इस पर उल्लेख माननीय सदस्यों ने नहीं किया। यहां पर यह बात कही गयी कि यह राज्यपाल अभिभाषण में है कि पूर्व के राजनैतिक परिदृश्य को पुनः बहाल कर दिया गया। पहले भी आपने जनता दल के विभिन्न गुटों से और अलग-अलग नेताओं के जो समर्थक थे उनको साथ लेकर दो दफा सरकार बनायी, तीसरी दफा आपने फिर फ्लोर क्रासिंग करायी। उसी प्रकार इस वक्त भी आपने सरकार बनायी है क्योंकि आपको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो यह जो उल्लेख किया है यहां पर राज्यपाल महोदय ने, जो आपने करवाया है इससे तो मैं सहमत नहीं हूं कि पूर्व का परिदृश्य था कि किस तरह की सरकार थी आपकी वैसी ही यह सरकार है। अब मैं और तो कुछ नहीं कहता क्योंकि मैं कोई विश्लेषण करूंगा तो आपको एतराज होगा लेकिन यह बात तो, माननीय मुख्यमंत्री, आप स्वयं स्वीकार करेंगे कि आपकी सरकार असन्तुलन का एक पिटारा है और आप जिस तरह से चला रहे हैं और जिस तरह की समस्याएं प्रतिदिन आपके ऊपर आ रही हैं और आप प्रेशराइज हो रहे हैं क्योंकि आपकी पार्टी की सुगबुगाहट भी मेरे कानों तक पहुंच रही है और इसलिए मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आप इस मामले के अन्दर जो कई प्रकार के भिन्न-भिन्न लोगों को साथ ले करके चल रहे हैं, भगवान आपको स्वस्थ रखे और लम्बी आयु प्रदान करे लेकिन आपके ऊपर प्रेशर प्रतिदिन आने वाले दिनों में रहेगा ऐसी मेरी मान्यता है।

आपने यहां पर स्वच्छ प्रशासन देने और तेजी से विकास करने की बात कही और अपने संकल्प में इस बात को दोहराया। ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य आपके इस कथन को चुनौती दे चुके हैं और हम यह आशा करते हैं, क्योंकि यह जो भ्रष्टाचार की बीमारी है यह कोई केवल राजस्थान में ही नहीं है, यह राष्ट्रव्यापी एक समस्या है और इस समस्या में ईमानदारी और कुशलता, उच्च क्षमता वाले लोगों को जो आपने तरजीह देने की बात कही है, मैं ऐसा समझता हूं कि आपने जो संकल्प लिया है स्वच्छ प्रशासन देने का, ऐसा नहीं हो पिछली दफा भी आपने कहा था कि "न महंगाई और न भ्रष्टाचार, हम देंगे अच्छी सरकार।" अब अच्छी सरकार देते तो 95 पर नहीं रहते, मैं इसको मानकर चलता हूं। आपकी पार्टी को बहुमत तो मिला लेकिन आज जनता की समस्याओं के निराकरण, समाधान और निदान के सम्बन्ध में अगर सबसे बड़ा कोई रोडा है तो स्टम्बलिंग ब्लाक है। आपकी योजनाओं की क्रियान्विति में, लोगों तक राहत पहुंचने में सबसे बड़ा रोड़ा यह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार के प्रकरण में मैं पूरा का पूरा आपके सरकारी तन्त्र को भी दोषी नहीं मानता हूं। दोष जनता का भी है। देने वाला भी उतना ही दोषी है, जितना लेने वाला है और इस तरह के जो +++ पैदा हो गये हैं एण्टी सोशल एलीमेन्ट राज्य में हर दफ्तर के अन्दर इस तरह के लोग मिलेंगे। बैंकों में मिलेंगे। लोन सैक्शन करवाने के लिए कुछ डेपुटेड लोग आपको मिलेंगे। उस ओर सबको सतर्क

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री परसराम मदेरणा)

रहना चाहिये। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रतिपक्ष आपके किसी भी भ्रष्टाचार मिटाने के अभियान के अन्दर सक्रिय सहयोग ही नहीं देगा, आगे रहकर, अग्रणी रहकर आपके साथ कोआपरेशन करेगा।

आपने यहां पर यह बात कही कि इन चुनावों के जो राजस्थान में परिणाम आये हैं उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की 57 सीटें आरक्षित हैं, क्षेत्र हैं, उन आरक्षित क्षेत्रों में से 33 माननीय सदस्य इस सरकार को सम्बल प्रदान कर रहे हैं। यह बात सही है कि शिड्यूल्य ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के 33 माननीय सदस्य आपकी ओर हैं। मेरी समझ में शायद जनरल सीट से भी जीत कर आये हैं।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर) : वह अलग हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं कब कह रहा हूं कि वह अलग नहीं हैं। सभापति महोदय, राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स की पापूलेशन सोलह पर्सेण्ट हैं और ट्राइब्स की पापूलेशन बारह पर्सेण्ट है। सर्विसेज में शायद रिजर्वेशन भी अठ्ठाइस पर्सेण्ट है। लेकिन राजस्थान के कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें ट्राइब और कास्ट की पापूलेशन 81 पर्सेण्ट है जैसे बांसवाड़ा में। डूंगरपुर ऐसा जिला है जिसमें ट्राइब और कास्ट की पापूलेशन 71 पर्सेण्ट है। उदयपुर ऐसा जिला है जिसमें ट्राइब और कास्ट की पापूलेशन 53 पर्सेण्ट है और कास्ट के अन्दर गंगानगर ऐसा जिला है, सवाई माधोपुर ऐसा जिला है जिसमें ट्राइब की पापूलेशन 30 या 33 पर्सेण्ट है और दूसरे जिलों में भी जिसमें कास्ट की पापूलेशन 33 पर्सेण्ट है। किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की रिजर्व सीट के अन्दर 16 पर्सेण्ट अगर शिड्यूल कास्ट है और शिड्यूल ट्राइब 18 पर्सेण्ट हैं, मुझे मालूम है, अभी शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को भी खतरा था कि यह 18 पर्सेण्ट है तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि दो सीटों में थोड़ासा ही फर्क था ·07 पर्सेण्ट का, लेकिन यह कह करके यह इन्फरेंस निकालना और यह कन्क्लूजन ड्रा करना कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की सीट में केवल शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के मतदाता ही वहां अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, यह भ्रम फैलाने वाली बात है। वहां पर दूसरे लोग 84 पर्सेट के आसपास हैं। हमारे जोधपुर डिविजन में ट्राइब की पापूलेशन किसी जिले में दो पर्सेण्ट, किसी में डेढ़ पर्सेण्ट, किसी में एक पर्सेण्ट है और इसलिए इनको मत देने वाले लोग हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हैं? मैं इसलिए बांसवाड़ा का उदाहरण देना चाहता हूं, जब 80 पर्सेण्ट ट्राइब और कास्ट की पापूलेशन है वहां आपका एक भी एम. एल. ए. बी. जे. पी. का जीत कर नहीं आया। जहां पर 71 पर्सेण्ट पापूलेशन है डूंगरपुर में, आपका एक एम. एल. ए. जीता है और वह भी 59 वोटों से।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : बांसवाड़ा में तो आपका भी सफाया हो गया है।

श्री परसराम मदेरणा : हम जीते हैं

(श्री परसराम मदेरणा)

कि नहीं जीते, हमारा एक जीता शिड्यूल्ड ट्राइब का। तीन ये बैठे हुए हैं सामने। (व्यवधान) नहीं-नहीं, आप वहां पर कई दफा तीसरे और चौथे नम्बर पर रहे हो। मैं यह बता रहा हूं आपसे। आप दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मन्त्री, श्रम) : यह कांग्रेस समर्थित हैं क्या ? इनसे हां करवा दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : समर्थन की बात नहीं है। पालिटिकल पार्टीज में भी जो पोलराइजेशन हो रहा है वह किसी के लिए खतरे की घण्टी है तो आपके लिए खतरे की घण्टी बज चुकी है। आप इसका अहसास नहीं कर रहे हैं। गंगानगर को लीजिए, गंगानगर में 30.8 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट हैं। नगण्य हैं। पांच-छह हजार वोट इसमें शिड्यूल्ड ट्राइब के होंगे और उसमें तीन सीटें रिजर्व है, तीन में से दो पर कांग्रेस जीती है और तीसरी पर, टीबी सीट पर निर्दलीय माननीय सदस्या जीत कर आयी हैं और माननीय सदस्या भी कांग्रेस से 743 वोटों से ही जीती हैं। उस दिन आप बोल रही थीं, आपने जमानत तो उनकी जब्त करायी है जिस पार्टी के आपके मुख्यमन्त्री हैं और जिनकी सरकार में आप बैठी हैं। कांग्रेस की जमानत जब्त नहीं करायी थी आपने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ख्वाहम ख्वाह बी. जे. पी. के भुलावे में आ रहे हैं। "आप पांच राज्य बाद में पूरा देश" के स्वप्न देखने से ही धराशायी हो गये हैं और आप यह सोच रहे हो, इतनी अहंकार पूर्ण बात आपने कही है। क्योंकि यह जनता का फैसला उसके हाथ में है, अपन आज कुछ भी नहीं कह सकते उनके खिलाफ पर यहां पर। इसलिए राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कांग्रेस ने ठेकेदारी तोड़ी है। आप उस सीट को जीत गये हैं। पहले भी कांग्रेस में थे तब जीते थे और हारे भी थे। इसलिए एक सीट को जीतने के बाद और आप शिड्यूल्ड ट्राइब को लेंगे तो राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हू कि शिड्यूल्ड कास्ट की चौबीस रिजर्व सीट हैं, नौ में बी. जे. पी. जीती है, ग्यारह में इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, तीन में जनता दल जीता है और एक में निर्दलीय आये हैं। जनरल सीट पर जरूर दो ट्राइब के आये है, बस्सी की सीट पर और दूसरी उनियारा की। इस तरह से आपकी संख्या इस सदन में ग्यारह होती है। कांग्रेस की ग्यारह और एक बारह होती है और तीन में जनता दल है। कुल सीटें सत्ताइस में से सोलह तो विरोध पक्ष में बैठे हुए हैं फिर आप कह रहे हो कि हमको जन आकांक्षाओं का सम्बल मिल गया। आदिवासी, ज्यादा पिछड़े हुए लोग हैं उनकी पापूलेशन भी दो जिलों के अन्दर तो पचास पर्सेण्ट से ऊपर है। इसलिए यह कहना कि आपके साथ शिड्यूल्ड ट्राइब की जनता हो गयी है, मैं नहीं मानता। अब यह बात जरूर है कि आप उत्तर प्रदेश में हारने के बाद में राम के साथ-साथ ही बाबा अम्बेडकरजी का नाम जोर-जोर से लेने लग गये क्योंकि आप यह समझने लग गये हैं कि एस. पी. और बहुजन समाजवादी पार्टी, जो यहां पर आयीं उसने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और जनादेश

(श्री परसराम मदेरणा)

उनको मिला है। उनको और समाजवादी पार्टी को।

संवेदनशीलता चुनी हुई सरकार की मुख्य पहचान होती है। सभापति महोदय, कल दिन भर बहस चल रही थी, अगर यह सरकार संवेदनशील होती तो, जब इस सरकार के पास इन्टेलीजेंस डिपार्टमेण्ट है पुलिस का, इनको यह मालूम है, बिजली दो घण्टे, तीन घण्टे और चार और पांच घण्टे पहुंच रही है और किसानों की फसल बरबाद हो रही है और उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है और वह बहुत परेशान है, दुखी हैं और चिन्तित हैं, स्वयं ही संवेदनशील सरकार ने एक उदाहरण तो पेश कर दिया है कि यह स्वयं कोई काम जनता के हित में नहीं करना चाहती। माननीय सभापतिजी, यहां पर सरकार का नीति सम्बन्धी ब्यौरा नहीं है लेकिन आधारभूत समस्याओं की यहां पर चर्चा जरूर की है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, शिक्षा के सम्बन्ध में आधारभूत समस्याओं की बात जब हम कर रहे थे, अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जब एस. सी. की और दूसरी बात कर रहे थे और शिक्षा के सम्बन्ध में बात कर रहे थे तो क्या शिक्षा आधारभूत आपकी समस्या राजस्थान में नहीं है? शिक्षा में अशिक्षित रहते हैं, निरक्षर रहते हैं तो राजस्थान के विकास की समग्र विकास की जो आप कल्पना करते है वह आपकी धरी रह जायेगी, इस बात से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता। मुख्य मंत्रीजी स्वयं जानते हैं कि वहां पर सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य उस दिन कह रहे थे और अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सारगर्भित भाषण तो दिया क्योंकि कांस्टीट्यूशन का प्रिएम्बल हमेशा आपको कंठस्थ याद रहता है, "We the people of India..........' और इसलिए शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आपको बधाई दे रहे थे कि आपका और मेरा दोनों का ही सौभाग्य है कि आज इस सदन में बैठे हुए हो लेकिन जब लिमिटेड फ्रेंचाइज जोधपुर के सम्बन्ध में या जयपुर के सम्बन्ध में या उदयपुर के सम्बन्ध में थे, आपने देखी थी, वह कौनसा कमरा था उसमें कौन-कौन लोग बैठ रहे थे वहां पर? आपको और मुझे वहां पर अवसर मिलने वाला नहीं था। आज आपने स्वयं की वकालत बहुत ही बखूबी की है, एस. सी. को, पिछड़े वर्ग को लेकर के, उनकी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को लेकर के आपने की है, मुख्य मंत्रीजी को इससे मैं समझता हूं कि बल मिलेगा आपको केबिनेट में लेने से क्योंकि आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं किया हैं लेकिन आपने उनके सामने सोचने के लिए यह मुद्दा रख दिया है तो एक प्रश्न चिह्न भी उनके सामने आपने रखा है।

मुख्य मंत्रीजी, पर्यावरण और प्रदूषण के सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहता था लेकिन मैं आज इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करना चाहता। यहां पर अभी मुख्य मंत्रीजी के सम्बन्ध में प्रस्तावक महोदय ने फाइनेन्शियल मैनेजमेंट के सम्बन्ध में एक फिस्कल विजार्ड दिया है।........

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): वह तो एक बार आपने भी कहा था, मुझे याद है अच्छी तरह से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरे लिए भी कहा था।

श्री परसराम मदेरणा : हिटलर की फाइलें, इनके मिनिस्टर के सम्बन्ध में मैंने पढ़ा था। यह वर्ड वहां से मैंने लिया है। तो आपके लिए इसलिए कहा था, चार दिन पहले तो आपका घाटा था 60–62–64 करोड़ और दूसरे दिन सात करोड़ ही रहा एक मार्च को। इसलिए मैंने कहा कि फरवरी की 26 तारीख को तो और बात थी और चार दिन के अन्दर घाटा इतना कम कर दिया यह तो कोई फाइनेन्शियल विजार्ड ही कर सकता है या उसके पास में कोई इस प्रकार की डंडी हो 'उससे घाटा बढ़ता जाये, नीचे आता जाय। मैंने उस सम्बन्ध में, उस परिप्रेक्ष्य में कहा था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको अवकाश मिल गया इसलिए आप एक साल भर के आसपास बाहर रहे........

एक माननीय सदस्य : तीन दिन बाकी थे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्यारह दिन बाकी रहे।

श्री परसराम मदेरणा : दस-ग्यारह दिन इस वक्त आपके जो प्लान के रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के है कोई कमी रहीहै उसके कारण हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं, यह जिमेदारी आपकी तो ज्यादा नहीं क्योंकि आप तो अवकाश पर थे और जब-जब अवकाश पर रहते हैं तो आपके अवकाश के वक्त में शायद कांग्रेस की जो सफलता की मूल नींव रही है जिसका कारण रहा है, आपने स्वयं ही कहा था कि अवकाश पर रहे, मैं समझता हूं कि उस वक्त कोई गलती रही होगी लेकिन आज 1704 करोड़ की योजना है उसमें आपके 57 करोड़ का घाटा है। आपने इस बात से इस सदन को आश्वस्त किया है कि यह घाटा पूरा कर लिया जायेगा और अगले वर्ष की वार्षिक योजना के आकार में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। मैं, मुख्य मंत्रीजी, यह उम्मीद करता हूं, आप अभी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि यह 57 करोड़ का घाटा आप किस प्रकार पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने टैक्स लगाये नहीं। आपने दस करोड़ के टैक्स लगाये थे और बारह करोड़ की कोई छूट कर दी थी। आपके 1990-91 और 1992 में तीन दफा के बजट भाषण में देख रहा हूं कि आपने कोई टैक्स लगाये नहीं लेकिन आपने फिस्कल मैनेजमेण्ट किया। मुख्य मंत्रीजी, अगर कांग्रेस गवर्नमेण्ट का फिस्कल मैनेजमेंट नहीं होता, फिस्कल के सम्बन्ध में बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, फिस्कल के बारे में कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा तो आपके टैंथ फाइनेंस कमीशन का चलेगा जो अभी बैठा हुआ है। नाइंथ फाइनेंस कमीशन ने इस बात का स्पष्ट तौर पर कांग्रेस गवर्नमेण्ट को सर्टिफिकेट दिया है कि उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना में रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अन्दर मैनेजमेंट ठीक रखा है। रिसोर्स का लक्ष्य जो उनका था, उनसे ज्यादा रिसोर्स रेज किये और जिसका परिणाम है यह साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की आपकी योजना है। दूसरा, नाइंथ फाइनेंस कमीशन के सामने जो मुद्दे हमने रखे थे, गाडगिल फार्मूला, उसकी कुछ बातों से मैं आपसे सहमत हूं और यह मुद्दा आप

(श्री परसराम मदेरणा)

उठा भी रहे हैं बारबार और राज्य के विकास के लिए जो भी आवश्यक सहयोग चाहिये, गाडगिल फार्मूला मोडिफिकेशन की बात हो और अन्य मामलों में भी आपके सामने कुछ समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमें राजनीति के ऊपर उठ कर और राज्य के विकास में एक-दूसरे को साथ लेकर समन्वय बैठा कर आगे बढ़ना चाहिए। आप अभी समन्वय बैठाने में लगे हुए हैं कुछ लोगों को इधर-उधर ले जाकर। जब इस कर्तव्य से आपको इतिश्री मिल जाये तब उसके बाद में हम बैठ कर बात करेंगे। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी योजना कुल मिलाकर जो आपके पास है। 1992-93 की वार्षिक योजना 1406 करोड़ की थी, 1993-94 की वार्षिक योजना 1700 एप्रोक्सिमेटली 1705 करोड़ की है और पूरी पंचवर्षीय योजना साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की है। दो साल आप अगर मान लो इस घाटे को पूरा भी कर देते तो 3110 करोड़ रुपये होता है। तो आठ हजार तीन सौ करोड़ रुपये आप अगर इसके स्टेगर करते हैं इक्वल इन्स्टालमेंट में, तो वह मेरी समझ में 2700 या साढ़े सताइस सौ के आसपास आता है और क्योंकि मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इस वक्त दो हजार करोड़ से काम चला लेंगे फिर तीन मिल जायेंगे, फिर आपको चार हजार करोड़ मिल जायेंगे, ऐसा नहीं होगा। मैं मुख्य मंत्रीजी, एक बात आपको कह सकता हूं क्योंकि आप फाइनन्शियल विज़ार्ड हैं, मुझे दिखता है आपके सामने और तो कोई रास्ता नहीं है, आप स्माल सेविंग, एक पूरा सैक्टर देख रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूं और कुछ ऐसे सैक्टर आप करने जा रहे हैं वह एक सीक्रेट मैटर है और मैं चाहता भी नहीं हूं कि सीक्रेसी आपके बजट के सम्बन्ध में, आपके रिसोर्स के सम्बन्ध में जो करने जा रहे हैं उसको डाइवर्ट किया जाये। लेकिन मुझे नहीं दिखता कि 2700 करोड़ की कोई भी योजना 1994-95 की बन सकेगी। प्रस्तावक महोदय ने सर्टिफिकेट दिया है फिस्कल मैनेजमेण्ट का आंकड़ों से फिस्कल मैनेजमेण्ट नहीं होता। फिस्कल मैनेजमेण्ट, रिसोर्सज है स्टेट के उसको कण्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो योजना का आकार कम हो जायेगा, होने वाला है। बिजली का संकट रह सकता है, रहने वाला है आपकी योजना का आकार छोटा होने वाला है। इन दो मुद्दों से मैं बहुत चिंतित हूं क्योंकि राजस्थान की प्रगति पर बहुत प्रतिकूल असर डालने वाले हैं ये।

सभापति महोदय, यहां पर पावर की स्थिति के बारे में अभी भी कहा। पहले भी मैं कह चुका हूं कि पावर सर्वे की रिपोर्ट मैं जाकर सी. ई. ए. से लाया था। जब मैंने पूछा आर. एस. ई. बी. से, आप मुझे कापी दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक ही कापी है। मैं वहां गया और उन्होंने फोटोस्टेट कराकर मुझे कापी दी। इसलिए लाया कि मैं सोच रहा था, आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उस पीरियड में हर साल का डेफिसिट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहने वाला है। यह राजस्थान का पहला इन्फ्रास्ट्रक्चर है जिस पर राजस्थान की प्रगति और उसका भविष्य और लोगों का जीवन मुनस्सर है, डिपेण्ड है। मुझे अभी भी बहुत शंका है। इस साल तो संकट

(श्री परसराम मदेरणा)

रहेगा। आज जो पौंग और मादरा में पानी आया है, उसका पर्सेण्टेज निकाल रहा था, वह पर्सेण्टेज निकालना चाहिए पिछले साल से और उसमें क्या रहा? मैंने हाइड्रोलोजिस्ट की रिपोर्ट से निकाला। पिछले साल टोटल कैपेसिटी का 94 प्रतिशत भाखड़ा में पानी था और इस वक्त 68 प्रतिशत है। पौंग में कैपेसिटी का पिछले साल 90 प्रतिशत पानी कम्पाउण्ड हुआ था, इस वर्ष हुआ है 67 प्रतिशत। इसलिए पन बिजली का उत्पादन कम होगा जो सबसे सस्ती है और सेण्ट्रल सैक्टर में और दूसरी जगह से बिजली खरीदनी पड़ती है उसकी लागत ज्यादा है, पर यूनिट और महंगी बिजली लेते चले जायेंगे तो बोर्ड निरन्तर घाटे में डूबता चला जायेगा। यह चिन्ता का विषय है। हम लोगों को तो है थोड़ा बहुत लेकिन मुख्य मंत्रीजी को और ज्यादा होगा। चेयरमैन, आर. एस. ई. बी. कल इस प्रकार का तर्क दे रहे थे और आने वाला बजट होगा उसमें भी इसका रिफलेक्शन होगा।

मैं, सभापति महोदय, पेयजल के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के विकास की बात करते हैं तो कहते हैं, चालीस साल, पैंतालीस साल आप सरकार में रहे आपने कुछ नहीं किया। 40–45 साल पहले कोई भी माननीय सदस्य जिसने अध्ययन किया हो, हिन्दुस्तान के संविधान का प्रिएम्बल जिसकी जुबान पर हो, राजस्थान में क्या था? राजस्थान बाइस आर्स्टव्हाइल स्टेट्स से बना। राजस्थान के इण्टीग्रेशन की राज्य में अपने आप में एक समस्या थी और वह समस्या ही नहीं थी, कोई कानून नहीं था, विकास बिल्कुल नहीं था। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन टेरीटरी और इसमें बहुत फर्क देख लीजिए। जैसलमेर जैसी स्टेट में कोई कानून कायदा नहीं था। हाकिम था, हाथ में डण्डा था और उसको आठ रुपये तनख्वाह मिलती थी।

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री): सुख-चैन से जीवन बीत रहा था।

श्री कैलाश मेघवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मैं के विपक्ष नेता महोदय को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राजस्थान नेचरल रिसोर्सेज के मामले में देश के अन्य राज्यों से कम है या पीछे हैं?

श्री परसराम मदेरणा: नेचरल रिसोर्सेज का सभापति महोदय, मैंने कोई उल्लेख नहीं किया क्योंकि नेचरल रिसोर्सेज और खनिज सम्पदा की बात मैं अभी कर चुका हूं। लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए माननीय सदस्य कि राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जिसके पिछड़ेपन का बहुत बड़ा कारण हिन्दुस्तान में थार रेगिस्तान है उसका तीन चौथाई हिस्सा जियाग्राफिकली राजस्थान में है। आप इस बात को भूलते हैं, हमारे यहां ट्रांसमिशन लासेज हैं, मुख्य मंत्रीजी ने इस मुद्दे को उठाया है काफी दफा हमारे पिछड़ेपन के बहुत से कारण हैं और उसमें पेयजल की जो बात कह रहा था जल स्तर नीचे जा रहा है। परसों एक मिस्टर मेनन मिले साइंस कांग्रेस में, यह भारत सरकार के साइंटिफिक एडवाइजर हैं और प्लानिंग कमीशन के मैम्बर थे, उन्होंने 1974 में कन्वोकेशन एड्रेस दिया था जोधपुर यूनिवर्सिटी में और उन्होंने

(श्री परसराम मदेरणा)

अपने आखिरी वक्त में राजस्थान के लोगों के लिए एक वार्निंग साउड की थी क्योंकि वह जोधपुर के जसवंत कॉलेज में पढ़े हुए हैं, आज भामा के बाद स्टामिक और दूसरे मामलों के अन्दर मेनन हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, वह मुझे यह बात कह रहे थे सभापति महोदय, उन्होंने कन्वोकेशन एड्रेस में कहा, राजस्थान के अन्दर अण्डर ग्राउण्ड वाटर बहुत कम है और अगर मशीनों से और बमों से इस प्रकार से ही चलता रहा तो आज से 20–25 वर्ष बाद ऐसा समय आ जायेगा जब राजस्थान की पापुलेशन को माइग्रेट करना पड़ेगा। यह तो इन्दिरा गांधी नहर है जो सिल्वर लाइनिंग है। मुख्य मन्त्रीजी, पेयजल के सम्बन्ध में इसलिए निवेदन कर रहा था कि पी. एच. ई. डी. ने पेयजल के लिए हैण्ड पम्प खुदवाये बहुत जरुरी है लोगों के लिए, एक हैसियत रखते हैं, तुरन्त राहत मिलती है, इनको रिप्लेस करने का अभियान चलायें। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से इलाकों के अन्दर, जैसा कल खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य फ्लोराइड या कौन सा कम्पोनेट पानी के अन्दर बता रहे थे, पानी पोटेबल और पीने लायक नहीं है और उसमें नाइट्रेट भी है।

जोधपुर में हैण्ड पम्प मैंने खुदवा दिये थे, मुख्य मंत्रीजी ने कहा, इस पीने के पानी से छोटे बच्चे नीले पड़ जायेंगे। मुख्य मंत्री जी, जोधपुर में तो नीले पड़े या नहीं पड़े लेकिन नाइट्रेट का पर्सेण्टेज जयपुर में उतना ही है और अपने शासनकाल में आपने खूब खोद-खोदकर चार-पांच सौ हैण्ड पम्प लगवा दिये नीले नहीं पड़े। लेकिन यह बात जरुर है कि पानी स्वच्छ मिलना चाहिए, पानी में कोई बीमारी नहीं हो, नाइट्रेट नहीं होना चाहिए और फ्लोराइड भी नहीं होना चाहिए और दूसरे हानिकारक तत्व हैं वह भी नहीं रहने चाहिए। पानी लोगों को स्वच्छ मिलना चाहिए ताकि स्वास्थ्य ठीक रह सके। मुख्य मंत्रीजी तो यह मानते हैं कि रोटी और हवा के बीच, प्रदूषण-पर्यावरण का सवाल आयेगा। एक तरफ भूखा आदमी है तो रोटी पहले चाहिए उसको। मुख्य मंत्रीजी पानी दूषित है, हवा दूषित है, उसको ऐसी बीमारी लग गयी जो इनक्योरेबल है तो वह खाट में पड़ा-पड़ा चिल्लायेगा कि मेरी मौत जल्दी क्यों नहीं आ रही है। रोटी खायेगा कहां? पर्यावरण राजस्थान की समस्या नहीं है, ग्लोबल समस्या है। राजस्थान के अन्दर वन सम्पदा लगाने के अन्दर सबको ध्यान देना चाहिए। सामाजिक वानिकी को व्यापक तौर पर लेना चाहिए, जनता की भागीदारी होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। पेयजल के सम्बन्ध में इतना ही कहूंगा, सभापति महोदय, जब तक आपकी सरकार है, इन्दिरा गांधी नहर में पश्चिमी एरिया में गंगानगर का एरिया भी है उसमें भी अण्डर ग्राउण्ड वाटर बहुत कम है, नोहर भादरा के इलाकों के अन्दर जब तक आप ड्रिंकिंग वाटर की लिफ्ट योजनाएं नहीं बनायेंगे बड़े तौर पर तो पानी की समस्या रहेगी।

जहां-जहां पहले ट्यूबवैल खोदे थे पानी पर्याप्त मात्रा में और जल स्तर काफी ऊपर मिला था। आज ओसियां से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम है कि जिस वक्त मैं ओसियां निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि था

(श्री परसराम मदेरणा)

उस वक्त 70–80 फीट पर पानी का स्तर था, आज पानी का स्तर 600–650 फीट पर चला गया है। हर साल बोरिंग होता है 60–70 फीट का। यह स्थिति ओसियां की ही नहीं है, आपके बिलाड़ा में भी पूरे क्षेत्र में यह स्थिति हो गयी है। और यह उन क्षेत्रों में भी हो गयी जहां पर पीने का पानी था और पर्याप्त मात्रा में पानी था। लेकिन बाड़मेर और दूसरे क्षेत्रों के अन्दर अलुवियल सोइल है, नीचे अण्डर ग्राउण्ड पानी बहुत कम है इसलिये, पी. एच.ई.डी. मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक इन जिलों के अन्दर जो भी आपने रीजनल पाइप लाइन योजनाएं बनायी हैं उनका रि-आर्गेनाइजेशन नहीं करते हैं और उनका वापस सर्वे करवा करके आग्मेंटेशन के प्रोग्राम हाथ में नहीं लेते हैं तब तक इस समस्या का समाधान आप कर ही नहीं सकेंगे। मैंने इस प्रकार का, मुख्यमन्त्रीजी, एक सर्वे करवाया था, दो एक्स. ई.एन. और एक एस. ई. की पोस्ट क्रियेट करवा करके कि आगे आने वाले समय के अन्दर पानी की क्या समस्या रहने वाली है और किन-किन इलाकों के अन्दर लिफ्ट स्कीम से ड्रिंकिंग वाटर आना चाहिये, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी और अण्डर ग्राउण्ड पानी कम होता चला जा रहा है इस सम्बन्ध में भी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने उल्लेख किया है। वह रिपोर्ट पढ़ने से आगे नीति निर्धारण करने में मदद मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूं। उनके अनुसार आपको अपनी तमाम योजनाओं को रि-आर्गेनाइजेशन और आग्मेंटेशन के कार्यक्रम और नयी योजनाओं की क्रियान्विति के कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिए।

सिंचाई के सम्बन्ध में, सभापति महोदय, क्योंकि अभी पॉलिसी मैटर्स आयेंगे, मुख्यमन्त्रीजी का भाषण, बजट में आयेगा लेकिन मुझे, मुख्यमन्त्रीजी, यह बताइये कि जब जब इण्टर स्टेट डिस्प्यूट्स के सम्बन्ध में यहां बात होती है, कांग्रेस गवर्नमेंट को आप डाक में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जो अपनी बात कही गयी है अभी, आप गये थे यमुना के पानी के सम्बन्ध में, आप समझौता नहीं कर सके, कुछ अड़ंगे फंसा दिये। किसने फंसा दिये? हम बिजली का शेयर नहीं ला सके। उसमें अड़ंगे फंसा दिये। यह अड़ंगे आपके फंसते जायेंगे। क्योंकि नेशनल वाटर प्रोग्राम को इन्वाल्व करने की बात सोची थी, इन्दिरा गांधी ने। उस नेशनल वाटर प्रोग्राम में इतना बड़ा एरिया खड़ा करने की बात टांय-टांय फिस्स हो गयी। मैं उसकी कमेटियों में गया हूं, उसकी कांफ्रेंस में गया हूं। यदि नेशनल वाटर प्रोग्राम नहीं हुआ तो सब स्टेट अपने-अपने इण्ट्रेस्ट की बात करते हैं। मुख्य मन्त्रीजी, मुझे बहुत ही शंकाएं हैं कि पंजाब की सरकार हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा-व्यास के प्रबन्ध मण्डल को हस्तान्तरित कर देगी। अपन कोशिश कर चुके हैं और बादल साहब के सामने आप भी मौजूद थे, अपने डिपार्टमेण्ट की मीटिंगें भी हो चुकी हैं जिसमें आप और मैं स्वयं उपस्थित थे और आपने उनको बताया था कि जिस मामले को आपने कभी नहीं उठाया है जब आप मुख्यमन्त्री थे, आज अब मामले को आप इस बैठक में उठा रहे हैं। अब वह आपके मित्र हैं, आपके यहां आ रहे हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

बेअंतसिंह के सामने भी अपनी खुद की मुसीबतें होंगी। शायद कल कोई कह रहा था कि 10% या 5% एम. एल. ए. यहां आये हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कई हैं। ठीक बात है।

श्री परसराम मदेरणा : हां, वह तो सब ठीक है, ठीक इसलिए है कि चौमूं से आ गये। चौमूं आस्पीसियस जगह है और यहां के प्रतिनिधि की सभी जगह तारीफ होती है।

यहां पंचायत राज संस्थाओं के सम्बन्ध में जो कांस्टीट्यूशन में 73वां अमेण्डमेण्ट हुआ उस अमेण्डमेण्ट को इन कन्सोनेशन और इन कन्फरमिटी विद कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट, दोनों ही, आपके अधिनियम में शामिल करना पड़ेगा। मुख्य मन्त्रीजी, आप भी इस प्रस्ताव से अगर सहमत हैं और यदि आप विचार करना चाहते हैं, विपक्ष भी विचार-विमर्श करना चाहेगा, तो हम आपके सामने विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं। लेकिन, मुख्य मन्त्रीजी, एक बात पर मैं आपसे मतभेद रखता हूं जो इसी अगली लाइन में इन पंचायत राज संस्थाओं के लिए गोलमाल बात कही है। फिर मैं कुछ कहूंगा आदत-वादत कुछ नहीं है और फिर फैक्ट्स को डिस्टार्ट करने में वे फास्ट मास्टर हैं। कौनसी संस्थाएं हैं वह काल्पनिक हैं उनका उल्लेख किया नहीं है और जो संस्थाएं बनने वाली हैं उसका सीमांकन करेंगे हम। मुझे मालूम नहीं है वह छोटी हैं या बड़ी हैं, क्या उसका स्वरूप बनेगा, क्या उसका स्ट्रक्चर है। इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्रीजी चुप हैं। लेकिन एक बात निवेदन कर दूं कि हम आपके किसी भी सीमांकन के साथ सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि जिन ग्राम पंचायतों का आपने पुनर्गठन किया है उसमें आपने भारी पक्षपात किया है। भारी पक्षपात किया है, कतई विश्वास नहीं कि आप पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए हमने जिस घोषणा-पत्र को, आप बता रहे थे, मैं बहुत चिन्तित रहता हूं, मैं चिन्तित इसलिए दिख रहा था, आपके कारनामों से, मुझे दुःख इस बात का हो रहा था कि यह क्या कर गये हैं और हमको उस वक्त उन चीजों को करना पड़ेगा जो आप भट्टा बैठा रहे हैं राजस्थान में पंचायत राज का। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं उसी तरह से सहकारिता के सम्बन्ध में भी आपने कई अपेक्स संस्थाओं के चुनाव करा दिये, कइयों के नहीं कराये। आपने लैण्ड डवलपमेण्ट बैंक, भूमि विकास बैंक के चुनाव नहीं कराये, अपेक्स बैंक का यहां पर चुनाव नहीं कराया, आपने मार्केटिंग के चुनाव नहीं करवाये और इनकी तीन साल की अवधि भी समाप्त हो गयी है। आप अधिनियम में अमेण्डमेण्ट कर चुके हैं कि जब तक नयी संस्था का चुनाव नहीं होगा, पुरानी रहेगी। आपकी क्या नीति है इस सम्बन्ध में, यह आपने कोई उल्लेख ही नहीं किया। मैं यह सोचता हूं कि अपने उत्तर में इस बात का उल्लेख करेंगे। प्रशासकों के स्थान पर जन-प्रतिनिधि लगाने का आपने यहां पर एक प्रस्ताव रखा है। प्रस्ताव नहीं रखा है आपने एक फुर्रा छोड़ा है इसके चारों तरफ लोग घूमते रहेंगे।

(श्री परसराम मदेरणा)

मुझे आप यह बताइये कि आप इसमें क्या चाहते हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : आपकी राय।

श्री परसराम मदेरणा : गवर्नर के राज में इस मुद्दे पर, इस बिन्दु पर कोई चर्चा हुई थी इसलिए इस वक्त इस पर सोचा जा सकता है पर इस पर किन्तु, परन्तु, लेकिन लगा-लगुकर आपने रखा है। जन-प्रतिनिधियों के चुनाव अभी नहीं हो रहे हैं। चुनाव के अन्दर समय लगेगा। उसके दो कारण बता रहा हूं आपको। आप चुनाव कराकर इन संस्थाओं को पगु रखना चाहते हैं। अभी तो कांस्टीट्यूशन में इस बात का प्रावधान है कि जो आज चुनाव हुए हैं उस चुनाव को कुछ महीनों तक उसी अवस्था में रख सकते हैं जब तक उनका पूरा पीरियड एक्सपायर नहीं होता और पीरियड एक्सपायर्ड हो चुका है इसलिए वह कांस्टीट्यूशनल स्थिति तो राजस्थान में है नहीं। पूरे का पूरा त्रि-स्तरीय ढांचा स्ट्रेन्थ में आज नहीं है और प्रशासक लगे हुए हैं। लेकिन अब इस कांस्टीट्यूशनल अमेण्डमेण्ट में जो मुख्य बात कही गयी है, मुख्य मन्त्रीजी, वह स्टेट फाइनेन्स कमीशन की है और जब आप रिसोर्सेज का डिवोल्यूशन की बात यहां कर रहे थे, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य सरकारिया कमीशन का उल्लेख कर रहे थे लेकिन अब आपकी परीक्षा होने वाली है कि आप पंचायत राज संस्थाओं को अपने रिसोर्सेज के अन्दर जिसमें आपका एकाधिकार है, उस रिसोर्सेज के डिवोल्यूशन के अन्दर सैल्फ सफिशियेंट इकानामिक बनाने में और उनको संसाधन देने के अन्दर आप कितनी तत्परता दिखाते हैं। सरकारिया कमीशन के इशारे से तो बात आपने कह दी लेकिन आपके सामने यहां प्रश्न आने वाला है पंचायत राज संस्थाओं का और मुख्यमन्त्री भैरोंसिंह शेखावत की सरकार, चाचाजी को आपने फिस्कल विजार्ड बना दिया है लेकिन यह धर्मसंकट उनके सामने आने वाला है। और, माननीय सदस्य, इसलिए मैं ऐसा सोचता था कि जब आप यह अमेण्डमेण्ड करने वाले हैं, कब करने वाले हैं ? बजट सैशन में करने वाले हैं पंचायत राज के अधिनियम में ? लेकिन आपको फाइनेंस कमीशन तो पहले बैठा देना चाहिए था क्योंकि फाइनेंस कमीशन में कुछ समय लगेगा। मुझे तो इसलिए डाउट हो रहा है, सभापति महोदय, कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने मिडिल स्कूल जिला परिषदों को ट्रांसफर की थीं, पूरा का पूरा सुपरवाइजरी स्टाफ ट्रांसफर कर दिया, बजट ट्रांसफर कर दिया लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आने के बाद कुछ प्राथमिक शालाओं को वापस अपने डिपार्टमेण्ट के पास ले लिया। अब जो सूची दी गई है इस कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेंट में, वह 31 आइटमों की है। कितने आइटम हैं मुझे मालूम नहीं। उसके अन्दर सैकण्डरी स्कूल तक जिला परिषदों को जाएंगी। आपकी तैयारी है शायद मेरी समझ में। तैयारी नहीं है तो आप कांस्टीट्यूशन के प्रावधान की अवमानना नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो आपका वही हाल होने वाला है जो कल्याण सिंहजी का हुआ। पहले दिन ही हो जायेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

इसलिए कांस्टीट्यूशनल ग्राब्लीगेशन है आपका यह।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : जन-प्रतिनिधियों के बारे में आपकी राय नहीं आयी। आप तो हमेशा प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के पक्षपाती रहे हैं, जैसा कि मैं मानता हूं ईमानदारी से। ये जो जन-प्रतिनिधि हैं पंचायतों में 6-8 महीने लगे हैं उनको लगाना चाहिए या नहीं ? आपकी राय इस बारे में बहुत महत्व रखती है।

श्री परसराम मदेरणा : आप किसको जन-प्रतिनिधि मानते हैं ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : जिसको आप बतायें।

श्री परसराम मदेरणा : अभी जो सरपंच था वह तो था कांग्रेस का और उससे पहले वाला सरपंच था बीजेपी का, आपके वहां पर चौमूं की एक पंचायत में। तो आप किसे जन-प्रतिनिधि मानेंगे ? आने वाले को या इसको ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 2-2, 4-4 मिल जाएं।

श्री परसराम मदेरणा : 2-2, 4-4 मिल जाएंगे तो कौनसी पार्टी के मिलेंगे, किस व्यक्ति, को मानेंगे ? पंचायतों के अन्दर पूरे के पूरे अधिकारी उस सचिव को हैं जो ग्राम सेवक है। और तो मैं जानता नहीं, ओसियां पंचायत समिति राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति है मैं समझता हूं, जिसकी पापूलेशन साढ़े तीन लाख है और जिसमें 48 पंचायतें हैं। अब जाकर 76 पंचायतें नयी पुनर्गठित होंगी। उन 48 में से 40 ग्राम सेवक हैं जिनके पास मोटर साइकलें हैं अच्छी। 8 बुड्ढे हैं वे चला नहीं सकते, उनके पास में नहीं हैं। वे कहां से आयी हैं. मुझे मालूम नहीं। आपने जो पंचायतों के पूरे अधिकार ग्राम सेवकों को दिये हैं, मैं समझता हूं कि इस सत्र को बढ़ाना चाहिए था और हमको इन दोनों अधिनियमों में संशोधन करके पंचायतों के चुनाव जल्दी कराने चाहिए थे। हम नहीं करा सकते हैं, यह जो आपने दिया है इसका मतलब है इसको आप 7-8 महीने टालना चाहते हैं। हम चाहते हैं, अभी आपको जनादेश मिला हुआ हैं इन संस्थाओं में जनादेश मिल जाऐगा आपके हक में। एक मेरा मित्र था। मैंने कहा, अभी तू जाकर इसके सामने बैठ जा। तो उसने कहा, मैं इससे एक सौदा करना चाहता हूं। मैंने कहा, देख, इस तरह की बात नहीं की जाती है, चुनाव के अन्दर विथड्रावल की बात आदमी को ईमानदारी से करनी चाहिए। उसके बाद अगर तेरी आर्थिक स्थिति खराब है तो हम बात करेंगे। ऐसी बात मैं नहीं करूंगा। तो वह कहने लगा, बाणियो और बड़ो तातो तातो ही खाणो चाइजे। इसलिए आप अभी गरमा गरमा के अन्दर जो भुट्टे सेंकना चाहते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन भुट्टे सिकने वाले नहीं हैं, ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए जन-प्रतिनिधि आप सरपंचों को रखिये या पूरी पंचायत को रेस्टोर कर दीजिए। दो ही आल्टरनेटिव हैं तीसरा कोई आल्टरनेटिव आपके सामने नहीं है।

मैं ज्यादा समय, सभापति महोदय, नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

लेना चाहता लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के सम्बन्ध में पूरा का पूरा पैराग्राफ है। इसमें परम्पराओं की दुहाई दी गयी है, निष्पक्ष कार्य क्षमता और सन्तुलित दृष्टिकोण की दुहाई दी गयी हैं। वे आन्सरेबल हैं टू दी गवर्नमेन्ट, इसमें कोई दोराय नहीं है। आन्सरेबल इसलिए हैं कि आपकी सरकार कांस्टीट्यूशन के प्रावधानों के अन्तर्गत बनी है। उनकी आन्सरेबिलिटी और अकाउण्टेबिलिटिको पिनपाइण्ट कीजिए, इसमें मेरी दोराय नहीं है। और उनकी ए. सी. आर. में बराबर इस चीज का उल्लेख करते चले जाइये उनको टार्गेट देते वक्त। लेकिन जिस तरह की विसंगतियों की बात कही गयी है, एक वैल्ड ग्रैंट ब्यूरोक्रेसी और पूरे प्रशासन तन्त्र को दिया है, मैं ऐसा मानता हूं जिससे प्रशासनिक सेवाओं का मनोबल टूटेगा। आपका विसंगतियों से क्या मतलब है ? आपका परम्पराओं से क्या मतलब है ? आप यह क्यों कहना चाहते हैं ? लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की ड्यूटी और फिजिकल टार्गेट्स का क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी है। अगर वे नहीं करते हैं, आप ईमानदारी और कुशलता के ऊपर निश्चित तौर पर जोर दीजिए लेकिन विसंगतियों के नाम पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को डिमोरलाइज करने के लिए जो आपने यह ग्रैंट दी है मैं इसको उचित नहीं मानता।

सभापति महोदय, यहां पर पेज 14 पर डंकल प्रस्तावों के सम्बन्ध में चर्चा हुई। अभी कपासन से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में पेटेण्ट एक्ट के सम्बन्ध में, सब्सिडी जो बीज और कृषि के क्षेत्र में दी जा रही है उस सम्बन्ध में और इण्टलैक्चुअल प्रापर्टी और राइट्स के सम्बन्ध में कुछ बात कही। मैंने डंकल ड्राफ्ट प्रपोजल्स को पढ़ा है। डंकल पहले गैट का जनरल मैनेजर था। अब वह नहीं है। उसके प्रपोजल थे और यह उरुग्वे में 10वां राउण्ड था। यह बहुत लम्बे अर्से से चल रहा था कोई आज का मामला नहीं है। इसलिए जो डंकल के मसविदा प्रपोजल्स हमारे सामने आये हैं....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : प्रणब मुखर्जी का भाषण है।

श्री परसराम मदेरणा : किस मामले में ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : डंकल के मामले में।

श्री परसराम मदेरणा : डंकल के मामले में तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी आप जन प्रतिनिधियों का पूछ रहे थे वैसे ही प्रश्न पूछ लेंगे माननीय सदस्य। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा इस सदन में एक दिन की हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता। इसका कुप्रभाव पड़ेगा कि अच्छा प्रभाव पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, शंकाएं और आशंकाएं जो लोगों के दिमाग में हैं उसका निदान निश्चित तौर पर होना चाहिए। स्पष्ट तौर पर ये जो प्रस्ताव हैं इनके ऊपर पार्लियामेन्ट में बहस होगी। अभी इस एग्रीमेण्ट को किसी ने साइन नहीं किया है। यह आज डवलप्ड और डवलपिंग नेशंस के बीच में टैरिफ और ट्रेड के

(श्री परसराम मदेरणा)

मामले को लेकर ग्लोबल प्रतिस्पर्धा चल रही है उससे यह सम्बन्ध रखने वाली चीज है। मैं ऐसा मानता हूं कि सब्सिडी, बीज और इसके सम्बन्ध में कतई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हम पांच प्रतिशत सब्सिडी भी नहीं देते हैं पूरे प्रौडक्शन कास्ट की। इसका असर आपके टैरिफ से पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीजें यहां आने के बाद महंगी हो जाएं। इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए। उचित होगा और मेरा यह सुझाव है कि डंकल प्रस्तावों के ऊपर सोमवार को चर्चा हो जाए। मुख्य मंत्रीजी, आप इस पर क्या करेंगे ? उस प्रभाव को रोकेंगे कैसे, असर पड़ रहा है ? क्योंकि आप हमेशा ही घुटने टेकने की बात जो कर रहे हैं, अब आपके तीन साल तो निकल गये, कि कांग्रेस में उसने घुटने टेक दिये, उसने घुटने टेक दिये, मैं घुटने नहीं टेकता।

(15 00)

आप मुख्य मंत्री थे, बी. जे. पी. के मुख्य मंत्री पटवाजी थे, गांधीसागर कैचमेंट एरिया में इण्टरप्शंस हुए उनके रिमूवल की बात, एक लम्बे अरसे से अन्तर्राज्यीय डिस्प्यूट से अन्तर्राज्यीय चल रहा है उसका समाधान तो कर देते। क्योंकि दोनों राज्यों के एक थे और आप जनादेश लेने के लिये, मैं सोच रहा था, जयपुर आयेंगे सीधे ही। आप जम्मू से रवाना हुए। जनादेश एक राजस्थान का ही नहीं है, पहले पांच राज्य और फिर पूरा देश इस जनादेश को निकले चारों तरफ से चार नेता। यह तो मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि राजस्थान के बी. जे. पी. के नेता भी राष्ट्रीय नेता में गिने जाते हैं और वह चारों तरफ से आये और चारों तरफ आकर के भोपाल में एकत्र हुए। पहले मैं सुना करता था, सभापति महोदय, कि शंकराचार्य के चार मठ हैं लेकिन यहां पर एक पांचवां मठ भोपाल भी था। कल जो डींग हांक रहे थे, आपकी मध्यप्रदेश में जो दुर्गति हुई वह हिन्दुस्तान की जनता जानती है। इसलिए यह उचित होता कि डंकल प्रस्ताव पर चर्चा हो जाती। भारत सरकार अगर एग्रीमेंट करने जा रही है इसकी चर्चा होगी, कानून में संशोधन होंगे। कोई एक ग्रुप आफ नेशन्स की चर्चा यूरोप में हुई थी और इसलिए इनका यह मानना है कि इस पर वहां हस्ताक्षर कर दिये हैं। अभी इस पर पार्लियामेंट में बहस होगी और वह जनरल एग्रीमेंट क्या होता है, इस सम्बन्ध में पहली चर्चा राजस्थान में होनी चाहिये। क्योंकि राजस्थान को तो कान्करेंट या स्टेट लिस्ट के अन्दर कोई अधिकार नहीं है इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने का। कानून का तो है भारत सरकार को है अण्डर आर्टिकल, अब वह कौनसा आर्टिकल है मुझे मालूम नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन कर रहा था कि चर्चा अगर नहीं हो सकती है, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य अभी यहां कह रहे थे विपुल खनिज सम्पदा, उपजाऊ धरती और प्राकृतिक विपदाओं की बात, मैं यह कहता हूं कि जो भी सम्भव हो किसी भी क्षेत्र में राजस्थान के विकास के लिए, क्योंकि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में जो आल इण्डिया इण्डीकेटर है उसमें सबसे नीचे है यह हमारे सबके लिए शर्म की बात है लेकिन इसकी कुछ सामाजिक कुरीतियां भी हैं, जोधपुर में

(श्री परसराम मदेरणा)

आज जो शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 15 साल पहले जगजीवन रामजी ने वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के मौहल्लों में मीटिंग करके कहा था कि आप इन कुरीतियों को छोड़ दीजिये, आप जोधपुर शहर में रहते हैं, आपके पास में शिक्षा की सभी सुविधाएं हैं लेकिन आप उन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य अभी महिलाओं की शिक्षा के बारे में बहुत चिन्तित थे। आपके सामने तो यह समस्या है नहीं क्योंकि आपका छोटा परिवार है लेकिन दूसरों के सम्बन्ध में चिन्ता करनी चाहिये क्योंकि यह राजस्थान का प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं बहुत गम्भीरता के लेता हूं। शिक्षा का आपने उल्लेख भी नहीं किया है। शिक्षा के सम्बन्ध में नयी नीति बनानी चाहिये, शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिये। आज जो स्थिति है गांवों के अन्दर शिक्षा की, शिक्षण की ही नहीं चिकित्सा के अन्दर भी वहां पर डाक्टर, कम्पाउण्डर और नर्सिंग स्टाफ नहीं पहुंचता है।

यहां पर बहुत सी बात कही गयी हैं, 40 साल के अन्दर कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं है आप उस पर पानी फेर दीजिये। मगर आप फेर नहीं सकेंगे। लेकिन सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह दिया कि आपने कोई पाप किया है, आपका 40 साल का किया हुआ पाप है। वे यह भूल जाते हैं कि राजस्थान की होस्टाइल नेचर जिसमें सिचुएट है, जिस राज्य में तीन चौथाई थार डेजर्ट सिचुएट है, जिस राजस्थान की 800 किलोमीटर भूमि अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर से लगी हुई है, जिस राज्य में एक भी पैरीनियल रिवर सिवाय चम्बल नहीं है, जिस राज्य में अण्डर ग्राउण्ड वाटर मिनिमम है किसी भी कण्ट्री के स्टेट के मुकाबले में, जिस राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने के लिए बहुत ज्यादा निवेश करना पड़ता है और अगर कांग्रेस सरकार ने नहीं किया है तो जब राजस्थान बना तो राजस्थान में 12 मेगावाट बिजली पैदा हो रही थी, 2800 मेगावाट के अन्दर आपका योगदान 8 मेगावाट का है, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य। इसलिए यह जो इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आप राजस्थान के अन्दर जाइये, मैं समझता हूं खाचरियावास में एक सड़क जाती है, पास से ही निकलती है कुली जाती है रेनवाल से, मुझे किसी ने कहा कि आपको नागौर पहुंचने के लिए रास्ता यह नजदीक है एक दफा मैं गया हूं और वहां आपका जहां गांव आया हुआ हैं, आप जब सरकारी नौकरी में थे तो ऊंटों पर चलते थे, मैं भी पढ़ रहा था तो 40 मील ऊंट पर आता था, ग्रेवल सड़क का नाम नहीं था, 1953 में मैंने चीफ इन्जीनियर से यह कहा कि सैण्ट्रल से रोड फण्ड आता है, उन्होंने कहा मेरे पास डिस्क्रिशनरी फण्ड है, किशोरीलालजी उस वक्त चीफ इन्जीनियर थे, मैंने कहा कि आप कुछ रोड बना सकते हैं ओसियां से खीणसर तक। आठ हजार रुपये में एक किलोमीटर बढ़िया ग्रेवल सड़क बनती थी उन दिनों में। ओसियां में सड़क नहीं थी। आज इतनी

(श्री परसराम मदेरणा)

डामर की सड़कें हर तहसील हैडक्वार्टर से जुड़ी हुई हैं, नेशनल हाईवेज हैं। शिक्षा के अन्दर कोई भी ग्राम पंचायत राजस्थान में नहीं हैं जिसमें मिडिल स्कूल नहीं है। एक आध कोई रह गयी होगी क्योंकि रह सकती हैं। (व्यवधान)....

श्री भंवरसिंह चौधरी (मेड़ता) : कई हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पंचायतों की बात कर रहा हूं लेकिन मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि जोधपुर जिले के अन्दर एक भी पंचायत नहीं हैं। कई पंचायतों में तो दो-दो मिडिल स्कूल हैं। सैकण्डरी स्कूल, हायर सैकण्डरी स्कूल, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं। शिक्षा का प्रचार और प्रसार, आपके आवागमन के साधन, आज राजस्थान की जितनी भी नगरपालिकाएं हैं, जब आप सत्ता में आये थे पीने के पानी की सभी स्कीम्स एक्जीक्यूट कर दी थीं, एक भी नगरपालिका नहीं बची है कांग्रेस के राज में। अब तो रेवेन्यू विलेजेज 37 हजार और कुछ हो गये हैं लेकिन उस वक्त 33 हजार थे उनमें से 28 हजार गांवों को कवर कर लिया गया था और चार हजार गांव बाकी बचे थे।

श्री भंवरसिंह चौधरी : श्रीमान् आज भी पानी नहीं है....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : पानी की तो प्रॉब्लम आ सकती है। आपके वहां से जो सोर्स थे, वह कौनसा गांव था, डांगास में पानी आने के लिए वहां से एक रीजनल पाइप लाइन आयी थी उसके बाद में आज डांगास में कितने ट्यूब-वैल लग गये, आज खेती लहलहा रही है। इसलिए मैं यह कह रहा था कि ये जो योजनाएं बनी हैं। इनका रिआर्गेनाइजेशन किया जाये। छोटी बनी योजनाओं की वजह से टेल एण्ड तक पानी नहीं पहुंचा है और इसी बात का सर्वे कराया था। परसों जब पी. एच. ई. मिनिस्टर ने मीटिंग ली थी उस मीटिंग में भी मैंने यह कहा था कि इस प्रकार के रिआर्गेनाइजेशन के प्रपोजल्स आलरेडी राज्य सरकार के पास में उस वक्त मंगाये जा चुके थे। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है, आज इंटीग्रेटेड राजस्थान में जिस इन्फ्रास्ट्रक्चर का आपको बेस मिला है उसी के आधार पर तो आप फाइनेंशियल विजार्ड बनने की सोच रहे हैं। नहीं तो आज सन् 1947–48 की स्थिति रहती, जब राजस्थान बना था, राजस्थान का विकास नगण्य था उस वक्त। इसलिए मैं यह कहता हूं कि उसमें बराबर राजस्थान ने प्रगति की है। आगे करने के लिए बहुत कुछ करना शेष रह गया है और इसलिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो किया गया है उसको पूरे को नकार देना, मैं कल देख रहा था कि यहां पर गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे बहुत समस्यां हैं। विकास के साथ में समस्या खड़ी होती है। बिजली की वजह से लगातार वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। गवर्नमेण्ट के साथ में भी प्रॉब्लम्स हैं, कान्स्टेंटली और विदाउट लेट, उनको साल्व करने के लिए हमको क्रोस पर रहना पड़ेगा लेकिन इस बात से इन्कार करते हैं।

(श्री परसराम मदेरणा)

माननीय सदस्य, गंग कैनाल का सिस्टम तो अपने यहां 1929 में आ गया था लेकिन राजस्थान कैनाल और भाखड़ा के दो इरिगेशन सिस्टम जिनका सिंचित एरिया 10 लाख एकड़ के आस-पास है और दोनों का 20 लाख एकड़ का है, राजस्थान के किसी भी जिले के अन्दर आजादी के बाद में नहरों से 20 लाख एकड़ में सिंचाई नहीं हो रही है, यह है कांग्रेस की देन। इन्दिरा गांधी कैनाल जो संसार की सबसे बड़ी कैनाल है, स्टेट अपने रिसोर्सेज से अभी तक लेट रही है मोहनगढ़ तक व्यास ऋषि की गुफा से, मैं जब गया था 1984 में कौल प्रोजेक्ट की एम. ओ. यू. के लिये तो मैंने वहां इंजीनियर्स से पूछा था उस समय, एक दो आदमी शायद आज भी बैठे होंगे, कल आपके साथ में थे मीटिंग में, उसमें आपके चेयरमैन भी थे वहां पर, मैंने उन इंजीनियर्स से पूछा था कि व्यास ऋषि की गुफा, जहां से पानी का उद्गम हुआ, से मोहनगढ़ की डिस्टेंस क्या है? उन्होंने मुझे बताया कि 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर से हिमालय का पानी पहुंचा, यह है कांग्रेस राज की उपलब्धि और उसकी देन, उसका अचीवमेंट। यदि आप इसलिए बीलिटिल करना चाहते है तो आपकी मर्जी की बात है........ (व्यवधान).... मेरी बात सुन लीजिए आप जिस वक्त लेबर प्राइम मिनिस्टर के अगेन्स्ट जब कंजरवेटिव पार्टी द्वारा नो कांफिडेंस का मोशन लाया गया था और मिसेज थैचर बोल रही थीं और काल्हन के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगा रही थीं, एलीगेशंस लगा रही थीं उस समय प्राइम-मिनिस्टर खड़े हुए और बहुत विनम्र शब्दों में स्पीकर को, सभापति महोदय, उन्होंने निवेदन किया कि आनरेबल लेडी का मेरे खिलाफ एक-एक आरोप अनट्रूथफुल है जो उसका उच्चारण कर रही है। लेकिन मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं सच्ची एक बात भी नहीं कहूंगा, मैं सच्ची बात कहने की हिमाकत कर रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि पाप और उसकी बात कर रहे हैं, हमने कौनसा पाप किया? राजस्थान को आगे लाये और पाप कार्य किया है तो सहकारिता और पंचायती राज का भट्टा बैठा कर आपने बहुत बड़ा पाप किया है, आप इसके ऊपर प्रायश्चित कीजिए। यह जो वायुमण्डल, हवन, धार्मिक सम्मेलन, आयोजन और प्रयोजन जैसे कार्यक्रम जो किये जयपुर के अन्दर, उससे लोगों की गरीबी, भूख और रोटी की समस्या को मुख्य मंत्रीजी हल करना चाहते है वह हल होने वाली नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं कहूंगा कि जिन मुद्दों को लेकर वह राज्य सरकार आयी है यह पालिसी स्टेटमैण्ट नहीं है। और जब आप सिर्फ अवकाश पर थे, आपकी कन्टीन्युटी थी तो उस कन्टीन्युटी के बाद पालिसी का यहां पर दिग्दर्शन नहीं करना और कुछ कार्यक्रम रख कर इस पर चर्चा करवाना, मैं समझता हूं कि कोई भी इससे ज्यादा लाभ नहीं हुआ है। पालिसी के सम्बन्ध में सरकार ने कोई मुद्दा रखा नहीं है जिस पालिसी के सम्बन्ध में मैं कहता। इसलिए जो प्रस्ताव यहां पर आया है उसका समर्थन करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री सभापति : माननीय मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, धन्यवाद प्रस्ताव पर जिन-जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है, मैं उन सब के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

सभापति महोदय, चर्चा में जो विपक्ष की तरफ से मुद्दे उठाये गये हैं उनमें से अधिकांश का उत्तर हमारे पक्ष की ओर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने दिया है। ऐसी स्थिति में मेरे सामने एक समस्या खड़ी है कि मैं किन विषयों के ऊपर इस सदन का ध्यान आकर्षित करूं।

सभापति महोदय, जनादेश की चर्चा की गयी मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े विस्तार से उसकी चर्चा की है और मैं नहीं समझता हूं कि उन्हीं बातों को दोहराना यहां किसी भी प्रकार से आवश्यक है। मोटे तौर पर यह कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी का साम्प्रदायिक स्वरूप यह जनता को मान्य नहीं हुआ और इसके कारण उत्तर प्रदेश या बाकी के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। यहां धर्म की व्याख्या भी की गयी। धर्म के साथ संविधान का क्या मेल है, उसका भी उल्लेख किया गया और आरोप यह लगाया गया कि हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं।

सभापति महोदय, इस प्रश्न पर भी पूर्व में माननीय सदस्य विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। मैं सदन का ध्यान उस संविधान की ओर दिलाना चाहूंगा जिस संविधान में आज के कुछ वर्ष पहले एक संशोधन किया गया था और संशोधन कर उसके प्रिएम्बल में कुछ बातें लिखी गयी थीं। प्रिएम्बल पढ़कर सुना रहा हूं :

"We, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens........"

नीचे सारी बातें लिखी हुई हैं। संविधान के प्रिएम्बल में "समाजवाद" शब्द लाया गया और इसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने 1991 के घोषणा पत्र में लिखा है, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं : "........कांग्रेस की समाजवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता अडिग है। हम स्पष्ट रूप से यह घोषणा करते हैं कि बाजार की शक्तियां अनियंत्रित रहने देने और निजी स्वार्थों और लालच पर अंकुश न लगाने के रास्ते भारत के लिए उचित नहीं हैं। भारत में राज सत्ता उन लोगों को अर्थ-व्यवस्था में सार्थक भूमिका दिलाने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करती रहेगी। जो गरीब है, जिनके पास उत्पादन के लिए जरूरी सम्पत्ति नहीं है। गरीब को बाजार की शक्तियों की दया पर नहीं छोड़ा जा सकता है।"

मैं कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि आज कल आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में और आपके कृत्यों में यह "समाजवाद" गायब कैसे हो गया? "समाजवाद" शब्द लोप कर दिया गया यह बात मेरे भी समझ में नहीं आती है। उधर समाजवाद गया और ठीक इसके विपरीत जो आपने घोषणा-पत्र में कहा था कि हिन्दुस्तान के गरीब को खुले बाजार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के आतंक से बचाना पड़ेगा, खुले बाजार की दया पर नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं आज के दिन कि समाजवाद को भूल कर आपने इस देश की जनता को खुले बाजार के आतंक के परिवेश में लाकर छोड़ दिया है ? आपको इस बात की चिन्ता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के लिए साम्प्रायिकता की बात कह दें - लेकिन उस संविधान की प्रस्तावना में, प्रिएम्बल में जहां "समाजवाद" शब्द जोड़ा गया है, विशेष तौर से जोड़ा गया है, इंदिराजी ने यह शब्द जोड़ा और घोषणा पत्र राजीव गांधी ने बनाया, राजीव गांधी और इंदिराजी की मंशा के विपरीत आप खुले बाजार की शरण में क्यों ले जा रहे हैं, इसका जवाब आपको देना चाहिये था। न आज तक आम सभाओं में दिया, न विधान सभा में दिया और न लोक सभा में उत्तर देना चाहते हैं। इसी आधार पर डर लग रहा है....

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : जसवन्त सिंहजी ने दे दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जसवन्त सिंह जी ने दे दिया वह तो मुझे मालूम है लेकिन आपके.....

श्री जगदीप धनखड़ : आपके मुरली मनोहर जोशीजी को स्वीकार नहीं हुआ। आपके सदस्य ने दे दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दे दिया, यह बहुत खुशी की बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : आपके तत्कालीन अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया उसको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी दे दिया, वह भी स्वीकार नहीं किया लेकिन आपके प्रतिनिधि जसवन्त सिंहजी बन गये और आप में बोलने की शक्ति नहीं है, अपनी मनोभावना प्रकट करने के लिए आप जसवन्त सिंहजी की आड़ ले रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा मत कीजिये, समाजवाद की मनोभावना थी वो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आपमें से तो आज तक कोई बोला नहीं। नहीं बोला और इसी कारण जब डंकल प्रस्ताव की चर्चा आती है तो डंकल प्रस्ताव के कारण आज हम किस प्रकार से विदेशी शक्तियों के हाथों में जा रहे हैं, इसका भय होना स्वाभाविक है। और इसी भय के कारण डंकल प्रस्ताव, चाहे प्रापर्टी राइट्स का प्रश्न हो, चाहे खेती का प्रश्न हो, चाहे बीज का प्रश्न हो, हमें उस आधार पर इसका विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि विदेशी शक्तियां आज हिन्दुस्तान में छद्म वेश में अतिक्रमण कर रही हैं और यदि हम नहीं संभले तो आप यह भरोसा रखकर चलिये कि कुछ वर्षों के बाद हमारी सरकारें पंगु हो जायेंगी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं जिस समय पर्यावरण सम्बन्धी चर्चाएं देश और विदेश में हो रही थीं, उस समय मुझे एक तो पत्र मिला और एक पोस्टर। उस पोस्टर में उल्लेख किया गया कि हिन्दुस्तान में बना हुआ कालीन नहीं खरीदा, उसके पीछे कारण यह बताया गया कि कालीन को बनाने में चाइल्ड लेबर का उपयोग किया जाता है और उसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से हिन्दुस्तान का मार्बल है, इस मार्बल की जब विदेशी मार्केट में धाक जमने लगी तो इस मार्बल के लिए भी यह प्रचार किया गया कि उसमें बांडेड लेबर काम करती है, इसलिए हिन्दुस्तान का मार्बल नहीं खरीदा। अब यह दो प्रवृत्ति का द्योतक है कि उन विकसित राष्ट्रों की प्रवृत्ति विकासशील देशों के प्रति किस प्रकार की थी और वैसी स्थिति में आप समाजवाद को बिलकुल भूल जायें विदेशी दबाव में आकर और पूंजीवाद की शरण ले लें और पूंजीवाद की शरण में जाकर विदेशी ताकतों की पूजा करें, यह हिन्दुस्तान की जनता सहन नहीं कर सकती चाहे डंकल का प्रस्ताव हो, चाहे कुछ भी हो....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें बार-बार।

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं नहीं, उधर से घनश्यामजी ने किया....(व्यवधान)

श्री सभापति: इसका मतलब यह है कि उन्होंने किया तो आप भी करेंगे...(व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : सभापति महोदय, हम नहीं करेंगे, उनका अनुसरण नहीं करेंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने ईल्ड किया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, कल्याण सिंहजी आपकी ही की पार्टी के थे, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उन्होंने ही इतना बड़ा प्रस्ताव रखा कि हमारे यहां आपेनी सिटी हो और उन्होंने इस मामले में काफी मेहनत की। आपका भाषण उन्होंने शायद सुना नहीं क्योंकि आप आज दे रहे हैं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे ऐसा लगता है कि उनको जानकारी नहीं है। यह प्रस्ताव हरियाणा का है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : कल्याण सिंहजी ने रखा था, हार गये। वह तो आप अकेले थे जिन्होंने भजन लालजी को हराया है। कल्याण सिंहजी उनसे हार गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये, आपको पूरी जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : सभापति महोदय, ये हर वक्त ऐसा करते रहते हैं, हम भी बीच में बोल सकते थे, ऐसी क्या बात है।

श्री सभापति : विराजिये, विराजिये। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह प्रस्ताव कल्याण सिंह जी का नहीं था, यह प्रस्ताव हरियाणा का था। अब ऐसी स्थिति में डंकल प्रस्ताव पर सदन में चर्चा करने की बात उठायी जाये, मैंने प्रधान मंत्रीजी को पत्र लिखकर एक दूसरे रूप में इस बात को रखा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट के सम्बन्ध में भारत सरकार कोई भी निर्णय ले, मैं यह मानता हूं कि कोई भी नेशनल एग्रीमेण्ट भारत सरकार करती है तो राज्य सरकारों से परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है, संविधान की दृष्टि से इस प्रकार के एग्रीमेण्ट कर सकती है लेकिन हमने यह निवेदन किया कि इस बात की आवश्यकता जरूरी है कि सारी स्टेट्स के चीफ-मिनिस्टर्स

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को बुलाकर डंकल प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की जाये और चर्चा करने के बाद में हिन्दुस्तान अपनी उस पर सहमति प्रकट करे। तो मैं समझता हूं, अब डंकल प्रस्ताव के ऊपर चाहे यहां चर्चा करें, चाहें कहीं चर्चा करें, यह चर्चा तो जब ही बदलेगी और वह रूप जब ही बदलेगा...

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): आप यह कहते हैं, आप ठीक कह रहे हैं बात। आपने पत्र लिखा है प्रधान मंत्रीजी को और उसमें आपने यह कहा है कि चीफ मिनिस्टर्स और एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स को बुला लें...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने यह लिखा है कि स्टेट्स को बुलाकर उनसे चर्चा की जाये।

श्री परसराम मदेरणा : स्टेट्स की जब आप बात करने जा रहे हैं, एक तरफ आप हमसे सहयोग की बात कर रहे हैं, अगर इसमें चर्चा होती तो हम भी आपको सुझाव देते। लेकिन आपका जो दृष्टिकोण है वह संकुचित और पेरोकियल है सब मामलों में और आपका जो इकानामी का अप्रोच है लिबरलाइजेशन के सम्बन्ध में, हमने समाजवाद को नहीं छोड़ा है, सूरतगढ़ के अन्दर इस पर बहुत चर्चा हुई हैं और उसके बाद में कोई मीटिंग नहीं हुई है। लेकिन आप इस बात की क्यों डिस्टार्ट कर रहे हैं? आपको फारेन एक्सचेंज चाहिये कि नहीं चाहिये? डीजल कहां से लायेंगे और आप केरोसीन कहां से लायेंगे? डीजल नहीं होगा तो हिन्दुस्तान की 2000 गाड़ियां और ट्रक्स कहां से चलेंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कब मना कर रहा हूं?

श्री परसराम मदेरणा : और एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी के लिए आज लिबरलाइजेशन जरूरी है, उसका लक्ष्य यह रखा गया है कि हमको कभी भी बाहर से ऋण नहीं लेना पड़े और हम सैल्फ-सफिशियंट बन जायें इकानामिकली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं पूरे चुनावों में किसी भाषण में किसी नेता ने समाजवाद की चर्चा की हो तो बता दें। नहीं हुई।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : सबने की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं हुई।

श्री चन्दनमल बैद : आपने हमारा भाषण सुना नहीं, सुनते तो बड़ा फायदा हो जाता।

डा. हरिसिंह (फुलेरा) : अब ये एकदम से आपको सपोर्ट करने लग गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : डाक्टर साहब, यह समाजवाद और पूंजीवाद की चर्चा में आप क्यों फंस रहे हो।...(व्यवधान) मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि 1991 में जो नारा देकर आपने वोट

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

लिये थे, 1993 में उन नारों को भूल गये। आप भूल ही नहीं गये उसके विपरीत आपने आचरण शुरु किया। इसीलिए, सभापति महोदय, मैं कह रहा था डंकल प्रस्ताव पर चर्चा करने की विशेष बात हो, अगर माननीय सदस्य चाहेंगे और यदि आपके भाषण का कोई प्रभाव पड़ता हो और दिल्ली की सरकार के मानस में कोई परिवर्तन आता हो, यह मुझे पहले पता नहीं था वरना मैं इसी सत्र में उस प्रकार का प्रस्ताव रख देता। लेकिन जल्दी ही विधान सभा का सत्र बुलाया जायेगा, मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य डंकल प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ ज्ञानवर्द्धन इस सदन का करें और कम से कम वह इस बात का विश्वास दिलायें कि डंकल प्रस्ताव के कारण हिन्दुस्तान के किसान को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि ..

श्री जगदीप धनखड़ : आप कुप्रभाव तो बताइये।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें। ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कुप्रभाव.. (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : नहीं बहस हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय...

श्री सभापति : कृपया आप व्यवधान नहीं डालें, ठीक नहीं है।

डा. हरिसिंह : सभापति महोदय, आप अपने एटीट्यूड को कृपया विनम्र रखिये, मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : मैं समझ गया। कृपया बिराजिये। शांति से सुनिये, समझ में आयेगी कुछ बात। (व्यवधान) आप कृपया बिराजिये। आपकी व्यवधान डालने की आदत बहुत पड़ गयी हैं। कृपया शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह सब जानते हैं कि डंकल प्रस्ताव हमने मर्जी से नहीं किया है। यह वर्ल्ड बैंक और आई. एम. एफ. के दबाव में किया। (व्यवधान) यह देखो रिकार्ड होगा, यूं मत बोलो आप।

श्री परसराम मदेरणा : यह रिकार्ड होगा, मैं चाहता हूं आपका जो ट्रेक रिकार्ड है, वह भी रिकार्ड होना चाहिये और मेरा भी ट्रेक रिकार्ड है मेन्टल इंटीग्रिटी का, वह भी रिकार्ड होना चाहिये। आप डिस्टार्ट कर रहे हैं फैक्ट्स को और भ्रम फैला रहे हैं यहां पर कोई लेपर्ड आ रहा है, आ रहा है, वह आया, वह आया, कौन आया...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, डंकल आ रहा है डंकल आ रहा है और आपका यह डंकल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा मतलब यह नहीं था। आपका ज्यादा ज्ञानवर्द्धन कर देते, इस प्रस्ताव पर कुछ चर्चा हो जाती तथा मुख्य मंत्रीजी की हैसियत से जब आप जाते तो अभी जो आप जनता को अंधेरे में रख रहे हैं, डार्क में रख रहे है और भ्रम फैला रहे हैं, शायद उसमें भी आपका ज्ञानवर्द्धन हो जाता और हो सकता है आनेस्टली भी बोनाफाइडली आप इस बात को जब सोचते, आपकी जो विचारधारा है वह संकुचित है और मेरे दृष्टिकोण से सोचेंगे तो आप तर्क को कुतर्क बना देंगे लेकिन अगर आप यह सोचते हैं, सबका इसमें सजेशन है, पूरा सदन विचार रखता है डंकल प्रस्तावों के बारे में तो आपको इस प्रपोजल पर अपनी टिप्पणी करने में मदद मिलती, इतनी ही बात थी। हम यह नहीं कह रहे हैं कि चर्चा कराइये। हम तो जानते हैं भारत सरकार कभी भी उस प्रस्ताव को लाने वाली नहीं है। जो देश कृषि प्रधान देश है, जहां के 80 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर हैं और, मुख्य मंत्रीजी, कई दफा व्यवधान डालने में आपकी स्पीच ज्यादा जमती है इसलिए अपने को ज्यादा व्यवधान नहीं डालना चाहिए, नहीं तो ये उस पाइन्ट को फिर डिस्टार्ट कर देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यदि मेरी सहायता के लिए आप व्यवधान डाल रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव के बारे में आजकल सारे देश में चर्चा हो रही है। समाचार पत्रों में चर्चा हो रही है, जितने भी हिन्दुस्तान के किसान संगठन हैं वे सब इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : महाराष्ट्र के शरद जोशी ने इसका सपोर्ट किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन्टलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स के सम्बन्ध में भी दो विचारधाराएं चल रही हैं। इसलिए आप जैसा कहें कि हिन्दुस्तान के किसानों का हित इसमें निहित है इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता। अवसर आयेगा उस समय आपको पता चलेगा कि डंकल प्रस्तावों के कारण किसानों की कितनी बरबादी हो रही है।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण यह कहा गया कि राजस्थान में सरकार डंकल का कुप्रभाव नहीं होने देगी। डंकल का क्या फायदा होगा, नुकसान होगा, होगा, कितना ज्ञानवर्द्धन होगा। आपने गवर्नर के अभिभाषण में बताया है तो आप यहां बता दीजिए कि क्या कुप्रभाव होने वाले हैं उसके।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो बात कही है, कुप्रभाव तो अभी नहीं, वह तो रेलिगेटेड बैक अभी तो कह रहे हैं बरबाद हो जायेंगे। यह बरबाद करने वाली बात आपने कही है। किस संदर्भ में बरबादी होने वाली है और आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गये...(व्यवधान) मैं इसलिए भाषण की बात नहीं कर रहा हूं। ये इमेजनरी बात कह रहे हैं। अपने गांव में एक कहावत है, "खल, खेत और बेटी हेतु, आव जंवाई बेगो मरो" तो कैसे बरबादी हो जायेगी, आप बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में नहीं आता कि डंकल प्रस्ताव के मामले में आपको इतनी तो जानकारी होगी कि बीज का पेटेंटीकरण होगा। इसमें तो मैं समझता हूं किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को पता होगा कि उसके क्या परिणाम निकलेंगे। इसकी तो आपको जानकारी होगी। इसलिए जहां बात खेती में बीज से आरम्भ होने वाली है और बीज के सम्बन्ध में भी निश्चित नहीं है किसान अपने खेत में पैदा किये हुए बीज को काम में ले सकता है या नहीं ले सकता है।

श्री चन्दनमल बैद : ले सकता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपका कहना है। मेरा मानना है, नहीं ले सकता।

श्री चन्दनमल बैद : आप गलत सूचना दे रहे हैं सदन को।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप पब्लिक को देना गलत।

श्री सभापति : कृपया आप बिराज जाइये। मेरा निवेदन है कि 15 मिनट के भाषण में 15 दफा अवरोध हो चुका है। आप भाषण सुनिये ना।

श्री चन्दनमल बैद : ये गलतबयानी कर रहे हैं।..(व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय मोदी जी, आप विराजिए।...(व्यवधान)...

श्री विष्णु मोदी :... fears are exaggerated. The Government is working on a law to give protection to...(interruption)... rights are being included.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि डंकल प्रस्ताव का समर्थन किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य और तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे हैं।

श्री चन्दनमल बैद : बिल्कुल कर रहे हैं और आन-दी-रिकार्ड कर रहे हैं। हम यह भी कह रहे हैं कि आप गलतयानी कर रहे हैं।.. (व्यवधान)...

श्री सभापति : माननीय धनखड़ जी, आपका लम्बा भाषण था लेकिन कोई नहीं बोला। आप कम से कम डेढ़ घण्टे बोले हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापतिजी माननीय मुख्य मंत्री जी ने ईल्ड किया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बलरामजी जाखड़ का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए।...(व्यवधान)... बलरामजी जाखड़ ने 28 अक्टूबर को कहा है कि बीज पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचाने का प्रयत्न करेंगे। हिन्दुस्तान के कृषि मंत्री का स्टेटमेंट है। ये मोदीजी इसलिए बोल रहे हैं कि मोदीजी तो बीज का पेटेंटीकरण होने के बाद बहुराष्ट्रीय कम्पनी से बीज की एजेंसी ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : बीज के सम्बन्ध में आप यहां सदन को भ्रमित कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बलरामजी जाखड़ ने कही है यह बात।

(106)

श्री परसराम मदेरणा : आप सुनिए पहले, लंग पावर से काम नहीं चलेगा। कोई भी अनब्रूड बीज पैदा करता है और कमर्शियल लाइन से बेचता है, मेरे गांव का बाजरा मारवाड़ के अन्दर सबसे बढ़िया है...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उसको नहीं बेच पायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : आपको क्या मालूम है बाजरा क्या होता है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझे पता है बाजरा क्या होता है।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे गांव की बाजरी पूरे मारवाड़ के अन्दर सबसे अच्छा बीज है।... (व्यवधान)... उसको अगर आप कमर्शियल लाइन में बेचते हैं तो केवल आपको एट बंस लगाने पड़ेंगे, बस इतनी ही बात है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय मुख्य मंत्रीजी पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य को किशनगढ़ का कहने लग गये। मान्यवर, आप पर डंकल का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ गया कि बार-बार यहां पुष्कर से आने वाले सदस्य को किशनगढ़ का बता रहे हैं। कंफ्यूज मत होइये। (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि डंकल प्रस्ताव के क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं यह विपक्ष के नेता ने मंजूर कर लिया। उन्होंने इन शब्दों में कहकर किया है कि मेरे गांव के बाजरे का बीज सारे मारवाड़ में चल रहा है, मैं उसका कमर्शियल यूज करता हूं, दिक्कत इतनी से उन्होंने बताई कि अब उसका हिसाब रखना पड़ेगा। आज तक बिना हिसाब बेचते थे, अब उसका हिसाब रखना पड़ेगा। ...(व्यवधान) मैं अपने खेत में कुछ बीज पैदा करूं और उसका हिसाब रखूं और हिसाब देऊं तो काश्तकार कितना हिसाब देगा और कितना हिसाब नहीं देगा उस आधार पर मैं कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, ऐसी स्थिति में यहां पर कई विचार रखे गये और खास तौर से सब माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह बात कहलवायी जो नहीं कहलवायी जानी चाहिए थी। मैं माननीय सदस्यों को इतना कह देऊं कि मार्च, 1980 तक जब मैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री था, जून में चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद में फिर पहाड़ियाजी मुख्य मन्त्री बने और पहाड़ियाजी ने मुख्य मन्त्री बनकर उन्हीं राज्यपाल महोदय से जो मेरे वक्त में राज्यपाल थे, उनका यहां भाषण कराया, अगर दोनों अभिभाषणों की आप तुलना कर लें तो आपको ऐसा लगेगा कि उस समय उसी सरकार के राज्यपाल के मुंह से उस समय की सरकार ने क्या कहलवा लिया। आज उस पर आप आपत्ति कर रहे हैं ? ऐसी स्थिति में आप राज्यपाल महोदय के बारे में यह कह रहे हैं कि राज्यपाल से यह कहलवा लिया, वो कहलवा लिया। मुझे वह भाषण भी याद है, सभापति महोदय, जब राष्ट्रपति संजीव रेड्डी थे और मोरारजी देसाई उस समय प्रधान मंत्री थे और उनके बाद इन्दिराजी का जब शासन आया तो उसी संजीव रेड्डी से किस प्रकार का भाषण दिल्ली सरकार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के बारे में दिलवाया। मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि आपने राज्यपाल के प्रति बहुत सहानुभूति प्रकट की। बहुत सहानुभूति प्रकट की इसलिए तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्यपाल के निर्णय के पक्ष में आप किसी प्रकार की भी आलोचना सुनने को तैयार नहीं हैं लेकिन, सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं कि जब तीन तारीख को मुझे सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया उसी दिन रात्रि में आपके नेताओं ने भाषण दिया कि राज्यपाल महोदय दबाव में आ गये, उनका निर्णय जल्दी में किया हुआ निर्णय है; हमने तय कुछ किया था और कर कुछ दिया। अब मैं वह बात तो नहीं कहता कि हमने कार्ड छपा दिये और कार्ड यों ही रह गये लेकिन उस समय आपने कहा था, इस प्रकार के भाषण दिये थे। आपके नेताओं ने ही नहीं दिये, हरियाणा के नेता ने भी इस प्रकार के भाषण दिये और भाषण देकर राज्यपाल की आलोचना की थी। सभापति महोदय, राज्यपाल चाहे बलिराम भगत हों, चाहे चेन्ना रेड्डी हों, राज्यपाल के पद की गरिमा तो आदमी के साथ नहीं है, उस पद की गरिमा के साथ है..

श्री जगदीप धनखड़ : बारह तारीख को...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मेरी सुन लो आप।

श्री सभापति : धनखड़जी, कृपया बार-बार डिस्टर्ब न करें, मेरा नम्र निवेदन है आपसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य जानते हैं कि आपने चेन्ना रेड्डी के वक्त में एक घोषणा की थी कि मैं राजभवन का उद्घाटन करूंगा। अब मेरी समझ में नहीं आता..(व्यवधान).. वह ठीक है।

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : आपने भी फरमाया था कि मैं राज्यपाल से बात करना भी नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने जो कहा है, मैं किसी चीज से इन्कार नहीं करता। मैंने जो कहा कि राज्यपाल के पद की गरिमा होती है उस समय आपके नेता ने यह तक कह दिया कि जब तक चेन्ना रेड्डी रहेंगे, मैं अपने इस पद के ऊपर नहीं रहना चाहता। अब यह सब बातें सार्वजनिक हैं। इसलिए आप यह कहें कि राज्यपाल से हमने यह कहलवा लिया, राज्यपाल के पद पर कौन रहे, यह कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था और उसी प्रतिष्ठा के कारण से चेन्ना रेड्डी को यहां से जाना पड़ा। अब आज अब आज वह कांग्रेस तो कम से कम यह बात कहने की तो अधिकारी नहीं है कि हम पद की गरिमा का अनुभव करते हैं और उस गरिमा पर किसी भी प्रकार की आंच आती है तो हम उस आंच को सहन नहीं कर सकते। सभापति महोदय, जो गवर्नर या राज्यपाल आपके पक्ष में हों उनकी तो आप तारीफ करें, जो आपके विरोध में हों और विरोध में किसी प्रकार का कोई निर्णय हो जाये, आप उसकी आलोचना करें तो आप खुद ही

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

विचार कर लें, उस पद की गरिमा को घटाने का काम आप कितना कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यहां पर विपक्ष के नेता ने एक बात कही कि पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में आपको कमीशन अपाइंट करना है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यों और केन्द्र के बीच में जिस प्रकार के सम्बन्ध हैं, चाहे वित्तीय प्रश्न हो, चाहे प्रशासनिक प्रश्न हो, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात सही कही और मैं समझता था कि विपक्ष उसका समर्थन करेगा कि शनैः शनैः आज राज्यों के अधिकारों पर इतना अतिक्रमण हुआ है कि उस अतिक्रमण के कारण हमारी स्थिति नगरपालिका की स्थिति में आ गयी है। आज हमें चाहिए था, यह मैं कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं लेता, मैं व्यक्तिगत अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करूंगा, लेकिन राज्य के हितों पर यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ हैं तो निश्चित रूप से हम सब को मिलकर उसका विरोध करना चाहिए और विरोध करूंगा। सभापति महोदय, यह प्रश्न आज केवल मामूली सा प्रश्न नहीं है, आप सब को मालूम है कि राज्य और केन्द्र के बीच में क्या सम्बन्ध, किस प्रकार के हैं। उन सम्बन्धों के लिए भारत सरकार ने एक कमीशन अपाइंट किया जिसका नाम था सरकारिया कमीशन और जिसका जिक्र विपक्ष के नेता ने किया। सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1987 में दे दी, आज 1994 है। जो केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध के बीच का मामला था, भारत सरकार ने उस सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट, जो 1987 में प्रस्तुत हुई थी, पर आज तक अमल नहीं किया और अमल इसलिए नहीं किया कि उसकी सिफारिशें राज्य हित में भी बहुत थीं। राज्यों के हित में बहुत सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों को लागू करना भारत सरकार नहीं चाहती। मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से और विपक्ष के नेता के सहयोग से, उनके मौन से यह समझ कर कि आप भी इस बात का समर्थन करेंगे कि निश्चित रूप से सरकारिया कमीशन की सिफारिशों को जल्दी से जल्दी लागू किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : सरकारिया कमीशन की एक-एक रिकमण्डेशन को, मेरिट और डि-मेरिट के ऊपर माइण्ड अप्लाई करके आपके साथ को-आपरेशन देने की शर्त रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है। सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरिट और डि-मेरिट, इन दोनों के आधार पर वह चिन्तन करें, मैं भी उसके पक्ष में हूं...

श्री परसराम मदेरणा : आटोनोमी के नाम पर क्षेत्रीयवाद और क्षेत्रीयवाद में मुल्क का विभाजन नहीं कर बैठें कहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं।

एक माननीय सदस्य : वह कांग्रेस के हिस्से में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब मैं ऐसा समझता हूं, उसमें शायद आप इसका समर्थन नहीं करेंगे कि आर्टिकल 356 का उपयोग किस प्रकार से किया जाये, सरकार बनाने के प्रश्न पर बहुमत का निर्णय किस प्रकार से माना जाये, इन दोनों बातों को

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

शायद स्वीकार नहीं करेंगे, यह दोनों बातें आपके पक्ष में नहीं पड़तीं। लेकिन इन दोनों बातों को छोड़ दीजिए, बाकी की जो आर्थिक और प्रशासनिक मामलों में अतिक्रमण हुआ है उस अतिक्रमण के पक्ष में तो मैं मानता हूं कि आप मेरा समर्थन करेंगे और मैं यह विश्वास रखता हूं कि उस अतिक्रमण को रोकने के लिए पूरा सदन मेरे साथ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है।

सभापति महोदय, मैं इतना निवेदन और करना चाहूंगा, आज 1987 की रिपोर्ट पेश होने के बाद यह राज्य और केन्द्र सरकार के सम्बन्ध, इन पर अतिक्रमण कोई घटा नहीं है, अतिक्रमण और बढ़ा है, लगातार बढ़ता जा रहा है और उस अतिक्रमण को नहीं रोका, तो माननीय विपक्ष के नेता, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजपाल सिंहजी ने बात कही कि नगरपालिका बन गयी, बदतर हालत राज्यों की हो जायेगी। और इसलिए हमने फैसला किया है और मुझे खुशी है कि आपका उसमें सहयोग मिलेगा कि हम राजस्थान राज्य के अधिकार जिन पर भारत सरकार ने अतिक्रमण किया है, उसका विरोध करें और इस राजस्थान को उस अतिक्रमण से मुक्ति दिलायें। मेरा इसमें कोई व्यक्तिशः किसी से विरोध नहीं है लेकिन शनैः शनैः इस प्रकार की परिपाटी बनी जिसके कारण से हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है।

सभापति महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि राजस्थान की सरकार पंचायतों के बारे में फाइनेंस कमीशन ग्रांट नहीं करेगी, पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में। मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन है उसका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता। फाइनेंस कमीशन पंचायतों के लिए भी बनेगा, नगरपालिकाओं के लिए भी फाइनेंस कमीशन बनेगा। फाइनेंस कमीशन कैसा बनेगा उसके लिए विधान सभा में मुझे एक कानून को लेकर आना भी पड़ेगा। यहां पर यह कहा जाये कि पंचायतों के चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है, मैं आपको इतना ही बता दूं कि न तो हमने पहले पंचायतों के चुनाव टालने की कोशिश की थी.... (व्यवधान) अब आप सुनिये, आप सुन लीजिए, फिर खूब हंसिये। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, यह सदन अच्छी तरह जानता है कि पहली बार 1959 में स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान में पंचायती राज की एक नींव रखी थी। उसके बाद में चुनाव हुए, पांच वर्ष की अवधि के लिए चुनाव कराये। पांच वर्ष के बाद में फिर चुनाव हुए और मुझे लगता है, 1973 के बाद, 73 या 75, 76 के बाद से तेरह वर्षों तक चुनाव नहीं हुए....

एक माननीय सदस्य : 65 से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1965 से 1978 तक चुनाव नहीं हुए। अब कांग्रेस पार्टी के लोग यह कहें कि मैं पंचायतों के विरूद्ध हूं, पंचायतों का कार्यकाल मैंने समाप्त क्यों किया और चुनाव क्यों नहीं करवाये, मैंने 1978 में चुनाव कराये और पंचायतों के चुनाव कराये पांच वर्ष के लिए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

....(व्यवधान)....अब आप बात तो सुन लीजिए, आपको जो कहना था वह कह दिया। आपने चुनाव कराए पांच वर्ष के लिए, फिर शिवचरणजी माथुर मुख्य मन्त्री बने और मुख्य मन्त्री बनकर...(व्यवधान)... वह साफ सुन तो लें आप, सुनिये ना। वह भी मैं आपको जवाब दे दूंगा। फिर शिवचरणजी माथुर मुख्य मंत्री बने। इसी सदन के अन्दर एक विधेयक लाया गया और विधेयक लाकर पांच वर्ष की अवधि घटा कर तीन वर्ष कर दी। अब यह पंचायत राज के प्रति आपका प्रेम है, इस प्रेम के बारे में तो मैं कुछ अन्दाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन पांच वर्ष को तीन वर्ष करने का दोषी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। और पांच वर्ष के तीन वर्ष कर दिये....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : शिवचरणजी माथुर ने चाहे तीन वर्ष कर दिये हों पर उन्होंने अपने कार्यकाल में भरी बरसात में पंचायत समितियों के और जिला परिषद के चुनाव भी करवाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है। आप ठहर जाइये। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य थोड़ा भूल जाते हैं कई चीजें। उस समय दिल्ली में भारत सरकार ने अशोक मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी बनायी। उस समय तक पालिसी के रूप में यह तय नहीं हुआ था कि पंचायत समितियां, जिला परिषद टू-टायर सिस्टम रहेगा या थ्री-टायर सिस्टम रहेगा और सिस्टम के कारण से हमें इन्तजार करना पड़ा।

श्री राधेश्याम : एक बात, अध्यक्ष महोदय....

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह क्या तमाशा है ? आप पूछिये, कोई इन्टेलिजेंट क्वेश्चन पूछिये, मैं स्वागत करूंगा....(व्यवधान)....मैं इतना निवेदन करूंगा, मेरी सुनिये, एक बात सुनिये, अगर आपके सदस्य इस प्रकार से इन्टरप्ट करते रहेंगे, मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा और भविष्य में क्या होगा, इसका अन्दाज लगा लीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : सदन के नेता को व्यवधान नहीं डालें। मुख्य मन्त्रीजी, मुझे याद नहीं पड़ता है यह टर्म जो है, जिस टर्म की बात कर रहे हैं आप, वह तीन साल से पांच साल आपने कब किया था ? पांच साल पहले थे, पंचायत एक्ट में प्रोविजन था।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : पहले तीन साल था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पंचायत एक्ट में ? पंचायत एक्ट में ? अच्छा, एक बात कर लो, अगर पंचायत एक्ट में तीन साल पहले से था तो मैं त्याग-पत्र देता हूं और पांच वर्ष थे तो आप चले जाओ। तो मंजूर ? मुझे याद नहीं पड़ता। पांच वर्ष का चुनाव था, इसको घटाकर श्री शिवचरणजी माथुर ने तीन वर्ष का किया। अच्छा, यह सब अस्वीकार कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी देर में....(व्यवधान).... सभापति महोदय, यह तो मैं अमेंडमेंट बिल ला रह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं, आपको जानकारी मिल जायेगी। अब आप दूसरी बात के लिए भी इन्कार करेंगे। मैं जब मुख्य मन्त्री 1977 में बना, उस समय पंचायत में चार आने आदमी के हिसाब से अनुदान मिलता था, यह तो आपको याद ही होगा 25 पैसे और मैंने उसे उठाकर दो रुपये 50 पैसे किया यह आप भूल गये।

(15.52)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री चन्दनमल बैद : मुख्य मन्त्रीजी, आपकी याददाश्त सही नहीं है। पंचायतों का अनुदान मैंने बढ़ाया था, 72 से 77 के बीच में। वह रिकार्ड पर है, आप पूछ लीजिए, चीफ सैक्रेटरी से।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं कि पद जाये, उसके साथ साथ स्मृति भी चली जाये, उसकी आवश्यकता नहीं…

श्री चन्दनमल बैद : नहीं गयी है, आप मुख्य सचिव जी से पूछ लीजिए। मुख्य सचिवजी यदि यह कह दें कि 72 से 77 के बीच में पंचायतों का अनुदान नहीं बढ़ाया गया, तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं तो इतना कहता हूं, मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं, उस समय 25 पैसे थे और मैंने बढ़ाकर उसको ढाई रुपये किया।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से छोटी-छोटी बातों में इस्तीफा देना अगर शुरू कर देंगे, तो इस्तीफों का अन्त ही नहीं रहेगा।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट। आप दोनों बिराजिये। कोई इस्तीफा नहीं देता है, इस्तीफा देने वाला कहता थोड़े ही है। एक मिनट, समय बढ़ा रहे हैं थोड़ा। हां, बोलिए।

सदन की कार्यवाही
मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मुखबंद का समय चार बजे तक का है, उसको पांच बजे तक बढ़ाया जाये।

श्री अध्यक्ष : सदन की इच्छा है, पांच बजे तक बढ़ाने की ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ज्यादा समय पांच बजे तक नहीं, जब तक आज की कार्यवाही खतम नहीं होती तब तक…

श्री अध्यक्ष : वह तो बाद में आगे समय सदन का बढ़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : डिमांड्स ?

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस आधार पर निवेदन कर रहा हूं कि पंचायत के चुनाव होंगे, कमीशन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अपाइंट किया जायेगा। कांस्टीटयूशन के अनुरूप पंचायत एक्ट में परिवर्तन करने पड़ेंगे। परिवर्तन के सम्बन्ध में अगले सत्र में बिल सदन के अन्दर पेश कर दिया जायेगा और उस पर मैं विपक्ष के नेता और माननीय सदस्यों से चर्चा करूंगा कि किस प्रकार का प्रारूप सदन के अन्दर प्रस्तुत किया जाये। यह बिल पास होगा, चुनाव की प्रक्रिया आरम्भ हो जायेगी। मैं इसलिए कोई चुनाव न कराने के पीछे या पंचायतों के विरोध में हूं, इस प्रकार की स्थिति नहीं है। हमने पंचायतों के विकास के लिए काम किये हैं और विकास के लिए काम करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अगर उन बातों का जिक्र करूं, जिन बातों का जिक्र इस सदन में पहले कई बार हो चुका है, स्कूलों के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है, पानी में विषय में, बिजली के विषय में कल चर्चा हो चुकी हैं, मुझे उस सम्बन्ध में अभी उनको दोहरा कर इस सदन का समय लेने की आवश्यकता नहीं है मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर कोई यह कहे कि राजस्थान में विकास की गति धीमी है, विपक्ष के नेता ने जो बातें कहीं, उसी से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, जो कुछ हम विकास कर रहे हैं, उसकी कास्ट बहुत आती है। यह बात सही है कि जिस तरह की स्टेट की जियोग्राफिकल फीचर है उसके कारण दूरी में आबादी का घनत्व कई स्थानों पर कम होने के कारण कई स्थानों पर दूरी होने के कारण उसकी सर्विसिंग की कास्ट बहुत आती है। अब उस कास्ट को कम किस प्रकार से किया जाये, यह आसान बात तो है नहीं। आज बिजली की लाइन रेगिस्तान में ले जायें, उसकी कास्ट ज्यादा आयेगी। ट्रांसमिशन लास हैं। छोटे-छोटे टाउन में स्कूल खोलें और चार-पांच क्लासेज हो जायें, लड़कों की संख्या चाहे कितनी ही हो लेकिन वहां के टीचर्स के ऊपर पूरा खर्च करना पड़ेगा। चाहे गांवों में रोगी कम हों लेकिन एलोपैथिक डिस्पेन्सरी अगर अपन खोलेंगे, तो वहां जितना रिक्वायर्ड स्टाफ है, उस स्टाफ की पूरी वहां नियुक्ति करनी पड़ेगी। चाहे सड़क हम बनायें, सड़क बनायें तो घनत्व आबादी का कम होने के कारण चाहे सड़कों का उपयोग ज्यादा जनसंख्या नहीं कर पाये लेकिन विकास यदि करना है तो सड़कें बनेंगी और सड़कों के कारण निश्चित रूप से ज्यादा खर्चा आयेगा। यह सही है कि राजस्थान में सर्विसिंग की कास्ट बहुत ज्यादा आती है। लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के बारे में कोई यह धूमिल फीचर लेकर मैं नहीं चलता। यह सही है कि अन्य राज्यों की तुलना में हम पीछे रह गये, कोशिश करने के उपरान्त भी हम पीछे रह गये लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या है, यह राजस्थान में जो पूंजी है उस पूंजी का हम पूरी प्रकार से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में खनिज है, हम उनका पूरी तरह से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान में वन सम्पदा है, हम उसको सही प्रकार से सुरक्षित नहीं रख पाये। राजस्थान में मैनपावर है, उस मैनपावर काहम उपयोग नहीं कर पाये। कुछ बॉटलनैक्स हैं, जिन बॉटलनैक्स को रिमूव किया जा सकता है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चरल डवलपमेंट यही होगा, जब भारत सरकार से हमें ज्यादा से ज्यादा सहायता मिलेगी। और इसलिए मैंने कई बार जब भी एन. डी. सी. की मीटिंग में गया हूं, उस एन. डी. सी. की मीटिंग में एक पालिसी रखने की कोशिश की है, उसमें आंशिक सफलता मुझे मिली है, पूरी सफलता नहीं मिली। आज जितने भी हिली राज्य हैं, पहाड़ी राज्य हैं, उन पहाड़ी राज्यों को अनुदान सेंट-पर्सेण्ट दिया जाता है। वहां किसी प्रकार का टैक्स नहीं, सारा खर्चा भारत सरकार के अनुदान से चलता है। वह चाहे कश्मीर हो, चाहे नागालैंड हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे अरूणाचल प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो, चाहे वह कोई भी राज्य हो। इन पहाड़ी राज्यों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है और अनुदान देने के बाद भी उनका जितना डवलमेंट होना चाहिए वह डवलपमेंट नहीं हुआ। मैंने भारत सरकार से कई बार निवेदन किया है, राजस्थान में टू-थर्ड डेजर्ट और सेमी डेजर्ट है, उन राज्यों की समस्याएं हैं तो राजस्थान के रेगिस्तान की भी समस्या है, जिस प्रकार से पहाड़ी राज्यों को अनुदान दिया जाता है, उसी प्रकार राजस्थान को अनुदान दिया जाये। इस सम्बन्ध में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। सहयोग इसलिए नहीं कि हैंडपम्प लगाना है और कहां सड़कें बनानी हैं, वह तो बातें छोटी हैं, पैसा होगा तो हैंडपम्प भी लगेगा, पैसा होगा तो सड़कें भी बनेंगी। मैं आपका सहयोग इस बात के लिए चाहता हूं, पहाड़ी राज्यों को जिस प्रकार से सहायता मिलती है, उसी आधार पर राजस्थान का टू-थर्ड जो डेजर्ट है उस डेजर्ट को बेस बनाकर राजस्थान को सहायता दी जाये। मेरा विश्वास है कि विपक्ष इसमें मेरे साथ है।

श्रीमती कमला (बैराठ) : पहले से है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : साथ है, पहले से है, पीछे से है, इसमें नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं, भारत सरकार से निवेदन कर रहा हूं, मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार से हम इस प्रकार से अपनी बातों के लिए चर्चा कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, आपको प्रतिपक्ष की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस बिन्दू के ऊपर जो भी आपका स्टैण्ड है उससे हम सहमत हैं और जहां कहीं आपके हमारे आफिसेज को, गुड आफिसेज को यूज करना चाहते हैं, उसके लिए हमारी सेवाएं तैयार हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का सहयोग मिलेगा। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से भाषण नहीं देऊं, राजस्थान की प्राब्लम का सोल्यूशन हम किस प्रकार कर सकते हैं, और इसमें मिलकर किस प्रकार से कर सकते हैं वह जिक्र करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर विपक्ष के नेता ने रोटी और हवा पर जिस व्यंगात्मक ढंग से बात रखी कि रोटी आवश्यक है या हवा आवश्यक है, मैं समझता हूं कि दोनों चीजें आवश्यक हैं। अपने अपने स्थानों पर

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

दोनों चीजों का महत्व है और इसलिए राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि विकास और पर्यावरण के लिए इन दोनों में सामन्जस्य बैठाने की आवश्यकता है।

(16·00)

हम इस प्रकार की कार्यवाही करें जिससे पर्यावरण बिगड़े नहीं और राजस्थान का विकास रुके नहीं मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में आज किस प्रकार से पर्यावरण के नाम पर चलते हुए उद्योग बन्द हो जायेंगे, उद्योग बन्द करने से कोई पर्यावरण की स्थिति सुधरेगी, मुझे तो विश्वास नहीं है। मैं उन क्षेत्रों में जाकर आया हूं जहां पर कारखाने चल रहे हैं। उन क्षेत्रों का मैंने सर्वे किया है। आज खानों से वहां लोगों को निकाल दें, वहां पेड़-पौधे लगने वाले हैं और इसलिए हमनें भारत सरकार से कहा कि खानों का हिस्सा सब्जैक्ट टू करेक्शन राजस्थान का जितना वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र का प्रतिशत से कम या एक प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा है। मैं इस प्रकार की स्थिति में इस राजस्थान का विकास और उस विकास के लिए जो उद्योग चलने वाले हैं वह उद्योग नहीं चलने दें उससे एक समस्या पैदा होगी। उद्योग तो बन्द होंगे ही, इसमें कोई सन्देह नहीं है, उद्योगों में जो पूंजी का विनियोजन हो चुका, वह बिलकुल ब्लॉक हो जाएगा लेकिन उसके साथ लाखों आदमी जो मजदूरी करते हैं, कोई दुकानदार बैठा है, कोई काम खोल रहा हैं, तो इस प्रकार को मजदूरी कर रहे हैं ऐसी स्थिति में, अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न आकर खड़ा होगा कि इन मजदूरों को कहां रोजी पर लगाया जाये। आखिर यहां रोजगार की आप सब मांग कर रहे हैं। आज जो लोग लगे हुए हैं लाखों की संख्या में, उनको यदि मजदूरी से हमने अलग कर दिया तो उनके सामने रोटी-रोजी की समस्या होगी।

यहां पर यह भी आरोप लगाया, अध्यक्ष महोदय, कि खान मालिकों ने हमारा सहयोग किया। मैं ऐसा समझता हूं कि खान मालिकों ने हमारा सहयोग किया कि नहीं किया, राजस्थान की जनता ने सहयोग किया हैं। उसमें मजदूर भी शामिल हैं और भी लोग शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख किया है कि खानों को बन्द नहीं किया जाये। यह तो आपको याद होगा घोषणा-पत्र जिन्होने पढ़ा है, आम तौर से पढ़ते नहीं हैं घोषणा-पत्र, लेकिन आपने घोषणा-पत्र में लिखा है कि इस प्रकार की खानों को बन्द नहीं किया जाये, पर्यावरण के नाम से....

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास प्रतिलिपि नहीं है, I am a voracious reader. मैं पढ़ना चाहता हूं आपका घोषणा-पत्र, जरा मुझे उसकी प्रतिलिपि मिल जाये।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आज ही घनश्यामजी तिवाड़ी को कहता हूं कि आपके 76 सदस्यों के पास भारतीय जनता पार्टी का घोषणा-पत्र पहुंच जाना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपने उनका

(श्री परसराम मदेरणा)

नाम ठीक लिया है । पहले-पहल उनसे ही घोषणा-पत्र मंगवाया था तीन साल पहले, उस वक्त तो मेरे ये मित्र थे लेकिन अब रहे कि नहीं रहे मुझे थोड़ी कुछ शंकाएं हैं, इसलिए मैंने मांगा नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि आप लोग हमारी पार्टी का घोषणा-पत्र पढ़ेंगे और मुझे खुशी इस बात की होगी कि दुबारा जब आयेंगे तो रचनात्मक विचार लेकर ही सदन में आयेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आज चाहे पावर प्रोजेक्टस हों, चाहे रोड्स हों, चाहे पी. एच. ई. डी. के प्रश्न हों, चाहे ट्रांसमिशन सिस्टम हो और चाहे खान हो, चाहे किसी प्रकार के उद्योग हों, उन उद्योगों में यदि पॉल्यूशन होता है तो निश्चित रूप से बन्द कर दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । अगर वहां पेड़ लगाये हुए हैं और वहां पेड़ लगाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो उस प्रकार के उद्योगों को बन्द करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन जहां यह चीजें हैं ही नहीं, वहां पर यदि आप उद्योगों को पर्यावरण के नाम पर बंद करेंगे, यह उचित नहीं है और मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, और किसी का सहयोग मिले या नहीं मिले लेकिन पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य इस घोषणा-पत्र के प्रति वफादार रहेंगे और पूरी कांग्रेस पार्टी इस पर्यावरण के नाम पर....

श्री परसराम मदेरणा : मत कीजिए । मेरे दल के लोगों को आप सिंगल आउट कर रहे हैं । यह प्रतिपक्ष जो है, यह बिलकुल एक है और आपकी पार्टी में सदस्य जो 95 हैं, लेकिन यहां पर वन मैन शो है और वह है राजस्थान के मुख्य मन्त्री, भैरोंसिंहजी शेखावत । बाकी सब पीछे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी होगी सारी पार्टी इस बात में सहयोग कर रही है । इससे ज्यादा खुशी मुझे क्या हो सकती है । आप कहें इस पर्यावरण के मामले में यदि सरकार का सहयोग करने का निश्चय किया हैं, वह भी मैं आपके शब्दों में कह दूं, गुणावगुण के आधार पर । लेकिन घोषणा पत्र के आधार पर । लेकिन घोषणा पत्र के आधार पर आप मेरा समर्थन करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा-पत्र में लिखा है....

श्री परसराम मदेरणा : उस एक्ट का जो प्रोविजन्स की कम्प्लायेंस नहीं हुई है, एक प्रश्न है गेम्स सैंक्चुरी के ट्रेसपास वाला, दूसरा प्रश्न है, लोगों ने पहले एन. ओ. सी. नहीं लिया है, यह तीसरा प्रश्न है नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में । इसका मैंने इतने डिटेल में स्टडी नहीं किया है लेकिन कई हमारे दल के माननीय सदस्यों ने इसको स्टडी किया है और इसलिए दल की तरफ से आप हर बात के ऊपर सहयोग देंगे कि नहीं देंगे और उसमें मजदूरों का क्या होगा, मजदूरों के नाम से आप यहां सहयोग की बात कह रहे हैं, मैरिट्स-डिमैरिट्स के आधार पर हम यह नहीं चाहते कि मजदूर बेकार हों और पर्यावरण भी दूषित हो, यह दोनों बात नहीं होनी चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने तो इसलिए कहा, आप मेरी बात पर मत जाइये, जो घोषणा-पत्र में आपने लिखा, उसका आप समर्थन करेंगे। मेरा अपने-आप समर्थन हो जाएगा।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : आप भारत सरकार की बात को घुमाकर सारी परेशानियों को भारत सरकार पर डाल रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पहले राजस्थान में जो गड़बड़िया हैं और जिस पाटिकूलर सब्जेक्ट पर आप अभी बोल रहे हैं, उसको आप पहले..

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कोशिश कर लें····(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह तो परसरामजी ने मेरे प्रति जो सहानुभूति प्रकट की है कि मैं किस तरह सब लोगों को साथ लेकर चल रहा हूं, आपको शायद सन्देह हुआ होगा।

श्री परसराम मदेरणा : तो कन्सेन्सस की बात करते हैं, आपने इस अभिभाषण में कोआपरेशन की बात की है, आपने इसके अन्दर सामंजस्य की बात की है और जब सामंजस्य की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि भारत के प्रधान मन्त्री ने जो कन्सेन्सस कोआपरेशन एण्ड नाट कंफ्रंटेशन की नीति अपनाई है, उससे प्रेरणा लेकर आपने अभिभाषण में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है और मैं समझता हुं कि अब भी आपके साथ कोआपरेशन करने का दुःख है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि राजस्थान के विकास में हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो राजस्थान का विकास ज्यादा होगा। राजस्थान का विकास ही नहीं, राजस्थान में प्रशासनिक सुधार यदि कर लें, उन सुधारों के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार होगा। अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ राजस्थान की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए भी अगर पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर कोई कार्यवाही करेंगे तो राजस्थान का इससे निश्चित रूप से विकास होगा। अध्यक्ष महोदय, जो आपने सहयोग दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज मेरी बातचीत नहीं हुई, दो-तीन बातें मैं कहना चाहता हूं लेकिन आपसे सलाह करके मैं कहूंगा कि किस-किस कार्य के लिए किस-किस प्रकार की समितियां बनानी हैं और विपक्ष के किन-किन सदस्यों उसमें लिए जायें। मैं चाहता था कि आज प्रातः काल आप से बात हो जाती तो शायद मैं इस समय घोषणा कर देता। लेकिन बाद में आपसे चर्चा करके ही इस प्रकार की बात करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह भी जिक्र किया गया कि प्लान साइज जो साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की थी, उस प्लान साइज में आगे तीन वर्षों में आपने तो उसको बराबर बंटवारा कर लिया। हम बराबर बंटवारे के आधार पर तो नहीं चल सकते लेकिन इस बार 1706 करोड़ रुपये की जो योजना है, उस योजना के लिए जितना रेवेन्यू रिसोंसेस का गैप है, उस गैप को तो मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा, इसमें तो कोई सन्देह नहीं है लेकिन

117

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भविष्य में हमारी इस वर्ष की योजना, 94–95 की योजना का आकार 1706 से लगभग 2400 करोड़ रुपये बढ़ाने का मैं प्रयत्न करूंगा। 2400 करोड़ की यह योजना होती है, उसके बाद आखिरी योजना 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वार्षिक योजना होगी और आपने जैसे कहा कि मुझे योजना को पूरा करना है तो मैं इस सदन को विश्वास देता हूं कि मैं राजस्थान का मुख्य मन्त्री रहा तो साढ़े ग्यारह हजार करोड़ रुपये की योजना स्वीकार कराके छोड़ूंगा। उसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि धीरे-धीरे इम्बैलेंस कम हो। एक साथ बराबर कम्पार्टमेण्टवाइज उसका बंटवारा नहीं हो सकता है। लेकिन शनैः शनैः उसका हो। पहले थी 1400 की, उसके बाद में 1706 की, अब के मेरा विचार है कि 2400 करोड़ रुपये की योजना हो कोशिश करूंगा। लेकिन बदले हुए परिप्रेक्ष्य में क्या होता है और क्या नहीं, आज के दिन कुछ नहीं कह सकता और उसके बाद में आगे योजना का आकार बढ़ेगा तो, योजना का आकार जितना बढ़ेगा राजस्थान में उतने ही विकास के लिए साधन मिलेंगे और साधनों के आधार पर हम भी अपने रिसोंसेज पूल करेंगे, मितव्ययता लायेंगे और सरकारी कारखानों में कहीं घाटा है, उस घाटे को कम करके राजस्थान के रिसोंसेज किस प्रकार से बढ़ें, उसकी मैं कोशिश करूंगा। मैं सदन को इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के विकास में मेरी ओर से किसी प्रकार के प्रयास में कोई कमी नहीं आयेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का भी जिक्र किया कि मामलों का निर्णय लेने में कई बार देरी होती है, यह बात सही है। जिस प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बन गया है उसमें इस प्रकार की देरी होना सम्भव है। मैंने विचार किया है, जिस को मैं पहले भी कह चुका हूं, अब चाहे उद्योगों के सम्बन्ध में हो, चाहे पर्यटन के सम्बन्ध में हो, चाहे बिजली के सम्बन्ध में हो, चाहे सिंचाई के सम्बन्ध में हो, भारत सरकार ने जिस तरह की एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन किया है और सारे इस प्रकार के मैटर्स उस एम्पावर्ड कमेटी को जाते हैं, वह ही फाइनल उसका निर्णय कर लेते हैं और उसके बाद केबिनेट उसके ऊपर मोहर लगाती है। मैं राजस्थान के हित में भी यह उचित समझता हूं। राजस्थान में इस प्रकार की एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया जाये और सारे मामले वहां रेफर कर दिये जायें।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर सीमा सुरक्षा के सम्बन्ध में कहा गया। कहा गया कि तस्कर व्यापार बहुत हो रहा है। तस्कर व्यापार कोई एक महीने में तो हुआ नहीं यह कई वर्षों से चला आ रहा है और इसीलिए भारत सरकार के गृह मन्त्री से मैंने निवेदन किया कि गंगानगर और बीकानेर जिले का तो वायर फेन्सिंग हो गया, जैसलमेर और बाड़मेर का भी वायर फेन्सिंग करा दें। साथ ही पुलिस को मार्डन इक्विपमेंट्स की सहायता दी जाये। जितनी भी बी. ओ. पीज. है उनकी दूरी को कम

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया जाये। बी. ओ. पीज. की स्ट्रेन्थ बढ़ायी जाये और बढ़ाने के साथ साथ वहां जो और असुविधाएं हैं बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए उन असुविधाओं को दूर किया जाये। पहले भी योजना बनायी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि केन्द्रीय गृह मन्त्री ने इस सारे मामले पर गम्भीरता से विचार किया और अपनी आंखों से स्वयं स्थिति को देखने के लिए सरहद पर गये और देखकर आये हैं। उनका मानस भी इस प्रकार का बन रहा है कि राजस्थान की मांग बोर्डर सिक्योरिटी के पाइन्ट आफ व्यू से जिस प्रकार की चल रही है, निश्चित रूप से उस मांग में वजन है और उस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर पीने के पानी का जिक्र किया गया। बिजली के मामले का भी जिक्र किया गया उसका तो मैंने कल उत्तर दे दिया। नगरपालिकाओं के चुनावों की भी वही स्थिति है जो पंचायतों के चुनावों की स्थिति है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, चाहे आप यह कह सकते हैं कि उसमें सारी बातें नहीं आयीं, जो स्वयं राज्यपाल ने स्वीकार की हैं। एक मर्यादाओं का प्रश्न था कि चार तारीख के पहले मुझे विश्वास प्राप्त करना है। विश्वास प्राप्त जब तक मैं नहीं करूं और नयी नीतियों की घोषणा करूं तो कई बार इसके ऊपर आपत्ति उठायी गयी है। चार तारीख के बाद आज केवल सात तारीख हुई है, केवल पांच दिन का समय मिला है। इस पांच दिन के समय में, नीतियां बनी हुई जरूर हैं, बनायी भी हैं, मैं सदन को गुमराह नहीं करना चाहता लेकिन अन्तिम रूप देकर उनकी सदन में घोषणा करूं, इतना पर्याप्त समय नहीं है। इसीलिए माननीय सदस्यों को यह आपत्ति हो सकती है कि सभी बातें इसमें नहीं आयीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अगले महीने में फिर होगा। अभिभाषण के साथ ही बजट पेश किया जायेगा और बजट के साथ ही कई मांगों पर चर्चा होगी और उस चर्चा के आधार पर वहां पर इन सब बातों का जिक्र कर सकूंगा।

अध्यक्ष महोदय, यहां नोहर और सिद्धमुख कैनाल का जिक्र किया गया। यह नोहर और सिद्धमुख कैनाल के ऊपर रुपया तो खर्च कर रहे हैं लेकिन यह बात सही है कि उसमें पानी जब ही आयेगा जब एस. वाई. एल. बनेगी। एस. वाई. एल. के बनने में कई प्रकार की बाधाएं हैं। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगा कि एस. वाई. एल बनने का एक वातावरण बन रहा है और वातावरण बनेगा। कैनाल के लिए धन की कमी नहीं है, एस. वाई. एल. के लिए। वहां बनाने नहीं देते। लोगों का अब मानस बना है कि इस प्रकार की एस. वाई. एल. बन जाये और एस. वाई. एल. बनने के साथ-साथ ही सिद्धमुख कैनाल पूरी हो जाये तो पानी का इन्तजार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमें जो पानी आवंटित हुआ है उस पानी का उपयोग कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यहां यमुना नदी के बारे में जिक्र किया गया। मैं इतना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ही कह सकता हूं कि हमारा हिस्सा 1.119 बी. एम. सी. एफ. तय हुआ है। जब मैं आज से एक वर्ष पहले मुख्य मन्त्री था शायद जुलाई या अगस्त में बैठक हुई थी उस बैठक में यह अपना हिस्सा तय हो गया। बैठक होने के बाद पांच महीने के बाद उनकी मिनट्स आयीं और मिनट्स मुझे भी देखने को मिली। जो बातें तय नहीं हुई वह मिनट्स में लिख दी गयीं। मैंने उस पर आपत्ति की और उस समय गवर्नर चेन्ना रेड्डी थे उनको मैंने पत्र भी लिखा और उनसे बात भी की। आज मोटा झगड़ा इस बात का है और मैं समझता हूं, मदेरणा साहब, इस मामले में आप सहयोग करेंगे। सारे राज्य, यू. पी. तैयार हो गया, हिमाचल तैयार हो गया, दिल्ली तैयार हो गया, राजस्थान तैयार हो गया। चार राज्य एक तरफ, मांग एक थी फ्लो-स्टोरेज, इन दोनों में राजस्थान का हिस्सा है। हरियाणा के मुख्य मंत्री का यह कहना था कि मैं फ्लों में हिस्सा नहीं देऊंगा सिवाय कमिटेड यूज के और बाकी सारे स्टोरेज में आपको हिस्सा देऊंगा। स्टोरेज का मतलब रेणुका और किसाऊ डैम। यह बनने में 8–10 वर्ष लगे हैं। उस समय पानी स्टोर हो उस स्टोर में से हिस्सा देने की बात उन्होंने उठायी। आज तक कभी भी यह बात नहीं उठी, पहली बार उन्होंने यह बात उठायी कि स्टोरेज में मैं हिस्सा देऊंगा, फ्लो में हिस्सा नहीं दूंगा।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री से आपके सबके बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। उन्होंने आपकी बहुत मदद की है चुनावों में। कई दिनों तक वह राजस्थान का प्रवास करते रहे। सब प्रकार से आपको सहायता दी। उनसे आप कम से कम एक तो निवेदन करें कि इस जिद को छोड़ दें और राजस्थान जहां पीने के पानी की आवश्यकता है और नेशनल ड्रिंकिंग वाटर पालिसी में जहां इस बात को रखा गया है कि पीने के पानी को प्राथमिकता दी जायेगी, राजस्थान को जो पानी मिल रहा है उस पानी का उपयोग हम आज भी कर रहे हैं, हमारी थोड़ी सी कैपेसिटी भी है कि जो पानी हमारे हिस्से का आता है उस पानी का हम पूरी तरह से उपयोग कर पायें, मैं यह आप पर छोड़ता हूं कि आप भजनलाल जी को किस प्रकार से राजी करके राजस्थान के भरतपुर और दूसरे जिलों को पानी दिलवाकर मदद कर सकें। मैं आपको इतना ही कह सकता हूं, भजनलालजी से आप मनवा लें, किन शर्तों पर, केवल एक शर्त तो मैं मानूंगा नहीं कि वह कहें कि मैं फ्लो में हिस्सा नहीं देना चाहता। मैं फ्लों में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसके ऊपर कोई यह कहे कि हम ट्रिब्यूनल में जायेंगे तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि यह मामला ट्रिब्यूनल को रेफर कर दिया जाये ताकि वर्षों से पड़े हुए इस लम्बित मामले का किसी न किसी प्रकार निर्णय हो। लेकिन मैं अब यह आप पर छोड़ता हूं कि आप भजनलालजी को किस प्रकार से राजी करते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भला बुरा तो आप कहते रहें। आप भजनलालजी को

(श्री खेतसिंह राठौड़)

गालियां दें, भला बुरा कहें फिर हमारे पर छोड़ते हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : सिस्टर स्टेट के मुख्य मन्त्री को राजी करने के लिए आप हमको जो तैयार करना चाहते हैं । You have had a dig at him many a time और उनका यहां पर जो एडमोनिशन किया है और कई प्रकार से एडमोनिशन के क्लाउड के अन्दर लपेट में हमारे ऊपर भी कुछ आरोप लगाये हैं, कुछ आक्षेप लगाये हैं । वह आये हैं, आपकी मदद भी की है कैसी मदद की, क्या की यह तमाम इस प्रकार की बातें कह करके आप इस मामले को काम्पलीकेटेड करना चाहते हैं । आपके सामने राजस्थान का हित कुछ नहीं है । यह 1.119 मिलियन एकड़ फीट वाला पानी का मामला लेकर आप हरियाणा के मुख्य मन्त्री की लोकप्रियता को डेनिग्रेट करना चाहते हैं और कुछ नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बात को मानता हूं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपकी पार्टी के सदस्य तो हैं ना, आपकी पार्टी की सरकार है । आपको मदद करने के लिए आये, इसको तो कोई मना नहीं करता । आपके और उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं इसको भी मना नहीं करता । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आप यदि अपने प्रभाव का थोड़ा-सा उपयोग करें और भजनलालजी को यह कहें कि पानी दे दो, पूरे राजस्थान में भजनलाल–भजनलाल, भजनलाल के गीत गाये जाने लगेंगे तो इसमें आपत्ति की बात क्या है । मैं तो वाहवाही करवाना चाहता हूं और आप यह समझें कि भजनलालजी पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है, भजनलालजी को हम राजस्थान के हित की बात कह ही नहीं सकते, आपकी कही हुई बात को कभी अस्वीकार नहीं करेंगे ।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता महोदय से मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं । आप मुख्य मन्त्रीजी से यह करवा दो, वह करवा दो फरमाया । उसमें प्रयास मिलकर करेंगे यह भी फरमाया । इतना-सा आपके अभिभाषण में और स्पष्ट कर दें, कौल बांध जो बनने वाला था, हिमाचल सरकार के साथ में हमारी राजस्थान सरकार का समझौता हुआ शिवचरणजी माथुर के टाइम में राजस्थान में सन् 1984 में, उस समझौते के बाद वहां भी बी. जे. पी. की सरकार थी और यहां भी बी. जे. पी. की सरकार थी, एक करोड़ 60 लाख रुपया राजस्थान का हिमाचल को दे दिया सर्वे के लिए और राजस्थान सरकार का दिया हुआ एक करोड़ साठ लाख रुपया, हिमाचल की सरकार बी. जे. पी. की, हमारा तो उन्होंने अनुबंध कैंसिल कर दिया और दिल्ली सरकार के साथ बिना हमारी राजस्थान की बी. जे. पी. की सरकार को पूछे शांता-कुमारजी के टाइम में समझौता कर लिया और एक करोड़ साठ लाख रुपया डकार गये, इसका आपने क्या किया ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझता हूं आपको किसी ने यह सिखा दिया है । पूरी जानकारी करते तो अच्छा रहता । मैं आज

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मैंने पार्वती डेम, पार्वती पावर प्रोजेक्ट के बारे में उस समय हिमाचल प्रदेश से एक एग्रीमेन्ट किया था जिस एग्रीमेन्ट में मैं भी शामिल था और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी शामिल थे, उस एग्रीमेन्ट को आप लागू करवा दें वही ठीक है। हिमाचल में अब तो वीरभद्रजी की सरकार है, इसको लागू करवा देओ। कोशिश यह करो कि उस एग्रीमेन्ट को सेल नहीं करें।

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत : जब आपकी सरकार थी उस वक्त तो आप लागू नहीं कर सके और दिल्ली के साथ उनका समझौता हो गया, आप कुछ कर नहीं पाये और हमको कहते हैं कि हम करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको यह पता ही नहीं है कि शांता कुमारजी के साथ है, पार्वती वाले प्रोजेक्ट के ऊपर एम. ओ. यू. ड्राफ्ट हुआ है उसमें यह सब चीजें शामिल हैं। मैंने इसीलिये कहा कि आपको किसी ने बहका दिया। गुलाबसिहजी बैठे हैं, यही धन्धा कर रहे हैं।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर) : मेरा काम बहकाना नहीं है। बहकाने का काम तो आप ज्यादा करते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी एक को तो खड़ा कर दिया बहका करके, जिनको पूरी जानकारी नहीं है उनको खड़ा कर देते हो अधूरी जानकारी देकर। यह भी तो कारीगरी है आपकी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी नहीं हो उन सरकारों से व्यक्तिगत समझौते के आधार पर, पार्टी के समझौते के आधार पर यदि हम, क्योंकि अभी ताजा भजनलालजी का उदाहरण है, ताजा उदाहरण का उपयोग करते हुए, अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जितने अन्तरराज्यीय मामले हैं, माननीय मदेरणा साहब ने कहा कि हैड वर्क्स हमको नहीं मिल सकते, आपने कहा कि संकट है, आपने भी कोशिश की मैं भी कर रहा हूं....

श्री परसराम मदेरणा : स्टेट्स रिजिड एण्ड आब्स्टीनेट व्यू ले रहीं हैं क्योंकि एक राष्ट्रीय पालिसी नहीं है। यह कभी का हो जाना चाहिये था। पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के अन्दर इसका प्रावधान है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। आप और हम इस बात को जानते हैं। इस बात की कोशिश, आप मुख्य मंत्री रहे, दो दफा आ गये आपने बहुत की और हमने बहुत की लेकिन रिजिड एटीट्यूट कोई भी सरकार रही है, चाहे अकालियों की रही है चाहे कांग्रेस की रही है। आज भजनलालजी वाले इस मामले में आपने....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप क्या भजन गा रहे हो ?

श्री परसराम मदेरणा : भजनलालजी की कोई बात करेंगे तो उनका क्या स्टैण्ड है, क्या दृष्टिकोण है और वे अपने स्टेट के इन्ट्रेस्ट को किस तरह वाच करना चाहते हैं वह मानेंगे या नहीं मानेंगे इस बात के लिये कौन एश्योरेन्स दे सकता है। यहां पर ? आपकी पार्टी के लोग, मैंने कहा था कि इन्टरसेप्शन गांधीसागर कैचमेंट का हटवाया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हैड वर्क्स का सवाल है, यह बड़ा प्रासंगिक है। प्रासंगिक इस रूप में है कि आप सब लोग जानते हैं, सदन जानता है कि इस समय भाखड़ा और पौंग डेम में पानी कम आया है उसी प्रोराटा बेसिस में हमारा पानी कम है। जहां कमी आती है वहां हैडवर्क्स पर नियन्त्रण उस स्टेट का नहीं रहना चाहिये बल्कि भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का रहना चाहिये। आज उसकी प्रासंगिकर्ता के आधार पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, हैडवर्क्स हमारे कन्ट्रोल में है, मैं तो सदन से अनुमति लेना चाहता हूं बी. बी. एम. बी. वाले इस मामले में जो....

श्री परसराम मदेरणा : आपका स्टैण्ड है, हम कोआपरेट करेंगे आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप कोआपरेट करेंगे, आपने भी कोशिश की, हमने भी कोशिश की लेकिन इस कोशिश के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैंने ऐसा विचार किया है कि पंजाब आर्गेनाइजेशन एक्ट का सैक्शन 76 या 78 है, 76 है शायद, 76 में जो एक्ट में प्रोविजन है कि हैडवर्क्स बी. बी. एम. बी. में ट्रान्सफर कर दिये जायें, यदि पंजाब की सरकार इसको लागू नहीं करे तो मैं निश्चित रूप से यह चाहूंगा कि सदन की मुझे इस बात की अनुमति हो कि मैं इस मामले को लागू करने के लिये सुप्रीम कोर्ट में जाऊं। मैं इसलिये इस प्रसंग में आया। यदि आप चाहें कि पंजाब की सरकार, आपकी पार्टी की सरकार है, पहले फैसला करा दें तो अपना खर्चा भी बचेगा और मामला भी तय हो जायेगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी, मुझे बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिये आपने मन बना लिया है। हमने एग्रीमेण्ट किया था। 1984 में पहले किसी जज को सुपुर्द करने के लिए, फिर कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के नीचे उसको रेफर करने के लिए आपने हमारे खिलाफ आरोप लगाया था। क्योंकि उस वक्त भी मामला बिजली का राजस्थान में हिस्सा मिलना चाहिये, उस समय आब्स्टीनेट एटीट्यूट था पंजाब की गवर्नमेंट का, उस वक्त आप कह रहे थे घुटने टेक दिये, अब आप रातोंरात ही पुलिस भेज करके हैडवर्क्स हाथ में क्यों नहीं ले लेते। सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे, पहले कह चुके हो कि मैं यमुना वाले मामले में जा रहा हूं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाने को तैयार हो गये और जब हम सुप्रीम कोर्ट में गये तो आपने कहा कि आपने घुटने टेक दिये। फिर आप घुटने क्यों टेक रहे हो ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जिस समय आपने घुटने टेके थे याद

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

करिये 1981 था या 84 था। 1984 में आपने घुटने टेके।

श्री परसराम मदेरणा : वह तो राजकीय, इन्ट्रेस्ट में। उसका इम्पलीमेन्टेशन नहीं हुआ, एग्रीमेण्ट का। और आपको मालूम होना चाहिये कि रिसाइन्ड करने के लिये जो टेरेरिस्ट है उन्होंने धमकी दी थी कि इस एग्रीमेण्ट को रिसाइन्ड करना चाहिये और यह पंजाब के इन्ट्रेस्ट के खिलाफ है, प्रतिकूल है यह एग्रीमेन्ट इसलिये उन सरकमस्टान्सेज में जो हमने निर्णय लिया उसी सरकमस्टान्सेज में आपने यह निर्णय लिया हैं और मैं यह मानता हूं कि आज आपका हैडवर्क्स के मामले में पानी का प्रोराटा कम हो जायेगा, यह जो अवसर आया है इस मुद्दे को उठाने का उस वक्त भी आपका रोपड को पानी देने का प्रश्न था, इसी प्रकार का उसका कन्टेक्स्ट था और उस कन्टेक्स्ट में जो हमने निर्णय लिया था उसी कन्टेक्स्ट में आप लेने जा रहे हैं, इसलिये ना तो हमने घुटने उस वक्त टिकाये थे और फिर अगर हमने घुटने टिकाये थे तो फिर आप भी घुटने टेक रहे हो। नहीं तो हमने घुटने नहीं टेके थे। हमने तो घुटने टेक दिये और आप बहुत बहादुर हैं।...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, बहादुर हैं इसमें कोई सन्देह नहीं है।....(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : बात ही है ना, आप जिस स्थिति का एप्रीसियेशन कर रहे हैं वह स्थिति नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई स्थिति नहीं थी। 1984 में समझौता आपने केन्द्रीय सरकार के दबाव में किया था। आपने कोई सलाह नहीं ली। एयरपोर्ट पर मुख्य मंत्री जी को बुलाया कि कुर्सी रखनी है तो दस्तखत करो वरना जाओ। वह बात कही थी। खेतसिंहजी को पूछ लेओ। ऐसी स्थिति में मुझे घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है और मैं आप सब लोगों को विश्वास देता हूं कि पद चला जाये, मुझे इसकी चिन्ता नहीं है लेकिन राजस्थान के हितों का बलिदान नहीं करूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी कहां का कहां मिला देते हो। एयरपोर्ट वाला तो 85 का था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 1984 था।

श्री परसराम मदेरणा : नो-नो, 84 में तो 12 ड्राफ्टस आये हैं मेरे पास। 1985 की बात कह रहे हैं आप ...(व्यवधान) 85 वाला तो मैंने अखबार में पढ़ा था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एयरपोर्ट के ऊपर घुटने टेके, एयरपोर्ट पर गये यह तो सही है ना।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह तो नहीं कहता लेकिन आप बिलकुल थैचर वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन 1985 के वक्त में मैंने अखबार में पढ़ा था कि सैण्ट्रल मिनिस्टर जयपुर के एयरपोर्ट पर आये थे। 84 में तो प्रश्न ही नहीं है। कई दिनों तक नेगोसियेशन चला है। 12 ड्राफ्टस आये हैं। 12 ड्राफ्टस ओरिजिनल नया अमेण्ड हुए हैं एक-एक

(124)

(श्री परसराम मदेरणा)

कापी मैं लेता था और 12 ड्राफ्टस मेरे पास मौजूद हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बड़ी खुशी की बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुख्य मंत्रीजी ने टेक दिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं। आप होते तो घुटने नहीं टेकते, यह मेरा विश्वास है। लेकिन मैं आपको फिर करेक्ट करना चाहता हूं, 1985 नहीं है वह 84 ही है। आप चैक कर लेंगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : Ask your Irrigation Secretary and Irrigation Chief Engineer. I am very sure. कोई हाइड आउट नहीं है मेरे दिमाग में। मैं हिल्ट के साथ में यह कह रहा हूं। मुझे पूरा यह याद है उस वक्त मैं इरिगेशन मिनिस्टर था 84 में और कभी कोई एयर-पोर्ट पर ना तो कोई आया और न जाकर समझौते जैसी कोई बात...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप कहें तो मैं अन्दर चला जाऊं ताकि खाली कुर्सी यहां रहे। अब आप देखिये, सदन का समय है आखिर ...

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्रीजी बहुत व्यस्त हैं इसलिए उनकी स्मृति में रह गया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह मान लिया मगर सदन के समय का ध्यान रखें। यदि हम सामान्य सदस्य को कहते हैं तो समझता हूं it applies to all मेरा विनम्र निवेदन है कि it applies to all ...(व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। आपकी बात थोड़े से समय के लिए मैं मान लेऊं कि 1985 का एग्रीमेण्ट था, लेकिन 1984 का है, अभी मैंने एग्रीमेण्ट मंगवाया है, आपको बता देऊंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : यह बात कर रहे हैं लोंगोवाल एग्रीमेण्ट की और आप दूसरे की।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि एग्रीमेण्ट चाहे इण्टरस्टेट एग्रीमेण्ट हो, उस समय भी अपने सामने एक चर्चा हुई थी कि उस एग्रीमेण्ट के पहले इस सदन में विस्तार से चर्चा करी जाये, सदन के माननीय सदस्यों की राय ली जाये और उसके बारे में एग्रीमेण्ट किया जाये। आपको मालूम है कि उस एग्रीमेण्ट के बाद में इसी पानी के बंटवारे को लेकर जो 1981 का एग्रीमेण्ट हुआ था उस पर इराडी ट्रिब्यूनल बैठी और इराडी ट्रिब्यूनल में यह क्वेश्चन रेज किया गया कि 1955 का एग्रीमेण्ट सही है या गलत। पंजाब की सरकार ने कहा 1955 के एग्रीमेण्ट को हम नहीं मानते। उसके ऊपर आपको याद होगा हम सब ट्रि-पार्टाइट कमेटी में गये थे और अपना स्टैण्ड दोनों का एक था। उस समय भी मैंने कहा था कि ट्रांजिशनल पीरियड के लिए जो राजस्थान का 0.6 एम. ए. एफ. पानी दिया है वह देना हमने गलती की। आज वह पानी मुझे लेना है और वह पानी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तभी ले पाऊंगा जब हैडवर्क्स के ऊपर हमारा कब्जा हो। हैडवर्क्स के कब्जे के मामले में आप यह मत कहो। हमने हैडवर्क्स का मामला छोड़ा नहीं था। मुझे याद है आज अच्छी तरह से, इराडी ट्रिब्यूनल के अन्दर वह मामला रखा भी गया था जिस समय 1981 का एग्रीमेण्ट हुआ उसके बाद में पंजाब के मुख्य मंत्री, श्री दरबारा सिंह जी ने एक व्हाइट पेपर इश्यू किया और व्हाइट पेपर में साफ लिखा हुआ था कि राजस्थान की सरकार ने हैडवर्क्स का मामला छोड़ दिया है, हमने माधोपुर डैम के अन्दर उनको गेज मीटरिंग का अधिकार दिया है। कहां माधोपुर और कहां माखड़ा का प्रश्न, कहां पौंग का प्रश्न। यह उस समय आपकी सरकार ने काफी भूलें की थीं, उन भूलों का परिणाम आज राजस्थान की जनता भोग रही है। 1984 का एग्रीमेण्ट इस 5 पावर हाउसेज के आधार पर, जिनमें हमारा हिस्सा निश्चित है, प्रिंसिपिल के आधार पर और कन्वेंशंस के आधार पर करके उनको आपने जस्टिशियेबल बना दिया और नतीजा यह निकला कि 1984 में एग्रीमेण्ट हुआ, आज 1994 है, 10 वर्ष हो गये उस एग्रीमेण्ट में तीन बातें लिखा हुई थीं, एक बात तो लिखी थी कि इस मामले में राजस्थान का हिस्सा है राजस्थान का इन पांच पावर हाउसेज में हिस्सा है, वह हिस्सा है तो कितना है, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट को यह मामला भारत सरकार की तरफ से रेफर किया जायेगा। आपको याद होगा, परसरामजी मदेरणा साहब, कि इसी सदन में आपने मुझे विश्वास दिया कि 15 दिन के अन्दर-अन्दर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफर कर दिया जायेगा। आज 10 वर्ष निकल निकल गये, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में रेफर नहीं किया गया। आज उन एग्रीमेण्ट्स का परिणाम है कि 5 पावर हाउसेज में से दो पावर हाउसेज में बिजली जनरेट होने लग गयी, हमको उसका हिस्सा नहीं मिलता। आप मुझे दोषी ठहरा सकते हैं लेकिन मूल में आपने गलती की कि वह समझौता किया, राजस्थान के हितों का बलिदान किया। केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों और कुर्सी के लिए आपने राजस्थान के हितों का बलिदान किया था। यह बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, मैं इस आधार पर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इन एग्रीमेण्ट्स को लागू करवाया जाये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चलिये, मैं भी चलता हूं आपके साथ और प्रधान मंत्रीजी से मिलेंगे कि 1984 के एग्रीमेण्ट को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कराया जाये। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1981 के एग्रीमेण्ट में जो 0.6 एम. ए. एफ. हमने पंजाब को अतिरिक्त पानी दे दिया वह पानी राजस्थान को मिले और राजस्थान को पानी नहीं मिले तो कम से कम इस समय इतना फैसला तो करवा दीजिए कि हैडवर्क्स से राजस्थान के हिस्से का पूरा पानी रिलीज किया जायेगा। आप प्रधानमंत्रीजी के पास चलिये, वहां यदि आप नहीं चल पाते तो आपकी कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख हैं, प्रभारी हैं विद्याचरणजी शुक्ल, सिंचाई मंत्री है, वाटर रिसोर्सेज मंत्री है उनके पास चलकर इस प्रकार की व्यवस्था करा दीजिए ताकि गंगानगर के किसानों, जिनकी सहानुभूति मे आप बोल रहे थे, वास्तव में पानी पूरा मिल जाये। मैं चाहता

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हूं कि हम दोनों मिलकर यदि प्रधान मंत्री जी या जल संसाधन मन्त्री के पास जायेंगे तो हमारी बात को नकार नहीं सकते, हमारी बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बात कही थी जिसका चन्दनमलजी ने विरोध किया, उस सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे वह ओरिजनल बिल तो अभी नहीं मिला है। Reduction from 5 years to 3 years by Act No. 4 of 1982.

1982 के अन्दर हुआ....(व्यवधान).... हां, हुआ है, वही तो कह रहा हूं।

श्री चन्दनमल बैद : मैंने यह नहीं कहा था, मैं तो जो आपने कहा था कि पंचायतों का आपने बढ़ाया अनुदान, उसके बारे में मैंने विरोध किया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको फिर बताता हूं...

श्री चन्दनमल बैद : हां, बताइये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर मैंने इसको बढ़ाया 5 वर्ष के लिए, एक्ट नम्बर 21, 1992 का।

श्री चन्दनमल बैद : नहीं, अनुदान की बात कह रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी मैं आपको बता दूंगा।

श्री चन्दनमल बैद : आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा और मैंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं और बता देऊंगा..(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं....(व्यवधान)....

श्री चन्दनमल बैद : आप मत बोलिये, आप उस समय नहीं थे यहां।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैं था 77 से 80 के बीच में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप हों या नहीं हो लेकिन यह भी मैं....(व्यवधान).... इन्होंने बढ़ाया, मैं इनको करेक्ट कर देऊं...

श्रीमती कमला (बैराठ) : दोनों ने ही बढ़ाया है, इन्होंने भी बढ़ाया और आपने भी बढ़ाया। दोनों ने बढ़ाया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने ढाई रूपये किया उन्होंने पौन तीन रूपये किया। चार आने बढ़ाने का तो इनको क्रेडिट मैं दे सकता हूं..(व्यवधान)...

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : ढाई रुपये 77 से 80 के बीच में हुए थे।

श्री चन्दनमल बैद : चार आने से मैंने बढ़ाया है उसके बाद में आपने बढ़ाया होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा ठीक है....(व्यवधान)....... मैं आपको जानकारी भेज देऊंगा।... (व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपने चवन्नी छाप काम किया था, चार आने आपने बढ़ाए।

श्री चन्दनमल बैद : कुछ भी किया, बढ़ाया मैंने था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, चवन्नी छाप... (व्यवधान)...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह देखिये ओरिजिनल एक्ट, ओरिजिनल एक्ट में भी है :

"Subject to the provisions contained in sub-section (2), the term of the office of the Panchayat Samiti shall be 3 years w. e. f. such date as may be notified by the State Govt. in this behalf." पहले पांच का था फिर उसको तीन का किया और 3 के बाद में उसको 5 का किया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत तो अभी मेरी स्मृति है, इतनी खराब नहीं हुई है जो उम्र के साथ खराब होनी चाहिए। मैं इसलिए निवेदन करना चाहूंगा.... (व्यवधान)....

श्रीमती कमला : माननीय मुख्य मंत्रीजी एक मिनट। एक बहुत बड़ी गलती यह हो रही है कि आपने जो यह अभी उल्लेख किया कि हैडवर्क्स का कण्ट्रोल देने का जो अभी एक डिसीजन हुआ था उसको राजस्थान सरकार ने ईल्ड किया, यह किसी जगह, किसी भी ऐसा नहीं हुआ हो सकता है। उन्होंने अपने व्हाइट पेपर में लिखा होगा लेकिन अपन ने अपना क्लेम कभी नहीं छोड़ा। इसलिए उस हिसाब से अपने को कमजोर होने की जरूरत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कमलाजी, मैं आपके बारे में तो यह समझता था कि आप बहुत अध्ययनशील हैं। आपने इण्टर स्टेट एग्रीमेण्ट्स देखें होंगे, 1981 के एग्रीमेण्ट में हैडवर्क्स हम को दिये जायें, इसका उल्लेख कहीं नहीं है। उल्लेख करने की.... (व्यवधान).......

श्रीमती कमला : जरूरत नहीं। क्योंकि इसका डिसीजन हुआ है और वह उल्टा नहीं गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उल्लेख बल्कि यह है कि माधोपुर हैडवर्क्स में जितना पानी इकट्ठा होता है उसका मेज लेने का अधिकार राजस्थान सरकार को मिला। इसलिए इस बात को मान कर चलिये इस मामले में मैं गलत नहीं हो सकता। आप चाहेंगे तो मैं कल आपके घर 1981 का एग्रीमेण्ट, इराडी कमीशन का, ट्रिब्यूनल का जजमेण्ट और 1984 का एग्रीमेण्ट, यह तीनों भेज देऊंगा और आपने तीनों भेजने के बाद में सावधानी से अध्ययन किया तो आप भी इस नतीजे पर पहुंचेगी कि हमने उस समय एग्रीमेण्ट किया उस समय हैडवर्क्स के मामले की हमने उपेक्षा की। एक आल्टरनेटिव उपाय, मैं अब सदन में नहीं कहना चाहता....

श्रीमती कमला : उसको रिपीट नहीं किया लेकिन उसको छोड़ा नहीं हमने। उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि हम उसका कण्ट्रोल लेने के डिसीजन को छोड़ते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय मुख्य मन्त्रीजी, पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट के अन्दर जो एक्ट आफ पार्लियामेण्ट है, जो

128

(श्री परसराम मदेरणा)

बोथ दी हाउसेज ने किया है अगर उसमें हैड-वर्क्स के ट्रांसफर का बी. बी. एम. बी. में केवल प्रावधान है तो एग्रीमेण्ट में अलग से उसका उल्लेख करने के बाद में उसकी क्या सैंक्टिटी रहती है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो व्हाइट पेपर इश्यू किया था वह गलत था ?

श्री परसराम मदेरणा : यस, अगर किया है तो गलत है । और मैंने वह व्हाइट पेपर देखा ही नहीं है । वह व्हाइट पेपर जरा आप मुझे दें तो सही । उसमें है कि नहीं हैं या बंडलबाजी है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना बता देऊं कि आपके पास तो कोई कागज नहीं होगा, सरकार में थे तो होते कि नहीं होते लेकिन मैंने अपने सारे डाकूमेण्ट्स जिसमें इराडी कमीशन को अपनी सरकार की तरफ से पैरवी की जा रही थी उसमें रखे हैं । हैडवर्क्स के मामले में जो व्हाइट पेपर इश्यू किया । 1981 के एग्रीमेण्ट के मामले में, वह भी रखा था, पंजाब रि-आर्गेनाइजेशन एक्ट भी रखा था और स्टेट रिआर्गेनाइजेशन एक्ट में 1955 की ट्रीट्री किस प्रकार से प्रोटेक्टेड है, वह मामला भी मैंने रखा था । मैं समझता हूं कि आपने और मैंने सबने मिलकर इराडी कमीशन के सामने जो पैरवी की उससे 1955 का एग्रीमेण्ट सुरक्षित रह सका, इसमें कोई संदेह नहीं और उसके लिए मुझे मलाल नहीं है । स्टेट के मामले में हम दोनों मिलकर लड़े और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हैडवर्क्स के मामले में भी लड़ाई दोनों मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान को लाभ मिलेगा और आपने मुझे एश्योरेंस दिया है....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, एश्योरेंस तो अब आप चाहते हैं कि इरिगेशन मिनिस्टर के पास चलो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां ।

श्री परसराम मदेरणा : चलो, काल ही चालो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : काल ही चलो, आंपां आज टाइम ले लो क्योंकि आपको टाइम जल्दी मिलेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं टाइम ले लूंगा ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप टाइम ले लीजिए और जिस दिन आप कहेंगे उस दिन मैं चलने को तैयार हूं, मैं तो कल ही तैयार हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, आप तो कल मुझे बता रहे थे कि आप जा रहे है, मैंने बात की थी आपसे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं जा रहा हूं ।

श्री परसराम मदेरणा : कि मैं 10 और 11 को जा रहा हूं । ऐसी कुछ बात कह रहे थे आप कि मैं 10 या 11 को जा रहा हू ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप टाइम ले लीजिए। 10 का ले लीजिए, 11 का ले लीजिए या परसों का ले लीजिए। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा हित राजस्थान का और कोई हो नहीं सकता और इसीलिए

(16.40)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति,पदासीन)

इस प्रकार के मुद्दे रखे हैं कि हम दोनों मिलकर राजस्थान का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं और पर्यावरण के मामले में भी मैं समझता हूं पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य मेरे साथ चलेंगे तो पर्यावरण की भी रक्षा हो जायेगी और खानें भी बच जायेंगी। इस दृष्टि से आपका सहयोग मुझे निश्चित रूप से मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि इस बार माननीय सदस्यों ने आलोचना भी की, रचनात्मक सुझाव भी दिये जो प्रश्न रह गये, अब मैं समयाभाव के कारण उनका उत्तर नहीं दे पाऊंगा उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूं और जो प्रस्ताव श्री राजपालसिंह जी ने रखा है....

श्री परसराम मदेरणा : मेरी तो एक ही राय है और, मुख्य मन्त्रीजी, राय यह है कि यहां पर प्रस्तावक महोदय ने जो भी प्रस्ताव रखा है, उनके प्रस्ताव का इसलिए विरोध कर रहा था कि उन्होंने राजभवन को ट्रान्सफर भवन की संज्ञा दी और गवर्नर की इन्स्टीट्यूशन को डेलीब्रेट करना और गवर्नर का नाम यहां पर आ रहा हो और राजभवन का नाम यहां पर उल्लेख करना मैं समझता हूं कि अनपार्लियामेंटरी है। यह पहले गवर्नर के बारे में कास्ट नहीं हुए और जो भी एस्पर्शन कास्ट किये, सभापति महोदय, मैं यह चाहता हूं कि यह अनपार्लियामेंटरी हैं और प्रोसिडिंग्स में से इसको निकाल दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं, सभापति महोदय, यह अनपार्लियामेंटरी नहीं हैं। आप देखिए, एक वर्ष तक......(व्यवधान) अब आप सुनिए, मुझे याद है। मुझे यह भी याद है कि आपने क्या बोला, हरिसिंह जी ने क्या बोला, हरिदेव जोशी ने क्या बोला, भजनलाल ने क्या बोला। गवर्नर के मामले में जो जो भी बोले हैं मुझे जबानी याद है। क्या कागज पैंसिल निकालोगे ? मेरे माथे पर लिखा हुआ है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, जिस समय उन लोगों ने आलोचना की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हरिदेव जोशीजी यह कह सकते हैं कि गवर्नर साहब का निर्णय गलत था ? पद की गरिमा की ही बात है। क्या भजन लाल जी यह कह सकते हैं कि गवर्नर ने दबकर यह फैसला किया है, डरकर फैसला किया है ? यह हुआ तो वे कह सकते हैं। अब आप हाउस में खुद ही कह रहे हैं तो राजपाल सिंहजी ने कह दिया है तो क्या है ? फिर भी, माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के नेता के लिए एक बात कहना चाहूंगा। (व्यवधान) हाउस में भी बोले है रामनारायण जी।

श्री परसराम मदेरणा : रामनारायण जी तो हाउस में यह बोले हैं कि उन लोगों

(130)

(श्री परसराम मदेरणा)

ने बाहर यह बात कही है। बाहर बात कुछ भी कह दें। आपने बहुत की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने कही है।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन हमारे रूल्स आफ प्रोसिजर में इस बात का है, गवर्नर की इन्स्टीट्यूशन का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : गवर्नर के बारे में नहीं कहा, राजभवन के बारे में कहा। गवर्नर के बारे में यह भी कहा, गवर्नर एक पद है और प्रेसीडेंट का रिप्रजेन्टेटिव हैं जो राजस्थान में प्रेसीडेंशियल रूल्स में काम करता है एक आदमी दोनों एक व्यक्ति के पास हैं, यह सही है लेकिन वह प्रेसीडेंट के रिप्रजेन्टेटिव की हैसियत से शासन कर रहे हैं। आज शासन में, कोई भी दोष होता है, Who is responsible for that ? किसकी अकाउण्टेबिलिटी है ? आप यह समझते हैं कि एक वर्ष में जो कुछ हो गया उसकी कोई अकाउण्टेबिलिटी नहीं है ? अकाउण्टेबिलिटी है। अगर कहीं भी कोई दोष है तो उसकी अकाउण्टेबिलिटी उन पर होगी जिनके शासन में या जिनके नेतृत्व में इस प्रकार की गलतियां होंगी। आप उसके लिए बोलेंगे और इस आधार पर मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नर की अकाउण्टेबिलिटी तय होनी चाहिए। जहां एक एक वर्ष तक गवर्नर का शासन रहे, वहां अकाउण्टेबिलिटी का मामला तय नहीं हो, यह उचित नहीं है। यह लोकतन्त्र के हित में नहीं है। आज मुख्य मन्त्री कोई भी कर ले, चाहे भूतपूर्व मन्त्री कर ले, कोई गड़बड़ हो जाये उसको हाउस में उठायेंगे, कोर्ट में जायेंगे और एक वर्ष तक शासन चलता रहे और जनता अपनी वाणी से भी नहीं बोल सके, यह बात नहीं चलने वाली है।

मैं फिर भी इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रिप्रजेन्टेटिव इस तरह के हों उनको अवाइड करना चाहिए ताकि पद की गरिमा बनी रहे लेकिन इस स्थिति में कोई बिचड़ा करना या अनपार्लियामेंटरी है इसकी कोई स्थिति नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं राजपाल सिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है, इस वातावरण में आप समर्थन करके एक इतिहास बनायेंगे, उस इतिहास के माध्यम से भारत सरकार को यह मैसेज जा सके कि राजस्थान के साथ जिस प्रकार की स्थिति है, राजस्थान विकास करना चाहता है, दोनों मिलकर करना चाहते हैं, वह चाहे मामला किसी प्रकार का हो, पानी का हो चाहे बिजली का हो, सब दोनों मिलकर करना चाहते हैं, आपने जो अपनी बात का मुझे पक्का भरोसा दिलाया है वह भरोसा और पक्का हो जायेगा यदि प्रस्ताव का आप समर्थन कर देंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसका समर्थन कर दीजिए। यह राज्यपाल के प्रति धन्यवाद दिया जा रहा हैं, भैरोंसिंह के प्रति नहीं। इसलिए राज्यपाल को कम से कम आलोचना का शिकार करते हुए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

भी आप उनके प्रति यह धन्यवाद का प्रस्ताव पारित करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री सभापति : क्या सदन की स्वीकृति है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री हरिसिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि श्री राजपाल सिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत किया गया धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2–श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि जो संशोधन लाया गया है यह अपनी बात पूरी नहीं करता इसलिए मैं इसमें इस प्रकार संशोधन देना चाहूंगी :-

In clause 2 of The Bill the words "but not exceeding four months" shall be substituted by the words "or till the reconstitution of the Assembly."

मैं संशोधन के पक्ष में मेरे विचार रखना चाहूंगी।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो संशोधन लाये हैं, आप यह जो अमेण्डमेंट लाये हैं इसमें जो राष्ट्रपति शासन के दौरान विधायकगण रहे उस अवधि को आप रेगुलराइज करने के लिए लाये हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक बड़ी भयंकर परिस्थिति पैदा करने वाले हैं। आप इसलिए जरा विचार करवायें। पहले भी इस सदन में हाउस कमेटी के सामने इस तरह की कई प्रकार की स्थितियां आयी हैं। मैं कोई पूर्व विधायकों के खिलाफ नहीं हूं। यह अल्टीमेट डेस्टिनी है कि हर किसी को एक दिन पूर्व विधायक बनना होता है। लेकिन, मान्यवर, जब कोई विधायक चुनाव जीतकर आता है और उसके बाद में घर नहीं मिले, घूमना पड़े उस स्थिति में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसको रेगुलराइज करें लेकिन 4 महीने की ऐसी परिस्थिति में ही करें। मैं इस विधेयक में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं :—

After the words "twelve months" and before the words "shall be substituted", the following expression be inserted :—

"in case the Legislative Assembly is dissolved and not reconstituted for twelve months and only four months in ordinary circumstances".

यह जो अमेण्डमेंट पेश कर रहा हूं वह इस सरकार के हित के लिए कर रहा हूं कि असाधारण परिस्थिति जब हो, जब असेम्बली का कांस्टीट्यूशन नहीं हो रहा हो, उस स्थिति में ही पिछला तो पहले रेटिफाई कर दीजिए। 4 महीने से 12 महीने कर दीजिए लेकिन आगे आप उसी परिस्थिति में करिये जब कि विधान सभा का कान्स्टीट्यूशन नहीं हुआ हो। नहीं तो आपके सामने आगे एक भारी समस्या खड़ी हो जायेगी। आप अभी अपने ला सैक्रेटरी को दे दीजिये और उसकी लैंग्वेज आप इस तरह

(श्री विष्णु मोदी)

से ठीक करवा लीजिये कि उसमें असाधारण परिस्थिति जुड़े ।

मान्यवर, दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जब विधान सभा नहीं होती है उस वक्त जी. ए. डी. को, सैक्रेटरी को या इनको अधिकार होता है । मेरा इसमें माननीय मंत्री महोदय एक सुझाव और है कि ऐसी परिस्थिति में मकान अलाट करने की अथारिटी माननीय अध्यक्ष महोदय को हो, क्योंकि स्पीकर अलाइव होता है, असेम्बली डिजोल्व हो जाती है लेकिन अध्यक्ष पद अलाइव रहता है । तो आप इस कानून को जो चार महीने से बारह महीने कराने वाले हैं वह असाधारण परिस्थिति को जोड़ते हुए करें और उस पीरियड के अन्दर माननीय अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार हो कि वह बारह महीने किसके करें, किस के नहीं करें । तो मैं समझता हूं कि आप आगे आने वाली समस्या का विचार रखेंगे और यह एक इसमें कन्स्ट्रक्टिव अप्रोच है इसलिए इसमें नहीं किया, एक अव्यवहारिक बात है । आप हाउस कमेटी के अन्दर देख लीजिये कि कई बार मकान खाली नहीं करने पर पानी बंद कर दिया, बिजली बंद करवा दी गयी और कई प्रकार की इस तरह की परिस्थिति हुई हैं । तो इसमें आप असाधारण परिस्थिति जब असेम्बली कान्स्टीट्यूट नहीं हुई हो उसी स्थिति में यह बारह महीने अन्यथा चार महीने और जब बारह महीने का अधिकार हो तो वह मकान देने का माननीय अध्यक्ष महोदय को हो न कि सरकारी अधिकारी को ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : सभापति महोदय, माननीय मोदीजी ने जो बात कही है वह सही है । इसमें इस प्रकार से इसको संशोधित किया जाये कि विधान सभा के बीच का जो पीरियड है । वह समझ में आने वाली बात है । अगर बारह महीने कर दिया और विधान सभा अगर बन गयी और यह संशोधन स्वीकार हो गया तो बारह महीने तक फिर खाली नहीं करा सकते । इसलिए इसको इस रूप में कि जो बीच का पीरियड है, इसको तो पारित कर दिया जाये या जितने समय तक विधान सभा नहीं रही हो और नयी विधान सभा बनने तक जो पीरियड है । उसका कर दिया तो बात ठीक है लेकिन बारह महीने यदि इन्सर्ट हो गया तो एक परमानेंट प्राब्लम हो जायेगी । इसलिए इसको इस रूप में संशोधित किया जाना चाहिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मैंने वही दिया है टिल रिकांस्टीट्यूशन आफ दी असेम्बली । जब तक दूसरी असेम्बली नहीं बन कर आ जाती तब तक इसको किया जाये ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इसमें कई गलतियां हैं और भी इसमें कई प्रोविजन जुड़ने हैं । ऐसी क्या जल्दी है कि आप आज के आज ही इसको पास करवायें । अगर इसको आप पैंडिंग कर देंगे या सलेक्ट कमेटी को सुपुर्द कर देते हैं तो वह ज्यादा बैटर रहेगा । बाद में आप और भी सुविधाएं देने की सोचते हैं वह भी इसके साथ जुड़ कर एक साथ ही हो जाये ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, यह साथ हो जाये तो ठीक है। इसको प्रवर समिति को भेज दें, इसको एक बार पैंडिंग कर लें, अगले सत्र में पास कर लें तो ज्यादा बैटर रहेगा।

श्री विष्णु मोदी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप रस्ट नहीं करें, आप कानून बदल रहे हैं, कानून नया बना रहे हैं तो उसमें रस्ट करने की नीयत न रखें। आप खुद भी समझें, क्योंकि...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। महात्मा गांधी से जब देश आजाद होने वाला था तो एक ब्रिटिश कोरस्पोण्डेण्ट ने पूछा कि आजादी का क्या मतलब आप समझते हैं ? उन्होंने कहा कि गवर्नमेण्ट। How do you define the Government which governs ? How do you define the Government which is less Governing ? महात्मा गांधी ने कहा कि गवर्नमेण्ट वह है जो गवर्न करती है और वह सबसे श्रेष्ठ गवर्नमेण्ट है जो कम से कम गवर्न करती है। मान्यवर, आप जल्दी जल्दी में यह कानून बनाते हैं। क्या बन कर आ जाता है, क्या उसका मतलब निकलता है, क्या अर्थ निकलता है और फिर भविष्य में उसका क्या असर पड़ेगा, क्या कांसीक्वेंसेज होंगे ? तो जल्दीबाजी नहीं करें, सोच-समझ कर विचार करें उसके दूरगामी क्या परिणाम होंगे। उन सबको समझ कर फिर आप कोई कार्यवाही करें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आपने उपयोगी विचार रखे मैं समझता हूं आप अगला बिल ले लें। अभी मैं निर्णय कर लूंगा। थोड़ी देर बाद आप इसको ले लेंगे। अभी कर लेता हूं। (व्यवधान) नहीं, नहीं, you are right

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर): सभापति महोदय, यहां पर जो सुझाव आये हैं, इनको स्वीकार करना ही हितकर है। तो आप अपनी तरफ से अमेण्डमेण्ट ले आयें, गवर्नमेण्ट की तरफ से, हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी दूसरा बिल ले लें उसके बाद अभी तय कर लेता हूं।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री सभापति : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री भंवरलाल शर्मा : स्वायत्त शासन मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री रामनारायण वर्मा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 1994 जो पेश किया गया है, इसमें टाइम बढ़ाने वाली बात कही गयी है। माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की....

सदन की कार्यवाही मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीरप्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मुखबंद का समय जो एक घंटे बढ़ाया गया था, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसका छह बजे तक का समय बढ़ाया जाये।

श्री सभापति : क्या समय छह बजे तक का बढ़ा दिया जाये ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बारे में सरकार पुनर्विचार करे और उसके साथ ही नगरपालिका के चुनावों की तिथि घोषित करे। इसी आशा के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उक्त राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को 15 दिन के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : चुनाव भी करवाये जाने हैं और परिचालित करने के लिए और आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : आप तो करवा दीजिये ना। आप तो आलमाइटी हैं। नगर निगम को हटा करके भी चुनाव हो जायेंगे। ठीक रहेगा।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(श्री सभापति)

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड-2, श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा): सभापतिजी, नगरपालिका विधेयक में संशोधन किया जाता है तो कह देते हैं, स्टेटमेण्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स हैं उनको मैं पढ़ना नहीं चाहता, सदन का समय नहीं लेऊंगा लेकिन यह बात कही गयी है कि 27 दिसम्बर को जहां म्युनिसिपैलिटीज थी उनका समय समाप्त हो गया और जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स लगे हुए थे उनका भी समय समाप्त हो गया इसलिए एक साल की अवधि इसमें और बढ़ायी जाये। सभापतिजी, मेरा निवेदन यह है कि सरकार की नीति, सरकार का मानस इन संस्थाओं के प्रति क्या है वह स्पष्ट होता है। अभी माननीय मंत्रीजी कहेंगे कि बीच में एक साल का समय ऐसा हो गया जिसमें राष्ट्रपति शासन था। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसके पहले आपकी सरकार थी और तीन साल का समय उससे पहले ही समाप्त हो रहा था, आप यदि चाहते तो इन म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव करा देते जैसा कि पंचायतों के लिए कहा गया है इनमें जन प्रतिनिधि आयें और वह अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करें। तो वह आपका मानस नहीं है। आप यदि यह चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो तब तक के लिए हम इसको चाहते हैं, अमेण्डमेंट को जो तीन साल के बजाय चार साल का कराया जाये, तो यह प्रक्रिया मेरे ख्याल से छह महीने में पूरी हो सकती है। आज चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आप समय नहीं बढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमेशा-हमेशा के लिए लिंगर आन होता रहे। म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव करवाने के लिए आपका मानस नहीं है। इसलिए, सभापतिजी, मैंने इसमें यह संशोधन प्रस्ताव दिया है...

In clause 2 of the bill the words "four years" shall be substituted by the words" three years and six months."

(17·00)

क्लाज 23 में जो आपने तीन की जगह चार साल शब्द रखा है, उसको तीन साल और छह महीने रखा जाये इसलिए कि आपके ऊपर पाबन्दी हो कि साढ़े तीन साल। अभी छह महीने का समय है और आप चुनाव कराने का मानस रखते हैं तो चुनाव हो जायेंगे। क्योंकि स्टेटमेन्ट आफ रीजन्स एण्ड आब्जेक्ट्स' जो है, वह मैं निवेदन करना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट है :

"Under the existing section 293-A of the Rajasthan Municipalities Act, 1959, the term of administrators appointed in various municipalities in the State, including any period of extension, can not exceed three years. Since the term of administrators at present functioning in various municipalities expired on 27th December, 1993 and the election in these municipalities is likely to take some more time, it is proposed to extend the term of office of administrators to a maximum of four years by amending sections 23 and 293-A of the Act."

यह तो और भी गम्भीर समस्या है, सभापति महोदय, कि एडमिनिस्ट्रेटर लगे

(श्री शिवनाथ सिंह)

हुए हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटर के मार्फत म्यूनिसिपैलिटीज का काम करवाना चाहते हैं और जन-प्रतिनिधियों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मेरा एतराज है कि इस समय को साढ़े तीन साल से अधिक न बढ़ाया जाये। चुनाव न कराने के क्या कारण हैं? सरकार म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव कराने में क्या मानस बनाये हुए है, इस बात को स्पष्ट करें और इस समय को चार साल नहीं बढ़ाया जाये, यह मेरा सब्मिशन है।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, खण्ड 2 में मेरा संशोधन प्रस्ताव निम्न प्रकार है। In clause 2 of the bill for the words "four year" shall be substituted by the words "three years and six months and for four years after the prior approval of the State Legislature" माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल के उद्देश्य से सहमत हूं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन आपकी मजबूरी है, 27 दिसम्बर को उनकी अवधि खतम हो चुकी है और अब आपको चुनाव कराने हैं। मैं उसमें यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी इन संस्थाओं में आस्था है तो आप साल भर का समय बढ़ायें लेकिन छह महीने के बाद आप विधान सभा में उसकी मंजूरी लें। टाइम तो आप आगे बढ़ा लें। तीन साल से चार साल कर लें, लेकिन छह महीने तो आटोमैटिकली हो जायें और छह महीने बाद अगर आप बढ़ाना चाहें तो सदन में आकर उसकी मंजूरी लें। इससे आपकी नीयत भी साफ होगी, इससे इन संस्थाओं की मजबूती भी होगी और इससे एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर भी अंकुश लगेगा। चाहे आप अपना अमेण्डमेण्ड ले आयें। मुझे नहीं है कि आप मेरा अमेण्डमेण्ट ही मंजूर करें। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप इनडेफिनेट पीरियड चाहते हैं। स्पेसिफिक है, एक साल का आप बढ़ा रहे हैं। उसमें साल भर बढ़ा लें लेकिन छह महीने बाद में सदन में आकर उसकी मंजूरी तो लें।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर): सभापति महोदय, यह जो सैक्शन 23 के अन्दर सरकार अमेण्डमेण्ट ला रही है तीन साल से चार साल का, इसकी पृष्ठभूमि में मैं बताना चाहता हूं कि कितने साल से इस सैक्शन में अमेण्डमेण्ट होते चले आये हैं। सन् 1974 के अन्दर भी सैक्शन 23 के अन्दर यह प्रोविजन किया था कि दो साल तक सरकार एडमिनिस्ट्रेटर का पीरियड बढ़ा सकती है। सन् 74 की मैं अर्ज कर रहा हूं और 74 के बाद, सभापति महोदय, इस राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट में कितने संशोधन किये और उन संशोधनों को इस प्रकार से करते कराते 74 से लेकर 89 तक जितने भी पीरियड भी एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उस सबको रेगूलराइज कर दिया गया। मैं इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भरतपुर म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव 70 में हुआ था। 73 में उसकी टर्म एक्सपायर हो

(श्री हरिसिंह)

गयी और 73 से लेकर 93 तक कितने वर्ष हो गये ? श्रीमान्, 20-25 साल से एडमिनिस्ट्रेटर उस म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर काम करता चला आ रहा है। आज जो सैक्शन 23 है यह तो बताता है, एडमिनिस्ट्रेटर की तीन साल से चार साल तक मियाद बढ़ाना चाहते हैं। देखिये, चाहे कोई भी सरकार हो, अब तक 23 अमेण्डमेण्ट राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट के अन्दर हो चुके हैं और यह जो सैक्शन 23 है इसकी मैं आपको कथा बताऊं। आपने इसमें सबसे पहले अमेण्डमेण्ट किया 1987 में। उस समय आपने लिखा है, it shall not exceed two years. आपका अमेण्डमेण्ट हुआ। उसके बाद सन् 1990 में दो साल की जगह छह महीने कर दिया गया। यह जो आप तीन साल से चार साल करने जा रहे हैं, सैक्शन 293 (ए) आज हम अमेण्ड कर रहे हैं उसमें आपने एक ऐसा प्रोविजन दे दिया,

"Provided that in the case of an Administrator appointed before, and functioning on, the date of commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 1991 hereinafter in this proviso referred to as the date of such commencement, the period of three years shall commence from the date of such commencement and the period beginning with, or on any day after, the date of commencement of the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 1989."

89 से पहले जो कुछ भी पीरियड था उस सबको रेगूलराइज करके उसके बाद में दो साल गिने जायेंगे। अब यह आइन्दा चुनाव नहीं करा करके ऐसा प्रोविजन ले आयेंगे, सन् 93 के बाद में तीन साल गिने जायेंगे, चार साल गिने जायेंगे। इस प्रकार से तीन साल से चार साल का टर्म बढ़ाना यह प्रजातन्त्र के सिद्धान्त के विरूद्ध बात है। आपको म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव टाइम पर कराने चाहिये और आप चुनाव कराते तो आपको कोई जरूरत पेश नहीं आती तीन साल से चार साल समय एक्सटेण्ड करने की।

दूसरी इस एक्ट के अन्दर मैं आपको खामी बताऊं कि यह 26 दिसम्बर को टर्म एक्सपायर हो गयी और 26 दिसम्बर से आज तक, जब यह एक्ट पास कराने के लिए जा रहे हैं तब तक, एडमिनिस्ट्रेटर के अपाइण्टमेण्ट इल्लीगल हैं। उन्होंने बहुत से काम किये हैं। कई मंजूरियां की होंगी। कई और कुछ जमीन की बिक्री की होगी। कोई और काम किये गये होंगे। मैं कोई जनरल डिस्कशन तो पेश नहीं कर रहा हूं, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इससे राजस्थान के अन्दर क्या चीज हो सकती है। यानि 26 दिसम्बर को जब यह एक्सपायर होने जा रही थी तो क्या वजह थी कि राजस्थान सरकार ने इसके समय को बढ़ाने के लिए आर्डिनेन्स नहीं निकाला ? आपको आर्डिनेन्स लाकर इसकी टर्म को बढ़ा देना चाहिए था और आपने अगर टर्म आर्डिनेन्स लाकर नहीं बढ़ायी है तो उनका आज तक का अपाइण्टमेण्ट इल्लीगल होगा। आपने इसमें लिख दिया है, that this Act shall come into force....26th December,

(श्री हरिसिंह)

1993. एक्ट तो आपने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बना दिया लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर का जो पीरियड होता है काम करने का वह आपके इस रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाने से वेलिडेट नहीं होगा। इसके लिए आपको इस अमेण्डमेण्ट बिल के अन्दर एक वेलिडेशन क्लाज लाना चाहिये था। उनके तमाम कार्यों को वेलिडेड करने के लिए लाना चाहिये था जैसा कि इससे पहले जितने भी बने हुए हैं उसमें यह लाया गया है। यह बहुत बड़ी खामी होगी। यह बिल अपने आपमें अधूरा बिल है। इसमें एक सैक्शन और बढ़ाना चाहिये था इनके लिए।

तीसरी बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक साल का टर्म बढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। आप अगर वास्तव में मियाद के अन्दर ही चुनाव कराना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर के पीरियड के लिए तीन साल, चार साल को जगह जैसा कि अमेण्डमेण्ड आया है साढ़े तीन साल करने का वह करें। यही मेरा निवेदन है।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं): यह नगरपालिकाओं के बारे में जो विधेयक है इसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिन नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए उनका अगर इतिहास देखें तो वर्तमान सरकार या इससे पहले जो भी सरकार थी राष्ट्रपति शासन के पहले, उसको दोष नहीं दिया जा सकता।

श्री विष्णु मोदी: घनश्यामजी, वस्तुस्थिति यह नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: मैं वही बोल रहा हूं। मैं आपके बिल पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: इनको बोलने दीजिये। माननीय सदस्य, बोलने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: 24 नगर परिषदें, नगर पालिकाएं ऐसी हैं जिनके 25 साल से चुनाव नहीं हुए और पिछली बार जब सरकार ने नगरपालिकाओं के चुनाव कराये थे उन सबके भी चुनाव के नोटिफिकेशन जारी हो गये और उस चुनाव में भी सात ऐसी नगरपालिकाएं थीं जिनके आठ साल में, दस साल में 12 बार चुनाव हो चुके हैं। पिछली बार नगरपालिका एक्ट में संशोधन करके 18 साल के व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया गया, महिलाओं का आरक्षण किया गया और पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का आरक्षण किया गया और चुनाव कराये गये। उस चुनाव में वही नगरपालिकाएं आकर के रुकीं जहां कहीं से भी, हाईकोर्ट में जाकर वार्डों के आधार पर या किसी न किसी आधार पर स्टे ले लिया गया। अब सवाल यह है कि संविधान का 74वां संशोधन पारित हो चुका है और नगरपालिकाओं के चुनाव उस हिसाब से होने हैं और वर्तमान में नगरपालिकाएं राजस्थान में अधिकांश जगह काम कर रही हैं। सरकार पर इस बात के लिए आपने आशंका प्रकट की है 12 महीने बढ़ाने पर कि 6 महीने बढ़ने चाहिए। संविधान संशोधन में इस बात का प्रावधान है कि वह लागू होने पर इतने साल के अन्दर चुनाव कराने होंगे।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार का दोष इसलिए नहीं है कि सारे चुनाव इस कारण से रुके हुए थे और राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होते होते इनकी अवधि समाप्त हो गयी। मैं माननीय हरिसिंहजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पाइंट उठाया कि इसमें उनका वेलिडेशन क्लाज होना चाहिए। इसकी आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और उनकी अवधि बढ़ रही है और उसकी अवधि बढ़ने से उनके लिए अलग से वेलिडेशन क्लाज की आवश्यकता नहीं है। कोई कानून नहीं होता उसके बाद कानून लाते तो उस क्लाज की आवश्यकता थी। 12 महीने, 6 महीने की बात है। टेक्निकल बात है। सरकार को चुनाव संविधान संशोधन के अनुसार निश्चित अवधि में कराने हैं। अगर आपको संशोधन देना था तो इस प्रकार का संशोधन लाते कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा बांधी गयी सीमा में चुनाव कराये जायें। वह सीमा 12 महीने आती है। इसलिए माननीय मन्त्री महोदय ने बिल पेश किया है वह संविधान की भावना के अनुसार किया है और उसमें थोड़ा समय इसलिए लगेगा क्योंकि कुछ बातें स्टेट पर छोड़ी हैं। बजट सैशन आ रहा है उसमें सरकार निश्चित रूप से नगरपालिका बिल लायेगी उस समय थोरो बहस की जरूरत पड़ेगी। इसलिए छोटा-सा सशोधन है पिछली डेट से वेलिडेट कर रहे हैं। इसमें इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इसको पारित किया जाना चाहिए।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय घनश्यामजी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हमेशा अच्छी ही राय देता हूं।

श्री विष्णु मोदी : आप बड़े भाई हैं मैं मानता हूं। मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, संविधान संशोधन के तहत आपको चुनाव कराना होगा लेकिन इसके अलावा कई सारी परिस्थितियां ऐसी हैं संविधान के अन्तर्गत चुनाव होने के बाद चेयरमैन का चुनाव नहीं होता है या पद रिक्त हो जाता है""

श्री भंवरलाल शर्मा : इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री विष्णु मोदी : इसमें प्रोविजन है, आप एडमिनिस्ट्रेटर की बात लेकर आये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चेयरमैन नहीं होगा तो वाइस चेयरमैन करेगा। वह नहीं होगा तो वार्ड मैम्बर बैठेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, आप जो कह रहे हैं, केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत बात कर रहे हैं। वह आयेगा तब विचार करिये। अभी केवल प्रशासक की अवधि बढ़ाने का विचार है। साल के बजाय 6 महीने रखो, यह दूसरी बात है। मेरा ऐसा विचार है, जैसा चौमूं से आने वाले

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय सदस्य ने कहा है कि अगस्त, 90 में 182 नगरपालिकाएं थीं जब हमारी सरकार आयी अगस्त, 90 में चुनाव कराये नगरपालिकाओं के उसमें 138 के चुनाव हो गये । यह जो 40 नगरपालिकायें हैं उनके भी चुनाव घोषित कर दिये थे लेकिन आपकी जानकारी में होगा कि विभिन्न कारणों से लोग न्यायालयों में चले गये और न्यायालयों ने चुनाव नहीं कराने दिये । आज भी मामले लम्बित हैं, कुछ तय हो गये हैं । अब केन्द्रीय कानून आ गया है उसमें व्यवस्था है कि आप आज चुनाव करा देंगे पुराने कानून में तो दिसम्बर तक चुनाव खतम हो जायेंगे । आप चाहते हैं कि इस समय चुनाव करा दें तो चार महीने तो उसमें लगेंगे और 4 महीने नगरपालिका काम करे और उसके बाद चुनाव हो तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा । मजबूरी हो गयी है प्रशासक की टर्म बढ़ाना, बढ़ानी पड़ेगी । हमारी सरकार कभी नहीं चाहती कि प्रशासक ज्यादा समय तक रहे, कभी नहीं होना चाहिए । इसलिए चुनाव की घोषणा कर दी । हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव नहीं हो सकते थे, आपकी जानकारी में है । इसलिए मेरा निवेदन हैं कि 182 में से 138 के चुनाव तो अगस्त, 90 में हो चुके हैं। अब रास्ता क्या है ? सिवाय समय बढ़ाने के और कोई रास्ता नहीं है ।

श्री विष्णु मोदी : इलेक्टेड मैम्बर को बरखास्त कर दिया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : गलत काम किया है तो बरखास्त कर दिया । कर ही देना चाहिए गलत करे तो । 293-ए म्यूनिसिपल एक्ट का प्रोविजन है वह पढ़ना चाहता हूं ।

"293-A. Power to appiont Administrators in certain cases;—

1. Whenever any general elections to a Board under this Act and the peocerdings consequent thereon have been stayed by an order or a competent court or authority."

So we are under this amendment.

इस समय इन नगरपालिकाओं के चुनाव हम चाहें तो भी नहीं हो सकते हैं । इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर का समय बढ़ाना होगा । एक सवाल यह है कि एक साल बढ़ाकर चाल साल कर रहे हैं । नया संविधान संशोधन आ रहा है उसके आधार पर चुनाव होंगे । उसमें व्यवस्था है कि आप जब नगरपालिका का कार्यकाल समाप्त हो उससे पहले चुनाव करा दें और कोई स्थिति हो जाये तो भी 6 महीने से अधिक प्रशासक नहीं रहेगा । वह संशोधन तो हो गया है इसलिए कोई विकल्प नहीं है । इसलिए यह शंका करना कि हम इसको लम्बा करेंगे, चुनाव नहीं करायेंगे, राजनैतिक दृष्टि से ठीक कहते होंगे लेकिन वास्तविकता यह नहीं है । कानून आने वाला है उसके आधार पर चुनाव होंगे । विवशता है, मजबूरी है, कानून की विवशता है, कोई रास्ता नहीं है । सरकार की मंशा चुनाव टालने की नहीं है । केन्द्रीय कानून के कारण भी अब नगरपालिका के चुनाव नगरपालिका रहते ठीक समय पर होंगे । मेरा निवेदन है कि बिल्कुल इनोसेन्ट संशोधन है इसको पास करें ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री शिवनाथसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 में जो संशोधन प्रस्ताव श्री विष्णु मोदी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

श्री शिवनाथ सिंह संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : बात दोनों में एक ही है जो मुझे कहना था कह दिया इसलिए इस संशोधन को मैं पेश नहीं करूंगा।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी : बात कह दी। संशोधन पेश नहीं करूंगा।

श्री सभापति : खण्ड–3 पर कोई संशोधन पेश नहीं हुआ।

प्रश्न यह है कि खण्ड–3 पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड–3 स्वीकार किया गया।

खण्ड–1 अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि

प्रश्न यह है कि खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड–1, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में नगरपालिका और नगर परिषद् और जिस प्रकार से मैट्रोपोलिटन सिटी का संविधान संशोधन आया है, उसी प्रकार दो बातें और आयी हैं। जिस प्रकार से पंचायतों के लिए फाइनेन्स कमीशन बने, उसी प्रकार नगरपालिकाओं के लिए राज्य वित्त आयोग बनाया जाये और नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन आयोग बनाया जाये,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

संविधान संशोधन में यह व्यवस्था है कि जिला प्लानिंग की जाये । जिले की सारी नगरपालिकाएं और जिला प्रमुख मिलकर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बने और उस कमेटी के आधार पर जिले का विकास किया जाये । मैं लम्बी चौड़ी बात नहीं कहकर एक बात कहना चाहूंगा । जिस प्रकार पंचायतों के बारे में वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग बनाने की बात कही उसी प्रकार स्वायत्त शासन मंत्री महोदय को इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राज्य की नगरपालिकाओं के सोर्सेज हैं उनके लिए वित्त आयोग बनाया जाये, चुनाव आयोग बनाया जाये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : एम. एल. ए. के अधिकार समाप्त हो जायेंगे ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : हो जायेंगे तो हो जायेंगे । हम तो विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं ।

श्रीमती कमला (बैराठ) : निर्वाचन आयोग का नहीं है । वित्त आयोग का है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : संशोधन में है, वित्त आयोग का भी है और निर्वाचन आयोग का भी है ।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय सदस्य इसका विरोध कर रहे हैं तो आपको आउटराइट यह कहना चाहिए कि इसको पास करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसको पास करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि राज्य की नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार भरसक प्रयत्न करेगी ।

श्री चन्दनमल बैद : अगर आश्वासन नहीं देंगे तो आप इसको अस्वीकार कर देंगे ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अस्वीकार क्यों कर दें ? पारित करने पर सहमत हैं और वह तो संविधान संशोधन की आवश्यकता है इसलिए आयेगा ही ।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि 1972 से जयपुर में नगरपालिका के चुनाव नहीं हुए, नगर परिषद् के चुनाव नहीं हुए और अब निगम बना है । हम तो इतने परेशान हैं कि जब 1977 में पिछली बार हम आये तो 18 साल की उम्र के लिए संशोधन लाये । नगर परिषद् के चुनाव कराने वाले थे कि हमारी सरकार भंग कर दी गयी । जो अब इस पक्ष में बैठे हैं उन्होंने वापस 21 साल उम्र की । फिर जब हम दुबारा आये तब फिर सरकार भंग कर दी । जयपुर का क्या होगा, मन्त्री महोदय, बतायें वरना तो हमें बड़ा दुःख होगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैंने पूर्व में निवेदन किया है कि हमारे चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं थी, अगस्त, 1990 में ही हमने चुनाव करा दिये । ये वे चुनाव हैं जो उच्च न्यायालय के आदेशों से हो नहीं सकते, यह माननीय सदस्यों को जानकारी होगी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपकी वजह से हो है। आपने सब वार्ड जहां जहां आप हार सकते थे वहां तो रिजर्व कर दिये और जहां जीत सकते थे वहां जनरल कर दिये। इसलिए लोग हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। आपके आदेशों और तमाम वार्डो को हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया इसलिए यह नौबत आयी। इस नौबत को लाने वाले आप हैं और आपकी सरकार है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह आपकी बड़ी गलतफहमी है कि हमारे हारने के वार्ड थे। हमारे हारने के वार्ड का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : राम भरोसे ही बोले हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : राम भरोसे नहीं, हमारे झुंझुनू का चेयरमैन बनवारी लाल बैद, उसके वार्ड को जो गाइडलाइन दी थी गवर्नमैण्ट ने कि इस हिसाब से वार्डो का डीलिमिटेशन किया जाये, आपके लोगों ने आपके यहां से इंस्ट्रक्शन पाने के बाद, आपसे मिलने के बाद उठाकर उस वार्ड को महिला वार्ड कर दिया।

श्रीमती उजला अरोड़ा : महिलाओं से दुश्मनी क्यों करते हो ?

श्री रामनारायण चौधरी : एक ग्रिवेन्स अराइज हुई कि वह किसी भी सूरत में महिला वार्ड नहीं हो सकता था। जो यहां से इंस्ट्रक्शंस जारी हुए थे उसमें महिला वार्ड तो नहीं होता।

श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : महिला वार्ड तो तीसरे नम्बर से चल रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो महिला के खिलाफ नहीं थे लेकिन वह वार्ड महिला वार्ड नहीं होता। वे हाई कोर्ट गये, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया सुनने के बाद और उसको जनरल कर दिया इसलिए झुंझुनू के चुनाव रुक गये। इसका दोषी कौन है ? इसके दोषी भवरलालजी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह महिलाओं का 30 प्रतिशत आरक्षण भी इस सरकार ने किया था।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो इसको उलझा रहे हो, आपका इसमें कुछ भी नहीं है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर): हरिजन को भी जनरल बना दिया आपने मेरे खुद के वार्ड में, जहां मैं रहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बात ही नहीं सुनोगे क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : जब दिल्ली में वह कानून बना तो कानून बनते-बनते इनको पता लगा कि पंचायत एक्ट, नगरपालिका एक्ट में ऐसा संशोधन आ रहा है, इनकी होशियारी है कि इन्होंने पहले लाकर यहां अमेण्डमेण्ट कर दिया।

श्री सभापति : होशियारी तो दिखाई। आप बिराजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : महिलाओं का, शिड्यूल्ड कास्ट का, ट्राइब का रिजर्वेशन होने के बाद आपकी पूरी पार्टी के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर खलबली मच गयी थी और आप सब के सब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो गये थे, ऐसी स्थिति आ गयी थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दिक्कत तो आपकी है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो उल्टा हुआ है। जब राजस्थान सरकार ने महिलाओं के वार्ड सुरक्षित किये तब केन्द्र ने उसकी नकल की है। आप उल्टी बात कह रहे हो।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभनगर): एक क्लेरीफिकेशन चाहता था। माननीय मंत्री महोदय, आपने महिलाओं के वार्डों को सुरक्षित करने का निर्णय कब लिया था, यह डेट बता दें आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : आपके टाइम पर वार्डों का गलत सीमांकन हुआ है इस बारे में क्या कह रहे हैं ? जितने भी हरिजन वार्ड थे आपने उनको जनरल कर दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा : काहे की तारीख बता दें ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप कह रहे हैं कि हमने किया महिलाओं का वार्ड सुरक्षित, कौनसे साल में किस तारीख को किया ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जब यह कार्यवाही समाप्त हो जाये तब आ जायें, मैं बता दूंगा।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आपको गलतफहमी है। यह पहले हो गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : किया तो हमीं ने है ? खैर, यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जिसके लिए आप कह रहे हैं कि कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट आ गया वह तो गयी साल आया है। 1993 में।

श्री रामनारायण चौधरी : राजीव गांधी के बाद में इमीजिएटली यह सरकार ले आयी थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राजीव गांधी के कानून में नहीं आया था। कानून में था क्या ?....(व्यवधान)....एक साथ तीन-तीन खड़े हो गये। मेरी बात सुन लें। राजीव गांधी ने कानून में संशोधन किया था क्या ? नहीं किया था, हमने संशोधन किया है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि प्रपोज्ड अमेण्डमेण्ट बिल जब गिर गया था राज्य सभा में, उसके आधार पर जब शिवचरणजी माथुर मुख्य मन्त्री थे तब उस वक्त यह अमेण्डमेण्ट लाया गया था।

श्री रामनारायण चौधरी : जो सेण्ट्रल एक्ट है उसके अन्दर राजीव गांधी ने प्रोविजन किया, वह राज्य सभा में आपने गिरवा दिया। दुर्भाग्य है कि राजीव गांधी नहीं रहे। नरसिंह रावजी आये, जो मूल प्रस्तावना थी राजीवजी की उसमें कुछ संशोधनों के साथ आप सब की राय करके नरसिंह रावजी लाये थे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : लोक सभा में पास हो गया था, राज्य सभा में आप लोगों ने गिराया था।

श्री सभापति : हो गया, माननीय रामनारायण जी, बिराजिये। आप बोल चुके हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा: मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमने अमेण्डमेण्ट लाकर अगस्त, 1990 में जो चुनाव कराये वे इसी आधार पर करा दिये। आप कब की बात कर रहे हो? 1990 में चुनाव हुए हमारे तभी महिलाओं के वार्ड सुरक्षित थे।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि अमेण्डमेण्ट तो उससे पहले आ गया था····(व्यवधान)···· इसीलिए पूछ रहा हूं कि आप डेट बता दो सन् बता दो। उससे पहले 1989 में कांग्रेस गवर्नमेण्ट इस अमेण्डमेण्ट को ला चुकी थी प्रपोज्ड कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट के आधार पर।

श्री रामनारायण चौधरी : लोक सभा में पास हो गया था, राज्य सभा में गिर गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विवाद का विषय नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : मैं विवाद का विषय बनाना नहीं चाहता, मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : सवाल यह है कि प्रशासकों की नियुक्ति का समय चार साल किया जाये। मैंने उसमें निवेदन किया कि हमारी कुछ व्यवस्थाएं रही हैं उन व्यवस्थाओं के कारण····

श्री भीखा भाई (सागवाड़ा) : 1989 में प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने···(व्यवधान)

श्री सभापति : हो गयी, वह बात हो गयी।

श्री भीखा भाई : उसी तरह से नगरपालिकाओं का सम्मेलन किया। इसमें जो प्रपोज्ड कण्टैम्पलेटेड प्रोविजन थे, यह तो भैरोंसिंह जी की दक्षता है जिसके कारण वहां से समझकर आकर इन्होंने····

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इसको पास किया जाये, बड़ा इनोसैण्ट संशोधन है।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, प्रभारी मन्त्रीजी जो विधेयक ले कर सदन में आये हैं, इन्नाक्युअस अमेण्डमेण्ट बता रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटर की टर्म 26 दिसम्बर को खतम हो गयी तो were you on slumber? कुम्भकर्णी नींद में सो रहे थे क्या?

श्री भंवरलाल शर्मा : नो।

श्री परसराम मदेरणा : तो आप आर्डिनेंस क्यों नहीं लाये?

श्री भंवरलाल शर्मा : विधानसभा आने वाली थी इसलिए।

श्री परसराम मदेरणा : नो, कुछ नहीं, मैं एक ऐसा आर्डिनेंस लाया हूं, उसके दो दिन बाद विधान सभा थी और विधान सभा आहूत कर दी गयी थी। वह इतना इम्पार्टेण्ट मैटर था, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी में चीफ सैक्रेटरी कह रहा था कि यह स्टेट के इन्ट्रेस्ट में है। दो दिन भी अगर निकल जाते हैं तो स्टेट का अहित हो जाऐगा इसलिए दो दिन पहले, आहूत होने के बाद आर्डिनेंस आया है। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर्डिनेंस ले आते। अब आप इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफैक्ट दे रहे हैं। आज वे एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हैं अनआथोराइज्ड, आपने उनको हटाया नहीं। दिनांक 25 की नाइट को 12·00 बजे they are no more Administrators under the law.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : They will become today as Administrator.

श्री परसराम मदेरणा : वह तो 'रिट्रोस्पेक्टिवली डीम्ड' वर्ड आपने लिखा है, हो जाएंगे लेकिन इन दिनों के अन्दर वे जो बिना एडमिनिस्ट्रेटर के हैं ? This is a rule of law. A rule of law is a rule of jungle in regard to these Administrators who have been allowed to continue, Sir.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्रीमान् मदेरणा साहब, इस हाउस में वेलिडेशन एक नहीं लगभग 50 पेश हुए हैं और इसी नेचर के हुए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप भी मान रहे हैं कि यह तो आपकी भूल हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वेलिडेशन होता है, ऐसी क्या बात है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसको पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994। श्रीमती शशी दत्ता, प्रभारी मन्त्री प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक पर विचार
राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मन्त्री विधि) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सभापति : श्री रामनारायण।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण (नैनवां) : माननीय सभापति महोदय, मेरा प्रस्ताव प्रवर समिति

(148)

(श्री रामनारायण)

को सुपुर्द करने का है। राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक जिस आधार पर लाया गया है, मेरा जहां तक ख्याल है इसको स्टेट गवर्नमेण्ट के आफिसर्स से मंत्रीजी ने ठीक ढंग से चैक नहीं करवाया। मैं इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे ध्यान है आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको डिस्ट्रिब्यूट किया है, इसके बारे में अच्छा होता यदि स्टेट गवर्नमेण्ट पुनर्विचार के लिए लिखती क्योंकि सिविल न्यायाधीश सीनियर बेंच और जूनियर बेंच, सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन, इतना-सा उसके ऊपर असर डालने वाली बात ये कर रहे हैं, इतना-सा अमेण्डमेण्ट लाने की बात कर रहे हैं। 1947 के पहले जो डिस्ट्रिक्ट जज का था उसको जिस तरह से यह अमेण्ड करने जा रहे हैं, मेरा जहां तक ख्याल है इस पर पुनः विचार करें और इसके लिए आप जल्दी मत कीजिये, काफी टाइम मिलेगा बजट सैशन में।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा ज्यादा टाइम न लेते हुए कि इस पर पुनर्विचार किया जाये और तब तक के लिए इसको प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये।

श्री सभापति : प्रभारी मंत्री।

श्रीमती शशी दत्ता (राज्य मंत्री, विधि) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इसके अमेण्डमेण्ट के बारे में पूछा है। अब मुझे कहना नहीं चाहिये, I think he is not having the accurate knowledge of the amendment. This is the amendment only regarding the directions passed by the Supreme Court.

एक रिट पिटीशन की थी राजस्थान के जजेज ने, एक ऐसी रिट पिटीशन की थी आल इण्डिया जजेज की तरफ से, 13.11.91 को रिट तय हुई, डायरेक्शन्स दिये गये थे, एक डायरेक्शन यह दिया गया था आल आउट इण्डिया डेजिग्नेशन के लिहाज से कि इन जजेज के नाम में एकरूपता लाने के लिए डेजिग्नेशन उनके साथ लगायी जाये and this is the only amendment, यह सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ डायरेक्शन है जिसको हम यहां लागू कर रहे हैं।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, मैंने बहुत शार्ट में निवेदन किया है, माननीय मन्त्री महोदय यह बता दें कि जो डायरेक्शन हैं, मैण्डेटरी हैं या आब्लीगेटरी ? मैण्डेटरी हैं तब तो ठीक हैं। यदि ये मैण्डेटरी नहीं हैं तो इसको प्रवर समिति को सुपुर्द कीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरी बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण : आप मंत्री नहीं हैं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

माननीय सदस्य, आप दुबारा जीतकर आये हैं, अब आप विधायक हैं। थोड़ा संयम बरतिये। विराजिये आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 विचारार्थ लिया गया। श्रीमती शशी दत्ता।

विधेयक का पारण

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये।

श्री रामनारायण : माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाह रहा था कि ये जो प्रोविजंस या डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट के हैं, आया यह डायरेक्शन मैण्डेटरी हैं, आब्लीगेटरी हैं या किसी और सैंट में हैं? इसके बारे में जो रीजन्स आपने लिखे हैं, इसको लाने के लिये, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि In Civil writ petition No. 1022/1989 the Supreme Court has directed that in order to ensure uniformity of designations in the State Judicial Service; ये डायरेक्शन जिस टाइप के हैं, मैं इतना सा निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो हमारे विधि मंत्री हैं, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि क्या इसके बारे में पुनर्विचार के लिए कहा जा सकता था क्योंकि स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में इस मामले को लेकर काफी असंतोष है। सीनियर बैंच, डिस्ट्रिक्ट जजेज में इस बार में असंतोष है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं इस बारे में। कल को आपने विधेयक पास कर दिया, इसके बारे में अधिनियम बना दिया और उसके बाद में जाकर के कोई बात पैदा हो इसलिए आप पहले से इसके बारे में विचार करें और इसको ठीक ढंग से पढ़ लें। यदि नहीं देखा है तो आप किसी से राय ले लें। इसको करने के लिए इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है?

श्रीमती शशी दत्ता : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य शायद मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं so I will reply, क्योंकि ये मेरे से यह पूछना चाह रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया है कि यह मैण्डेटरी है, सारे हिन्दुस्तान में लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है. सिर्फ राजस्थान को इससे अलग क्यों किया जाये? सिर्फ एकरूपता लाने के लिये किया है। This is mandatory and it applies all over India. और अगर अब भी आप को कोई असंतोष हो तो मैं जवाब दूंगी।

श्री रामनारायण : क्योंकि इस प्रदेश में वह सरकार है जो देश में एकरूपता नहीं लाना चाहती, देश में एकजुटता नहीं देखना

(श्री रामनारायण)

चाहती, इसलिए आप अलग रहिये, आपकी सरकार अलग है।

श्रीमती शशी दत्ता : इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि पारित किया जाये।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 पारित किया गया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया

अनुपूरक अनुदान की मांग, 1993–94 मांग संख्या 24–शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–24, शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6 लाख 98 हजार तक की राशि और प्रदान की जाये।

मांग संख्या 24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक सामान्य शिक्षा के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपये कम कर दिया जायें,

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं)

1. सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में बनायें गये कानून को सरकार द्वारा लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

2. शिक्षा की समानीकरण योजना हेतु गठित जांच समिति की सिफारिशों तथा गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिकरण के कार्यों पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण (नैनवां)

3. नैनवां नगरपालिका क्षेत्र में गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों को निर्धारित वेतन नहीं देने पर भी उन्हें दिये जा रहे अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सभापति : कोई बोलना चाहता है ?

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय, मेरा कटमोशन है इस पर।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सारी स्कूलें खाली पड़ी हैं, किस बात के पैसे दे रहे हो कटारिया जी को। साढ़े छः सौ प्रधानाध्यापक की जगह खाली पड़ी हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

हजारों टीचर्स की जगह खाली पड़ी हैं और आप इनको और पैसे दे रहे हो।

श्रीमती कमला (बैराठ) : माननीय समापति महोदय, इस मांग के तहत मैं निजी शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी से सिर्फ एक निवेदन यह करना चाहती हूं कि इस विधेयक के सम्बन्ध में जो कुछ भी आज तक हुआ है उसमें एक तरफ पेरेण्ट्स, दूसरी तरफ शिक्षण संस्थाएं, तीसरी तरफ छात्र और चौथी तरफ सरकार, ये चारों के चारों तीनों मुद्दों पर बहुत ही ज्यादा शोचनीय बात है, इस पर पुर्नविचार किया जाना जरूरी है। क्योंकि इसमें सन्दर्भ है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि एक तरफ तो यह है कि जो सरकार ने उन पर पाबंदियां लगायी हैं उनमें बहुत सी तो ऐसी हैं जो लगनी चाहिये लेकिन बहुत-सी ऐसी हैं जैसे इतनी एकड़ जमीन होनी चाहिये, इतना एरिया होना चाहिये, इतने मकानात पहले से बने हुए होना चाहिए। तो वे बहुत-सी संस्थाएं जो इतनी जमीनें करा ही नहीं पायेगी और असम्भव-सी बातें भी उसके अन्दर मौजूद हैं।

दूसरी तरफ जो पेरेण्ट्स हैं, जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा के लिये उसमें यह जरूर होना चाहिये था कि इस लेवल तक की जो कक्षाएं हैं उनकी इससे ज्यादा फीस नहीं होगी, इससे ऊपर वाली जो क्लासेज है उनकी इससे ज्यादा फीस नहीं लगेगी। आज ये संस्थाएं अनाप-शनाप अपने डवलपमेंट के लिए इतना चार्जेज कर रही हैं कि लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाने भेजने के लिए तो मजबूर हैं लेकिन उनका जिस तरह से निर्वाह होता है अपने परिवार का, यह भी एक बहुत संकट की बात हो रही है।

तीसरा, वहां जो शिक्षक हैं उनकी सेवाओं के प्रति भी, जो उनका वेतनमान है उसके प्रति भी हमको जो सुरक्षा करनी चाहिये वह पूरी नहीं है। वह भी पूरी की जानी चाहिये और उसमें जो यह प्रावधान किया गया है जिसके लिए वह कोशिश कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिये कि जो सरकार के वेतनमान हैं वे इनको देने पड़ेंगे तो कहते हैं जितनी हमको ग्राण्ट इन एड मिलती है उसके पेटे तो हम देंगे बाकी के पेटे हम नहीं देंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं हैं, उनको देना चाहिये। बराबर उनको काम में ले रहे हैं उनको उतना ही काम के पेटे पैसा भी दिया जाना चाहिये। जो यह एक्ट बना हुआ है, यह जो अधिनियम बना हुआ है उसके ऊपर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी एक बार एक कमेटी बैठाकर इसके ऊपर पुनर्विचार करें कि सब सैक्टर्स को उसमें प्रोटेक्शन मिले और हरैसमेंट भी न हो। यह मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : समापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो सुझाव रखा, उस दृष्टि से विचार हम लोग भी कर रहे हैं और 18 तारीख को ही हमने उनसे सम्बन्धित जितने लोग हैं उनको पहले वार्ता के लिए बुलाया है और उसके

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

बाद माननीय सदस्यों से भी इस बारे में विचार-विमर्श करने के बाद इसमें जिन नियमों के तहत यह कुछ परेशानियां आ रही हैं उनको हटाते हुए, जो एक्ट की मंशा 1974 से थी, आज दिन तक इसके लिए बारबार कई बार प्रयास होता रहा और 94 में जाकर यह इस रूप में आया, इसके नियमों में कुछ विसंगतियां जरूर हैं, भटनागर कमेटी की रिपोर्ट भी अब आयी है, उसको देख करके और उन सब लोगों के सुझावों के बाद माननीय सदस्यों से भी इस बारे में विचार करने के बाद जो भी इसमें ठीक रास्ता निकलेगा उसके आधार पर इसको आगे करेंगे।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,98,000/- (छः लाख अठ्यानबें हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मुखबन्द का प्रयोग 6 बजे होना था, कुछ समय पहले ही चर्चा समाप्त हो गयी इसलिए अब मुखबन्ध का प्रयोग करते हुए मैं और अनुदान मांगें प्रस्तुत कर रहा हूं।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान 1993-94 की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या-7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,86,36,000/- (दस करोड़ छियासी लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,66,75,000/- (एक करोड़ छियासठ लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,43,43,000/- (पांच करोड़ तियालिस लाख तियालिस हजार तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 75,78,000/– (पिचहत्तर लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(17.45 सायं)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग संख्या—30

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–30, जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,32,36,000/– (तीन करोड़ बत्तीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–33, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,46,01,000/– (एक करोड़ छियालिस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–36, सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,77,87,000/– (एक करोड़ सतहत्तर लाख सत्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–37, कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,11,00,000/– (तीन करोड़ ग्यारह लाख) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,06,34,000/- (चार करोड़ छः लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,08,05,000/- (एक करोड़ आठ लाख पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43, खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,79,000/- (एक लाख उन्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,00,00,000/-(पांच करोड़) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,05,71,000/- (अठारह करोड़ पांच लाख इकहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-47

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या–47, पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1994 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,00,000/–(पैंतालीस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

अतिरेक अनुदान की मांगों (वर्ष 1985–86) का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–1, राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 79,651/–(उन्यासी हजार छः सौ इक्यावन) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–9, वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–16, पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 96,93,504/– (छियानवे लाख तिरानवे हजार पांच सौ चार) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–20

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–20, आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,71,079 (दस लाख इकहत्तर हजार उन्यासी) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–21

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या 21, सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध

(श्री अध्यक्ष)

में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,08,502 (आठ लाख आठ हजार पांच सौ दो) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–23

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–23, श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,64,521 (इक्कीस लाख चौंसठ हजार पांच सौ इक्कीस) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–27, पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 90,96,375/– (नब्बे लाख छियानवे हजार तीन सौ पिचहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–28

प्रश्न यह है कि अतिरक अनुदान की मांग संख्या-28, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,488/–(ग्यारह हजार चार सौ अठ्यासी) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–29

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,63,874 (पच्चीस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ चौहत्तर) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-31, पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 500 (पांच सौ) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-40, राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,792 (उन्हत्तर हजार सात सौ बानवे) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-42, उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,09,389 (उनचास लाख नौ हजार तीन सौ नवासी) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-44

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या-44, लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,060 (बत्तीस हजार साठ) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या–45, राज्य कर्मचारियों को ऋण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,21,151 (छह लाख इक्कीस हजार एक सौ इक्यावन) तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विनियोग विधेयक।....(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पहले जो अनुपूरक अनुदान की मांगें हैं उनको पास करवा लेते उसके बाद में जो आपके पास बिल विचाराधीन है उसको पास करवा लेते....

श्री अध्यक्ष : आ रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, फिर एक बिल पास होने के बाद में दूसरा बिल पास होता। दोनों ही बिलों की मांगें आपने एक साथ...

श्री अध्यक्ष : ये दोनों बिल भी साथ में आ जायेंगे। एक बिल के बाद दूसरा बिल। बात यह है कि आप जब सारी कार्य-वाही ही मिली-जुली कर रहे है तो यह भी मिला-जुला चलने दीजिए। अलग-अलग क्यों ? सब कार्यवाही...(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, आप जिस क्षेत्र से आते हैं तो एक बिल में चूहा भी घुस जाता है और एक बिल में सर्प भी घुस जाता है। यह दोनों एक साथ कैसे आये ?

श्री अध्यक्ष : आपने कहीं गुंजाइश रखी ही नहीं कोई और कि एक बिल में चूहा घुस जाये। जब दोनों ठीक-ठाक हैं तो एक साथ घुसने दीजिए।

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994

विधेयक का पुरः स्थापन

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं, राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

विधेयक पर विचार

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : कोई बोलना चाहते हैं ?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 विचारार्थ लिया गया।

प्रभारी मंत्रीजी, पारित करने के लिए।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या–1) विधेयक, 1994 को पारित किया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या–2) विधेयक, 1994

विधेयक का पुरःस्थापन

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनि-

(श्री अनंग कुमार जैन)

योग (संख्या-2) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

विधेयक पर विचार

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994, विचारार्थ लिया गया ।

प्रभारी मंत्रीत्री ।

विधेयक का पारण

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994 को पारित किया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 1994 पारित किया गया ।

शासकीय संकल्प

संविधान (77वां संशोधन) विधेयक 1992 का अनुसमर्थन

प्रभारी मंत्रीजी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मै आपकी आज्ञा से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित, भारत के संविधान के संशोधन का, जो कि उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र में आता है, अनुसमर्थन करता है ।"

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री ललित किशोर चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत संकल्प, "कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (सतहत्तरवां संशोधन विधेयक, 1992 द्वारा किये जाने के लिए प्रस्तावित, भारत के संविधान के संशोधन का जो कि उसके अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) के क्षेत्र में आता है, अनुसमर्थन करता है ।" को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया । संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया ।

मैं माननीय सदस्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस नयी विधान सभा के प्रथम सत्र में सत्ता पक्ष और

(श्री अध्यक्ष)

विपक्ष ने जो रचनात्मक भूमिका निभायी उससे हमारे देश की अन्य विधान सभाओं की तुलना में इस राजस्थान की विधान सभा की गरिमा और बढ़ी है। विशेष तौर से बिजली के प्रश्न पर विपक्ष ने जो रचनात्मक भूमिका निभायी और सत्ता पक्ष ने सहमति की जो स्थिति पैदा की उसके कारण राजस्थान के किसानों को बिजली अधिक समय तक मिलने की व्यवस्था की गयी है। उसके लिए भी आप सारे ही माननीय सदस्य धन्यवाद के पात्र हैं। एक विशेष बात जो इस सत्र में हुई है उसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आज अनेक माननीय सदस्यों ने खासतौर से बिलों पर जो बहस की है वह मेरे लिए बहुत ही उत्साहजनक बात है। सामन्यतया पब्लिक इश्यूज पर तो हरेक माननीय सदस्य अपनी अपनी बात कहते ही हैं लेकिन अमूमन, विधेयक आते है तो हाउस खाली हो जाता है। लेकिन आज चाहे संशोधन विधेयक कितने भी छोटे हों फिर भी माननीय सदस्यों ने बहुत ही मूल्यवान सुझाव दिये हैं और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने विधेयकों के बारे में अपना माइण्ड एप्लाई किया और उस कानून की बारीकियों को स्पष्ट किया। यह मेरे लिए तो कम से कम बहुत ही उत्साहजनक बात है और इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। अब आप राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जायेंगे।

जन गण मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिन्धु, गुजरात, मराठा,
द्राविड़ उत्कल, बंगा
विन्ध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा
उच्छल जलधि तरंगा
तव शुभ नामे जागे
तव शुभ आशिष मांगे
गाहे तव जय गाथा
जन-गण-मंगलदायक जय हे
भारत भाग्य विधाता
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय जय हे।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18·00 बजे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।)

————

परिशिष्ट—1

तारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

तहसील फलौदी के 114 गांव जिनमें क्षेत्रफल 2500 हैक्टेयर से अधिक है :

(तहसीलदार द्वारा पेश की गई सूची अनुसार)

क्र. सं.	गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	क्र. सं.	गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1.	फलौदी	7112	26.	दुर्जनो	8149
2.	खीचन	4447	27.	देदासरी	5521
3.	लोर्डिया	3020	28.	खेबूसर	2755
4.	मोखेरो	5762	29.	नूरे की भूर्ज	3879
5.	होपारडी	3416	30.	अजेरी	3190
6.	बोठड़ी	2629	31.	मड़ला	12694
7.	सावरोज	6400	32.	खाखूरी	2579
8.	ढढू	6354	33.	बाप	13679
9.	उदापोयो की ढाणी	3702	34.	घटोर	4150
10.	बासणू	3688	35.	बडीढाणी	3145
11.	मढोल चक	2592	36.	कानासर	12475
12.	खारा	10960	37.	नेवा	11938
13.	उग्रास	9554	38.	माण्डली	2624
14.	रायड़ा	3012	39.	राणेरीं	12109
15.	बेंगटीकला	8207	40.	भोवजी का गांव	4209
16.	बेंगटीखुर्द	7252	41.	रावरा	3953
17.	कुण्डल	3666	42.	शेखासर	11419
18.	बावड़ीकला	3594	43.	अखाधणा	4839
19.	टेकरा	10173	44.	जैमला	8153
20.	सिहड़ा	7394	45.	सागूरी	3131
21.	दुर्गाणी	3047	46.	मलार	4364
22.	मोडक्रिया	3040	47.	रिण	2794
23.	वारू	15095	48.	गोदरली	5442
24.	घोलिया	5907	49.	खीवर	5096
25.	रोला	4259	50.	मोटाई	7528

क्र. सं.	गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	क्र. सं.	गांव का नाम	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
51.	ननेऊ	8497	83.	छहेला	2653
52.	चाखू	21991	84.	जालोड़ा	7901
53.	जाम्बा	3292	85.	कुशलावा	3456
54.	जाम्बा की ढाणी	4733	86.	दयाकोर	3071
55.	चारणाई	4099	87.	पीलवा	2785
56.	देगावडी	2730	88.	भोजाकोर	3281
57.	कलरावा बेरा	4872	89.	फतेहसागर	4598
58.	लूणा	5779	90.	सदरी	2666
59.	उदट	7581	91.	कोलू पादूजी	6549
60.	मयाकोर	3563	92.	कोलू राठोड़ा	5488
61.	डूम्बासर	2839	93.	मण्डलाकलाँ	7328
62.	मिठड़िया	2526	94.	डेडिया	3725
63.	कल्याणसिंह को सिड	3512	95.	आऊ	12082
64.	कानसिंह को सिड	18061	96.	ईशरू	8009
65.	खिदरत	6997	97.	चाडी	2553
66.	सोढावडा	2738	98.	लक्ष्मणनगर	6159
67.	बावडोबर सिंगा	5341	99.	कृष्णनगर	5086
68.	मनचितिया	3562	100.	रिडमलसर	6254
69.	रूपाणा-जैताणा	3044	101.	खारिया	3452
70.	पश्चिमी ढाणी	2755	102.	चाम्पासर	3798
71.	ढेलाणा	3152	103.	बूगडी	8497
72.	देणोक	5509	104.	अजासर	2520
73.	इंदो का बास	5645	105.	रोहिणा	7520
74.	बरसिंगो का बास	5042	106.	जैसला	7669
75.	पलोना	6705	107.	कैनलसर	8686
76.	चैनपुरा	3980	108.	भोजासर	6794
77.	घोलासर	4088	109.	भोयासर	11655
78.	मोरिया	3221	110.	बरजासर	4557
79.	मूजासर	2985	111.	पडियाल	10740
80.	नयाबेरा	3268	112.	रणीसर	3034
81.	शैतानसिंह नगर	4225	113.	घडियाली	11765
82.	आमला	7150	114.	चिमाणा	5874

परिशिष्ट—2

तारांकित प्रश्न संख्या 5 का विवरण

आय वर्ष 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93

क्र.सं.	नाम मद	1990–91	1991–92	1992–93
1.	2	3	4	5
1.	मण्डी शुल्क	33,15,424	46,63,206	84,89,768
2.	अनुज्ञापत्र शुल्क;नवीन/ नवीनीकरण	2,411	2,835	13,755
3.	जमा धन पर ब्याज	2,88,259	1,75,700	73,606
4.	फार्म पर्ची विक्रय	9,743	9,505	13,922
5.	विलम्ब शुल्क	1,466	2,954	10,219
6.	अन्य आय	19,257	5,152	13,917
7.	केन्द्रीय अनुदान	—	—	—
8.	अनाज अग्रिम	12,324	40,398	42,083
9.	सचिव, कर्मचारी कटौतियां	—	—	—
10.	भवन निर्माण ऋण से आय	4,738	5,944	11,219
11.	वाहन ऋण से आय	1,963	1,767	2,322
12.	आडिट वसूली	324	—	2,289
13.	अग्रिम	10,725	4,550	6,656
14.	अन्य मंडी समितियों से प्राप्त आय	31,945	68,537	58,511
15.	कर्मचारी सी. पी. एफ./जी. पी. एफ. कटौती से आय	278	—	8,404
16.	अमानत धरोहर	2,445	3,835	1,34,045
17.	सचिव कटौती	2,870	1,440	750
18.	परियोजना ऋण	50,00,000	12,20,000	—
19.	एफ. डी. आर. ऋण	10,00,000	5,50,000	—
20.	एफ. डी. आर. कर्मचारी ऋण कटौती	—	—	400
21.	अन्तर राशि	17	—	—
22.	दुकान किराया अग्रिम	—	1,69,410	—
23.	दुकान किराया	—	—	5,63,657

(164)

1	2	3	4	5
24.	वृक्षा रोपण	—	3,750	—
25.	क्यूक्स किराया	—	—	28,550
26.	एल. आई. सी. कटौती कर्मचारी	—	—	2,525
27.	मकान मरम्मत कटौती कर्मचारी	—	—	250
28.	सी. पी. एफ. समिति अंश	—	—	240
		97,03,888	69,30,407	94,77,088

व्यय वर्ष 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93

क्र. सं.	नाम पद	1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5
1.	सचिव के वेतन एवं भत्ते	58,548	67,898	77,563
2.	चिकित्सा व्यय	—	—	482
3.	पैंशन अंशदान	4,531	4,176	3,480
4.	कर्मचारी संवेतन	1,84,720	4,84,786	5,56,924
5.	भविष्य निधि	38,002	56,640	79,569
6.	चिकित्सा भत्ता	14,475	13,619	14,731
7.	यात्रा भत्ता सचिव/कर्मचारी	14,967	16,916	22,977
8.	प्रशासक भत्ता	3,315	2,070	3,551
9.	कार्यालय किराया	18,060	22,930	7,435
10.	डाक तार टेलीफोन	3,743	2,238	5,200
11.	जल एवं प्रकाश	1,266	1,536	1,898
12.	पुस्तक एवं समाचार पत्र	1,173	1,536	1,898
13.	वर्दियां	4,524	4,884	4,925
14.	लेखन मुद्रण कार्यालय	7,969	9,645	9,659
15.	लेखन मुद्रण सामग्री, व्यापार	9,568	9,530	9,965
16.	अतीथी सत्कार	—	—	1,280
17.	अभिभाषक एवं न्यायालय	3,269	7,158	19,833
18.	अंकेक्षण शुल्क	—	37,271	—
19.	विविध	1,382	995	2,477

1	2	3	4	5
20.	बोर्ड अंशदान	3,23,379	2,49,339	5,41,423
21.	पैट्रोल एवं रखरखाव	1,540	398	—
22.	भवन निर्माण ऋण, कर्मचारी	21,900	12,000	—
23.	कर्मचारी कटौती	—	—	—
24.	अनाज अग्रिम	11,900	39,000	40,500
25.	प्रकाश व्यवस्था, मंडी प्रांगण	484	713	31,981
26.	जल व्यवस्था, मंडी प्रांगण	32,316	41,729	88,343
27.	सफाई व्यवस्था मंडी प्रांगण	51,492	67,113	84,338
28.	चौकीदारी व्यवस्था मंडी प्रांगण	66,253	81,602	1,01,879
29.	विश्रामगृह व्यवस्था	—	—	3,412
30.	भूमि का मुआवजा	—	31,600	34,000
31.	निर्माण कार्यों पर व्यय	73,22,126	52,10,422	70,60,000
32.	अग्रिम	10,150	6,062	3,582
33.	अमानत	750	3,905	1,34,120
34.	अन्य मंडी से प्राप्त की वापसी	32,172	68,185	56,383
35.	कर्मचारियों की सी. पी. एफ./ जी. पी. एफ. कटौती	—	—	5,930
36.	सांस्कृतिक एवं खेलकूद व्यय	—	—	303
37.	प्रचार-प्रसार	—	5,970	7,369
38.	यन्त्रों की मरम्मत	909	127	1,500
39.	वाहन ऋण कर्मचारी कटौती	—	—	500
40.	मकान ऋण कर्मचारी कटौती	—	—	500
41.	एफ. डी. आर. ऋण कर्मचारी	—	—	800
42.	भविष्य निधि कर्मचारी कटौती	—	—	25
43.	भविष्यनिधि समिति कटौती	—	—	480
44.	सचिव कटौती	2,670	1,280	2,365
45.	कर्मचारी कटौती	—	434	—
46.	एफ. डी. आर. ऋण एवं ब्याज	—	10,01,943	5,56,713
47.	वृक्ष रोपण	—	1,452	—
48.	परियोजना ऋण एवं ब्याज	—	8,65,514	20,37,268
49.	ब्याज	—	18	—
50.	दुकान किराया अग्रिम वापसी	—	225	—
51.	एल. आई. सी. कर्मचारी कटौती भुगतान	—	—	5,037
	योग	89,51,553	84,32,195	116,16,801

166

परिशिष्ट-13

परिशिष्ट-"क"

तारांकित प्रश्न संख्या-7 का विवरण

1.	रातानाड़ा क्षेत्र	182	1	3	176
2.	भगत की कोठी	15	—	—	15
3.	सराम क्षेत्र	110	1	2	107
4.	उदयमन्दिर क्षेत्र	95	3	2	90
5.	महामन्दिर क्षेत्र	143	1	4	138
6.	मण्डोर क्षेत्र	60	1	2	57
7.	नागौरी क्षेत्र	150	2	9	139
8.	मेड़तीया क्षेत्र	141	1	12	128
9.	चांदपोल क्षेत्र	103	2	5	96
10.	सोजतीमा क्षेत्र	110	1	9	100
11.	सूरसागर क्षेत्र	60	1	1	58
12.	चौपासनी क्षेत्र	62	3	—	59
13.	प्रताप नगर क्षेत्र	44	1	—	43
14.	मसूरीया क्षेत्र	51	2	1	48
15.	गीता भवन क्षेत्र	83	2	—	81
16.	सरदारपुरा क्षेत्र	119	1	4	114
17.	शास्त्रीनगर	64	—	1	63
18.	सिवांची क्षेत्र	126	1	6	119
19.	वायुसेना क्षेत्र	155	3	3	149
20.	गहरगंग बाहरी	29	2	4	23
21.	—,,—भीतरी	18	—	—	18
22.	पशुवधगृह सिवारी	13	—	1	12
23.	—,,—,, मेड़तीया	11	1	1	9
24.	काली बेरी	15	—	—	15
25.	स्पेशलगाला गंग	41	1	—	40
26.	शौचालय बच्चा भाग	7	—	—	7
		2005	31	70	1904

नोट :—कोर्ट की पालना में नई नियुक्ति 2 (—)1902

ह.
प्रभारी
संस्थापन स्था. शाखा

परिशिष्ट–4

अल्प सूचना प्रश्न संख्या–1 की सूची

1987 से 1990 तक ए. आर. पी. में स्वीकृत योजनाओं की सूची जिन पर कार्य किया गया।

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील	क्र. सं.	ग्राम का नाम	तहसील
	पम्प एवं टंक योजनाएं				
1.	कासिमपुरा	झुन्झुनू	29.	खुडानियां	चिड़ावा
2.	झुन्झुनू (ग्रामीण)	,,	30.	बुडानियां	,,
3.	नयासर	,,	31.	नुनियागोठडा	,,
4.	सिरियासर कलां	,,	32.	लाम्बा गोठडा	,,
5.	देखाला	,,	33.	मावठडी	,,
6.	उदावास	,,	34.	कुलोठखुर्द	,,
7.	जय पहाड़ी	,,	35.	कुलोठकलां	,,
8.	माखर	,,	36.	बलोदा	,,
9.	इस्लामपुर	,,	37.	जाखोद	,,
10.	मडुन्दाखुर्द	,,	38.	सेहीकलां	,,
11.	काली पहाड़ी	,,	39.	श्योलाना	,,
12.	मडुन्दा कलां	,,	40.	केहरपुरा कलां	,,
13.	नुआं	,,	41.	चनाना	,,
14.	वाकरा	,,	42.	मुकाना	,,
15.	सीगडा	,,	43.	किठाना	,,
16.	पबाना	नवलगढ़	44.	गडानिया	,,
17.	डुडलोद	,,	45.	किढवाना	,,
18.	तोगडाकलां	,,	46.	छावसरी	उदयपुरवाटी
19.	राणासर	,,	47.	टीटनवाड	,,
20.	नवलडी	,,	48.	सिगनोर	,,
21.	बनगोठडी खर्द	चिड़ावा	49.	खटखड़	,,
22.	वनगोठडी कलां	चिड़ावा	50.	रघुनाथपुरा	,,
23.	बेरी	चिड़ावा	51.	चमोरा	,,
24.	लाडुन्दा	,,	52.	घोलाखेड़ा	,,
25.	पीपली	,,	53.	किशोरपुरा	,,
26.	घुमनसरकला	,,	54.	चवरा	,,
27.	झेरली	,,	55.	मण्डावरा	,,
28.	ढढांर	,,	56.	हीरवा	खेतड़ी

1	2	3
57.	बुहाना	खेतड़ी
58.	सागा	,,
59.	कलाखड़ी	,,
60.	घरडाना खुर्द	,,
61.	लाम्बी अहीर	,,
62.	मालोठ	,,
63.	पचेरी कलां	,,
64.	जसरापुर	,,
65.	नगंली सलेदीसिंह	,,
66.	बौलवा	,,
67.	दुबबा	,,
68.	गोरीर	,,
69.	त्योन्दा	,,
70.	पपुरना	,,
71.	रसूलपुर	,,
72.	कालोटा	,,
73.	माधोगढ़	,,
74.	सेफरागुवांर	,,
75.	चिचडोली	,,
76.	बबाई	,,
77.	वाडलवास	,,
78.	सिहोड़	,,
79.	मेहाड़ा जादुवास	,,
	पनघट योजनाएं	
80.	मैनास	नवलगढ़
81.	निवाई	,,
	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएं	
82.	दुलानिया श्योसिंहपुरा	चिड़ावा
83.	जखोडा, बजावा, घतरवाल मैनपुरा	,,
84.	गोवला-नाटास	,,
85.	ढाका मण्डी, हुसना-बासडी कलवा	खेतड़ी
86.	कुहाडवास-रायली	,,
87.	गोठ-बसावता कलां-बसावता खुर्द	,,
88.	घडानाकलां-रायपुर जाटान	,,
89.	खानपुर-मेहराना-सातडिया	,,
90.	मेघपुर-पांथडोली	,,
91.	पिथोला-ढाणी हुकमा	,,
92.	मानोताकलां-मानोता खुर्द	,,
93.	रोजड़ा मांदरी	,,
94.	ठाठवाडी-मुकन्दपुरा छालोता	,,
95.	डाडा फतेहपुरा-नालपुर	,,
96.	मेहाडा गुजरवास-बेसरडा	,,
97.	टीबा बसई जमालपुर	,,

प्रपत्र "ख"

वर्ष 1989-90 तक निर्मित उच्च जलाशयों की सूची जिन्हें अभी तक वितरण पाइप अथवा राइजिंग मेन से नहीं जोड़ा गया है।

क्र.सं.	योजना का नाम	जलाशय का प्रकार	तहसील	विवरण/वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
1.	ग्रामीण जलयोजना बीलवा	पहाड़ी पर निर्मित जलाशय	खेतड़ी	नलकूप निर्माण किया जाकर इस वर्ष में चालू किए जाने का लक्ष्य है।
2.	ग्रामीण जलयोजना सिहोड़	-,,-	-,,-	योजना पर दो नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है जिन पर विद्युत सम्बन्ध एवं राइजिंग मेन पाइप लाईन के कार्य प्रगति पर हैं जिनके पूर्ण होने पर चालू कर दिया जावेगा।
3.	ग्रामीण जलयोजना सेफरा गंवार	-,,-	-,,-	निर्मित स्रोत से जलाशय को जोड़ने हेतु पाइप लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है।
4.	ग्रामीण जलयोजना दुधवा	-,,-	-,,-	यद्यपि जलाशय को जोड़ा जा चुका है पर अभी तक सफल स्रोत का उपलब्ध नहीं होने के कारण चालू करना सम्भव नहीं है।
5.	ग्रामीण जलयोजना नारंगपुरा	-,,-	-,,-	योजना पर विद्युत सम्बन्ध का कार्य शेष है जिसके पूर्ण होते ही चालू कर दिया जावेगा।

1	2	3	4	5
6.	ग्रामीण जलयोजना गौरीर	पहाड़ी पर निर्मित जलाशय	खेतड़ी	जलाशय को नलकूप से जोड़ दिया गया है। वितरण लाइन से जोड़कर शीघ्र चालू किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
7.	शहरी जलयोजना खेतड़ी	–,,–	–,,–	योजना के अन्तर्गत निर्मित सभी 4 नलकूप सूख जाने के कारण उन्हें जलाशय से जोड़ा नहीं जा सका।
8.	शहरी जलयोजना उदयपुरवाटी	–,,–	उदयपुरवाटी	ग्रामवासियों के विरोध के कारण पाइप लाइन को जलाशय से जोड़ा जाना सम्भव नहीं हो सका है।

परिशिष्ट–5

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

ग्राम गिड़ा (पचपदरा) में उप-तहसील

8. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के ग्राम गिड़ा को उप तहसील बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक गिड़ा में उप तहसील खोल दी जायेगी ?

उत्तर

जी हां। तहसील बायतू के ग्राम गिड़ा में उप तहसील बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है।

ग्राम पंचायतों के विभिन्न वर्गों में आरक्षण के मानदण्ड

9. **श्री जुबेर खान** (रामगढ़) : क्या पंचायती राज राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों का पुनर्सीमांकन कराया गया था ? यदि हां तो क्या सरकार उस पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस आधार पर ?

(2) क्या ग्राम पंचायतों को विभिन्न वर्गों के आरक्षण के लिए सरकार ने मानदण्ड बनाये हैं ? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें विभिन्न वर्गों के लिए

(श्री जुबेर खान)

आरक्षित होंगी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पंचायत समितियों का भी पुनर्सीमांकन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस आधार पर ?

उत्तर

(1) जी हां। परन्तु पुनर्विचार करने का पंचायत अधिनियम 1953 में प्रावधान नहीं है।

(2) 73वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 1992 दिनांक 24-4-93 से प्रभावशील हो गया है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए एक तिहाई स्थानों में अनिवार्य रूप से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरपंचों के पदों के लिए भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की राज्य की जनसंख्या के अनुपात में और महिलाओं के लिए एक तिहाई पद आरक्षित होंगे। जिलेवार पदों की संख्या पंचायती राज संस्थाओं के लिए नया कानून बन जाने के बाद ही दी जा सकेगी।

(3) जी नहीं।

कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से निर्मित सड़कें

10. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कृषि उपज मण्डियों में अनाज आदि पहुंचाने के लिए कृषि विपणन बोर्ड की मार्फत सड़क निर्माण किया जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील में इसी वर्ष में जोधपुर-जैसलमेर सड़क से 54 मील से लगाकर राइसर गांव तक व कलऊ फोटा से कलऊ गांव तक दो सड़कें बनाई गई हैं ? यदि हां, तो क्या इन दोनों सड़कों पर स्थान-स्थान पर खड्डे पड़ गये हैं व सड़क टूट गई है ?

(3) क्या सरकार उक्त सड़कों को पुनः ठीक करवाकर पूर्व में बनी घटिया सड़कों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

प्रथम सड़क जोधपुर-जैसलमेर सड़क से 54 मील फाटा से रायसर तक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। द्वितीय सड़क सेतरावा भीमाना (कलऊ फाटा) फाटा से कलऊ गांव की सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य लगभग तीन वर्ष पूर्व पूर्ण हुआ था, और यह सड़क यातायात एवं वर्षा के कारण कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है।

(3) प्रथम सड़क क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। द्वितीय सड़क के मरम्मत का कार्य कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर के वित्तीय संसाधनों से विपणन बोर्ड द्वारा इसी वित्तीय वर्ष में किया जायेगा। दोनों

(कृषि राज्य मन्त्री)

सड़कों का निर्माण कार्य विशिष्टियों के अनुरूप कराया गया है, अतः ये सड़क घटिया नहीं हैं। इसलिए किसी भी अधिकारी के विरुद्ध जांच किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्राम पंचायतों के चुनाव व पुनर्गठन

11. **श्री परसादीलाल** (लालसोट): क्या पंचायती राज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या सरकार का ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समितियों को पुनर्गठित करने का कोई इरादा है ?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार द्वारा 73वां संविधान (संशोधन) विधेयक 1992 पारित हो जाने से तद्नुसार 23.4.94 तक पंचायती राज संस्थाओं के लिए नया कानून बन जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र पंचायत चुनाव कराये जायेंगे।

(2) जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र कुम्हेर के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था

12. **श्री हरिसिंह** (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न पेयजल योजनाओं में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति दिन कितना पेयजल उपलब्ध कराने की क्षमता है और वास्तव में कितना पेयजल प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध हो रहा है ?

(2) क्या सरकार पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उल्लिखित विधान सभा के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान में विभिन्न पेयजल योजनाओं की प्रति व्यक्ति प्रति दिन क्षमता एवं वास्तविक उपलब्धता का विवरण प्रपत्र "क" में संलग्न है।

(2) जी हां। वर्तमान में स्वीकृत 3 क्षेत्रीय व 5 पनघट योजनाओं पर कार्य प्रगति में है तथा 6 पनघट योजनाओं एवं 22 ग्रामों की हैण्डपम्प योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं।

प्रपत्र "क"

क्र. सं.	योजना का प्रकार	योजना की संख्या	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित क्षमता (लीटर)	प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वर्तमान उपलब्धता (लीटर)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	पाइप्ड जल योजना	1	40	25	कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित मात्रायें प्रति-व्यक्ति प्रतिदिन पूर्ण योजनाओं की औसत मात्रा है एवं ग्रामवार नहीं है।
2.	क्षेत्रीय जल योजनाएं	6	40	15	
		10	40	18	
		2	40	20	
3.	पनघट जल योजनाएं	5	40	20	
		3	40	22	
		4	40	25	
4.	हैण्डपम्प योजनाएं (हैण्डपम्पों की संख्या)	60ग्राम)	217 (कुल स्थापित हैण्डपम्प)	139 (कार्यरत हैण्डपम्प)	68 हैण्डपम्प परित्यक्त एवं 10 सूखे हैं।

तहसील जमवारामढ़ क्षेत्र में भूमि का कटाव

13. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला-जयपुर की तहसील जमवारामगढ़ में भूमि कटाव को रोकने हेतु विभाग की ओर से कोई प्रबन्ध किये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या ग्राम मूडला पंचायत रूपवास, तहसील जमवारामगढ़, जिला-जयपुर में कटाव के कारण कटे रास्ते को पुनः बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। कटाव के कारण कटे

(174)

(कृषि मंत्री)

रास्ते को पुनः बनाये जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है । कटे रास्ते से हट कर जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में 10,266/–रुपये व्यय किये जाकर विकल्प के रूप में रास्ता तैयार करवाया गया है जिससे भरे हुए बैलगाड़ी, ऊंट लद्दे आ जा रहे हैं ।

पंचायतीराज संस्थाओं के पुनर्गठन सम्बन्धी न्यायालयों में लम्बित प्रकरण

14. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या पंचायतीराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन संबंधी कितने मामले विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) केन्द्रीय पंचायतीराज निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार की पंचायतीराज व्यवस्था के सन्दर्भ में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) पंचायतराज के पुनर्गठन संबंधित माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में कुल 150 प्रकरण विचाराधीन चल रहे हैं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) भारत के संविधान में 73वें संशोधन (के बाद) के फलस्वरूप पंचायतीराज संस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा एक नया बिल पेश किया जा रहा है ।

सूची

मा. उच्च न्यायालय जोधपुर में लम्बित

क्र. सं. 1	रिट संख्या 2	रिटकर्ता का नाम 3	जिला 4
1.	5279/92	श्री मुनीर खान	नागौर
2.	5262/92	भीनया राम	,,
3.	5376/92	मानाराम	,,
4.	5393/92	हरीराम	,,
5.	5496/92	सोहन सिंह	,,
6.	5567/92	रामेश्वर लाल	,,
7.	5681/92	कालूराम	,,
8.	5651/92	विजय कुमार	,,
9	5652/92	नाथूराम	,,
10	5653/92	चैनाराम	,,
11.	5654/92	भगवानाराम	,,

1	2	3	4
12.	5655/92	नगूराम	नागौर
13.	5646/92	मुमताज खान	"
14.	5997/92	भागीरथ राम	"
15.	6306/92	रिछपालसिंह	"
16.	5990/92	मदनलाल	"
17.	1592/92	मोदाराम	बाड़मेर
18.	5272/92	खेताराम	"
19.	5334/92	खमीशा खान	"
20.	5335/92	मेघाराम	"
21.	5465/92	बाबूराम	"
22.	5945/92	धीपसिंह	"
23.	5936/92	खान मोहम्मद	"
24.	5937/92	हासम खान	"
25.	5938/92	हयात खान	"
26.	6060/92	करनाराम	"
27.	6316/92	हाथीसिंह	"
28.	6317/92	किशन मेघवाल	"
29.	189/93	वरमाराम	"
30.	5622/92	बच्चूदेव	डूंगरपुर
31.	5623/92	रामशंकर	"
32.	6013/92	हुक्का	"
33.	5138/92	मोहन लाल पूनिया	श्री गंगानगर
34.	5365/92	जगदीश सिंह	"
35.	5513/92	हेगराम	"
36.	5602/92	चेतराम	"
37.	5504/92	जगमाल.	"
38.	5366/92	कर्णजीत सिंह	"
39.	4647/92	हरदेव सिंह	"
40.	5692/92	ज्ञानी बचन सिंह	"
41.	5772/92	रामलाल	"
42.	5759/92	हरबाबू खान	"
43.	5783/92	रावतसिंह	"
44.	5865/92	बालोरसिंह	"

(176)

1	2	3	4
45.	6248/92	मिलकीयत सिंह	श्री गंगानगर
46.	6209/92	बलवन्तराम	,,
47.	6757/92	मोखम सिंह	,,
48.	3931/92	किरपालसिंह	,,
49.	5222/92	मोमसिंह	जोधपुर
50.	5440/92	बलवन्त राम	,,
51.	5548/92	मंगलाराम	,,
52.	5701/92	मांगीलाल	,,
53.	6003/92	बुद्धसिंह	,,
54.	6230/92	रूपसिंह	,,
55.	6006/92	श्यामसुन्दर	,,
56.	6230/92	पांचा राम	,,
57.	5983/92	निजामुदीन	,,
58.	6370/92	अमीन खान	,,
59.	5787/92	धर्मराज	उदयपुर
60.	6134/92	धनराज	,,
61.	6457/92	देवी सिंह	,,
62.	5698/92	बाबूलाल	,,
63.	5336/92	भेराराम	जालौर
64.	5314/92	सज्जनसिंह	चित्तौड़गढ़
65.	5592/92	भंवरसिंह	चूरू
66.	5666/92	चन्दनमल	,,
67.	6092/92	विक्रमसिंह	,,
68.	5294/92	नरपतसिंह	पाली
69.	5777/92	नरपतसिंह	,,
70.	6210/92	विजय सिंह	,,
71.	5497/92	भूरसिंह	राजसमन्द
72.	5939/92	उयदसिंह	,,
73.	6167/92	छगनलाल	,,
74.	5224/92	धानाराम	भीलवाड़ा
75.	5772/92	रामलाल	,,
76.	5509/92	गांगाराम	,,
77.	5595/92	उदयराम	,,

1	2	3	4
78.	5596/92	हरीसिंह	भीलवाड़ा
79.	6001/93	बिरधीचन्द	,,
80.	5842/92	रघुवीरसिंह	,,

मा. उच्च न्यायालय जयपुर में लम्बित

क्र. सं. 1	रिट संख्या 2	रिट कर्त्ता का नाम 3	जिला 4
1.	7001/92	जयराज सिंह	बारा
2.	7440/92	मथुरा लाल	,,
3.	6603/92	नरसिंह लाल	,,
4.	6742/92	घासी लाल	,,
5.	7227/92	छगन राम	,,
6.	7370/92	याकूब खान	,,
7.	7802/92	गेन्दा लाल	,,
8.	6829/92	राजेन्द्र प्रसाद	,,
9.	7479/92	ग्रामीण मांखोडी	,,
10.	7155/92	हरलाल गुर्जर	,,
11.	6055/92	चिरंजी लाल	,,
12.	7581/92	बलदेव कुमार	,,
13.	7861/92	कन्हैया लाल	,,
14.	7489/92	रामेश्वर प्रसाद	जयपुर
15.	7073/92	ग्रामीण खातीपुरा	,,
16.	7488/92	चिरन्जी लाल	,,
17.	7508/92	ग्रामीण ग्राम छोटा गुढा	,,
18.	6031/92	लिखमाराम	,,
19.	6942/92	गंगाराम यादव	,,
20.	6845/92	छीतरमल	,,
21.	6930/92	गंगाराम जाट	,,
22.	7894/92	रामपाल	,,
23.	6888/92	ग्रामीण मीनपुरा	,,

1	2	3	4
24.	1175/93	ग्रामीण श्रीमालपुरा	जयपुर
25.	825/93	रामेश्वर	"
26.	7136/92	रामनाथ चौधरी	"
27.	6870/92	हरीराम	"
28.	6880/92	चन्द्र रेगर	"
29.	119/93	गौरव एग्रो टेक्नीकल इण्डिया लि.	"
30.	7111/92	चिमन सिंह	"
31.	7110/92	नाथू सिंह	झुन्झुनू
32.	7128/92	ओम प्रकाश बोहरा	"
33.	6856/92	रोहीताश्व कुमार	"
34.	7507/92	ग्रामीण चिरानी	"
35.	7452/92	सत्यनारायण सिंह	"
36.	216/93	सुरेन्द्र सिंह	"
37.	1311/93	महीदान सिंह	"
38.	2120/92	पावका मण्डी	"
39.	7038/91	ग्रामीण ग्राम पंचायत बडसरीका बास	"
40.	7575/92	किशन सिंह	सवाई माधोपुर
41.	6824/92	ग्रामीण बिछापुरी	"
42.	6765/92	लक्ष्मीनारायण	"
43.	2088/93	मूलचन्द मीणा	"
44.	2268/93	राधामोहन	"
45.	7514/92	पूर्ण सिंह	भरतपुर
46.	7142/92	ग्रामीण रूपवास	"
47.	7123/02	सोहन लाल	"
48.	207/93	मुन्शी सिंह	"
49.	1413/93	चिनीसिंह	"
50.	4141/93	ग्रामीण जामिना	"
51.	7022/92	ग्रामीण परनावा	नागौर
52.	7023/92	ग्रामीण फिरवासी	"
53.	7127/92	हसराराम	"
54.	7504/92	ग्राम हरा मूडवीसिया	दौसा
55.	3133/93	ग्रामीण ग्राम स्यालावास खुर्द	"
56.	1610/93	राधेश्याम	"

1	2	3	4
57.	840/93	ग्राम बान्दीकुई	दौसा
58,	7526/92	जनता मोपालपुरा	सीकर
59.	730/92	प्रभुदयाल शर्मा	,,
60.	6636/92	ग्रामीण तिवाडी का वास	,,
61.	7017/92	अंग्रेज सिंह	गंगानगर
62.	6991/92	हरकिशन	,,
63.	6843/92	रामरतन	बून्दी
64.	6746/92	मोतीलाल	,,
65.	6684/92	देवीलाल	,,
66.	6818/92	भंवर लाल	,,
67.	6343/93	ग्रामीण कलपुरिया	,,
68.	7058/92	ग्रामवासी बानिया	बीकानेर
69.	901/93	ब्रज राज सिंह	धौलपुर
70.	1082/93	ग्रामीणअल लैरा	झालावाड़

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में विधायकों/भूतपूर्व विधायकों का आरक्षण

15. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में विधायकों एवं भूतपूर्व विधायकों को बस यात्रा करने हेतु यात्रा टिकिट, आरक्षण खिड़की से ही जारी करने के निर्देश हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी पालना की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम में प्रति नियुक्ति पर आये राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों की बदसलूकी के कारण वर्तमान एवं पूर्व विधायकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या प्रभावी कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। टिकिट खिड़की तथा परिचालक दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं।

(2) जी नहीं।

कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा सम्पर्क सड़कों का निर्माण

16. **श्री कुबेर खान** (रामगढ़) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा जो सम्पर्क सड़कें बनाई जाती है, उनके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ? सड़कों की स्वीकृति एवं निर्माण में कौन-कौनसी संस्थाएं अथवा विभाग सम्मिलित होते हैं तथा उनकी क्या-क्या भूमिकाएं होती है ?

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर एवं खेड़ली (अलवर) के अन्तर्गत गत चार वर्षों (1990-91, 91-92, 92-93 एवं 93-94) में कौन-कौनसी सम्पर्क सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई एवं उनमें से कौन-2 सी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के अन्तर्गत सम्पर्क सड़कें, बीलाईवाला से बाम्बोली, दिल्ली रोड बीजवा से मानकी, अलावड़ा, पाटा रोड से बलरामपुरा ओदाका भरतपुर रोड से सैंथली तथा जयपुर रोड से ग्राम अलापुर, पर कार्य कब शुरू हुआ और आज की तारीख में इन सड़कों की क्या स्थिति है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) उपरोक्त अधूरी पड़ी सड़कों को अब कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(5) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर एवं खेड़ली (अलवर) की वर्ष 1993-94 में प्रस्तावित आय कितनी होगी एवं इस आय को किन-किन मदों पर व्यय किया जायेगा ?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव मय तकमीना प्रशासनिक स्वीकृति हेतु कृषि विपणन निदेशालय को भेजा जाता है । कृषि उपज मण्डी समिति से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण, मण्डी समिति के पास उपलब्ध धनराशि एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर किया जाता है । उचित पाये जाने वाले प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जाते हैं । राज्य सरकार से सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मण्डी समिति वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव कृषि विपणन निदेशालय को प्रेषित करती है । कृषि विपणन निदेशालय द्वारा मण्डी समिति की मांग के अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 13 (7) कृषि/2/93/दिनांक 1-6-94 के अनुसार राज्य की मण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना के मास्टर प्लान की अनुमोदित सड़कों के बन जाने के पश्चात् शेष बची राशि में से सड़कें बनाये जाने की निम्न प्राथमिकता तय की गयी है :

1. दो किलोमीटर की "मिसिंग लिंक" यदि इन दो किलोमीटर के पश्चात कोई गांव लगता हो ।

(कृषि राज्य मन्त्री)

2. पूर्व में निर्मित सड़कों के रख रखाव अथवा सी.डी. कार्य जिनकी कीमत दो लाख रुपये तक है।

3. ऐसे पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क जिनकी आबादी 1981 की जनसंख्या के आधार पर 1000 से अधिक है।

4. अन्य बचे हुए पंचायत मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें जो अब तक सम्पर्क सड़क से नहीं जुड़े हैं।

उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार ही मण्डी समितियों से मास्टर प्लान के अतिरिक्त सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। मास्टर प्लान में उन गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अनुमोदित की गई हैं, जिनकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक है।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प..15/2/कृषि/2बी/87/स दिनांक 21.12.88 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन सम्पर्क सड़कों की लम्बाई कम या ज्यादा करने का अधिकार निदेशक, कृषि विपणन विभाग को दिये गये हैं।

सड़कों की स्वीकृति में राज्य सरकार, निदेशालय कृषि विपणन, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड तथा मण्डी समिति चारों सम्मिलित है। राज्य सरकार द्वारा सम्पर्क सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है, राज्य सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने पर निदेशालय कृषि विपणन द्वारा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं तत्पश्चात राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाता है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर एवं खेड़ली के अन्तर्गत गत चार वर्षों (वर्ष 90-91, 91-92, 92-93 एवं 93-94) में सम्पर्क सड़कों की प्रदान की गई प्रशासनिक स्वीकृति एवं उनमें से जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उनकी सूची क्रमशः परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के अन्तर्गत सम्पर्क सड़क बीलाइवाला से बाम्बोली, दिल्ली रोड बीजवा से मानकी, अलावाड़ा, पाटा रोड से बलरामपुर औदाका, भरतपुर रोड से सैंथली तथा जयपुर रोड से ग्राम अलापुर का निर्माण कार्य एवं सड़कों की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर एवं खेड़ली की अधूरी पड़ी सड़कें पूर्ण किये जाने के सन्दर्भ में सूचना परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

(5) वर्ष 1993-94 की कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर एवं खेड़ली की प्रस्तावित आय क्रमशः 207.07 लाख रुपये एवं 105.00 लाख रुपये है। विभिन्न

(182)

(कृषि राज्य मन्त्री)

मदों पर किये जाने वाले व्यय की सूची परिशिष्ट "च" एवं "छ" पर उपलब्ध है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं।)

जोधपुर शहर की पेयजल व्यवस्था

17. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए क्या सरकार कोई आवश्यक कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जोधपुर शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था के सुधार के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ? क्या नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यो ?

उत्तर

(1) जी हां। पेयजल की आंशिक मांग पूर्ति किए जाने हेतु 127.74 लाख रु. की राशि के संवर्धन प्रस्ताव अनुमोदित किए गये हैं। इनके अन्तर्गत चार नये नलकूपों का निर्माण, 25 नये हैण्डपम्प, लगभग 3.40 किलो मीटर पाइप लाइनें डाली जाना एवं जवाई नहर की मरम्मत किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त जोधपुर लिफ्ट नहर से भी पानी प्राप्त किया जाकर भण्डारण किया जा रहा है जिसे आवश्यकता पूर्ति हेतु उपयोग में लिया जायेगा।

(2) जोधपुर लिफ्ट नहर परियोजना से भविष्य में प्राप्त होने वाले पेयजल के सुचारू वितरण हेतु 28.02 करोड़ रु. की राशि की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसमें अन्य कार्यों के साथ नई वितरण पाइप लाइनें बिछाई जानी भी प्रस्तावित हैं। इस योजना का भारत सरकार द्वारा तकनीकी अनुमोदन भी किया जा चुका है। योजना का क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में धन उपलब्धता के अनुसार प्रस्तावित है।

परिशिष्ट–6

अतारांकित प्रश्न संख्या 2 की सूची

क्र. सं.	स्वीकृति दिनांक	सिटी सर्वे नम्बर	स्वीकृत भवन का पता	मकान मालिक का नाम	सरकारी भूमि एवं रास्ता आमद रफ्त का विवरण	सरकारी जमीन एवं रास्तों की जमा कराई गई राशि
1.	24–1–91	—	26/2047 सरण बोरडी का कुआ मकान नं. 88	प्रभुदयाल पुत्र श्री नारायण	मकान के अगवार चबूतरे का सरकारी भूमि 2.75 × 1.80 = 4.95 वर्ग मीटर दर 600/– प्रति वर्गमीटर से ।	2970/–
2.	22–9–92	618 क.ख.ग.	रास्ता लंगर के बालाजी म.नं. 33/2047 सरण	प्रशान्त शर्मा पुत्र श्याम बिहारी लाल शर्मा	पुख्ता मकान में दबी हुई सरकारी भूमि $\frac{0.30 \times 0.20 \times 9.14}{2}$ = 2.29 वर्गमीटर दर 400/– प्रति वर्गमीटर से ।	916/–

(184)

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 5 की सूची

वर्ष 1980 के बाद तहसील फलौदी में घोषित गांवों की सूची

क्र.सं.	नाम ग्राम	क्र.सं	नाम ग्राम
1.	अजेरी	27.	नया बेरा
2.	नेवा	28.	भजन नगर
3.	खारिया	29.	डाबर
4.	श्री रामनगर	30.	श्री जम्बेश्वर नगर
5.	श्री लक्ष्मण नगर	31.	सिगड सर
6.	श्री कृष्ण नगर	32.	मूलराज
7.	मण्डोर (डारों का बास)	33.	चन्द्र नगर
8.	खिदरत	34.	हंसा–देश
9.	सोढादड़ा	35.	विष्णु नगर
10.	मण्डला खुर्द	36.	शिवपुरी
11.	उदाणीयो की ढाणी	37.	मगरा
12.	रुपाणा जेताणा	38.	जुनेजो की ढाणी
13.	पश्चिमी ढाणी	39.	बाषिणी
14.	मटोल चक	40.	बावड़ी खुर्द
15.	बड़ा ढाणी	41.	जरड़े की माखरी
16.	घटोर	42.	ढेरियों की ढाणी
17.	चारणाई	43.	बरसिंगो का बास
18.	जाम्बा की ढाणी	44.	इन्दो की ढाणी
19.	सारणपुरा	45.	रावत नगर
20.	श्री रामपुरा	46.	मस्जिद वाली ढाणी
21.	कलरावा बेरा	47.	भोजाकोर
22.	श्री सुरपुरा	48.	फतेह सागर
23.	घोलिया	49.	सदरी
24.	रोला	50.	अमरपुरा/सुखोसागर उर्फ इलमगढ भइयों की ढाणी
25.	बढबा (चढो की बस्ती)	51.	चन्दनपुर उर्फ चीकनी नाडी
26.	चैनपुरा		

(185)

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 11 की प्रति एवं सूची

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक : एफ. 15 (1) ग्राविप/पुनर्सीमा/91/834 जयपुर, दिनांक : 4 अप्रेल, 91

प्रेषिति :—

समस्त जिला कलक्टर ।

विषय :—पंचायतों एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन ।

महोदय,

राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पंचायतों एवं पंचायत समितियों का पुनर्गठन किये जाने की कार्यवाही तुरन्त की जावे, जिसके लिए निम्नलिखित निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

1. पंचायतों का पुनर्गठन

1. सन् 1981 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या तीन हजार से पांच हजार तक की हो। परन्तु एकल गांव की पंचायत जिसमें ढाणियां आदि सम्मिलित नहीं हो, की जनसंख्या पांच हजार से अधिक भी हो सकती है।
2. पंचायत के किसी भी गांव की दूरी पंचायत मुख्यावास के गांव से 8 कि. मी. से अधिक नहीं हो।
3. प्रत्येक पंचायत में कम से कम 5 वार्ड हों।
4. औसत तौर पर 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड बनाया जावे। परन्तु किसी भी स्थिति में 400 से कम जनसंख्या पर पृथक वार्ड नहीं बनाया जावे। इसी प्रकार किसी भी वार्ड में 600 से अधिक जनसंख्या नहीं होनी चाहिए।

2. पंचायत समितियों का पुनर्गठन :

1. प्रत्येक पंचायत समिति में पंचायतों की संख्या 25 से 30 के लगभग होनी चाहिए।

186

2. पंचायत एवं तहसील का क्षेत्राधिकार एक ही रखा जावे अर्थात जो पंचायत समितियां तहसील क्षेत्र के अनुरूप हैं उन्हें यथावत रखा जावे। परन्तु यदि तहसील की जनसंख्या डेढ़ लाख से ऊपर हो तो उस स्थिति में उस तहसील को विभाजित करके दो पंचायत समितियां बना दी जावें।

3. किसी भी पंचायत समिति में एक से अधिक तहसील के गांव सम्मिलित नहीं किये जावें।

जैसा ऊपर अंकित किया जा चुका है पंचायतों एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन के लिए जनसंख्या का आधार सन् 1981 की जनगणना के आकड़ें ही रहेंगे।

पंचायत वार्डों का पुनर्सीमांकन, पंचायतों का सीमांकन एवं पंचायत समितियों के सीमांकन के प्रस्तावों को अन्तिम रूप देकर उनका प्रकाशन 15 मई, 1991 तक करवा दिया जावे। इन प्रस्तावों को जिला कलेक्टर, जिला परिषद एवं पंचायत समिति कार्यालय में सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रदर्शित किया जाये। पंचायत के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव सम्बन्धित पंचायत के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करवाया जावे। यह प्रदर्शन हर स्थिति में 15 मई, 1991 तक करके सुझाव अथवा एतराज मांगे जाने की अन्तिम तिथि 31–5–91 निर्धारित की जावे। पंचायत के संबंध में सुझाव अथवा एतराज प्राप्त करने हेतु तहसीलदारों को प्राधिकृत किया जावे एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन हेतु उपखण्ड अधिकारी को प्राधिकृत किया जावे।

जो एतराज अथवा सुझाव प्राप्त होते हैं उन पर विचार करके एवं यदि आवश्यक समझा जाये तो व्यक्तिगत सुनवाई करके जिला कलेक्टर पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करके अपने प्रस्ताव दिनांक 30.6.91 तक राज्य सरकार को प्रेषित करें।

आज्ञा से,
ह०
(धर्मवीर)
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

संख्या : एफ 15 (1) ग्राविप/पुनर्सीमा/91/1945 जयपुर, दि० 2 अगस्त, 91.

प्रेषिति :—

समस्त जिला कलेक्टर ।

विषय :—**पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन ।**

महोदय,

निर्देशानुसार राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 15 (1) ग्राविप/पुनर्सीमा/91/834 दिनांक 4 अप्रैल, 91 को अधिक्रमित करते हुए उपरोक्त विषय पर निम्नलिखित रूप में निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :—

1. पंचायतों का पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन :

1. सन् 1981 की जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक ग्राम पंचायत की जनसंख्या सामान्यतः 2,000 से 5,000 तक की हो । परन्तु एकल ग्राम की पंचायत जिसमें ढाणियां आदि सम्मिलित नहीं हो, की जनसंख्या 5,000 से अधिक भी हो सकती है । इसी प्रकार एकल गांव जिसकी जनसंख्या 5,000 से अधिक हो यदि उसकी ढाणियां 8 किलोमीटर के अन्दर की हो तो उन ढाणियों को उसी मुख्य गांव की पंचायत में शामिल करना उचित रहेगा जब तक की वे लोग किसी दूसरी पंचायत में शामिल होने के इच्छुक हों ।

2. पंचायत के किसी भी गांव की दूरी पंचायत मुख्यालय के गांव से सामान्यतया 8 किलोमीटर से अधिक नहीं हो ।

3. प्रत्येक पंचायत में वार्डों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जावे :—

पंचायतों की जनसंख्या (1981)	वार्डों की संख्या
1,000 तक	5
1,000 से 2,000 तक	6
2,000 से 3,000 तक	7
3,000 से 4,000 तक	8
4,000 से 5,000 तक	9
5,000 से 6,000 तक	10
6,000 से 7,000 तक	11

1	2
7,000 से 8,000 तक	12
8,000 से 9,000 तक	13
9,000 से 10,000 तक	14
10,000 से ऊपर	15

2. कार्य विधि के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :—

1. उपरोक्त प्रस्तावों के अनुसार परीक्षण करने के पश्चात् जिला कलक्टर पंचायतों का जिस प्रकार से सीमांकन, पुनर्सीमांकन अथवा पुनर्गठन करना चाहते हैं उनका पूर्ण विवरण देते हुए प्रस्तावों का प्रकाशन दिनांक 31·8·91 तक करवा देवें। यह प्रकाशन अन्तिम निर्धारित तिथि से पूर्व भी किया जा सकता है।

2. इन प्रस्तावों का प्रदर्शन जिला कलक्टर कार्यालय, जिला परिषद् एवं पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्डों पर सार्वजनिक अवलोकन हेतु किया जावे। जिन जिन पंचायतों की वर्तमान सीमाओं में किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो इस फेरबदल से प्रभावित सम्बन्धित पंचायतों के नोटिस बोर्डों पर भी उनसे सम्बन्धित प्रस्ताव का प्रकाशन करवाया जावे। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला कलक्टर अन्य प्रचार माध्यमों से भी प्रस्तावों को प्रचारित कर सकते हैं।

3. प्रदर्शित प्रस्तावों में जन साधारण को स्पष्ट रूप से यह सूचना दी जानी चाहिये कि वे प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपने एतराज जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी अथवा तहसीलदार को दिनांक 15·9·91 तक पेश कर सकते हैं।

4. प्राप्त सुझावों एवं एतराजों पर विचार करके एवं यदि आवश्यक समझा जावे तो व्यक्तिगत सुनवाई करके जिला कलक्टर पुनर्गठन/पुनर्सीमांकन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय करके अपने प्रस्ताव दिनांक 15·10·91 तक निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज जो कि पंचायतों के प्रभारी अधिकारी हैं, को अवश्य ही भिजवा देवें। दिनांक 4·4·91 के पूर्वादेश के संदर्भ में जो एतराज अथवा सुझाव अब तक तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी एवं जिला कलक्टर कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं उन पर भी विधिवत् रूप से विचार करके अथवा सुनवाई करके जिला कलक्टर उनका निपटारा करेंगे।

भवदीय
ह.
(धर्मवीर)
निदेशक एवं शासन विशिष्ट सचिव

अतारांकित प्रश्न संख्या 3/पंचायत मं/पंचायत के भाग (5) का विवरण

1. खाखरीया
2. सडा
3. मेड़ी
4. बुडिया
5. घघमता
6. लाम्बाहल्दु
7. सडा
8. सोम
9. गरणवास
10. धामोड
11. मादला
12. खाटकमडी
13. गौरन
14. चन्द्रवास
15. गौगला
16. गौदाना
17. ब्राह्मणों का खेड़ा
18. लूणावतों का खेडा
19. जेलावडा
20. ग्रम्बासा
21. घरावत
22. ओजरीलीवास
23. नेवज
24. काडा

परिशिष्ट–9

अतारांकित प्रश्न संख्या–44 की सूची

नगर विकास न्यास द्वारा भूमि के बदले भूमि दिये जाने बाबत

क्र. सं.	नाम व अनुबन्ध दिनांक	भूमि जहां से ली गई एवं क्षेत्रफल	भूमि लिये जाने का कारण	योजना जिसमें भूमि दी गई	स्वामित्व पुष्टि संबंधी
1	2	3	4	5	6
1.	अनिल कुमार शाह 7·4·75	नयापुरा वृज टाकीज के पास 44795	सड़क चौड़ी एवं सीधी करने के लिए	मोटर रियेयर वर्कशाप 3550 वर्ग फीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई
2.	कल्लू कुरेशी आत्मज श्री रहीम खां 19·7·76	रंगवाडी 300 × 300 वर्ग फीट	हाउसिंग बोर्ड को दी गई जमीन के बीच में आने के कारण	महावीर नगर दि. 3 भूखण्ड 30 × 64 वर्ग फीट आनन्दपुरा 1 भूखण्ड 3 × 64 वर्ग फीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई
3.	रविकुमार एवं आशा देवी 30·3·83	छोटा तालाब ग्राम रामपुरा ख. नं. 1/962 766·66 वर्गगज	जवाहर मार्केट योजना	छोटा तालाब योजना 3720 वर्गफीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई

1	2	3	4	5	6
4.	कमला देवी भू-आवंटन समिति का निर्णय दि. 5·10·90	सूरजपोल गेट 23 × 20 वर्ग गज	रास्ता चौड़ा करने हेतु	वसन्त विहार भू. सं. 11 18 × 35 वर्गफीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई
5.	मोइन अली द्वारा हेम्पी स्टील कारपोरेशन दिनांक वर्ष 1983	झालावाड रोड 6324 वर्ग फीट	मोटर मार्केट योजना के लिए	मोटर मार्केट योजना में 3300 वर्ग फीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई
6.	सरदार दलजीत सिंह पवन कुमार, विजय कुमार प्रमोद कुमार आदि	ग्राम बालाकुण्ड की 132 एकड़ भूमि	तलवंडी आवासीय योजना के लिए	224 विकसित भूखण्ड दिये गये	स्वामित्व की पुष्टि की गई
7.	ताहिर अली नूरूद्दीन सेपुद्दीन 13·11·91	अनन्तपुरा ख. नं. 21/344 0·56 हेक्टर	आनन्दपुरा आवासीय योजना	तलवंडी में 12125 वर्ग फीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई
8.	नारायण लाल्या आदि वगैरह 3·3·92	आनन्दपुरा ख. नं. 230·24 हेक्टर	आनन्दपुरा आवासीय	तलवंडी योजना में 6360 वर्गफीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई
9.	अनूपचन्द शकुन्तला जैन	खण्ड गावंडी 5000 वर्गफीट	राजकीय आवास	दादाबाडी सी. ए. डी. सर्किल 5100 वर्गफीट	स्वामित्व की पुष्टि की गई

192

परिशिष्ट–10

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

पांचना बांध से नादौती में सिंचाई हेतु जल–वितरण

निवेदन है कि राजस्थान सरकार ने जिला सवाई माधोपुर के पांचना बांध का निर्माण किये बहुत वर्ष हो गये पर आज तक इसका पानी सिंचाई के लिए नादोती तहसील को नहीं दिया है। इस बांध का निर्माण इस नादौती के माडे एरीयों को सिंचित करने के लिए किया गया था लेकिन इसका पानी अभी तक इस सूखाग्रस्त एरिया नादौती तहसील को नहीं दिया। इस क्षेत्र के अन्तर्गत धूमेला केमला कैमरी बड़ा ग्राम व अन्य नादौती के ग्रामों को पानी दिया जाए। जहां पानी नहीं चढ़ता है वहां लिफ्ट के द्वारा पानी दिया जाए केम जाग्रन तक जो नहर आयी है उसे आगे बढ़ाया जावे ताकि गूरवारी एवं अन्य सूखे ग्रामों को पानी दिया जाए।

अतः मंत्री महोदय से निवेदन है कि उक्त पांचना बांध का पानी माड़ क्षेत्र नादौती के ग्राम कैमरी कैमला थूजेला को भी तीस गांव खडेला खरेजी सौप शहर आदि ग्रामों को दिलाकर पीने के पानी एवं सिंचाई की समस्या को हल करावें।

[श्री रामनारायण (नैनवां)]

नैनवां तहसील के गांवों के काश्तकारों की भूमि का गलत इन्द्राज

गलवा बांध (टोंक) एवं पाइबालापुरा बांध (बून्दी) में नैनवां तहसील के विभिन्न गांवों के किसानों की खातेदारी की भूमि सिंचाई विभाग द्वारा अवाप्त करके सिंचाई विभाग के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जाने के पश्चात् अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई आधुनिकीकरण खण्ड टोंक द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/अ. स. 84/349 दिनांक 11–1–94 से गलवा बांध की भूमि का मुआवजा राशि नहीं लेने वाले एवं अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड बून्दी ने अपने पत्र क्रमांक राजस्व 531/ दिनांक 13–1–69 एवं पत्र क्रमांक राजस्व 533, दिनांक 13–1–69 से पाइबालापुरा बांध की भूमि मुआवजा राशि वापिस जमा कराने वाले कृषकों के नाम पर वापस खातेदारी में अंकित करने हेतु तहसीलदार नैनवां को लिखे गये पत्रों की पालना नहीं की गयी है। जिससे किसानों के समक्ष भारी समस्या पैदा हो गयी है। इस श्रेणी के किसानों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्यवाही में तहसील नैनवां के राजस्व कर्मचारी

किसानों को बेदखली के नोटिस देकर जुर्माना करने पर ग्रामदा रहते हैं। किसानों के हितों की रक्षा करना तथा राजस्व कर्मचारियों को किसानों की भूमि उनके नाम पर वापस राजस्व रेकार्ड में अंकित करवाने का दायित्व राज्य सरकार का है।

अतः अनुरोध है कि सिंचाई विभाग के अधिशाषी अभियन्ताओं द्वारा तहसीलदार नैनवां को लिखे गये पत्रों की पालना करवाकर भूमि वापस खातेदार कृषकों के नाम पर अंकित की जाकर राहत दिलायी जावे। उक्त दोनों बांधों के किसानों की जो भूमि डूब क्षेत्र में आयी है तथा जिन किसानों ने मुआवजा प्राप्त नहीं किया है अथवा मुआवजा राशि वापस जमा करवा दी है उनकी सूची जारी करके किसानों को परेशानी से मुक्त करने हेतु आदेश प्रदान करने एवं तहसीलदार नैनवां को बेदखली भूमि एवं जुर्माना नहीं करने हेतु राज्य सरकार को आदेश दिया जाकर ऐसे मामलों में पूर्व के वर्षों में जो जुर्माने कर दिये हैं वह राशि माफ की जाने के आदेश जारी किये जावें।

[श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी)]

मण्डी टैक्स का लाभ

1. यह कि बून्दी जिले का एक अपना महत्व है परन्तु दुर्भाग्यवश हमारे यहां नेताओं तथा अधिकारियों ने ऐसी योजना बनवायी जिससे विभाग मुख्यालय से गांव जुड़े न कि जिला मुख्यालय से। इस कारण विभाग मुख्यालय बून्दी मुख्यालय से नजदीक पड़ता है एवं सुविधायें कम होने से किसान अपना अनाज विभाग एवं अन्य स्थान पर बेचने ले जाते हैं इस कारण जिले के किसानों का मण्डी टैक्स अन्य जिलों में जाता है और जिले में टैक्स नहीं आने से किसान अपने गांव से मुख्य सड़क तक अपनी तैयार की हुई फसल को भी लेकर नहीं आ सकता है।

2. यह कि बून्दी जिले की 80 प्रतिशत फसल अन्य जिलों में बिकने से बून्दी ज़िले में सड़कों, खुरजों एवं पुलियाओं का अभाव है। सम्पूर्ण मण्डी टैक्स का केन्द्रीयकरण न करके विकेन्द्रीयकरण किया जावे।

3. यह कि कई बार कहा जाता है कि किस प्रकार मण्डी टैक्स का विभाजित किया जावे। उदाहरण के रूप में जब किसान अपना माल बेचता है तो किसान का नाम, गांव का नाम, तहसील एवं जिले की नाम की रसीद काटी जाती है उसी अनुरूप मण्डी टैक्स अपने जिले में दिया जावे जिससे प्रत्येक ज़िले के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।

---

(१९५)

[श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)]

जैतारण में सड़कों की खराब स्थिति

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम पंचायत टुकड़ा राबडीया बास, बलाड़ा, घोड़ावड, बाजाकुडी जो बाजाकुडी से टुकड़ा व बलाड़ा से बलुपुरा वाली रोड के नाम से जानी जाती है। छः पंचायतों के करीब 20 गांवों के आने-जाने का एक मात्र रास्ता है। गांवों की आबादी भी सन् 1971 की जनगणना के आधार पर 1500 से अधिक है। इस सड़क की इतनी खराब स्थिति है कि बरसात में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। हल, ट्रैक्टर, बैलगाड़ी, बस आने जाने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए इन छः पंचायतों की आबादी को देखते हुए तुरन्त न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम व अन्य स्कीम में तुरन्त स्वीकृति प्रदान करवाने का आदेश कर अनुगृहीत करें।

[श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण)]

जैतारण में भयंकर पेयजल संकट

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के ग्राम बलाडा, काणेचा, बाजाकूडी, अमरपुरा, लितरिया, ग्यास, नयागांव, कठमोर, दयालपुरा, रावतों की ढाणी, सेकरिया, चेनपुरा, टुकड़ा, निम्बेड़ा, जैतारण, मुण्डावा आदि में भयंकर पेयजल की समस्या है। ग्राम बलाडा, काणेचा, बाजाकूडी, अमरपुरा, लितरिया ग्यास व नया गांव में 10–10 दिन तक पानी नहीं मिलता है। कंटिन्जेसी प्लान में ले रखा है परन्तु वित्तीय स्वीकृति मिलेगी तब तक ग्रामवासी पेयजल के संकट के कारण पलायन कर जायेंगे व मवेशी मर जायेंगे। प्राथमिकता से तुरन्त टयूबवैल खुदवाकर समस्या का समाधान करावें व जो सेवरिया, चैनपुरा, टुकड़ा निम्बेड़ा, कठमोर, दयालपुरा, रावतों की ढाणी स्कीम जो 3 साल से विचाराधीन है, तुरन्त चालू करवाकर ग्रामवासियों को पानी मुहैय्या करवायें क्योंकि वहां पर टैंकर से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए विकट समस्या को समझते हुए तुरन्त प्राथमिकता से कार्य शुरू करवाकर जनता को पेयजल उपलब्ध करवाकर अनुगृहीत करें।

[श्री हीरालाल (बामनवास)]

बामनवास की अधूरी सड़कों का निर्माण

माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि मित्रपुरा से पीपलदा, सीसोलाव से मित्रपुरा-बौली से लाखनपुर, वसूली से बौली, गंगवाड़ा से पिपलवाड़ा, बहनुलो से बागडोली, पंचायत बौली पंचायत समिति में अधूरी पड़ी हुई। मित्रपुरा से पीपलदा सड़क पर आवागमन के लिए काफी समय से बसें चल रही है परन्तु बसें कच्चे मार्ग से काफी समय से चलने के बाद भी सरकार ने इन मार्गों को पक्की सड़कों से जोड़ने की कार्यवाही नहीं की है। बौली से लाखनपुर, बपूई आदि पंचायत मुख्यालयों पर आने जाने के लिए बौली पहाड़ में घाटी होने के कारण आवागमन संभव नहीं है। उक्त घाटी में से सीधी सड़क यदि लाखनपुर के लिए बना दी जाती है तो करीब 50 गांवों के लोगों को जाने की सुविधा मिल सकेगी, जो उपरोक्त सड़कें राहत कार्य एवम् विभिन्न योजनाओं में बनाने के बाद अधूरी रह गयी हैं उन्हें शीघ्र सार्वजनिक निर्माण विभाग से स्वीकृति कराके कार्य करवाया जाना चाहिए तथा तहसील बामनवास में लीवाली से खेडेलीमाडे रामसिंहपुरा सड़क से खुरामाताजी, अरामपुरा रोड से फलवाडा-वाया-विनजारी सखीपुरा से बामनवास, अपूर्ण रोड, सखीपुरा से दाता सुती वाया राजोला वरिला, गुडला से बौनोरी के बालाजी, कितपुरा से मोरां सागर अपूर्ण रोड, बीछोच रोड में 2 कि. मी. अपूर्ण रोड हैं। उपरोक्त सभी सड़कें अति आवश्यक हैं।

मुझे आशा है कि मन्त्रीजी उपरोक्त सड़कों को बनाने की स्वीकृति जारी करने का विभाग को निर्देश देंगे।

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

बासना पंचायत की आबादी भूमि का चरागाह में परिवर्तन

मेरे विधान सभा क्षेत्र की पंचायत बासना के पंचायत मुख्यालय के गांव में पिछले दिनों 91 में नोटिस पटवारी द्वारा वितरित किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त तीन हजार के लगभग की जनसंख्या वाला गांव पता नहीं कब, कैसे चरागाह में चला गया। यहां के सैंकडों आवास दुमंजिले व पक्के हैं। कुछ एक मंजिले हैं, कुछ ही आवास कच्चे हैं। यह पंचायत 63 से चुनी हुई पंचायत के रूप में कार्यशील रही है। यह पंचायत जमवारामगढ़ पंचायत समिति व तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में आती है। इसी प्रकार उक्त तहसील व पंचायत समिति को पंचायत नटाटा पंचायत के राजस्व गांव हांडी

का बास उर्फ अनबगढ़ की जमीन भी चरागाह में आ गयी बतलायी। इसी प्रकार तहसील जयपुर जो अब नगर-विकास न्यास जयपुर व निगम क्षेत्र जयपुर में आ गया है इसकी ढाणी जोगियों की जमीन भी चारागाह में आ गयी बतलायी।

अब उक्त समस्या के समाधान के लिये आबादी में निर्णय किया जाना जरूरी है। जिलाधीश कार्यालय तहसील कार्यालय में इस आशय की सिफारिशें भी की जाती रही परन्तु अभी कार्य नहीं हुआ है। यह भयंकर समस्या है, सरकार इस विषय के अनुसार यहां पर तो नियमन करें तथा ऐसे अन्य गांवों का भी निर्णय लेकर गांवों में राहत दें।

[श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़)]

रेवतराम मेघवाल की कथित हत्या की जांच

मैं इस सदन का ध्यान श्री रेवतराम मेघवाल निवासी मोमासर जिला चूरू की दिनांक 18.11.93 को हुई हत्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमान् एफ. आई. आर. नं 226 थाना श्री डूंगरगढ़ के संदर्भ में उपरोक्त हत्याकाण्ड की जांच निष्पक्षतापूर्ण नहीं की जा रही है। मृतक की पत्नी भंवरीदेवी जिसके आगे पीछे छोटे-छोटे बच्चे हैं, को तथा अन्य सम्बन्धित लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है जिन्हें बुरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने बार-बार न्याय की प्रार्थना की है परन्तु न्याय नहीं मिल पा रहा है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि मामले की गम्भीरता को देखते हुए उक्त मामले की जांच निष्पक्षता से करवायें तथा उक्त ग्राम के आस-पास अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के प्रति निकट भविष्य में होने वाले भय और अत्याचार, जो कि वर्तमान में व्याप्त हैं, के ऊपर रोक लगायी जा सके। श्रीमान् मृतक की धर्म पत्नी को आवश्यक मुआवजा व न्याय की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए मदद हो तो अच्छा होगा।

[श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर)]

आई. टी. आई. पास श्रमिकों को नियमित वेतनमान

निवेदन है कि विद्युत मण्डल ने अपने आदेश संख्या 87 दिनांक 10-12-90 द्वारा राजस्थान में रिक्त पड़े नियमित पदों पर आई. टी. आई. पास श्रमिकों को लेने का निर्णय किया और उम्मीदवारों का इण्टरव्यू लेकर आदेश संख्या 703 दिनांक 2.4.91 के अनुसार 38 उम्मीदवारों का चयन किया और निम्न पदों पर नियुक्तियां दी जो क्रमशः इस तरीके से हैं :—

(1) इलेक्ट्रिशियन द्वितीय

(2) एस. एस. ए. द्वितीय

(3) वायरमैन द्वितीय

(4) कन्ट्रोल रूम आपरेटर द्वितीय

(5) मैकेनिक द्वितीय

(6) लाइन मैन द्वितीय

उपरोक्त पदों पर मण्डल ने 6 माह के लिए अनियमित रूप से नियुक्ति किया और आश्वासन दिया गया कि 6 माह के बाद रिक्त पदों पर नियमित वेतन शृंखला दे दी जायेगी।

परन्तु सभी प्रशिक्षित श्रमिकों को 22-4-91 से 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ही वेतन दिया गया व 1 जनवरी, 1993 से 1000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से वेतनमान दिया जाता रहा जबकि सभी श्रमिकों को ऊपर वर्णित पदों के अनुसार वेतनमान व अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए थीं। सभी श्रमिकों की इस अवधि में 5 बार कार्य की समीक्षा की गयी जो कि वृत स्तर से राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल कार्यालय जयपुर को भेजी जाती रही है, उन सभी की रिपोर्ट संतोषजनक रही है।

यह कि ऊपर उल्लेखित श्रमिकों का दुर्भाग्य ही समझा जाये कि पद के अनुरूप सुचारू रूप से कार्य करते हुए भी नियमित वेतनमान नहीं दिया जाकर श्रीमान् मुख्य अभियन्ता विद्युत एवं उत्पादन परियोजनाएं राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पुराना पावर हाउस जयपुर के आदेश संख्या 3101, 3102 और 3103 दिनांक 13-8-93 इन्दिरा गांधी मुख्य नहर अनूपगढ़ ब्रांच पर स्थित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए तकनीकी पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने की अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने पर एवं तकनीकी कामगार सेवा नियम की धारा 4(1) (2) के

(198)

अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिश के आधार पर मण्डल में मस्टर-रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित वेतन शृंखला दे दी गयी है। परन्तु बोर्ड द्वारा उस स्थान पर नियुक्ति आई. टी. आई. श्रमिकों को स्थायी वेतनमान नहीं दिया गया जबकि सभी श्रमिक उनसे कुशल कामगार एवं निपुण हैं और उस स्थान पर रिक्त पदों पर कार्यरत हैं।

2 साल 8 माह से राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड हनुमानगढ़ वृत्त द्वारा आज तक सभी श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि बोर्ड द्वारा किए जा रहे इस शोषण के विरुद्ध कार्यवाही करके सरकार का इस ओर ध्यान दिलावें व नियमित वेतनमान जल्द से जल्द दिलवाने का कष्ट करें।

[श्री हरिसिंह (कुम्हेर)]

मांडेरा के सुरक्षित वन (रूध) की चारदीवारी का निर्माण

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निम्न विषय का विशेष उल्लेख सदन के समक्ष करता हूं :—

यह कि भरतपुर जिले की डीग तहसील में स्थित मांडेरा नाम रूध (सुरक्षित वन) इस ग्राम के आसपास बसे हुए कुम्हेर व डीग तहसीलों के पचासों ग्रामों को अत्यधिक हानि का कारण बनी हुई है। इस के चारों तरफ कोई दीवार नहीं है। रूध में हजारों की संख्या में वन गाय तथा नील गाय व अन्य ऐसे जानवर हैं जो वन से बाहर निकल कर आसपास के ग्रामों की फसल को उजाड़ते हैं व पूर्णतया बर्बाद कर देते हैं। ग्रामों के कृषक रात-रात भर जगने के पश्चात् भी अपनी फसल को बचा नहीं पाते हैं।

ग्रामवासियों ने अपनी इस मांग को लेकर कि इस वन के चारों तरफ दीवार बनायी जावे, कई बार प्रदर्शन भी किये हैं किन्तु राज्य सरकार चेती नहीं है और प्रतिवर्ष किसानों को तबाही का सामना करना पड़ता है। किसानों की फसल बर्बाद होती है। देश को हजारों मन अनाज का नुकसान होता है।

पूर्व में इसी प्रकार का नुकसान भरतपुर शहर स्थिति घना पक्षी विहार के चारों तरफ बसे हुये ग्रामों में होता था जिसको देख कर सरकार ने घने के चारों तरफ पक्की दीवार बनायी है।

इसी प्रकार इस वन के भी चारों तरफ पक्की दीवार का बनाया जाना अत्यावश्यक है। राजस्थान सरकार को अविलम्ब इस सम्बन्ध में आवश्यक योजना, स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर देना चाहिए।

[श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा)]

बिलाड़ा में विद्युत वोल्टेज की अनियमितता

बिजली के वोल्टेज में अनियमितता को दूर करने के सम्बन्ध में मेरे क्षेत्र बिलाड़ा (जोधपुर) में वर्तमान में जो बिजली आपूर्ति हो रही है उसमें वोल्टेज की पूरी आपूर्ति नहीं होने के कारण ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, ट्यूबवैल में लगी मोटरे जल जाती हैं जिससे फसले जल जाती है। किसानों को भारी धन की हानि होती है। जले ट्रांस-फार्मरों को बदलने के लिए किसानों को स्वयं को ट्रांसफार्मर अपने साधनों से ले जाने पड़ते हैं। ट्रांसफार्मरों को बदलने की विभाग की प्रक्रिया लम्बी है। किसानों को जे. ईएन., एक्स. ईएन., एस. ई., सी. ई. के विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ट्यूबवैल की मोटरें ठीक कराने में धन खर्चे होता है। जिसकी जिम्मेदारी किसानों की नहीं है।

मैं यह चाहूंगा कि बिजली विभाग वोल्टेज की आपूर्ति को ठीक करने के लिए बिलाड़ा (क्षेत्र) उदलियावास, रिया, खांगटा (भोपालगढ़) में 33 के वी. वी. पी. एस. एस. के स्टेशन बनाने से इस समस्या का समाधान हो सकेगा। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त 33 के. वी. पी. एस. एस. प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करावें जिससे इस समस्या का समाधान हो सकेगा और किसानों को एवं विभाग को लाभ होगा।

[श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना)]

काश्तकारों को बिना पट्टे विद्युत कनेक्शन

राजस्थान में जागीरदारी समाप्त हुई तब काश्तकार को खेतों का मालिक बनाया। लेकिन जिस खेत को किसान काश्त करता था उस खेत में बने हुए कुएं की नाल को सिवाय चक में दर्ज कर दिया गया और तहसीलदार द्वारा उस कुएं को 26 रुपये लेकर पट्टा दिया जाता था। किसान आज तक उस कुएं से इन्जन द्वारा सिंचाई

करता आ रहा है लेकिन अब जब किसान का नम्बर विद्युत कनेक्शन में आता है तो 26,000/–रु. पट्टा देने के लिये मांगा जाता है जो किसान के साथ न्याय नहीं है ।

अतः मैं मांग करता हूं कि विद्युत विभाग को आदेश प्रसारित किये जायें कि ऐसे किसानों को बिना पट्टा के विद्युत कनेक्शन दिया जावे ।

[श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम)]

टोडाभीम में तीन महन्तों की हत्या की सी. आई. डी. से जांच

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम को तहसील नादौती के ग्राम कमालपुरा वाली नंगरे वाले बाबा की धूनी के महन्त की हत्या उनके मन्दिर के पास कोटरी में कर दी गयी पर हत्यारे भागने में सफल हो गये और उनको पुलिस आज तक नहीं पकड़ सकी ।

इसके साथ ही तहसील टोडाभीम के मीणा समाज के सब सेवक मन्दिर कदम खण्डी के महन्त की हत्या बम्बहारा दिन दहाडे कर दी गयी और हत्या करके खुलेआम चले गये और उनका भी आज तक पुलिस पता न लगा सकी जबकि इस बारे में पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गयी पर उनको नहीं पकड़ा गया ।

इसी प्रकार ग्राम साहपुरा तहसील टोडाभीम के महन्त श्री सादबालाजी की हत्या कर दी पर उसका भी आज तक पता नहीं चला ।

इन हत्या काण्ड के कारण सारे क्षेत्र में अशान्ति फैली हुई है, लोगों में भय व्याप्त है । इसी प्रकार अन्य कोई कई हत्यायें क्षेत्र के अन्दर की गयी पर हत्यारों को आज तक नहीं पकडा गया ।

अतः श्रीमान्‌जी से निवेदन है कि इन हत्याओं की जांच सी. आई. डी. से करवाकर हत्यारों का पता लगाया जावे और जनता में व्याप्त भय को खतम किया जाये ।

[श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)]

सहाड़ा–रामपुर–तहसील क्षेत्र में व्याप्त भयंकर अकाल की स्थिति

सहाड़ा रामपुर तहसीलों में भयंकर अकाल की स्थिति व्याप्त है । इस क्षेत्र में औसत वर्षा से मात्र एक चौथाई वर्षा हुई है जिससे समूचे क्षेत्र की फसलें

सम्पूर्णतः नष्ट हो गयी है। परिणामतः लोग भूख से परेशान हो रहे हैं। घास नहीं के बराबर रह गया है, जिससे सारे पशुधन के नष्ट होने की आशंका होना स्वाभाविक है। वर्षा की कमी होने के कारण पशुओं और मनुष्यों के लिए पीने के पानी का भी संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि दोनों तहसीलों में स्थित सभी बन्धों में पानी आया ही नहीं है। कुओं, हैण्डपम्पों के स्रोत बहुत सूख गये हैं। कुल मिलाकर काम के अभाव में गरीब लोग अन्यत्र पलायन करने हेतु विवश हो गये हैं। घास के अभाव में पशुओं की स्थिति असाधारण रूप से खराब हो रही है। इन सबके परिणामस्वरूप गरीब किसान-मजदूर को काम के अभाव में अन्यत्र पलायन करना पड़ रहा है। पशुधन घास के अभाव में नष्ट हो रहा है। मनुष्य व पशु को पीने का पानी दुर्लभ हो रहा है।

अतः राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राहत कार्य प्रारम्भ करें, घास की समूची व्यवस्था की जाये। मनुष्य व पशुओं के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाये।

[श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी)]

डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग के छात्रावास बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति

निवेदन है कि डूंगरपुर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावास चलाये जा रहे थे जहां पर सैंकडों छात्र उन छात्रावासों में रह कर अध्ययन कर रहे थे। छात्रावास हैं—राजकीय आदिवासी छात्रावास सीमलवाडा, राजकीय आदिवासी छात्रावास करावाडा, राजकीय छात्रावास भोयरी, राजकीय छात्रावास विकास नगर, कनवा व बिछीवाडा थे। लेकिन इन सभी छात्रावासों को राजनीतिक आधार पर बन्द कर दिया गया है। जिससे सैंकण्डों आदिवासी छात्रों का जीवन अन्धकारमय हो गया है। मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जनजाति समुदाय की हिमायती सरकार ने छात्रावासों को क्यों बन्द किया? क्या सरकार नहीं चाहती है कि आदिवासी का शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास हो? एक साथ इतने छात्रावास बन्द करना इस बात का सबूत है कि पिछले समय की सरकार आदिवासियों के शैक्षणिक विकास को नहीं होने देना चाहती है।

अतः डूंगरपुर जिले के जो भी छात्रावास बंद कर दिये गये हैं वे पुनः प्रारम्भ कर उत्पन्न समस्या का समाधान करावें।

[श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर)]

डूंगरपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में अधूरे कुओं का निर्माण

डूंगरपुर जिला पहाड़ी, पथरीली एवं आदिवासी बाहुल्य जिला है। आदिवासियों के विकास के लिये लम्बे समय से राज्य तथा भारत सरकार की ओर से करोड़ों रुपये खर्च किये गये लेकिन आज दिन तक आदिवासियों का आवश्यक विकास नहीं हुआ है। श्रीमान् इन आदिवासियों की छोटे-छोटे खण्डों में जमीन है, इस जमीन पर कुआ होना अत्यन्त आवश्यक है इन कुओं पर लाखों रुपये खर्च किये गये हैं लेकिन मूलभूत कुछ कमियां हैं जिनके फलस्वरूप ये कुए अधूरे पड़े हैं। इसका मूल कारण यह है कि कुआ स्वीकृत होता है उसके लिए कम से कम 35 हजार एवं ज्यादा से ज्यादा 50 हजार रुपये स्वीकृत कराये जायें, कुआ स्वीकृत जनवरी या फरवरी में किया जाये, कुआ स्वीकृत होते ही कार्य शुरू करने पर प्रथम किश्त 5 हजार दिये जायें ताकि औजार तगारियां आदि लाने तथा कार्य शुरू करने में असुविधा न हो। 10 फीट से लगाकर 15 फीट की खुदाई में 10 हजार रुपये दिया जाये। इस खुदाई में सख्त पत्थर आते ही ब्लास्टिंग मशीनों की व्यवस्था करायी जाये ताकि इन्हें परेशानी नहीं हो। ब्लास्टिंग का पेमेन्ट विकास अधिकारी की सिफारिश से स्वीकृत राशि में से किया जाये। इसके साथ ही भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार ट्यूबवैलों को भी सर्वे कराकर दो-तीन काश्तकारों के कुओं की राशि को ग्रुप बनाकर खुदवाये जावे ताकि जहां-जहां अनुकूलता हो ट्यूबवैलों की भी स्वीकृतियां करायी जाये।

श्रीमान् कुओं एवं ट्यूबवैलों के खोदने की स्वीकृति के बारे में केवल अधिकारियों पर ही नहीं छोड़ा जाये क्योंकि अधिकारियों को व्यावहारिक ज्ञान नहीं होने से योजना स्वीकृति एवं चालू करने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जन प्रतिनिधियों की भागीदारी होना जरूरी है।

धन्यवाद।

[श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)]

राज्य में वाहनों पर बिक्री कर

निवेदन है कि राजस्थान में मोटर वाहन पर बिक्री कर अन्य प्रदेशों से बहुत अधिक होने के कारण पड़ौसी राज्य हरियाणा, उत्तर-प्रदेश, गुजरात इत्यादि से सैकड़ों की तादाद में वाहन पंजीकृत होकर राजस्थान में आ रहे हैं। जिन पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जा सकता है। अधिकांश मारुति कार की बिक्री हरियाणा

राज्य से तथा टाटा की गुजरात से पंजीकृत होकर आ रही है। इस प्रकार से राज्य में बिक्री कर एवं रोड टैक्स की भारी हानि हो रही है। राजस्थान राज्य के वाहन विक्रेताओं ने अन्य राज्यों में अपने ब्रांच कार्यालय स्थापित कर रखे हैं ताकि उनके द्वारा स्थानीय बुकिंग की आपूर्ति ब्रांच आफिस से की जा सके। अतः राज्य के राजस्व की होने वाली हानि को रोकने के उद्देश्य से वाहनों के बिक्री करों में अन्य राज्यों के निर्धारित बिक्री कर के बराबर बिक्री कर किया जाय ताकि राजस्व हानि को रोका जा सके।

विभिन्न राज्यों में बिक्री कर तालिका निम्न है :—

सेल्स टेक्स आन मोटर व्हीकल्स इन स्टेट्स अराउण्ड राजस्थान

	कार्स	जीप्स	लाइट कामर्शियल व्हीकल्स (एल.सी.वी.)	हैवी कामर्शियल व्हीकल्स (एच.सी.वी.)	ट्रैक्टर्स	2 व्हीलर्स	एनी अदर टैक्स
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्थान	10	10	10	6	4	12	
हरियाणा	6	3	3	4	4	10	10 प्रतिशत सरचार्ज आन सेल्स टैक्स
पंजाब	4	3	3.5	3.5	2	10	12 प्रतिशत सरचार्ज ऑन सेल्स टैक्स
गुजरात	3	3	3	3	2	3	0.1 प्रतिशत टर्न ओवर टैक्स
उत्तर-प्रदेश	4	4	1.5 (फ्यूल एफिसियेण्ट 4.0 (अदर)	4	4	10	25 प्रतिशत सरचार्ज ऑन सेल्स टैक्स
मध्य-प्रदेश	10	6	3	3	3	10	—

[श्री गोपीराम (आमेर)]

जोधपुर पोली टेक्नीक कालेज 48 के छात्र संजय राजपुरोहित की कथित हत्या की जांच

मैं सदन का ध्यान उपरोक्त विषयान्तर्गत आकर्षित करके कहना चाहूंगा कि श्री मोहन लाल राजपुरोहित के स्वर्गीय पुत्र संजय राजपुरोहित की हत्या कर दी गयी। पुलिस और मेडिकल विभाग की ओर से इसमें ईमानदारी नहीं बरती जा रही है। प्रकरण इस प्रकार है कि स्व. संजय राजपुरोहित पुत्र श्री मोहन लाल राजपुरोहित 3-प-16. हिरण मगरी, सेक्टर नं. 5, प्रभात नगर, ब्लॉक नं.-3 उदयपुर निवासी जोधपुर में जोधपुर पोली-टेक्नीकल महाविद्यालय में पढ़ता था और राजपुरोहित छात्रावास के कमरा नं. 15 में रहता था। इस छात्र को रेगिंग के भय से श्री नरपतसिंह पुत्र शंकरसिंह राजपुरोहित ग्राम चावड़ा थाना झंवर जिला जोधपुर और श्री नाथूसिंह राजपुरोहित ग्राम ,गाडावड़ थाना जैतारण जिला पाली दोनों ने ब्लेक मेलिंग करके नाश्ता वगैरहा पर व्यय कराते रहे और धीरे-धीर स्व. संजय से श्री नरपतसिंह और श्री नाथूसिंह नकद राशि भी उधार लेने लग गये। उधार राशि मांगने पर इन दोनों के मन में बेईमानी आ गयी और तारीख 4/11/93 को स्व. संजय को ये दोनों चावड़ा ले गये। जाने से पूर्व स्व. संजय से कुछ राशि बैंक से निकलवा कर साथ ले गये। तारीख 4/11/93 को ही उसकी रात में संदिग्ध मौत हो गयी। मारने से पूर्व स्व. संजय को किसी डाक्टर के पास नहीं ले गये और न जोधपुर हॉस्पिटल में ले गये। मृत्यु के बाद अस्पताल में ले गये। डाक्टर ने श्री संजय को मृत घोषित किया। मरने की सूचना डाक्टर या श्री नरपतसिंह वगेरह ने थाना झंवर में नहीं दी और अविलम्ब संजय के पिता को भी सूचना नहीं दी बल्कि डिस्पेन्सरी के बरामदे में मृत देह पटक गये। मृत देह के पास ही स्व. संजय का सामान भी रख गये। देरी से 3 घण्टे बाद संजय के पिता श्री मोहनलाल को उदयपुर में सूचना भेजी और 24 घण्टे बाद मृत्यु की सूचना पुलिस को दी गयी। पुलिस इस प्रकरण में अपराधियों से मिल जाने के कारण होस्टल के सुपरिटेण्डेण्ट छात्रों एवं रूम पार्टनरों आदि से जानकारी नहीं करके मृत्यु के कारणों तक नहीं पहुचना चाहती है बल्कि मामले को रफा-दफा करने में लगी हुई है। मृतक की विसरा जोधपुर से जयपुर जांच हेतु आयी है उसे भी अपराधी गण प्रभावित करने पर तुले हुए है।

अतएव आग्रह करना चाहूंगा कि इसकी जांच पुलिस के उच्चाधिकारी से एवं विसरा की जांच मेडिकल बोर्ड से कराकर हत्या की गुत्थी सुलझाकर स्व. संजय के माता-पिता को न्याय दिलावें।

सादर।

[श्री शांती कुमार धारीवाल (हिण्डौली)]

श्री राधा वल्लभ मंदिर, शाहबाद से प्रतिमा की चोरी

हाड़ौती क्षेत्र के शाहबाद उपखण्ड मुख्यालय पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय के निकट स्थित श्री राधावल्लभ मन्दिर से भगवान राधावल्लभ की प्राचीन प्रतिमा की चोरी के विरोध में बुधवार को चौथे दिन भी शाहबाद बन्द रहा।

26 दिसम्बर की रात्रि को कुछ अज्ञात लोग प्राचीन राधावल्लभ मन्दिर से भगवान की पौने दो फुट ऊंची काली प्रतिमा चुराकर ले गये। यह खबर फैली तो कस्बे के लोगों ने बाजार बन्द कर दिया और जुलूस निकाला। शाहबाद थाने में इस आशय की रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी।

जनता के आक्रोश को मद्दे नजर रखते हुए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विषय पर त्वरित गति से ध्यान दें।

इसी प्रकार हाडौती क्षेत्र की ही तालेड़ा पंचायत समिति के अजेता गांव के पार्श्वनाथ मन्दिर से रविवार रात कुछ अज्ञात लोग मूर्ति व दानपेटी चुरा ले गये। पार्श्वनाथ मन्दिर में यह चोरी की दूसरी वारदात है।

अतः मैं पुनः माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले को गम्भीरता से लेकर जनता के हित में कार्यवाही करने का कष्ट करें अन्यथा जनता आन्दोलनात्मक रूख अख्तियार कर सकती है।

[श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)]

ढूंढ नदी पर कानोता बांध का निर्माण

निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में बर्षों पूर्व ढून्ढ नदी पर स्वीकृत कानोता बांध जिस पर करीब करोड़ पिच्चेहत्तर लाख रुपये खर्च हो चुके है लेकिन ठेकेदारों व अधिकारियों की मिलीभगत से इस बांध का कार्य बन्द पड़ा है। श्रीमान् जी के माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बांध का कार्य सन् 1985 से प्रारम्भ हुआ तब से अब तक हजारों कट्टे सीमेन्ट के गायब हो चुके हैं जिनमें से 500 बोरी तो दो वर्ष पहले तुंगा गोदाम से चोरी होने का

बहाना बनाकर गायब कर दिये जिनका आज तक कोई पता नहीं है । उच्च स्तरीय जांच भी हुई लेकिन मात्र एक अस्थाई बेलदार को दोषी मानकर सेवा से मुक्त कर दिया तथा जांच की इतिश्री कर ली। इस बांध के नाम पर हजारों रुपये का डीजल, आयल, मजदूर व चौकीदार, ट्रैक्टर, डीजल इंजिन चलाने के नाम से हजारों रुपये सरकार के खर्च हो चुके है तथा अभी भी यह खर्चा बराबर सरकार से उठाया जा रहा है । इसकी उच्च स्तरीय जांच करवायी जावें तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जाये एवं इस बांध का कार्य इसी वर्ष चालू करवाया जाये जिससे विधान सभा क्षेत्र बस्सी, जमुवारामगढ़, सांगानेर, व जयपुर ग्रामीण के हजारों किसानों को डार्क जोन से मुक्ति तो मिलेगी ही हजारों सूखे कुओं में पानी आयेगा तथा निकट भविष्य में जयपुर में पीने के पानी की जो भयंकर समस्या आने वाली है उसका भी हल हो सकेगा ।

इसके साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सिचाई विभाग द्वारा स्वीकृत खारली बांध व श्यामपुरा बांध जिन पर बहुत कम खर्चा आयेगा, को चालू कर चाकसू क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ।

[श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)]

राजस्थान आवासन मंडल द्वारा आवंटित मकानों की एकमुश्त राशि लेना

राजस्थान आवासन मण्डल के द्वारा पिछले कितने ही माह से पूर्व में किश्तो पर दिये जाने वाले मकानों को तथा कई योजनाओं में सशर्त एक मुश्त राशि लेकर ही मकान देने का निर्णय किया गया है, यह पुर्नविचार के योग्य है । यह ऐच्छिक होना चाहिये ।

धनी व्यक्तियों को पैसा एक साथ जमा कराने में कठिनाई नहीं आती। (उनके पास तो पूर्व में भी मकान होते हैं) लेकिन गरीब आदमी मध्यम श्रेणी आय वर्ग के नागरिकों को इससे बेहद कठिनाई सामने आ रही है । लोग अपनी किश्तें ही समय पर जमा नहीं कर पा रहे है फिर एक मुश्त राशि कहां से जमा करा पायेंगे । आज ब्याज की दर भी 18% हो गयी है । महाजनी ब्याज कैसे चुका पायेंगे । यह चिन्तन ही विरत करता है । कुछ संस्थाएं कुछ राशि देती भी है परन्तु मकान की पूर्व में रजिस्ट्री कराने की बाध्यता से वह भी ऋण उपलब्ध नहीं करा पाते हैं । मकान चाहिये, नम्बर भी लाटरी में निकल आते हैं परन्तु पैसे के अभाव में मध्यम आयवर्ग व निम्न आय वर्ग परेशान है । मेरा आग्रह कि पुनः ऐच्छिक जमा राशि को अपनाकर अवास समस्याओं का समाधान कराने का सरकार को निर्णय करना चाहिये, इसके अभाव में जन असन्तोष व्याप्त है । कृपया एतदर्थ आज की कार्यवाही को रोक कर इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करें ।

[श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़)]

ग्रीन कार्ड योजना पुनः शुरु करने बाबत

नियम 295 के अन्तर्गत जनसंख्या वृद्धि को लेकर एक अत्यधिक महत्व का मुद्दा उठा रहा हूं।

अपने देश में जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने की आवश्यकता पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता। आजादी के पश्चात् व्यापक रूप से विकास कार्यों का असर जनसंख्या वृद्धि की वजह से महसूस नहीं हो सकता।

"जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने अनेकानेक योजनाएं शुरु की, जिनके अन्तर्गत परिवार नियोजन करने वालों को तरह-तरह के प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी। राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कराने वाले दम्पत्ति को ग्रीन कार्ड द्वारा प्रोत्साहन देने की स्कीम जारी की गयी। प्रत्येक ग्रीन कार्ड वाले दम्पत्ति को निम्नांकित सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर दी जायेगी :—

1. ग्रीन कार्ड होल्डर्स दम्पति एवं उनके बच्चों को निःशुल्क दवाएं व चिकित्सा सुविधाएं नियमानुसार प्रदान करना।

2. रिहायशी भूखण्ड व हाउस साइटस योजना के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग को आवंटन में।

3. दुग्ध वितरण बूथों के आवंटन में।

4. कृषि योजनाओं के अन्तर्गत डिमोंस्ट्रेशन प्लांटस व मिनि किट्स के वितरण में।

5. सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रवेश में।

6. आई. आर. डी. पी. योजना के अन्तर्गत जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उन्हें ऋण व अनुदान में।

7. रिहायशी मकानों के निर्माण हेतु ऋणों में।

8. राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा मकान बनाने के लिए सभी स्कीमों के अन्तर्गत ऋणों में।

9. कृषकों को कुऐं पर बिजली कनेक्शन देने में।

10. जयपुर विकास प्राधिकरण व आवासन बोर्ड द्वारा जयपुर शहर की स्कीमों के अन्तर्गत 2% मकानों का आरक्षण।

11. कृषि भूमि के आवंटन में।

12. एन. आर. ई. पी. एवं आर. एल. ई. बी. पी. के अन्तर्गत रोजगार देने में।

13. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली अन्य सुविधाएँ।

"उपरोक्त स्थिति में अनेक दम्पत्तियों ने ग्रीन कार्ड के अन्तर्गत सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार नियोजन में हिस्सा लिया।"

"उपरोक्त कार्यवाही से जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश लगा।"

"राज्य सरकार ने जब ग्रीन कार्ड के अन्तर्गत सुविधाए देने में शिथिलता बरती तो एक श्री सुनील कुमार त्रिवेदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। जिसमें उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 13.2.92 में कहा :—

"I have considered over the matter at the time of providing the incentives to the persons to attraet them for the operations number of facilities have been assured and the assurance give in reservation of the land or houses in condition No. 10 of the green card cannot be denied by the respondent on the plea that it is not a statutory condition. The objection of the Family Planning is in the over all of national interest and those persons who undergo the operation for the purpose of Family Planing are prompted by the assurance given by the respodent. The Govt. connot shift the responsibility on the basis that the said condition in not a statutory condition. Before printing such condition either they should have amended the provisions of the allotment of land by the J. D. A. and houses by the Rajasthan Housing Board or should not have given the assurance.

Looking to the offer of the condition I am of the view that in all the schemes as promised by the respondent they must reserve the quota of two percent as assured to the petitioner and the like.

The writ petition is disposed of with the above directions. It has been informed that the petitioner has already applied in B category of Chitrakut Scheme if application has already been submitted then candidature of the application may be considered under the said scheme.

No order as to costs."

"यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड में प्रतिपादित लुभावनी स्कीम के माध्यम से अनेक दम्पतियों को परिवार नियोजन के लिये प्रेरित किया, लेकिन दिनांक 20.8.93 को ग्रीन कार्ड के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं वाली स्कीम निरस्त कर दी।"

"राज्य सरकार का उपरोक्त कदम जनसंख्या वृद्धि रोकने में बाधक साबित हो रहा है। सरकार को इस मामले में शीघ्र कदम उठाकर ग्रीन कार्ड के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाएं वापस से उपलब्ध कराने के आदेश जारी करने चाहिए।"

"साथ ही साथ राज्य सरकार को इस प्रकार की अधिक से अधिक लुभावनी योजनाएं तैयार करनी चाहिए, ताकि परिवार नियोजन के मामले में अधिक से अधिक लोग अपनी उत्सुकता जाहिर करें। इस सम्बन्ध में पड़ौसी राज्य सरकारों, जैसे हरियाणा व अन्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही योजनाएं व अन्य साधन, जो कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने हेतु चलाये जा रहे है की जांचकर उपयुक्त नई योजना द्वारा शुरु की जाने के निर्देश दिये जावे।"

"साथ ही साथ चीन व अन्य राष्ट्रों द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के सम्बन्ध में उपयुक्त जानकारी प्राप्त कर राज्य में उनके अनुरुप योजनाएं बनाकर परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया जावे, ताकि राज्य की आम जनता व उसके विकास की ओर पूरा ध्यान दिया जा सकें।"